Vol. 270
No. 27

Wednesday,
01 April, 2026
11 Chaitra, 1948 (Saka)

PARLIAMENTARY DEBATES

RAJYA SABHA

OFFICIAL REPORT (FLOOR VERSION)

(PART-II)

CONTENTS

Papers Laid on the Table (pages 1 — 6)

Reports of the Public Accounts Committee — *Laid on the Table* (pages 6 — 7)

Statements of the Public Accounts Committee — *Laid on the Table* (pages 7 — 9)

Matters raised with permission —

Need to ensure participation of Members of Parliament in Government programmes as per the Warrant of Precedence and DoPT guidelines (pages 9 — 11)

Concern over delays in widening and upgradation of Mumbai-Goa Highway (NH 66) (pages 11 — 12)

Concern over the discrimination faced by marginalized communities in JNU (pages 12 — 13)

Concern over commercialization of healthcare and exploitation by private hospitals (pages 14 — 15)

Demand for establishing Indian Institute of Information Technology (IIIT) in Puducherry (pages 15 — 16)

Demand for holistic development of Tribal areas of Rajasthan (page 16 — 17)

[P.T.O.

©
RAJYA SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

Demand for stoppage of Nilachal Express (12875/12876) at Mungra Badshahpur in Jaunpur District of Uttar Pradesh (pages 17 — 18)

Need to ensure equal constitutional right to religious education for all communities (pages 18 — 19)

Need for fixation of MRP for medicines to eliminate price disparity (pages 20 — 21)

Need for expansion and strengthening of railway infrastructure in Chhattisgarh (page 21)

Need to strengthen the care economy and recognise the economic value of caregiving (pages 21 — 22)

Concern over the increasing instances of influential personalities living abroad making derogatory, misleading and defamatory statements about India (pages 23 — 26)

Demand for granting Central University status to Himachal Pradesh University (HPU), Shimla (pages 26 — 28)

Need for expediting road, healthcare and public service projects in Kishtwar, Doda, Ramban, Rajouri and Poonch districts of Jammu and Kashmir (pages 28 — 29)

Demand for the establishment of a dedicated Yoga University in Puri (pages 29 — 30)

Urgent Need for welfare measures and social security for Theyyam and Traditional Folk Artists (pages 30 — 32)

Demand for conferring the *Bharat Ratna* upon Shri Biju Patnaik (pages 32 — 33)

Demand for posthumous conferment of the *Bharat Ratna* upon Bhagwan Birsa Munda (pages 33 — 34)

Concern over rising inflation and increasing cost of living (pages 34 — 35)

Concern over the risk of dilution of the GI identity of Konkan Alphonso (Hapus) Mango (page 35)

Website: http://rajyasabha.nic.in
https://sansad.in/rs
E-mail: rsedit-e@rss.sansad.in

Contents Page

Announcement by the Chair (pages 36 – 39)

Oral Answers to Questions (pages 39 – 68)

[Answers to Starred and Un-starred Questions (Both in English and Hindi) are available as Part -I to this Debate, published electronically on the Rajya Sabha website under the link https://sansad.in/rs/debates/officials *]*

Statutory Resolution—*Adopted* (page 68)

Government Bills – *Passed*

- The Central Armed Police Forces (General Administration) Bill, 2026 (pages 69 – 113)
- The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2026 (pages 113 – 159)

Message from Lok Sabha – *Reported* and Government Bill laid on the Table

- The Andhra Pradesh Reorganisation (Amendment) Bill, 2026 — *Laid on the Table* (page 103)

Special Mentions –

- Concern over exploitation of ordinary citizens, particularly women, by so-called "religious leaders" (pages 159 – 160)
- Concern over reduction in merit requirements for the NEET PG medical admission system in 2025 and exorbitant fees of private medical colleges (pages 160 – 161)
- Concern over invisible victims of India's correctional system (page 161)
- Demand to categorize digital arrest and cyber fraud under the ambit of robbery and dacoity (page 162)
- Demand for issuance of a postage stamp in honor of Dr. Nityanand (pages 163)
- Demand for expansion of railway facilities and stoppage of important trains at Raigarh Railway Station (Chhattisgarh) (pages 163 – 164)
- Demand for creation of an independent Postal Circle for Goa (pages 164 – 165)
- Concerns regarding unfair rejection and delay in health insurance claim settlements by private insurance companies (pages 165 – 166)

Contents Page

RAJYA SABHA

Wednesday, the 1st April, 2026/11 Chaitra, 1948 (Saka)

The House met at eleven of the clock,
MR. CHAIRMAN *in the Chair.*

PAPERS LAID ON THE TABLE

MR. CHAIRMAN: Now, Papers to be laid on the Table.

Reports and Accounts (2024-25) of the Samagra Shiksha, U.T. of Lakshadweep and U.T. of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu and related papers

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION (SHRI JAYANT CHAUDHARY): Sir, I lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the following papers:-

(i) (a) Annual Report of the Samagra Shiksha, U.T. of Lakshadweep, for the year 2024-25.

(b) Annual Accounts of the Samagra Shiksha, U.T. of Lakshadweep, for the year 2024-25, and the Audit Report thereon.

(c) Review by Government on the working of the above Programme.

(d) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) and (b) above.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6766/18/26]

(ii) (a) Annual Report and Accounts of the Samagra Shiksha, U.T. of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, for the year 2024-25, together with Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Programme.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6765/18/26]

Report (2024-25) of the CAG of India on the Accounts of the SASF, Mumbai

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): महोदय, मैं नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य,

Contents Page

शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19क की उप-धारा (2) के अधीन 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए दबावग्रस्त आस्तियों के स्थिरीकरण हेतु निधि (एस.ए.एस.एफ.), मुंबई, महाराष्ट्र के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक-पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6782/18/26]

Report and Accounts (2024-25) of the AWBI, Ballabhgarh, Haryana and related papers

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एस.पी. सिंह बघेल): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूँ:-

(a) Annual Report and Accounts of the Animal Welfare Board of India (AWBI), Ballabhgarh, Haryana, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Board.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6937/18/26]

Report and Accounts (2024-25) of the NILD, Kolkata, West Bengal and related papers

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी.एल. वर्मा): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूँ:-

(a) Annual Report and Accounts of the National Institute for Locomotor Disabilities (Divyangjan) (NILD), Kolkata, West Bengal, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6835/18/26]

Contents Page

Notifications of the Ministry of Road Transport and Highways

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हर्ष मल्होत्रा): महोदय, मैं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अधीन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) S.O. 395(E)., published in the Gazette of India dated the 28th January, 2026, levying user fee for the project of four or more lane of Greenfield alignment IT City Chowk to Kuralipart of NH-205A in the State of Punjab.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6866/18/26]

(2) S.O. 396(E)., published in the Gazette of India dated the 28th January, 2026, levying user fee for the project of four or more lane of Munger to Mirzachowki Section of NH-33 in the State of Bihar.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6867/18/26]

(3) S.O. 488(E)., published in the Gazette of India dated the 3rd February, 2026, levying user fee for the project of four or more lane of Bewar – Allahganj Section on NH-730C in the State of Uttar Pradesh.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6868/18/26]

(4) S.O. 489(E)., published in the Gazette of India dated the 3rd February, 2026, levying user fee for the project of 2/4LPS for Fatehpur Bypass, Mandawa Bypass and Jhunjhunu Bypass of NH-11 in the State of Rajasthan.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6869/18/26]

(5) G.S.R. 107(E)., published in the Gazette of India dated the 4th February, 2026, notifying the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) (Amendment) Rules, 2026.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6837/18/26]

(6) S.O. 656(E)., published in the Gazette of India dated the 6th February, 2026, levying user fee for the project of four or more lane of Addahole to Bantwal Section including 6-lane Flyover at Kalladka Town on NH-75 (old NH-48) in the State of Karnataka.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6870/18/26]

(7) S.O. 657(E)., published in the Gazette of India dated the 6th February, 2026,

Contents Page

levying user fee for the project of four or more lane Section of Parshuram Ghat-Arawali-Kante-Wakad Section of NH-66 in the State of Maharashtra.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6871/18/26]

(8) S.O. 1000(E)., published in the Gazette of India dated the 24th February, 2026, levying user fee for the project of 2/4LPS of Huliyar – Sira Section of NH-234 (New NH-69) in the State of Karnataka.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6872/18/26]

(9) S.O. 1015(E)., published in the Gazette of India dated the 25th February, 2026, levying user fee for the project of 2/4LPS of NH-167 in the State of Telangana.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6873/18/26]

(10) S.O. 1017(E)., published in the Gazette of India dated the 25th February, 2026, levying user fee for the project of six laning of Vijayawada Bypass (Package-IV), Gollapudi – Chinnakakani Section of NH-5 (New NH-16) in the State of Andhra Pradesh.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6874/18/26]

(11) S.O. 1022(E)., published in the Gazette of India dated the 25th February, 2026, levying user fee for the project of two lane with paved shoulder Section of Bikramganj – Dumraon Section excluding Dawath bypass of NH-120 in the State of Bihar.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6875/18/26]

(12) S.O. 1156(E)., published in the Gazette of India dated the 3rd March, 2026, levying user fee for the project of six laning of Akkalkot to KN-TS Border Section on NH-150C in the State of Karnataka.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6876/18/26]

(13) S.O. 1157(E)., published in the Gazette of India dated the 3rd March, 2026, levying user fee for the project of four or more lane section from Mhaswad to Tembhurni in the State of Maharashtra.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6877/18/26]

(14) S.O. 1162(E)., published in the Gazette of India dated the 5th March, 2026, levying user fee for the project of four or more lane of Basukinath-Deoghar

Contents Page

Section of NH-114A in the State of Jharkhand.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6878/18/26]

Report and Accounts (2024-25) of the NESTS, New Delhi and related papers

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दुर्गादास उइके): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूँ:-

(a) Annual Report and Accounts of National Education Society for Tribal Students (NESTS), New Delhi, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Society.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6904/18/26]

Reports and Accounts (2024-25) of various NITs; the BOAT, Mumbai; and the BOAT, Kanpur and related papers

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एस.पी. सिंह बघेल): महोदय, मैं श्री सुकांत मजूमदार की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

I. (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (4) of Section 22 of the National Institutes of Technology, Science Education and Research Act, 2007: -

(i) (a) Annual Report and Accounts of the National Institute of Technology (NIT) Karaikal, Puducherry, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6805/18/26]

(ii) (a) Annual Report and Accounts of the National Institute of Technology (NIT) Imphal, Manipur, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

Contents Page

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6804/18/26]

(iii) (a) Annual Report and Accounts of the National Institute of Technology (NIT) Delhi, New Delhi, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

(2) Statements (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6803/18/26]

II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers:-

(i) (a) Annual Report and Accounts of the Board of Apprenticeship Training (BOAT), (Western Region), Mumbai, Maharashtra, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Board.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6807/18/26]

(ii) (a) Annual Report and Accounts of the Board of Apprenticeship Training (BOAT), (Northern Region), Kanpur, Uttar Pradesh, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Board.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6806/18/26]

REPORTS OF THE PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

DR. K. LAXMAN (Uttar Pradesh): Sir, I lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the following Reports of the Public Accounts Committee (2025-26):-

Contents Page

(i) Thirty-ninth Report (Eighteenth Lok Sabha) of the Committee on 'Excesses over voted grants and charged appropriations (2022-23)';

(ii) Fortieth Report (Eighteenth Lok Sabha) of the Committee on 'Working of Mancheshwar carriage repair workshop in East Coast Railway';

(iii) Forty-first Report (Eighteenth Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the Observations/ Recommendations of the Committee contained in its Seventy-fourth Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Ground Water Management and Regulation';

(iv) Forty-second Report (Eighteenth Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the Observations/ Recommendations of the Committee contained in its One Hundred and Twenty-first Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Disability Pension in Indian Army';

(v) Forty-third Report (Eighteenth Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the Observations/ Recommendations of the Committee contained in its One Hundred and Twenty-sixth Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Avoidable Payment due to Non-Charging of Service Tax/GST from the Passengers'; and

(vi) Forty-fourth Report (Eighteenth Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the Observations/ Recommendations of the Committee contained in its One Hundred and Thirty-second Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Derailment in Indian Railways'.

STATEMENTS OF THE PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

DR. K. LAXMAN (Uttar Pradesh): Sir, I lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the Statements showing further Action Taken by Government on the Observations/Recommendations contained in the following Action Taken Reports of the Public Accounts Committee (2025-26):-

(i) Seventeenth Report (Seventeenth Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in its One Hundred and Twelfth Report (Sixteenth Lok Sabha) on 'Incorrect Adoption of Exchange Rate and Undue Benefit to the Service Provider';

Contents Page

(ii) Twentieth Report (Seventeenth Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in its One Hundred Thirty-first Report (Sixteenth Lok Sabha) on 'Avoidable Procurement of a Mobile Nitrogen Gas Generator Plant, Infructuous Procurement of Material, Development of Integrated Aerostat Surveillance System and Irregular Expenditure on Construction of Vehicle Testing Ground';

(iii) Twenty-sixth Report (Seventeenth Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in its Eighth Report (Sixteenth Lok Sabha) on 'Water Pollution in India';

(iv) Twenty-eighth Report (Seventeenth Lok Sabha) on Action taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in its One Hundred and Thirty-fourth Report (Sixteenth Lok Sabha) on 'Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana';

(v) Thirty-third Report (Seventeenth Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in its One Hundred and Twenty-second Report (Sixteenth Lok Sabha) on 'Kendriya Vidyalaya Sangathan and Gujarat Vidyapith';

(vi) Thirty-sixth Report (Seventeenth Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in its Twelfth Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Management of Funds';

(vii) Thirty-seventh Report (Seventeenth Lok Sabha) on Action taken by the Government on the Recommendations/Observations of the Committee contained in its Thirteenth Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Doubtful Recovery of Outstanding Dues because of Failure of Fiduciary Duty-Bangalore International Airport Limited, Bangalore (BIAL)';

(viii) Thirty-eighth Report (Seventeenth Lok Sabha) on Action taken by the Government on the Recommendations/Observations of the Committee contained in its Forty-second Report (Sixteenth Lok Sabha) on 'Non-Compliance by Ministries/ Departments in Timely Submission of Action Taken Notes on the Non-selected Audit Paragraphs (Civil and other Ministries)';

(ix) Fortieth Report (Seventeenth Lok Sabha) on Action Taken by the Government

Contents Page

on the Observations/Recommendations of the Committee contained in its Ninetieth Report (Sixteenth Lok Sabha) on 'Performance of Special Economic Zones';

(x) Forty-third Report (Seventeenth Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in its One Hundred and Fifth Report (Sixteenth Lok Sabha) on 'Acquisition and Development of Land by DDA';

(xi) Forty-seventh Report (Seventeenth Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in its Fourteenth Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'The Accelerated Irrigation Benefits Programme';

(xii) Sixty-third Report (Seventeenth Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in its Fifth Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Implementation of Recommendations of Public Accounts Committee by Ministries of Finance, Defence and Women and Child Development';

(xiii) Sixty-eighth Report (Seventeenth Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in its Forty-second Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Excesses over Voted Grants and Charged Appropriations (2018-19)'; and

(xiv) Seventy-third Report (Seventeenth Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in its One Hundred and Sixth Report (Sixteenth Lok Sabha) on 'Improper Management of Defence Land'.

MR. CHAIRMAN: Now, Matters to be Raised with Permission'. Shri Javed Ali Khan.

MATTERS RAISED WITH PERMISSION

Need to ensure participation of Members of Parliament in Government programmes as per the Warrant of Precedence and DoPT guidelines

श्री जावेद अली खान (उत्तर प्रदेश): माननीय सभापति जी, सांसदों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ सरकार का व्यवहार Warrant of Precedence और DoPT की गाइडलाइंस के तहत तय होता है, संचालित होता है। DoPT की गाइडलाइंस में स्पष्ट उल्लेख है कि सरकारी आयोजनों में उस क्षेत्र के सांसदों को अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाएगा। लेकिन सर, हमारे उत्तर प्रदेश के

Contents Page

अंदर DoPT की गाइडलाइंस का रत्ती भर भी अनुसरण नहीं हो रहा है। वहां जो सरकारी कार्यक्रम होते हैं, उनके अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग विराजमान रहते हैं और विपक्षी दलों के, खासतौर से समाजवादी पार्टी के सांसदों और विधायकों को एक भी कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाता है। मेरे जनपद, संभल में दो सांसदों का क्षेत्र है, दोनों समाजवादी पार्टी के हैं, मैं भी वहीं से हूँ और वहां चार में से तीन विधायक समाजवादी पार्टी के हैं। वहां जिला मुख्यालय का उद्घाटन करने मुख्य मंत्री गए, लेकिन एक भी समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक को आमंत्रित नहीं किया गया। सर, मुरादाबाद में हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ, हालांकि वह हवाई अड्डा चल नहीं रहा है। प्रधान मंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया था। वहां सपा का सांसद है। वहाँ के 6 विधायक में समाजवादी पार्टी के 5 विधायक हैं, जिनमें से किसी को भी कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया। मेरे बगल के जिले, कासगंज में सपा के सांसद और विधायकों को नहीं बुलाया गया। प्रयागराज में प्रधान मंत्री जी गए और 5,500 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन करके आए, लेकिन वहां भी किसी भी विपक्षी सांसद या विधायक को नहीं बुलाया गया। सर, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या विपक्षी दलों के सांसदों और विधायकों को सरकारी कार्यक्रमों में न बुलाए जाने का फैसला प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री की सहमति से लिया जाता है, या फिर कुछ अधिकारी, ब्यूरोक्रेट और नौकरशाह सरकारी सत्ताधीशों को खुश करने के लिए इस प्रकार के फैसले लेते हैं। सर, अगर यही करना है कि विपक्ष के सांसदों और विधायकों को नहीं बुलाया जाना है, तो DoPT की Guidelines में आप संशोधन करवा दीजिए। यहां हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, डा. वीरेंद्र कुमार जी बैठे हैं। वे मेरे जिले में एक कार्यक्रम में गए थे। मैंने इनको फोन करके बताया कि मुझे नहीं बुलाया गया, मेरे सांसद को नहीं बुलाया गया है और आप इस जिले में कार्यक्रम में जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि मैं देखता हूं। उसके बाद भी मुझे नहीं बुलाया गया। सर, मैं आपके हस्तक्षेप की मांग करता हूं, ताकि सांसदों और विधायकों का सम्मान सुरक्षित रह सके। विपक्ष में होना कोई अपराध नहीं है। विपक्षी होने के बाद भी हम...

خان علی جاوید جناب[†] (پردیش اتر) : گنمانیہ انیہ اور انسدوریں ،جی سبھاپتی مانییہ کے گائیڈلائینس کی DoPT اور Warrant of Precedence رویہ کا سرکار ساتھکے ویکتیوں سرکاری کہ ہے الیکھ اسپشٹ میں گائیڈلائینس کی DoPT ہے۔ ہوتا سنچالت ،ہے ہوتا طے تحت ہمارے ،سر لیکن جائیگا۔ کیا مدعو پر طور لازمی کو سانسدوں کے شیتر اس میں آیوجنوں جو وہاں ہے۔ رہا ہو نہیں انوسرن بھی بھر رتی کا گائڈلائنس کی DoPT اندر کے اترپردیش ہیں رہتے وراجمان لوگ کے پارٹی جنتا بھارتیہ اندر انکے ،ہیں ہوتے کرم کاریہ سرکاری بھی ایک کو ودھائکوں اور سانسدوں کے پارٹی سماجوادی سے طورخاص کے دلوں وپکشی اور ،ہے شیتر کا سانسدوں دو میں سنبھل ،پد جنمیرے ہے۔ جاتا بلایا نہیں میں رہک کاریہ ودھایک تین سے میں چار وہاں اور ،ہوں سے وہیں بھی میں ،ہیں کے پارٹی سماجوادی دونوں بھی ایک لیکن ،گئے منتری مکھیہ کرنے اُدگھاٹن کا مُکھیالیہ ضلع وہاں ہیں۔کے پارٹی سماجوادی اڈے ہوائی میں مرادآباد ،سر گیا۔ کیا نہیں آمنترت کو ودھایک اور سانسد کے پارٹی سماجوادی اسکا نے جی منتری پردھان ہے۔ رہا نہیں چل اڈہ ہوائی وہ حالانکہ ،ہوا ادگھاٹن کا

[†]Transliteration in Urdu script.

Contents Page

5کے پارٹی سماجوادی میں ودھایک 6کے وہاں ہے۔ سانسد کا سپا وہاں تھا۔ کیا ادگھاٹن کے بغلمیرے گیا۔ کیا نہیںآمنترت میں کرم کاریہ بھی کو کسیسے میں جن ،ہیں ودھایک پردھان میں راج پریاگ گیا۔ بلایا نہیں کو ودھائکوں اور سانسدکے سپا میں گنجکاس ،ضلع بھی کسی بھی وہاں لیکن ،آئے کرکے ادگھاٹن کا یوجناؤں کی کروڑ 5,500 اور گئے جیمنتری گیا۔ بلایا نہیں کو ودھایک یا سانسد وپکشی

کو ودھائکوں اور سانسدوں کے دلوں وپکشی کیا کہ ہوں چاہتا جاننا یہ سے آپ میں ،سر یک یمنتر مکھیہ اور منتری پردھان فیصلہ کا جانے بلائے نہ میں کرموں کاریہ سرکاری یسرکار نوکرشاہ اور ٹیوروکریب ،یکاریادھ کچھ پھر ای ،ہے جاتا ایل سے یسہمت یہی اگر ،سر ۔یہ تےیل صلےیف کے پرکار اس ےیل کے کرنے خوش کو شوییستادھ یک DoPT تو ،ہے جانا ایبلا ینہ کو ودھائکوں اور سانسدوں کے وپکش کہ ہے کرنا ،یمنتر کارتایادھ اور ائےین ساماجک ہمارے ہایی ۔ےیجید کروا سنشودھن آپ یم Guidelines ۔تھے گئے یم کرم یکار کیا یم ضلع رےیم وہ ۔یہ ٹھےیب یج کمار ندریریو ڈاکٹر ایبلا ینہ کو سانسد رےیم ،ایگ ایبلا ینہ مجھے کہ ایبتا کرکے فون انکو نے یم ۔ہوں کھتایید یم کہ کہا نے انہوں ۔یہ رہے جا یم کرم یکار یم ضلعے اس آپ اور ہے ایگ ۔ایگ ایبلا ینہ مجھے یبھ بعد اسکے

سرکشت سمان کا ودھائکوں اور سانسدوں تاکہ ،ہوں کرتا مانگ یک مداخلت یک آپ یم ،سر ۔۔۔ہم یبھ بعد کے ہونے یوپکش ہے ینہ اپرادھ یکوئ ہونا یم وپکش ۔سکے رہ

MR. CHAIRMAN: The following hon'ble Members associated themselves with the submission made by the hon'ble Member, Shri Javed Ali Khan:

Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Shri Pramod Tiwari (Rajasthan), Shri Sant Balbir Singh (Punjab), Shri Subhasish Khuntia (Odisha), Shrimati Sagarika Ghose (West Bengal), Prof. Ram Gopal Yadav (Uttar Pradesh), Shri Golla Baburao (Andhra Pradesh), Shri Anil Kumar Yadav Mandadi (Telangana), Shri Gurwinder Singh Oberoi (Jammu and Kashmir), Shri Sajjad Ahmad Kichloo (Jammu and Kashmir), Shri Narain Dass Gupta (NCT Delhi), Shri Prem Chand Gupta (Bihar), Shrimati Sulata Deo (Odisha), Shri Ravi Chandra Vaddiraju (Telangana), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri Shaktisinh Gohil (Gujarat) and Shrimati Phulo Devi Netam (Chhattisgarh).

Concern over delays in widening and upgradation of Mumbai-Goa Highway (NH 66)

SHRI SADANAND MHALU SHET TANAVADE (Goa): Hon'ble Chairman, Sir, I rise to draw the attention of this august House to an important matter concerning the ongoing widening and upgradation of NH-66 — the vital corridor connecting Mumbai and Goa. This highway serves as the primary road link between the Konkan region of Maharashtra and Goa and plays a crucial role in tourism, trade, transportation of

Contents Page

goods and overall regional connectivity and development. This project of a modern four-lane highway corridor was sanctioned more than a decade ago with the objective of improving connectivity, enhancing road safety, reducing travel time between Mumbai and Goa and making the journey smoother and faster for lakhs of travelers, tourists and daily commuters. The completion of this highway will also greatly benefit the transportation of goods. Faster and smoother freight movement will support industries, agriculture, fisheries and small businesses across the Konkan belt and Goa. However, despite its importance, the project has faced repeated delays due to land acquisition issues, environmental clearances, design modifications, contractor-related challenges and traffic management constraints. As a result, several stretches continue to face bottlenecks, incomplete bridges, unfinished bypasses and uneven road conditions. The situation becomes particularly severe during the monsoon season. Heavy rainfall further worsens already incomplete stretches, leading to traffic congestion and increased risk of accidents. This causes immense hardship to daily commuters and poses serious safety concerns for all road users. Given the strategic and economic importance of this highway and approaching monsoon, it is imperative that the project be completed at the earliest on a priority and time-bound basis.

Hon'ble Chairman, Sir, I, therefore, request the Government to take immediate steps to expedite the remaining work on NH-66, ensure better coordination among all stakeholders and provide a clear timeline for its early completion, especially before the onset of the upcoming monsoon. Thank you.

MR. CHAIRMAN: The following hon'ble Members associated themselves with the Zero Hour submission made by the hon'ble Member, Shri Sadanand Mhalu Shet Tanavade:

Dr. Medha Vishram Kulkarni (Maharashtra), Shir Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Shri Sat Paul Sharma (Jammu and Kashmir), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Shrimati Sangeeta Yadav (Uttar Pradesh), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Dhairyashil Mohan Patil (Maharashtra), Shri P. Wilson (Tamil Nadu) and Shri Mokariya Rambhai (Gujarat).

Concern over the discrimination faced by marginalized communities in JNU

SHRI DIGVIJAYA SINGH (Madhya Pradesh): Hon'ble Chairman, Sir, I rise to raise a matter of urgent public importance regarding growing concerns about the discrimination and weakening of social justice commitments at JNU. It is one of the

Contents Page

top ten universities in the National Institutional Ranking Framework. And two of our eminent alumni are sitting in the Treasury Benches now.

Sir, JNU was established to advance national integration, social justice, democratic values in a scientific approach to societal challenges. In this context, the recent media remarks by the Vice-Chancellor who reportedly described assertions of historically marginalized communities as a form of permanent victimhood and suggested that such realities are being manufactured, run contrary to the very principles for which university was established. Sir, the statement raised concerns about institution's sensitivity to caste discrimination, equity and constitutional values. According to a Report by the JNU Teachers' Association, the average number of SC/ST students declined by around 25 per cent in just three years. Similar issues have been flagged in the context of faculty recruitment. Of 326 vacancies for which the Selection Committee was constituted, more than 40 reportedly resulted in candidates being declared 'Not Found Suitable'. It has been pointed out that the majority of these posts were reserved positions and the proportion of such outcomes appears to be increasing. Further, delays in faculty promotions have also been noted. There are 89 pending promotional cases in JNU, of which 62 have exceeded in the stipulated processing period. Such delays adversely affect career progression and Ph.D. supervision capacity.

In view of these concerns, I urge the Government to take necessary steps to ensure strict adherence to reservation norms and to protect the constitutional commitment to inclusivity and social justice in JNU and other Central Universities. Thank you.

MR. CHAIRMAN: The following hon'ble Members associated themselves with the Zero Hour mention raised by Shri Digvijaya Singh:

Shri Mallikarjun Kharge (Karnataka), Shri Manoj Kumar Jha (Bihar), Shrimati Sagarika Ghose (West Bengal), Shri Gurwinder Singh Oberoi (Jammu and Kashmir) Shri Pramod Tiwari (Rajasthan), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Shri Ravi Chandra Vaddiraju (Telangana), Shrimati Rajathi (Tamil Nadu), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Shri Anil Kumar Yadav Mandadi (Telangana), Shri Neeraj Dangi (Rajasthan), Shri Sanjay Yadav (Bihar) and Shrimati Phulo Devi Netam (Chhattisgarh).

Now, Shri Sant Balbir Singh.

Contents Page

Concern over commercialization of healthcare and exploitation by private hospitals

SHRI SANT BALBIR SINGH (Punjab): [&] Hon'ble Chairman Sir, I thank you for giving me this opportunity. Sat Sri Akal to all the Hon'ble Members present in this House. Sir, in our country, doctors have traditionally been accorded the status of God, and medical services have always been regarded as sacred. However, it is deeply concerning that healthcare today is increasingly being commercialized and treated as a profit-making enterprise. Private hospitals have become prohibitively expensive and are beyond the reach of the common man. At the same time, insurance companies lure citizens into purchasing policies through tall claims and assurances of comprehensive support during medical emergencies—moments when individuals are most vulnerable and in need of care. However, when claims are actually made, patients are often denied benefits on the basis of complex, technical, and fine-print terms and conditions. These clauses are deliberately drafted in a manner that is difficult for an ordinary person to understand, resulting in exploitation and financial distress for consumers. Sir, I urge the Government to take immediate steps to regulate both private hospitals and insurance companies, and to put an end to the exploitation of the common man. There is an urgent need to plug systemic loopholes and ensure transparency and accountability in this sector. Further, I strongly recommend that all policy terms and conditions must be written in simple language, preferably in the mother tongue of the consumer, so that individuals can fully understand their rights and obligations and protect themselves from unfair practices. Sir, today, patients are increasingly being treated as mere commodities for profit, with private hospitals and insurance companies often acting in collusion, thereby compromising access to quality and affordable healthcare. Due to such circumstances, patients from nearly eight states are compelled to seek treatment at PGI Chandigarh, leading to excessive burden on the institution and immense hardship for patients and their families. Therefore, I demand that another super-specialty hospital be established in this region of Punjab to reduce the load on PGI and improve accessibility to quality healthcare. It is the responsibility of the Government to ensure adequate medical infrastructure for its citizens. At the same time, I would like to inform this august House with a sense of pride that Punjab has become the first state to provide free medical treatment up to ₹10 lakh through empanelled hospitals. I urge that such a progressive scheme be replicated across other states for the benefit of the wider population. Thank you, Sir.

[&] English translation of the original speech delivered in Punjabi.

Contents Page

MR. CHAIRMAN: The following hon'ble Members associated themselves with the Zero Hour mention raised by Shri Sant Balbir Singh:

Shri Narain Dass Gupta (NCT Delhi), Shri Prem Chand Gupta (Bihar), Shri Subhasish Khuntia (Odisha), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Shri Gurwinder Singh Oberoi (Jammu and Kashmir), Shrimati Rajathi (Tamil Nadu), Shri Sanjay Yadav (Bihar) and Shri Ravi Chandra Vaddiraju (Telangana).

Now, Shri S. Selvaganabathy.

Demand for establishing Indian Institute of Information Technology (IIIT) in Puducherry

SHRI S. SELVAGANABATHY (Puducherry): Hon'ble Chairman, Sir, I rise to demand establishment of an Indian Institute of Information Technology in the Union Territory of Puducherry. Puducherry has made remarkable achievements in the field of education. With 61.5 per cent Gross Enrolment Ratio (GER), Puducherry has the second-highest GER in higher education in India, which means that more than six out of every ten young people in Puducherry are enrolled in higher education. It is a shining example of aspiration of a society deeply committed to learning. Yet, despite this achievement, Puducherry stands deprived of premier national institutions of its own like IIT, IIM, IIIT or IISER. Puducherry has Institutions of Excellence like the National Institute of Technology, the Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research and Pondicherry University. Recently, the IIT Madras Research and Development Center has also been established here. It is the pride of Puducherry that the first Krishi Vigyan Kendra was established in 1974. These are commendable steps, but they are not enough to match Puducherry's potential. Therefore, I place before the House two specific proposals. The first one is establishing an Indian Institute of Information Technology in Puducherry. It would not only serve local students, but also attract talent from across the country, creating a hub for digital innovation in South India. Alternatively, a Central Institute of Marine Sciences may be established. Puducherry with its long coastline and fishing community is uniquely positioned to lead India in marine research, ocean studies and sustainable fisheries. Such an Institute would strengthen our blue economy aligned with national priorities and private livelihoods rooted in science and sustainability. Further, I urge the Government to expand the PM SHRI schools in Puducherry. At present, there are only 12 PM SHRI schools across the Union territory. I request that the number of PM SHRI schools be increased to at least 30 in all the four regions of Puducherry. By establishing an IIIT, a Central Institute of Marine Sciences, and by expanding PM

Contents Page

SHRI schools will not only honour Puducherry's contributions, but also invest in India's future. These steps will ensure that Puducherry continues to be a ...

MR. CHAIRMAN: The following hon'ble Members associated themselves with the matter raised by the hon'ble Member, Shri S. Selvaganabathy:

Shri Sadanand Mhalu Shet Tanavade (Goa), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Shri Banshilal Gurjar (Madhya Pradesh), Dr. Anil Sukhdeorao Bonde (Maharashtra), Dr. Bhim Singh (Bihar), Shri Shambhu Sharan Patel (Bihar), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Dr. Sasmit Patra (Odisha) and Dr. Ajeet Madahvrao Gopchade (Maharashtra).

Shriman Chunnilal Garasiya.

Demand for holistic development of Tribal areas of Rajasthan

श्री चुन्नीलाल गरासिया) राजस्थान(: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं, जिसकी शुरुआत हमारे देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी द्वारा 2 अक्टूबर, 2024 को झारखंड के हजारीबाग से की गई थी। यह एक महत्वाकांक्षी अभियान है, जिसमें उन्यासी हजार, एक सौ छप्पन करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ देश के तीस राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पाँच सौ उनचास जिलों के तिरेसठ हजार से अधिक जनजातीय बहुल गांवों को कवर करते हुए लगभग पाँच करोड़ जनजातीय नागरिकों के समग्र विकास का लक्ष्य रखा गया है। महोदय, सत्रह मंत्रालयों के समन्वित प्रयासों से पच्चीस योजनाओं के माध्यम से सामाजिक अवसंरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आजीविका के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने का प्रयास सराहनीय है। माननीय प्रधान मंत्री द्वारा चालीस एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन एवं पच्चीस नए विद्यालयों का शिलान्यास किया गया है। इसके साथ ही 'पीएम-जनमन कार्यक्रम' के अंतर्गत सड़कों, आंगनवाड़ी केंद्रों एवं छात्रालयों जैसी परियोजनाओं का शुभारंभ जनजातीय क्षेत्र के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

सभापति जी, जनजातीय समुदाय राजस्थान में भी बड़ी संख्या में, विशेषकर दक्षिण जिलों, जैसे बांसवाड़ा, तुंगापुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ में निवास करते हैं। इन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क संपर्क, पेय जल एवं आजीविका के अवसरों को सुदृढ़ करने की अत्यंत आवश्यकता है। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि इस अभियान के अंतर्गत राजस्थान के जनजातीय बहुल क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए अधिक से अधिक परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान दी जाए तथा उनके त्वरित प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जाए, ताकि राज्य के जनजातीय समुदायों को इस महत्वाकांक्षी योजना का पूर्ण लाभ मिल सके। सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

Contents Page

MR. CHAIRMAN: The following hon'ble Members associated themselves with the matter raised by the hon'ble Member, Shri Chunnilal Garasiya:

Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Dr. Anil Sukhdeorao Bonde (Maharashtra), Dr. Sumer Singh Solanki (Madhya Pradesh), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Shrimati Ramilaben Becharbhai Bara (Gujarat), Dr. Bhim Singh (Bihar), Shri Banshilal Gurjar (Madhya Pradesh), Shri Dorjee Tshering Lepcha (Sikkim), Dr. Meenakshi Jain (Nominated), Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh), Shri S. Selvaganabathy (Puducherry), Shri Balyogi Umeshnath (Madhya Pradesh), Dr. Parmar Jashvantsinh Salamsinh (Gujarat), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Devendra Pratap Singh (Chhattisgarh), Shri P. Wilson (Tamil Nadu) and Shri Niranjan Bishi (Odisha).

श्रीमती सीमा द्विवेदी।

Demand for stoppage of Nilachal Express (12875/12876) at Mungra Badshahpur in Jaunpur District of Uttar Pradesh

श्रीमती सीमा द्विवेदी (उत्तर प्रदेश): आदरणीय सभापति महोदय, मेरा विषय पुरी से चलकर आनंद विहार तक जाने वाली नीलांचल एक्सप्रेस (12875/12876) का उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला के अंतर्गत मुंगरा बादशाहपुर में ठहराव के संबंध में है। महोदय, श्रद्धेय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय रेल मंत्री जी के प्रयास से आज पूरे देश में रेलवे का काम आईने की तरह झलक रहा है। सरकार ने वंदे भारत ट्रेनों के माध्यम से जनता का दिल जीत लिया है, परंतु हमें यह कहते हुए दुख हो रहा है कि विगत 40 वर्षों से उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से जुड़े हजारों की तादाद में लोग बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और ओडिशा के विभिन्न जिलों में सरकारी तथा प्राइवेट नौकरियों और व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। पुरी से चलकर आनंद विहार को जाने वाली नीलांचल एक्सप्रेस का शुभ उद्घाटन 40 वर्ष पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री द्वारा किया गया था। उसी दिन से जौनपुर जिले के रहने वाले लोगों की मांग रही है कि उक्त रेलगाड़ी को उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के अंतर्गत मुंगरा बादशाहपुर रेलवे स्टेशन पर रोका जाए। यह ट्रेन जौनपुर जिले से गुजरती है, लेकिन लोगों का दुर्भाग्य है कि यह जौनपुर जिले के किसी भी रेलवे स्टेशन पर नहीं रुकती है। जौनपुर जिले के लोग ओडिशा के पुरी, भुवनेश्वर, कटक, भद्रक, बालेश्वर में रहते हैं, इसी तरह पश्चिमी बंगाल के खड़गपुर, हावड़ा इत्यादि जिलों में भी रहते है, इसी तरह झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम समेत चाईबासा इत्यादि इलाकों में रहते हैं, इसी तरह बिहार के विभिन्न इलाकों में जौनपुर जिले के लोग रहते चले आ रहे हैं। ये लोग साल में एक बार, दो बार या कई बार अपने पूर्वजों के गाँव जौनपुर को लौटते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि इन लोगों को या तो बनारस या फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर उतरना पड़ता है। वहाँ से जनता ट्रेन या फिर पंजाब मेल पर सवार होकर ये लोग अपने पूरे परिवार के साथ जौनपुर जिले के विभिन्न गाँवों तक पहुंचते हैं, जिसके चलते इन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। महोदय, यदि नीलांचल एक्सप्रेस का मात्र दो मिनट के लिए मुंगरा बादशाहपुर रेलवे स्टेशन पर ठहराव किया

Contents Page

जाए, तो जौनपुर जिले के रहने वाले लोग, जो देश के इन चार राज्यों में रहते हैं जहाँ से यह रेलगाड़ी गुजरती है, उनके जीवन में भी चार चाँद लग जाएंगे। जौनपुर जिले की पांचवीं या छठवीं पीढ़ी देश के इन चार राज्यों में तो रहती है, लेकिन आज तक किसी सरकार ने इनकी गम्भीर समस्या के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। आज आशा और विश्वास, दोनों परिलक्षित हो रहे हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह माँग करती हूँ कि नीलांचल एक्सप्रेस का दो मिनट का ठहराव मुंगरा बादशाहपुर रेलवे स्टेशन पर किया जाए। ऐसा हो जाने से जनमानस को बहुत लाभ मिलेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: The following hon'ble Members associated themselves with the matter raised by the hon'ble Member, Shrimati Seema Dwivedi:

Shri Aditya Prasad (Jharkhand), Shrimati Darshana Singh (Uttar Pradesh), Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Shri Khiru Mahto (Bihar), Shri Harsh Vardhan Shringla (Nominated), Shrimati Maya Naroliya (Madhya Pradesh), Shri Govindbhai Laljibhai Dholakia (Gujarat), Shri Rajendra Gehlot (Rajasthan), Shrimati Sangeeta Yadav (Uttar Pradesh) and Dr. Sasmit Patra (Odisha).

Now, Dr. Dinesh Sharma.

Need to ensure equal constitutional right to religious education for all communities

डा. दिनेश शर्मा (उत्तर प्रदेश): माननीय सभापति महोदय, आज मैं आपका ध्यान धार्मिक शिक्षा की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। भारतीय संविधान की धारा 14 समानता का वादा करती है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अनुच्छेद 29, 30 के कारण व्यावहारिक असमानता पैदा हो गई है। आज संवैधानिक व्यवस्था अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 30(1) के तहत अपनी पसंद के संस्थान चलाने और धार्मिक शिक्षा देने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करती है। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु, हिंदू समाज को इसी मौलिक अधिकार से व्यावहारिक रूप से वंचित रखा गया है, यह आपत्तिजनक है। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम से अल्पसंख्यक संस्थानों को छूट प्राप्त है, जबकि हिन्दू स्कूलों पर यह प्रशासनिक और आर्थिक बोझ अनिवार्य रूप से थोपे जाते हैं। इसी मतभेद के कारण 1980 के दशक में रामकृष्ण मिशन ने पश्चिम बंगाल में अपने स्कूलों को राज्य सरकार के हस्तक्षेप से बचाने के लिए अल्पसंख्यक दर्जा मांगा था। हालाँकि 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि वे हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा हैं और अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक नहीं हो सकते। ऐसे अनेक उदाहरण हैं - आर्य समाज संचालित डीएवी संस्थान और कर्नाटक में लिंगायत समुदाय को अपने संस्थानों को सरकारी हस्तक्षेप से बचाने के लिए स्वयं को हिन्दू से अलग या अल्पसंख्यक घोषित करने का असफल प्रयास किया गया। धार्मिक ग्रंथों के मामले में भी गहरा असंतुलन है। जहाँ सरकारी सहायता प्राप्त मदरसे कुरान और मिशनरी स्कूल बाइबल की शिक्षा दे सकते हैं, वहीं हिन्दू संचालित स्कूलों को वेदों या गीता के शिक्षण के लिए धर्मनिरपेक्षता की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अक्सर उन्हें यह कह दिया जाता है कि सरकारी अनुदान

Contents Page

लेने पर वे ऐसा नहीं कर सकते। मेरे वक्तव्य का आशय अल्पसंख्यक समुदायों को दी गई सुविधा का विरोध न होकर, उन्हीं की भांति हिन्दू शैक्षिक संस्थाओं को अधिकार दिए जाने से है।

माननीय सभापति महोदय, अत: समय की मांग है कि एक देश, एक विधान के अंतर्गत शिक्षा में संस्थागत स्वायत्तता सभी के लिए हो। अनुच्छेद 29 और 30 में संशोधन कर अल्पसंख्यक शब्द के स्थान पर सभी नागरिकों को शामिल किया जाए। धार्मिक शिक्षा पर प्रत्येक भारतीय का समान अधिकार होना चाहिए, यही धर्म है। शिक्षा के क्षेत्र में समानता, न्याय और संतुलन सुनिश्चित किया जाए, ताकि संविधान की मूल भावना दृढ़ हो सके।

महोदय, यही सच्चे अर्थों में न्याय है, यही संविधान की आत्मा है और यही राष्ट्र के समावेशी विकास का मार्ग है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यह हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। धर्म के आधार पर विभिन्नता और मतभेद स्वीकार नहीं हो सकता है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस विषय पर चिंतनशील व्यवस्था लागू की जाए।

MR. CHAIRMAN: The following hon'ble Members associated themselves with the matter raised by the hon'ble Member, Dr. Dinesh Sharma:

Shri Govindbhai Laljibhai Dholakia (Gujarat), Shrimati Geeta alias Chandraprabha (Uttar Pradesh), Shri Banshilal Gurjar (Madhya Pradesh), Shrimati Ramilaben Becharbhai Bara (Gujarat), Shri Sanjay Seth (Uttar Pradesh), Shri Ghanshyam Tiwari (Rajasthan), Dr. K. Laxman (Uttar Pradesh), Shri Subhash Barala (Haryana), Shri Sat Paul Sharma (Jammu and Kashmir), Dr. Medha Vishram Kulkarni (Maharashtra), Shri Sadanand Mhalu Shet Tanavade (Goa), Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh), Shri Naresh Bansal (Uttarakhand), Dr. Sumer Singh Solanki (Madhya Pradesh), Shrimati Rekha Sharma (Haryana), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Dr. Meenakshi Jain (Nominated), Shrimati Seema Dwivedi (Uttar Pradesh), Shrimati Darshana Singh (Uttar Pradesh), Shri Khiru Mahto (Bihar), Shri Mithlesh Kumar (Uttar Pradesh), Shri Amar Pal Maurya (Uttar Pradesh), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Shri Tejveer Singh (Uttar Pradesh), Shri Rajendra Gehlot (Rajasthan), Shri Baburam Nishad (Uttar Pradesh), Shrimati Sangeeta Yadav (Uttar Pradesh), Shri Devendra Pratap Singh (Chhattisgarh), Shri Pradip Kumar Varma (Jharkhand), Dr. Bhim Singh (Bihar), Shri Satnam Singh Sandhu (Nominated), Shri Niranjan Bishi (Odisha) and Dr. Sasmit Patra (Odisha).

अब, डा. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी।

Contents Page

Need for fixation of MRP for medicines to eliminate price disparity

डा. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी (उत्तर प्रदेश): सभापति जी, आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए आपका आभार। प्रधान मंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना और जन औषधि केंद्रों के माध्यम से गरीब परिवार के लोगों को सस्ती दरों पर दवा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया था और वह लागू भी हुआ था। आज की तारीख में स्थिति यह है कि बाजार में दवा 50 रुपये और 500 रुपये के अंतर से मिल रही है और इससे आर्थिक शोषण हो रहा है। इसका कारण नियमन की कमी है। मैं एक बात और उठाना चाहता हूं कि जब दवा का सॉल्ट एक है, तो एक ही सॉल्ट की एक दवा की एक गोली की कीमत 10 रुपये और एक गोली की कीमत 50 रुपये क्यों है? दवा में काम सॉल्ट करता है, कीमत नहीं करती। प्रधान मंत्री आयुष्मान योजना के अंतर्गत जो लोग नर्सिंग होम में इलाज कराने जाते हैं, वहां के चिकित्सक ब्रांडेड दवाई लिखते हैं और आयुष्मान योजना की जो राशि है, उसको नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं।

महोदय, मेरा यह निवेदन है एक ही सॉल्ट की दवाओं की कीमत भी एक ही की जाए, कंपनियों की मनमानी पर पूर्ण विराम लगे और मरीज को उचित मूल्य पर दवा मिले। इसके लिए सरकार के पास अधिकार भी हैं और एसेंशियल कॉमोडिटीज़ एक्ट, 1955 में ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर भी है। नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, जो सरकारी संस्था है, वह दवाओं की कीमत की मॉनिटरिंग करती है। मूल्य नियंत्रण के अन्य पहलू भी हैं। नेशनल लिस्ट ऑफ दि एसेंशियल मेडिसन के आधार पर जरूरी दवाओं को चिन्हित करके उनके मूल्य को भी नियंत्रित किया जाता है।

मान्यवर, मेरा यह आग्रह है कि केंद्र सरकार के पास दवाओं के मूल्य नियंत्रित करने के लिए कानूनी, नीतिगत और प्रशासनिक तीनों अधिकार हैं, तो फिर सरकार की आयुष्मान भारत योजना को पलीता लगाने के लिए नर्सिंग होम्स से महंगी ब्रांडेड दवाएं दी जाती हैं और आयुष्मान भारत योजना के पैसे में से अधिक कटौती हो रही है। इसको रोका जाना चाहिए, क्योंकि जन-औषधि की कोई दवा किसी नर्सिंग होम में नहीं दी जाती हैं। गरीब के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी की जो मंशा थी, उस मंशा को पलीता लगाने का काम इन कंपनियों से हो रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से इस संबंध आग्रह करता हूं।

MR. CHAIRMAN: The following hon'ble Members associated themselves with the matter raised by the hon'ble Member, Dr. Laxmikant Bajpayee:

Shri Govindbhai Laljibhai Dholakia (Gujarat), Shrimati Geeta alias Chandraprabha (Uttar Pradesh), Shri Banshilal Gurjar (Madhya Pradesh), Shri Sanjay Seth (Uttar Pradesh), Shri Subhash Barala (Haryana), Shri Sat Paul Sharma (Jammu and Kashmir), Shri Sadanand Mhalu Shet Tanavade (Goa), Shri Naresh Bansal (Uttarakhand), Dr. Sumer Singh Solanki (Madhya Pradesh), Shrimati Rekha Sharma (Haryana), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Shrimati Darshana Singh (Uttar Pradesh), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik

Contents Page

(Maharashtra), Shri Tejveer Singh (Uttar Pradesh), Shri Rajendra Gehlot (Rajasthan), Shri Baburam Nishad (Uttar Pradesh), Shrimati Sangeeta Yadav (Uttar Pradesh), Shri Devendra Pratap Singh (Chhattisgarh), Shri Pradip Kumar Varma (Jharkhand), Dr. Bhim Singh (Bihar), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Narain Dass Gupta (National Capital Territory of Delhi), Shri Ryaga Krishnaiah (Andhra Pradesh), Shri Ravi Chandra Vaddiraju (Telangana), Shri S. Selvaganabathy (Puducherry), Dr. Bhagwat Karad (Maharashtra), Shri Mayankkumar Nayak (Gujarat), Dr. Sikander Kumar (Himachal Pradesh), Shri Satnam Singh Sandhu (Nominated), Shri Sant Balbir Singh (Punjab) and Shri Dorjee Tshering Lepcha (Sikkim).

अब, श्रीमती फूलो देवी नेतम।

Need for expansion and strengthening of railway infrastructure in Chhattisgarh

श्रीमती फूलो देवी नेतम (छत्तीसगढ़): माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश के आदिवासी एवं पिछड़े क्षेत्रों को सुदृढ़ रेल नेटवर्क से जोड़ने हेतु पेंड्रा रोड-अमरकंटक-डिंडोरी-मंडला-घंसौर-लखनादौन-गोटेगांव (श्रीधाम) नई रेल लाइन अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना है। यह रेल मार्ग अमरकंटक-नर्मदा क्षेत्र के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ क्षेत्रीय विकास को गति देगा तथा इटारसी जंक्शन के माध्यम से दिल्ली एवं मुम्बई जैसे महानगरों से बेहतर रेल संपर्क सुनिश्चित करेगा। महोदय, इसके अतिरिक्त बिलासपुर को CTCE Plan-2030 में शामिल किया जाए, रायपुर-सिकंदराबाद (12771/72) एवं नागपुर-मुम्बई दुरंतो (12290) का विस्तार बिलासपुर तक किया जाए और कोरबा-बीकानेर एक्सप्रेस का संचालन शीघ्र प्रारंभ किया जाए। कोरबा स्टेशन की तैयार पिटलाइन को तत्काल चालू करने और कोरबा-नई दिल्ली के मध्य नई सीधी ट्रेन की भी आवश्यकता है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करती हूं कि इन लम्बित मांगों को शीघ्र पूरा किया जाए, जिससे क्षेत्र का पूरा विकास संभव हो सके।

MR. CHAIRMAN: The following hon'ble Members associated themselves with the matter raised by the hon'ble Member, Shrimati Phulo Devi Netam:

Shri Devendra Pratap Singh (Chhattisgarh), Shri Digvijaya Singh (Madhya Pradesh), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Shri Anil Kumar Yadav Mandadi (Telangana), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Niranjan Bishi (Odisha) and Shri Neeraj Dangi (Rajasthan).

अब, श्रीमती रेखा शर्मा।

Need to strengthen the care economy and recognise the economic value of caregiving

श्रीमती रेखा शर्मा (हरियाणा): माननीय सभापति महोदय, मैं आज सदन में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहती हूं। केयर गिविंग इकोनॉमी और उसमें महिलाओं की भूमिका, जो कम दिखाई

Contents Page

देती है, लेकिन वह देश की असली फाउंडेशन है। महोदय, आज हम वीमेन-लेड डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट ने मिशन शक्ति, पोषण 2.0, सक्षम आंगनवाड़ी जैसे प्रोग्राम्स के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के लिए मजबूत ईकोसिस्टम तैयार किया है, लेकिन एक पहलू ऐसा है, जो पॉलिसी से ज्यादा सोशल माइंडसेट से जुड़ा हुआ है। इकोनॉमिक सर्वे ने भी स्पष्ट किया है कि हमारी महिलाएं डुअल बर्डेन उठा रही हैं - घर की देखभाल भी और बाहर काम भी। महोदय, यह केवल इकोनॉमिक इश्यू नहीं है, बल्कि यह सोच का विषय है। आज भी केयर गिविंग को महिलाओं की नेचुरल ड्यूटी माना जाता है, न कि वैल्युएबल वर्क के रूप में। हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स और लाखों महिलाएं इस देश की बैकबोन हैं। They are building the future of Indian society. लेकिन सवाल यह है कि क्या समाज के रूप में हम उनके काम को वह सम्मान देते हैं, जिसकी वे हकदार हैं? महोदय, गवर्नमेंट अपने स्तर पर लगातार एफर्ट्स कर रही है। न्यूट्रिशन प्रोग्राम, चाइल्ड केयर सपोर्ट, वीमेन एंपावरमेंट स्कीम्स, इन सब पर काम हो रहा है, लेकिन जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी, तब तक इन एफर्ट्स का फुल इंपैक्ट नहीं देखा जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ कंस्ट्रक्टिव सजेशंस देना चाहती हूं। हमें परिवारों में शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ केयर गिविंग को बढ़ावा देना होगा; केयर वर्क को वैल्यू और रिस्पेक्ट देनी होगी; आंगनवाड़ी और चाइल्ड केयर सिस्टम्स को और स्ट्रेंथन करना होगा; तथा केयर इकोनॉमी को एक डिग्निफाइड और फॉर्मल सेक्टर के रूप में देखना होगा। महोदय, जब हम महिलाओं को वर्क फोर्स का हिस्सा बनाने की बात करते हैं और उन्हें भी ब्रेड अर्नर के रूप में देखना चाहते हैं, तो यह उतना ही आवश्यक है कि पुरुष घर पर बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल में बराबरी के भागीदार बनें। यही संतुलन है, यही समानता है और यही प्रगति का रास्ता भी है। धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: The following hon'ble Members associated themselves with the issue raised by the hon'ble Member, Shrimati Rekha Sharma:

Shri Harsh Vardhan Shringla (Nominated), Shri Subhash Barala (Haryana), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Dr. Bhim Singh (Bihar), Shri Amar Pal Maurya (Uttar Pradesh), Shri Sat Paul Sharma (Jammu and Kashmir), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Shri Ryaga Krishnaiah (Andhra Pradesh), Shri Gulam Ali (Nominated), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. Meenakshi Jain (Nominated), Shrimati Geeta alias Chandraprabha (Uttar Pradesh), Shrimati Sangeeta Yadav (Uttar Pradesh), Shrimati Darshana Singh (Uttar Pradesh), Dr. Sumer Singh Solanki (Madhya Pradesh) and Shri Satnam Singh Sandhu (Nominated).

Shri Paka Venkata Satyanarayana.

Contents Page

Concern over the increasing instances of influential personalities living abroad making derogatory, misleading and defamatory statements about India

SHRI PAKA VENKATA SATYANARAYANA (Andhra Pradesh): Thank you hon'ble Chairman, Sir, for giving me this opportunity. Let me start my observations based upon one famous Telugu poet from Andhra Pradesh. &"It means, whoever is the citizen of India, wherever he steps into, he has to praise his motherland and he has to keep the decorum and dignity to the maximum extent." But what is actually happening today is that the elected representatives, who have taken the oath under the Third Schedule of the Constitution, bearing true faith and allegiance to the sovereignty and integrity of India, they were all almost acting against the system, when they were abroad on the foreign soil. *...(Interruptions)...

SHRI JAIRAM RAMESH (Karnataka): Sir, he is.....*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please take your seat. ...*(Interruptions)*... If anything is objectionable, I will see to it that it is expunged. ...*(Interruptions)*...

SHRI PAKA VENKATA SATYANARAYANA: *. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: I will look into it. ...*(Interruptions)*...If anything is objectionable, I would expunge it. ...*(Interruptions)*... Please stick to your subject.

SHRI PAKA VENKATA SATYANARAYANA: Sir, ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: I will look into it. ...*(Interruptions)*... I will look into it. Please. ...*(Interruptions)*...

SHRI PAKA VENKATA SATYANARAYANA: I draw the attention of the House that the People's Representation Act, in this regard, should be amended. A person who makes such kind of comments should be disqualified from contesting elections and he should be barred from the House. ...*(Interruptions)*... I draw the attention of the House to bring such amendments under the People's Representation Act. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: I will look into it and I will expunge it. ...*(Interruptions)*... If it is objectionable, I will expunge it. ...*(Interruptions)*...

& English translation of the original speech delivered in Telugu.

* Not recorded.

Contents Page

SHRI PAKA VENKATA SATYANARAYANA: I would draw the attention.. ...(*Interruptions*)... So, these are the observations which are...

MR. CHAIRMAN: Please stick to your subject.

SHRI PAKA VENKATA SATYANARAYANA: Yes, Sir. ...*(Interruptions)*...

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, he is not speaking on the subject.

MR. CHAIRMAN: I will look into it. ...*(Interruptions)*...

SHRI PAKA VENKATA SATYANARAYANA: This was taken into advantage and many of the disciples of concerned Members are making remarks through the social media. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: I will, definitely, look into it. ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*... Come to your subject please. ...*(Interruptions)*...

SHRI PAKA VENKATA SATYANARAYANA: They are defaming the Indian dignity and decorum across the world as if something is happening in India which is against the democracy, which is against the Constitution. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please come to your subject. ...*(Interruptions)*...

SHRI PAKA VENKATA SATYANARAYANA: They are asking the international anti-social elements to intervene into the Indian structure and Indian Constitution. ...*(Interruptions)*...

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, he is not speaking on the subject. ...*(Interruptions)*...

SHRI PAKA VENKATA SATYANARAYANA: Sir, basically, I bring to the attention of the House and the Government to bring amendments to the Representation of the People Act.

MR. CHAIRMAN: The following hon'ble Members associated themselves with the matter raised by the hon'ble Member, Shri Paka Venkata Satyanarayana:

Shri Madan Rathore (Rajasthan), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Shrimati Rekha Sharma (Haryana), Shri Ryaga Krishnaiah (Andhra Pradesh), Shri Kesridevsinh Jhala (Gujarat), Shri Sat Paul Sharma (Jammu and Kashmir), Dr. Parmar Jashvantsinh Salamsinh (Gujarat), Dr. Sangeeta Balwant

Contents Page

(Uttar Pradesh), Shri Mayankkumar Nayak (Gujarat), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Amar Pal Maurya (Uttar Pradesh), Shri Mahendra Bhatt (Uttarakhand), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Dr. Medha Vishram Kulkarni (Maharashtra), Dr. Bhim Singh (Bihar), Shri Devendra Pratap Singh (Chhattisgarh) and Shri Satnam Singh Sandhu (Nominated).

Now, Dr. Sikander Kumar. ...*(Interruptions)*...

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, he was not speaking on the subject. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: I will look into it. ...*(Interruptions)*... You all take your seats. ...*(Interruptions)*... Then only, I will allow the LoP. When you are standing, I am not going to allow LoP to speak. ...*(Interruptions)*... You have to go back to your seats and take your seats; only then, I will allow. ...*(Interruptions)*... No; I am not ordering. ...*(Interruptions)*... Every time they are coming here and pressurizing the Chair. That is not correct.

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI MALLIKARJUN KHARGE): Sir, we are following your orders.

MR. CHAIRMAN: No; why are they coming? ...*(Interruptions)*... They can raise their voice from their seat. ...*(Interruptions)*...

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: It is a practice from that side. ...*(Interruptions)*... Sir, one minute. It is Zero Hour. It is irrelevant to talk about the Congress Party in his statement. Why is he talking? What is his intention? Who is behind that name? ...*(Interruptions)*... We condemn this. ...*(Interruptions)*... It should be expunged from the records. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: I will look into it and I will do the needful. ...*(Interruptions)*... I have already assured you. ...*(Interruptions)*...

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Yes; it should be expunged. Otherwise,...

MR. CHAIRMAN: I am telling that I look into it and do the needful. Please take your seats. ...*(Interruptions)*...Yes, Jairam*ji*.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, one minute. You have given him permission during Zero Hour on 'Concern over Increasing Instances of Influential Personalities Living

Contents Page

Abroad….' Sir, living abroad! He is talking about a Member of the Lok Sabha. It is against the subject. …*(Interruptions)*… He has violated the subject.

MR. CHAIRMAN: I already told you, I will look into it. …*(Interruptions)*…

SHRI JAIRAM RAMESH: You have given him permission…

MR. CHAIRMAN: That is what our LoP has said. Why are you repeating? …*(Interruptions)*…

SHRI JAIRAM RAMESH: Living abroad! …*(Interruptions)*…

MR. CHAIRMAN: Now, hon'ble Leader of the House wants to respond. …*(Interruptions)*… Please take your seats.

सभा के नेता (श्री जगत प्रकाश नड्डा): सर, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य ने जो कहा और जिस सब्जेक्ट के बारे में कहा, वह living abroad के बारे में है। विषय यह है कि हमारे नेता और हमारे लोग विदेश की धरती पर जाकर …(**व्यवधान**)… वे विदेश की धरती पर जाकर भारत की संस्थाओं के बारे में प्रश्न उठाते हैं। …(**व्यवधान**)… उस पर उन्होंने concern show किया है। …(**व्यवधान**)… लेकिन सच्चाई यह है कि जो चीज …(**व्यवधान**)… जो चीज संवैधानिक और parliamentary procedures के अंतर्गत नहीं आती है, वह आप जरूर expunge कीजिए, लेकिन …(**व्यवधान**)… They know where the shoe pinches. …*(Interruptions)*… इनको मालूम है कि तकलीफ कहां हो रही है। …(**व्यवधान**)… तकलीफ इसलिए हो रही है, क्योंकि वह सच्चाई है।

MR. CHAIRMAN: Now, Dr. Sikander Kumar*ji*, please. We cannot discuss like this. …*(Interruptions)*…

Demand for granting Central University status to Himachal Pradesh University (HPU), Shimla

DR. SIKANDER KUMAR (Himachal Pradesh): Mr. Chairman, Sir, my topic is, 'Demand for Granting Central University Status to Himachal Pradesh University (HPU), Shimla. Hon'ble Chairman, Sir, I rise today to bring to the notice of this august House a matter of profound importance for the youth of the Hill State of Himachal Pradesh. …*(Interruptions)*…

MR. CHAIRMAN: Please take your seat. …*(Interruptions)*… I will look into it. …*(Interruptions)*… I am assuring you that I will look into it. …*(Interruptions)*… Kharge*ji*,

Contents Page

I am assuring you that I will look into it. ...*(Interruptions)*... I would look into your request. ...*(Interruptions)*...

DR. SIKANDER KUMAR: As a representative of the State, I strongly urge the Ministry of Education to consider upgrading Himachal Pradesh University (HPU), Shimla, to a Central University. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please take your seat. ...*(Interruptions)*... I will look into your request. ...*(Interruptions)*... If anything is objectionable, I will expunge it. ...*(Interruptions)*...

DR. SIKANDER KUMAR: Established in 1970, HPU has been the premier seat of higher learning for the Himalayan region. ...*(Interruptions)*... However, to meet the evolving educational challenges of the 21st century and to ensure regional parity, this transition is now an absolute necessity. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please take your seat. I will look into it. ...*(Interruptions)*... I am telling you that I will look into it. ...*(Interruptions)*... I will look into the subject.

DR. SIKANDER KUMAR: The Union Territory of Jammu and Kashmir, which shares a similar difficult Himalayan topography and strategic importance like Himachal Pradesh, currently hosts two Central Universities.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Jairam*ji*, please take your seat. ...*(Interruptions)*... Please take your seat.

DR. SIKANDER KUMAR: In contrast, Himachal's existing Central University in Dehra is geographically inaccessible to students from the remote tribal belts of Kinnaur, Lahaul-Spiti, and Upper Shimla. HPU Shimla remains the only accessible hub for these high-altitude regions. Himachal Pradesh University currently manages the academic future of over 1.5 lakh students and oversees more than 150 affiliated colleges. The administrative and financial burden of such a vast network is becoming increasingly difficult for the State Government to sustain. Central University status would provide the institutional framework required to manage this volume efficiently. Due to the State's limited fiscal space, HPU faces a significant budgetary deficit. Upgrading it to a Central University would ensure 100 per cent funding through the UGC, enabling modernisation of laboratories and research facilities, filling up of critical faculty vacancies under Central pay-scales, establishment of specialized

Contents Page

centres for Himalayan Ecology, Disaster Management, and Glaciology. The lack of a National Institute of Eminence in the State capital forces our brightest students to migrate to Delhi or Chandigarh. Elevating HPU will provide world-class education at their doorstep, fostering local talent for national development.

Sir, in the light of the National Education Policy-2020, which emphasizes equitable access to high-quality education and aims for an *atmanirbhar* Himachal, we must first empower its primary seat of learning. I once again request the Ministry of Education to initiate the process of upgrading H.P. University, Shimla to a Central university to bring it at par with the educational standards seen in Jammu and Kashmir and other Himalayan regions.

MR. CHAIRMAN: The following hon'ble Members associated themselves with the matter raised by the hon'ble Member, Dr. Sikander Kumar:

Shri Brij Lal (Uttar Pradesh), Shri Baburam Nishad (Uttar Pradesh), Shri Aditya Prasad (Jharkhand), Shri Khiru Mahto (Bihar), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Dr. Bhagwat Karad (Maharashtra), Shri Sanjay Seth (Uttar Pradesh), Shri Tejveer Singh (Uttar Pradesh), Shri Rajendra Gehlot (Rajasthan), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), and Dr. Sasmit Patra (Odisha).

Now, Shri Sajjad Ahmad Kichloo.

Need for expediting road, healthcare and public service projects in Kishtwar, Doda, Ramban, Rajouri and Poonch districts of Jammu and Kashmir

श्री सज्जाद अहमद किचलू (जम्मू-कश्मीर): चेयरमैन साहब, मैं जम्मू-कश्मीर के दो अहम रीजन्स, चेनाब और पीर पंजाल की बात मौज़िज़ ऐवान में रखना चाहता हूँ। दोनों रीजन्स पसमांदा पहाड़ी और दूरदराज इलाकों में फैले हुए हैं। चेनाब रीजन, जिसमें किश्तवाड़, डोडा और रामबन के डिस्ट्रिक्ट आते हैं। चेनाब की कुल आबादी तकरीबन 15 लाख है और तकरीबन यह 13 हजार स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। चेनाब एक पहाड़ी रीजन है और इसी तरह पीर पंजाल रीजन में राजौरी और पूंछ डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जहाँ की आबादी तकरीबन 17 लाख है और यह रीजन भी तकरीबन 8 हजार स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। चेनाब रीजन आज पूरे मुल्क के लिए हाइड्रोपावर का एक बहुत बड़ा जरिया बन चुका है और वहाँ पावर प्रोजेक्ट्स के जरिए कई हजार मेगावाट बिजली पैदा हो रही है और मज़ीद कई पावर प्रोजेक्ट्स में काम चल रहे हैं, लेकिन जब हम जमीनी हालात को देखते हैं, तो पाते हैं कि चेनाब, जहाँ से हजारों मेगावाट बिजली पैदा होती है, वहाँ कई गाँव ऐसे हैं, जो आज भी बिजली से महरूम हैं।...(**व्यवधान**)..., हमारे कई इलाके ऐसे हैं, जहाँ हमारे बच्चे आज भी सेकेंडरी लेवल की तालीम से महरूम हैं। हमारे अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है और हमारी सड़कों का वह हाल है कि हर रोज कहीं-न-

Contents Page

कहीं एक्सीडेंट में मासूम लोगों की जानें जाती हैं। जनाब-ए-आला, पिछले 13 बरस में न ही कोई नया स्कूल खोला गया है और न ही कोई अस्पताल खोला गया है। हमारे रिसॉर्सेस को दुरुपयोग किया जा रहा है। चेनाब और पीर पंजाल की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, जबकि हुकूमत की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह हर रीजन को यकसाँ तरक्की के लिए उनको तरक्की के मुवाक़े फराहम करें।

जनाब-ए-आला, आज चेनाब और पीर पंजाल के लोग यह डिमांड करते हैं कि उनको हिल डेवलपमेंट काउंसिल का दर्जा दिया जाए। जनाब-ए-आला, हमारे मुल्क में आईनी तौर पर पहाड़ी और दूर-दराज इलाकों की खुसूसी ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए कई मिसालें कायम की गई हैं। असम, मेघालय और नॉर्थ-ईस्ट की कई जगहों को हिल डेवलपमेंट काउंसिल का दर्जा दिए जाने के बाद ही वहाँ पर तरक्की मुमकिन हुई है। इसी तरह, लेह और कारगिल हिल डेवलपमेंट काउंसिल बनने के बाद ही तरक्की और फैसला साज़ी मुमकिन हुई है।

जनाब-ए-आला, मैं आपकी वसातत से हुकूमत-ए-वक्त से यही मुतालबा करता हूँ कि चेनाब रीजन और पीर पंजाल रीजन को हिल डेवलपमेंट काउंसिल का दर्जा देकर वहाँ के लोगों की उस जायज़ माँग को पूरा किया जाए। यह इक्दामात सिर्फ चेनाब और पीर पंजाल रीजन की नहीं, बल्कि पूरे जम्मू-कश्मीर की मुतावाज़न तरक्की और बेहतर समाजी मुस्तक़बिल के लिए इनतिहायी अहम साबित होगा।

MR. CHAIRMAN: The following hon'ble Members associated themselves with the matter raised by the hon'ble Member, Shri Sajjad Ahmad Kichloo:

Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Prof. Manoj Kumar Jha (Bihar), Shri Gurwinder Singh Oberoi (Jammu and Kashmir), Shri Anil Kumar Yadav Mandadi (Telangana), Shrimati Rajathi (Tamil Nadu), Shri Niranjan Bishi (Odisha), and Dr. Sasmit Patra (Odisha).

Now, Shri Subhasish Khuntia.

Demand for the establishment of a dedicated Yoga University in Puri

SHRI SUBHASISH KHUNTIA (Odisha): *Jai Jagannath!* Sir, I thank you for giving me an opportunity to raise a matter of great national importance regarding the establishment of a dedicated Yoga University in Puri, Odisha. सबसे पहले 'उत्कल दिवस' के अवसर पर मैं अपनी तरफ से और ओडिशावासियों की तरफ से आपको और सभी मान्यवर सांसदों को शुभेच्छा और अभिनंदन ज्ञापन करता हूँ। Sir, Puri is not just a city. It is one of the India's revered spiritual centres. This sacred land has for centuries nurtured traditions of spirituality, discipline, and holistic living that resonate deeply with the philosophy of yoga. India has contributed immensely to the world in science, medicine, culture, heritage, and one of its greatest gifts is yoga. Practised since

Contents Page

ancient times, yoga has now spread across the globe and emerged as a powerful means of promoting physical health, mental well-being and inner balance, truly reflecting the idea that health is wealth. Yoga today enjoys global recognition, particularly after the adoption of the International Day of Yoga. However, to sustain this momentum, there is a need to strengthen research, expand academic engagement and encourage greater participation of students and teachers. There are about 25 yoga universities and more than 430 yoga colleges in our country and, Odisha, which has been one of the pioneer in maintaining the Indian knowledge system, is in need to have one university which can help in spreading the knowledge and popularity of yoga. Sir, establishing such an institution in Puri would strengthen India's soft power, promote wellness tourism, generate employment and create a global center for yogic learning. Sir, this university would also serve as a center for scientific inquiry, integrating sports medicine, mental health and lifestyle disease management.

I urge the Government to take immediate steps to establish a yoga university in Puri, befitting its spiritual heritage and national importance. If yoga is India's message to the world, Puri must become its global classroom. Jai Jagannath. Vande Utkal Janani!

MR. CHAIRMAN: The following hon'ble Members associated themselves with the Zero Hour mention made by Shri Subhasish Khuntia:

Shri Muzibulla Khan (Odisha), Shri Debashish Samantaray (Odisha), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shrimati Sulata Deo (Odisha), Shri Javed Ali Khan (Uttar Pradesh), Shri Sanjay Yadav (Bihar), Prof. Ram Gopal Yadav (Uttar Pradesh), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Shri B. Parthasaradhi Reddy (Telangana), Shri Madan Rathore (Rajasthan) and Shri Ravi Chandra Vaddiraju (Telangana).

Now, Shrimati P. T. Usha.

Urgent need for welfare measures and social security for Theyyam and Traditional Folk Artists

SHRIMATI P.T. USHA (Nominated): Hon'ble Chairman, Sir, I rise today with a deep sense of responsibility to speak about a community that has preserved our heritage with devotion, discipline and silent sacrifice - the performers of the Theyyam. Coming from Kerala, I have closely witnessed the spirit behind this sacred art. In regions like Kannur, Kasaragod and Kozhikod, Theyyam is not merely a performance,

Contents Page

it is a faith, it is an identity and living tradition passed down through generations. But, behind these vibrant costumes and divine rituals lies, lives filled with struggle. Most Theyyam artists belong to economically weaker sessions and their livelihood depends on short seasonal window. For the rest of the year, they face uncertainty, financial hardship, lack of healthcare and limited opportunities for their families. As someone who has risen from humble beginnings, I understand the value of support, opportunity and dignity. These artists deserve not sympathy but security, recognition and respect for the noble endeavor they undertake with devotion. The time has come to move beyond and take meaningful action.

I humbly urge the Government to consider a dedicated welfare fund for Theyyam performers, a monthly pension scheme for aged and retired artists, off-season financial assistance to ensure livelihood stability, comprehensive health insurance considering the physical risks they endure, educational support for their children, including opportunities for higher education and entrepreneurship. These are not merely proposals, they are essential interventions to protect the living cultural heritage of our nation. At the same time, I would like to emphasize that similar traditional and folk artists across different States of India who preserve their unique cultural expressions with equal education face the same challenges of financial insecurity, lack of social protection and limited recognition. As we move forward in the Amrit Kaal towards building a Viksit Bharat by 2047, under the visionary leadership of our hon'ble Prime Minister, Shri Narendra Modi, it is our collective responsibility to ensure that development is not only economic but also cultural where every artist, every tradition and every voice valued and protected. In this context, I would like to recollect the Sanskrit verse "*संस्कृतिः राष्ट्रस्य आत्मा*" means culture is the soul of nation. Hon'ble Chairman, Sir, at this moment, I would also like to remember *Swargeeya* Anoop Nittoor from Nadapuram in Kozhikode, a gifted Theyyam artist of Malabar who tragically lost his life in the Western Ghats while striving to protect nature. His life reminds us that these artists are not merely performers, they are guardians of culture, protectors of nature and symbols of resilience. Let their sacrifices not go unnoticed. Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: The following hon'ble Members associated themselves with the Zero Hour mention made by Shrimati P.T. Usha:

Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Shri Harsh Vardhan Shringla (Nominated), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Ravi Chandra Vaddiraju (Telangana), Shri Mayankkumar Nayak

Contents Page

(Gujarat), Shri Sadanand Mhalu Shet Tanavade (Goa), Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh), Dr. Meenakshi Jain (Nominated), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra) and Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala).

Now, Shriman Muzibulla Khan.

Demand for confering the *Bharat Ratna* upon Shri Biju Patnaik

श्री मुजीबुल्ला खान (ओडिशा): माननीय सभापति महोदय, आज हमारा उत्कल दिवस है और इस उत्कल दिवस के अवसर पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। सभापति महोदय, इतिहास में कुछ नाम लिखे जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नाम होते हैं जो इतिहास लिखते हैं और वह नाम है बीजू पटनायक का। बीजू बाबू जब छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तब कटक में एक ब्रिटिश एयरवेज का विमान उतरा था। उन्होंने जाकर विमान को छू लिया, तो किसी पुलिस वाले ने उनको डंडा मारा। बीजू बाबू ने उस पुलिस वाले से कहा कि तुमने मुझे डंडा मारा है, एक दिन मैं इसी प्लेन को उड़ा कर दिखाऊंगा और वे अपनी जिद पूरी करके पायलट बने।

महोदय, वे एक बहुत बड़े industrialist थे। उनकी कलिंग एयरलाइंस थी। पहले भारतवर्ष में कोई और airline नहीं थी, कलिंग एयरलाइंस ही एक private airline थी, लेकिन बीजू बाबू एक ऐसे राजनेता थे जो अपनी airlines और अपनी industries को बेचकर राजनीति में आए। आजकल के राजनेताओं की तरह नहीं थे। बीजू पटनायक जी ने अपना सब कुछ बेचकर राजनीति की है।

बीजू बाबू महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के बुलावे के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय राजनीति में आए और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। जब वे ब्रिटिश एयरवेज के पायलट थे, तब हमारे स्वाधीनता सेनानियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर पहुंचाया करते थे। जब इंडोनेशिया पर मुसीबत आई, तब वे इंडोनेशिया के नेता सहरिर को जान जोखिम में डालकर वहां से उठाकर लाए।

Second World War के वक्त उन्होंने रूस की मदद की, जो हमारे देश का मित्र है। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उसके बाद जब पाकिस्तानी घुसपैठियों ने हमारे देश में घुसने की कोशिश की, तब वही बीजू पटनायक थे, जिन्होंने अपने प्लेन में खुद पंजाब रेजीमेंट को श्रीनगर में ले जाकर उतारा। इसी कारण आज हमारा देश सिर ऊंचा करके कहता है कि कश्मीर हमारा है।

सभापति महोदय, ऐसे नेता को, जो स्वाधीनता सेनानी थे, जो बहुत बड़े नेता थे, जिनके निधन पर तीन देशों का झंडा उनके सम्मान में झुका रहा था — रूस, इंडोनेशिया और भारतवर्ष का — ऐसे नेता को आज तक भारत रत्न नहीं दिया गया। मैं हाथ जोड़कर सदन से निवेदन करता हूं। हमारे ओडिशा के मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान जी बैठे हैं, वे हमारे भाई हैं। मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि आप सरकार से बोलकर कम से कम इतना तो करवा दीजिए। बीजू बाबू को भारत रत्न का पूरा हक है। मेरी डिमांड है — जब मैं पहली बार आया था, पहले ज़ीरो आवर में भी मैंने यही डिमांड की थी और मैं अपने आखिरी ज़ीरो आवर में में भी यही डिमांड कर रहा हूं, मैं सरकार से यह उम्मीद करता हूं।

Contents Page

MR. CHAIRMAN: The following hon'ble Members associated themselves with the matter raised by the hon'ble Member, Shri Muzibulla Khan:

Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shrimati Sulata Deo (Odisha), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shrimati Sagarika Ghose (West Bengal), Shri Debashish Samantaray (Odisha), Shri Subhas Chandra Bose Pilli (Andhra Pradesh), Shri Narain Dass Gupta (NCT Delhi), Shri Pramod Tiwari (Rajasthan), Shri Mallikarjun Kharge (Karnataka), Shri Khiru Mahto (Bihar), Shri Manas Ranjan Mangaraj (Odisha), Shri Sant Balbir Singh (Punjab), Prof. Manoj Kumar Jha (Bihar), Shri Subhasish Khuntia (Odisha), Shri Javed Ali Khan (Uttar Pradesh), Prof. Ram Gopal Yadav (Uttar Pradesh), Shri Gurwinder Singh Oberoi (Jammu and Kashmir) and Shri Prem Chand Gupta (Bihar).

Demand for posthumous conferment of the *Bharat Ratna* upon Bhagwan Birsa Munda

श्री निरंजन बिशी (ओडिशा): जय बिरसा! बहुत-बहुत धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, आज आपने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए अनुमति दी। मैं हमारे भारत के नेशनल ट्राइबल लीडर, ग्रेट फ्रीडम फाइटर, क्रांतिवीर भगवान बिरसा मुंडा को मरणोपरांत 'भारत रत्न' से सम्मानित करने की मांग करता हूं। महोदय, बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर, 1875 को हुआ था और 1875 से 9 जून, 1900 तक, मात्र 25 साल की उम्र में उन्होंने ब्रिटिश सरकार को हिला दिया था। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उन्होंने 'उलगुलान' का नेतृत्व किया।

वे प्रथम आदिवासी थे, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश कोलोनियल रूल के खिलाफ लड़ाई लड़ी और ज़मींदारी तथा 'बेठ बेगारी' के नाम पर जबरदस्ती श्रम के खिलाफ ऐतिहासिक उलगुलान जैसे महाविद्रोह का नेतृत्व किया। उनका आंदोलन सिर्फ राजनीतिक नहीं था; यह आदिवासी भारत के जल, जंगल और ज़मीन, उनकी भाषा, बोली, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए भगवान बिरसा मुंडा द्वारा लड़ी गई। उनके नेतृत्व में हज़ारों आदिवासियों— सबर, गोंड, मुंडा, भुमिज आदि— को एकजुट किया गया। बिरसा मुंडा जी ने आदिवासियों का आत्म-सम्मान जगाया। उनका जो उलगुलान था - अर्थात् [&] "our land, our rule", और "End British colonial system and establish indigenous self-rule" (our land, our rule) — यही बिरसा मुंडा जी का उलगुलान था। ऐसे क्रांतिकारी नेता, हमारे ट्राइबल फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा जी को आज तक मरणोपरांत भारत रत्न अवार्ड नहीं दिया गया। इसीलिए बिरसा मुंडा बीस साल की उम्र में 1895 से 1900, इन पांच सालों में जो लड़ाई हुई थी, जो आंदोलन हुआ था, जो विद्रोह हुआ था, उसने ब्रिटिश सरकार को हिला दिया था। बिरसा मुंडा का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1908 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट किया।

[&] English translation of the original speech delivered in Odia.

Contents Page

MR. CHAIRMAN: The following hon'ble Members associated themselves with the matter raised by the hon'ble Member, Shri Niranjan Bishi:

Shri Prem Chand Gupta (Bihar); Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Mallikarjun Kharge (Karnataka), Shrimati Sulata Deo (Odisha), Shri Pradip Varma (Jharkhand), Shri Khiru Mahto (Bihar), Shri Golla Baburao (Andhra Pradesh), Prof. Manoj Kumar Jha (Bihar), Shri Anil Kumar Yadav Mandadi (Telangana), Shrimati Sagarika Ghose (West Bengal), and Shri Subhasish Khuntia (Odisha).

Now, Shrimati Rajani Ashokrao Patil.

Concern over rising inflation and increasing cost of living

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल (महाराष्ट्र): सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया। आज देश में लगातार बढ़ती महंगाई और जीवनयापन की बढ़ती लागत का अत्यंत गंभीर मुद्दा मैं यहाँ उठाना चाहती हूँ। आम नागरिक, विशेषकर मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग अभूतपूर्व आर्थिक दबाव का सामना कर रहे हैं। खाद्य पदार्थों की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। दाल, सब्जियां, तेल, दूध जैसी रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रही हैं। इसके साथ ही रसोई गैस के दामों की वृद्धि ने घरेलू बजट पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। पेट्रोल और डीजल की ऊंची कीमतों ने परिवहन लागत बढ़ाई है, जिसका सीधा असर हर एक वस्तु के दाम पर होता है। स्थिति यह है कि आम परिवार स्थिर है, लेकिन खर्च लगातार बढ़ा जा रहा है। लोगों को अपनी बचत खत्म करनी पड़ रही है। कहीं परिवार कर्ज लेने के लिए मजबूर हो रहा है। यह केवल आर्थिक मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक असानता को बढ़ावा दे रहा है, इसके लिए हमें मजबूर होकर यहाँ बोलना पड़ता है।

दूसरी ओर बेरोजगारी की स्थिति भी अत्यंत चिंताजनक है। युवा वर्ग, जो देश का भविष्य है, रोज़गार के लिए भटक रहा है। शिक्षित युवा भी उचित अवश्यकताओं के अभाव से बेरोजगार हैं या फिर अस्थायी या कम वेतन वाले कार्य करने को मजबूर होते हैं। रोज़गार के अवसरों में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो रही है, जिससे निराशा और असुरक्षा का माहौल बनता जा रहा है।

सर, हाल ही में हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने कल ही केरल में बोला कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। ये बाहर के देश की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने जो देश में बोला, मैं उसके लिए उनका ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूं। उन्होंने केरल में जाकर बोला कि देश में भूचाल आने वाला है। इसी तरह से उन्होंने कोरोना महामारी के लिए भी चेतावनी दी थी। उसी तरह उन्होंने नोटबंदी के टाइम पर भी बोला था और लेकिन उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया। तब राहुल जी को गंभीरता से नहीं लिया गया और सिर्फ कटाक्ष करने के लिए उनका नाम लेते हैं, उसकी हम घोर निंदा करते हैं।

महोदय, मैं अंत में एक आग्रह करती हूं कि पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय और राज्य करों में कमी करके परिवहन की लागत घटाई जाए, जिसमें वस्तुओं के दाम कम हो। दाल, खाद्य तेल,

Contents Page

सब्जियां जैसी वस्तुओं का बफर स्टॉक और बाजार का हस्तक्षेप बढ़ा दिया जाए। गरीब और मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए रसोई गैस पर सब्सिडी बढ़ाई जाए और आज के समय में जितना भी क्राइसिस है, उसका समाधान करना चाहिए, क्योंकि आज बहुत भयानक माहौल बनता जा रहा है। उस पर सख्त निगरानी और त्वरित कार्रवाई की जाए।

MR. CHAIRMAN: The following hon'ble Members associated themselves with the matter raised by the hon'ble Member, Shrimati Rajani Ashok Rao Patil:

Shri Prem Chand Gupta (Bihar); Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Mallikarjun Kharge (Karnataka), Shri Neeraj Dangi (Rajasthan), Shri Digvijaya Singh (Madhya Pradesh), Shri Sant Balbir Singh (Punjab), Shri Narain Dass Gupta (NCT Delhi), Shri Pramod Tiwari (Rajasthan), Shri Gurwinder Singh Oberoi (Jammu and Kashmir), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Shri Anil Kumar Yadav Mandadi (Telangana), Shrimati Phulo Devi Netam (Chhattisgarh), and Shri P. Wilson (Tamil Nadu).

अब, श्री धैर्यशील मोहन पाटिल ।

Concern over the risk of dilution of the GI identity of Konkan Alphonso (Hapus) Mango

श्री धैर्यशील मोहन पाटिल (महाराष्ट्र): सभापति महोदय, महाराष्ट्र राज्य के कोंकण क्षेत्र में अल्फांसो मतलब हाफूस आम को भौगोलिक सांकेतांक अधिनियम, 2018 में स्वीकृति मिली है। इसका मतलब यह है कि हाफूस मतलब अल्फांसो के पेड़ को लगा हुआ फल क़ानूनी तौर पर हाफूस ही माना जाएगा, जब वह पेड़ कोंकण के सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, पालघर, रायगढ़ थाने डिस्ट्रिक्ट में ही लगाया गया हो। मतलब हाफूस का पेड़ अगर कोंकण के अतिरिक्त किसी और क्षेत्र में हो, तो उस पर आया हुआ फल हाफूस नहीं माना जाएगा।

महोदय, हाफूस के फल के स्वाद, अस्वाद, रंग, सुगंध सबका अनोखा मिलाप है। वह केवल हाफूस की जेनेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि कोंकण की मिट्टी, तापमान, समुद्र से आई हुई खारी हवा, आर्द्रता जैसे कोंकण के विशेष वातावरणीय घटकों का मिलाप, मतलब एक इंटीग्रेटेड इफेक्ट है। कोंकण से अल्फांसो मतलब हाफूस आम का स्वाद, रंग वगैरह जो है, यह लाखों सालों में आम के पेड़ों में जो पॉलिनेशन हुआ है, जो इंटर पॉलिनेशन, हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, उसका नतीजा है। उत्क्रांति में हजारों-लाखों सालों से जो ट्रायल एरर होती आई है, जो सर्वोत्तम होता है वह टिका रहता है, शाश्वत रहता है। उसका नतीजा अल्फाँसो आम है। निसर्ग, मतलब उत्क्रांति ने, इवोल्यूशन ने जो धरोहर कोंकण को दी है, उसको संभालने की कोशिश कोंकण का किसान कर रहा है।

Contents Page

12.00 **P.M.**

ANNOUNCEMENT BY THE CHAIR

MR. CHAIRMAN: Now, before we move on to Question Hour, hon'ble Members, as you are aware, today, three items of Government Business are listed from 2.00 p.m. onwards, including the Statutory Resolution. There are many speakers remaining to participate in the discussion on the Central Armed Police Forces (General Administration) Bill, 2026. Thereafter, one more Government Bill has been listed.

Hence, to take up all the Listed Business today, if the House agrees, the lunch hour may be skipped today.

SOME HON'BLE MEMBERS: Yes, Sir.

MR. CHAIRMAN: Yes, hon'ble Minister for Parliamentary Affairs.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; AND THE MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): Sir, I had held some informal discussion with some of the senior colleagues. Since we have two listed Government Business which are to be passed today, we will have to sit slightly longer. So, the BJP is ready to sacrifice some of the allotted time remaining with the BJP on the CAPF. I will not ask other Members to sacrifice but we will sacrifice our time. Some of our Members will speak but for lesser time than what has been given. But, as you proposed, Sir, we agree that lunch be skipped.

MR. CHAIRMAN: I think, if required, we can sit a little late, after six o'clock also.

SHRI KIREN RIJIJU: Yes, Sir, beyond six o'clock.

MR. CHAIRMAN: Okay! The House has agreed. Accordingly,... Yes, hon'ble Leader of the Opposition.

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI MALLIKARJUN KHARGE): Sir, thank you very much. सर, ये जब चाहें - तब बिल लाते हैं, जब चाहें - उस वक्त चर्चा के लिए तैयार होते हैं, जब चाहें - तब स्टेटमेंट देते हैं। मैंने आपको रूल 176 के अंतर्गत शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के लिए एक बार नहीं, दो बार लैटर भी दिया है, लेकिन उसके लिए उनके पास समय नहीं है। पूरी दुनिया एलपीजी के लिए, गैस के लिए, बाकी सब चीजों के लिए तबाह हो रही है और इधर दाम बढ़ रहे हैं।

Contents Page

MR. CHAIRMAN: Yes, I will...

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: So, why are they not agreeing for this?

MR. CHAIRMAN: I will ask the Government to respond.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: One minute, Sir. This is one thing. The prices are going up. You do not want to decide; you do not want to discuss that. This is one thing. Another thing is, whatever we suggest, they disagree. And, whatever they want, they put, and forcibly, with voice vote, they declare. What is this? Is it democracy? Sir, we thought that after your coming, the Opposition will get justice.

MR. CHAIRMAN: You are getting more time than the Treasury Benches. I will give you the data.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: No, Sir. Time is not important, Sir. What matter I have raised, for that, time should be given.

MR. CHAIRMAN: Okay. I will ask the Government to respond. The hon'ble Minister of Parliamentary Affairs.

श्री किरेन रिजिजुः सभापति महोदय, बीएसी में भी यह बात कई सदस्यों ने रखी थी और बीएसी मीटिंग लीडर ऑफ दि हाउस खुद अटेंड करते हैं। हम लोगों ने बताया है कि गवर्नमेंट चर्चा से नहीं भाग रही है। महोदय, लीडर ऑफ दि अपोजिशन जो बता रहे हैं, वह सही नहीं है। सबसे पहले लोक सभा और राज्य सभा – दोनों सदनों में संबंधित मंत्रियों की स्टेटमेंट्स हुईं, फिर प्रधान मंत्री जी ने लोक सभा और राज्य सभा में पूरी डिटेल में बताया। ..(**व्यवधान**)..

MR. CHAIRMAN: Please let him speak. ...*(Interruptions)*... Prof. Manoj Kumar Jha, please take your seat. Let the Minister speak.

श्री किरेन रिजिजुः सभापति महोदय, अगर मुझे रिस्पॉंड नहीं करना है, तो मेरे बिहाफ पर कौन रिस्पोंड करेगा – आप बताइए? अगर मेरी ही नहीं सुनोगे, तो कौन रिस्पोंड करेगा - आप बताइए? जब लीडर ऑफ दी अपोजिशन को बोलने दिया जाता है।..(**व्यवधान**)..सर, यहाँ एक प्रॉब्लम है। ये जो बोलना चाहते हैं, वही बोल रहे हैं, लेकिन सुनना नहीं चाहते हैं। ये लोग सुनना नहीं चाहते। यहाँ उल्टा है। ये हमें एक्यूज करते हैं, लेकिन वे हमें नहीं सुनते, सरकार की बात ही नहीं सुनते। सर, जब वेस्ट एशिया क्राइसिस को लेकर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, तो लीडर ऑफ दि अपोजिशन – लोक सभा एवं राज्य सभा - दोनों ने अटेंड नहीं की। कॉंग्रेस से सदस्य आए। कॉंग्रेस से माननीय सदस्यों ने मीटिंग अटेंड की थी और बाकी पार्टियों के प्रतिनिधिमंडल आए, सबने मीटिंग अटेंड की थी। ...(**व्यवधान**)...

Contents Page

MR. CHAIRMAN: Please take your seat.

श्री किरेन रिजिजुः दूसरी बात, जब फाइनेंस बिल पर चर्चा हो रही है, मैं उस समय का आपका ही रिकॉर्ड आपके पास भेज देता हूँ। आपका पूरा भाषण ही एलपीजी, पेट्रोल, डीजल पर था। इसी पर आपने अपनी बात रखी है। फाइनेंस मिनिस्टर ने डिटेल में जवाब दिया है। प्रधान मंत्री जी ने चीफ मिनिस्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके डिटेल में बातचीत की। फाइनेंस मिनिस्टर ने इस सदन में और लोक सभा में डिटेल में बताया कि क्राइसिस को टैकल करने के लिए सरकार ने कितने कदम उठाए हैं। प्राइस को कम करने के लिए, प्राइस को कंट्रोल करने के लिए, जहाँ दुनिया में प्राइस डबल से ज्यादा हो गए हैं, वहीं इंडिया में प्राइस आम आदमी के कंट्रोल से बाहर न जाएं, इसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने एक्साइज़ ड्यूटी में हिस्टोरिक कमी की। इतना बड़ा कदम उठाने के बाद भी, इतने बड़े क्राइसिस को इतने अच्छे से हैंडल करने के बाद भी आप राजनीति करते हैं! क्या यह राजनीति करने का विषय है? हमारे नेबरहुड में एक जगह पर क्राइसिस है, जहाँ से पेट्रोल और गैस आती है, वहाँ पर लड़ाई हो रही है, जो हमारी वजह से नहीं हो रही है, ऐसे क्राइसिस में भी विपक्ष राजनीति कर रहा है! यह बहुत अफसोस की बात है। यह पूरे देश के एकजुट होकर खड़े होने का समय है। सर, यह राजनीति का समय नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Sir,...

MR. CHAIRMAN: I am giving you time. Please give the mike to the hon'ble Leader of the Opposition.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Sir, I respectfully submit to you कि माननीय मंत्री जी यह रेफरेंस दे रहे हैं कि उन्होंने जो मीटिंग बुलाई थी, उसमें एलओपी नहीं आए। ...(**व्यवधान**)... Where was he? ...*(Interruptions)*... You may be there. I also sent my representative. You were there... ...*(Interruptions)*... Sit down. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: I will call you. ...(Interruptions)... Please conclude your speech, Khargeji.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: You were there as a Government representative. I also sent my representative. Shri Mukul Wasnik was there; Shri Tariq Anwar was there. ...*(Interruptions)*... Should we come there to listen to your lecture? ...*(Interruptions)*... What authority have you got? You are ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, do you want to respond?

SHRI KIREN RIJIJU: Yes, Sir. ...*(Interruptions)*...

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: You don't have the power. I condemn such a statement. You withdraw it. ...*(Interruptions)*...

Contents Page

MR. CHAIRMAN: Now, the hon'ble Minister of Parliamentary Affairs, please.

श्री किरेन रिजिजुः चेयरमैन सर, लीडर ऑफ अपोज़िशन ने आपके ऊपर एलिगेशन लगाया कि आप उन्हें बोलने नहीं देते हैं। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please, please. Let him speak.

श्री किरेन रिजिजुः दूसरी बात, हम लोगों ने हमेशा लीडर ऑफ अपोज़िशन खरगे जी को सम्मान दिया है। ...(**व्यवधान**)... ये सुबह-शाम सदन में और बाहर भी प्रधान मंत्री जी को गाली देने का ही काम करते हैं। ...(**व्यवधान**)... लीडर ऑफ अपोज़िशन हम लोगों से सीनियर हैं। ...(**व्यवधान**)... इन्हें अपने पद की गरिमा में रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात करनी चाहिए, लेकिन ये अपने पद की कोई गरिमा नहीं रखते हैं। ...(**व्यवधान**)... ये बहुत सीनियर हैं। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

श्री किरेन रिजिजुः ये खुद भी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं और उल्टी-सीधी स्टेटमेंट देते हैं।

MR. CHAIRMAN: Now, the House has agreed. Accordingly, the Statutory Resolution will be taken up at 1.00 p.m., followed by further discussion on the Central Armed Police Forces (General Administration) Bill, 2026. Now, Question Hour.

SHRI JAIRAM RAMESH (Karnataka): Sir, at what time will you take up the IBC Bill? Please indicate. Let us follow some schedule. Let it not be open-ended. Approximately, at what time will you take up the IBC Bill?

MR. CHAIRMAN: Yes, we will take it up. After CAPF, we will take it up. Now, Question Hour.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Drug de-addiction and rehabilitation centre

#*391. SHRI PRADIP KUMAR VARMA: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:-

(a) the number of drug de-addiction and rehabilitation centres operating in the country;

Original notice of the question was received in Hindi.

Contents Page

(b) the number of persons who benefitted from treatment and rehabilitation during the last three years;

(c) the total Central assistance released for the drug de-addiction programme; and

(d) the targets set for the expansion of de-addiction efforts in the coming years?

THE MINISTER FOR SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (DR. VIRENDRA KUMAR): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Presently, 768 treatment and rehabilitation centers are being supported under National Action Plan for Drug Demand Reduction (NAPDDR) Scheme by this Department across the country. These include 348 Integrated Rehabilitation Centres for Addicts (IRCAs), 76 Outreach and Drop-in Centres (ODICs), 45 Community-Based Peer-Led Interventions (CPLIs), 145 District De-Addiction Centres (DDACs) and 154 Addiction Treatment Facilities (ATFs).

(b) The number of persons who benefitted from treatment and rehabilitation during the last three years under NAPDDR are as follows-

Financial Year	**No. of Beneficiaries**
2022-23	3,58,134
2023-24	6,06,167
2024-25	8,20,832
Total	17,85,133

(c) The total Central assistance released for the drug de-addiction programme under NAPDDR during the last 3 years is as follows:-

Financial Year	**Funds Released (Rs. in Crore)**
2022-23	97.51
2023-24	172.08
2024-25	266.69
Total	536.28

Contents Page

(d) Expansion of de-addiction efforts is a continuous process. There are provisions for establishment of treatment and rehabilitation centres for individuals affected by substance use under the Scheme. In this spirit, the Ministry aims to establish at least one centre in every district, while also envisaging dedicated de-addiction facilities for women, for children, and for individuals in prison settings, based on demand from States/UTs. These centres provide comprehensive and holistic recovery and rehabilitation services.

In addition to strengthening accessible treatment facilities, the scheme emphasizes preventive and awareness initiatives through community awareness campaigns, school and college based prevention programs, capacity building of stakeholders, and promotion of healthy lifestyles to reduce the risk of substance use among youth, women, and the broader community. Mass awareness programmes and activities are being conducted under the NashaMukt Bharat Abhiyaan to reduce the drug demand in the country.

MR. CHAIRMAN: First supplementary; Shri Pradip Kumar Varma.

श्री प्रदीप कुमार वर्मा: सर, नशा प्रभावित व्यक्तियों के उपचार, पुनर्वास एवं सामाजिक पुनर्स्थापना को सुनिश्चित करने हेतु आदरणीय प्रधान मंत्री के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में मंत्रालय की कार्य योजना, विभिन्न कार्यक्रमों एवं इनके परिणामों के बारे में मंत्री महोदय ने विस्तार से बताया है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि मेरे राज्य झारखंड में नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन और नशा मुक्त भारत अभियान की स्थिति क्या है?

श्री सभापति: ऑनरेबल मिनिस्टर।

डा. वीरेंद्र कुमार: माननीय सभापति महोदय, नशा ऐसी महामारी है, जो परिवारों को तो नष्ट करती ही है और इसके अलावा हमारी सामाजिक व्यवस्था के ताने-बाने को भी छिन्न-भिन्न करने का काम इसके द्वारा हो रहा है। माननीय सदस्य द्वारा इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्न पूछा गया है। देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त, 2020 में लाल किले की प्राचीर से नशा मुक्त भारत अभियान का आह्वान किया गया था और इस अभियान के बाद पूरे देश में नशा मुक्त भारत अभियान को लेकर विभिन्न तरह की गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है, जिनमें देश भर में आईआरसीए 348, सीएफएलआई 45, ओडीआईसी 76, डीडीएसी, एटीएफ 54, कुल सात 768 नशा मुक्ति उपचार एवं पुनर्वास केंद्र विभिन्न स्थानों पर प्रारंभ किए गए हैं।

माननीय सदस्य द्वारा झारखंड के संबंध में पूछा गया है। झारखंड राज्य में कुल 9 नशा मुक्ति सुविधाएं हैं, जिनमें 6 जिला नशा मुक्ति केंद्र डीडीएसी, एक नशे की लत से पीड़ित व्यक्तियों के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्र आईआरसीए और 2 नशा मुक्ति उपचार सुविधाएं, एटीएफ शामिल

Contents Page

हैं। एटीएफ में से एक देवघर के एम्स में और एक एटीएफ सिमडेगा के सदर अस्पताल में शामिल है। एटीएफ ने 4,802 रोगियों के फॉलो-अप के साथ 2,061 रोगियों की देखभाल की है। यह केंद्र उपचार, पुनर्वास और परामर्श सेवाएं प्रदान करके नशा मुक्त भारत अभियान के आउटरीच प्रयासों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और राज्य भर में बड़े पैमाने पर जागरूकता और सामाजिक जुड़ाव गतिविधियों में सहायता भी दे रहे हैं। पिछले पांच वर्षों में एनएपीडीडीआर के अंतर्गत झारखंड को कुल 3.88 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, जिससे 13,741 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं।

श्री सभापतिः सेकंड सप्लिमंटरी, श्रीमान प्रदीप कुमार वर्मा जी।

श्री प्रदीप कुमार वर्माः एनएमबीए कार्यक्रम के अंतर्गत झारखंड राज्य में कितने जिलों में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है? मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहूंगा कि झारखंड राज्य में सामाजिक संगठनों, जैसे ब्रह्मकुमारीज़ आदि के द्वारा भी क्या कोई गठबंधन करके हम इस प्रकार के नशा मुक्ति अभियान के कार्यक्रम चला रहे हैं? क्या आप हमें उनकी गतिविधियों के विवरण के बारे में बता सकते हैं?

श्री सभापतिः ऑनरेबल मिनिस्टर।

डा. वीरेंद्र कुमारः माननीय सभापति जी, नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत हम देश के प्रत्येक जिले में एक नशा मुक्ति केंद्र प्रारंभ करना चाहते हैं। जहां पर नशा मुक्ति केंद्र प्रारंभ नहीं हुए हैं, उस संबंध में मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने क्षेत्र से संबंधित प्रस्ताव राज्य सरकारों के द्वारा भिजवाएं, जिससे वहां पर भी नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत उपचार और पुनर्वास सुविधाओं के केंद्र प्रारंभ किए जा सकें। झारखंड के सभी 24 जिले नशा मुक्त भारत अभियान की दिशा में काम कर रहे हैं, जिसमें 6,56,704 युवाओं और 6,04,916 महिलाओं सहित 70,38,170 लोगों तक पर्याप्त पहुंच बनाई गई है। जागरूकता सृजन गतिविधियों में डोर टू डोर अभियान, मैराथन, नुक्कड़ नाटक अभियान, साइकिल रैली, रंगोली, निबंध, लेखन प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, भाषण जैसी बहुत सारी गतिविधियों का संचालन वहां पर किया जा रहा है। स्कूल और कॉलेजों में जागरूकता अभियान और शपथ समारोह के साथ ही साथ हमारी जीविका दीदियों की भागीदारी ने, आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ताओं की हमारी बहनों ने इसमें जमीनी स्तर पर सामुदायिक संवेदनशीलता को और अधिक मजबूत किया है। पाकुड़, रांची, बोकारो और रामगढ़ जैसे जिलों ने आउटरीच संख्या में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इस तरह से ये डेटा राज्य में एनएमबीए के तहत व्यापक पहुंच और सामुदायिक भागीदारी दोनों पर प्रकाश डालते हैं, जिससे निरंतर जागरूकता अभियानों और डिजिटल भागीदारी द्वारा समर्थन दिया जा रहा है। माननीय सदस्य के द्वारा एक बात और कही गई, जिसमें उन्होंने आध्यात्मिक संगठन, विशेष रूप से ब्रह्मकुमारीज़ संस्थान का उल्लेख किया। मैं बताना चाहूंगा कि हमने इस संबंध में आध्यात्मिक संगठनों से देश भर में एमओयू किया है। इस एमओयू के अंतर्गत चाहे वह ब्रह्मकुमारीज़ संस्थान हो, चाहे संत निरंकारी मिशन हो, आर्ट ऑफ लिविंग हो, गायत्री परिवार हो, इस्कॉन हो, रामचंद्र मिशन हो, शिवानंद योग वेदांत धन्वंतरि आश्रम हो और पतंजलि

Contents Page

विश्वविद्यालय हो, इन आध्यात्मिक संगठनों से समझौता हुआ है। देश भर में इन आध्यात्मिक संगठनों की शाखाएं हैं और बड़ी संख्या में इनके अनुयायी हैं। इनके कार्यक्रमों के माध्यम से निरंतर नशा मुक्त भारत अभियान के कार्यक्रमों में इनका योगदान भी जुड़ रहा है। इनके अनुयायियों के द्वारा भी इनकी शाखाओं में जो कार्यक्रम होते हैं, उन शाखाओं के माध्यम से न केवल समाज को जोड़ने का काम होता है, बल्कि उनके पुनर्वास के लिए और एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए उनको प्रेरित किया जाता है। समाज में नशे की जो बुराई है, इस नशे की बुराई को समाप्त करने में जब आध्यात्मिक संगठनों और सामाजिक संगठनों का जुड़ाव होता है, धर्म गुरुओं का साथ मिलता है, तो इसका बड़ा अच्छा परिणाम सामने आता है। इस बुराई को समाप्त करने में अकेले केंद्र सरकार के प्रयास काफी नहीं हैं, बल्कि इसमें केंद्र सरकार के प्रयासों के साथ ही साथ राज्य सरकारों का भी सहयोग अपेक्षित होता है। इस तरह से सामाजिक संगठन और एनजीओज़ मिल कर जब एक साथ कदम से कदम बढ़ाते हैं, तो झारखंड में भी और पूरे देश में भी हमारा जो नशा मुक्त भारत अभियान है, इस नशा मुक्त भारत अभियान में हमें विशेष रूप से आगे चल कर और भी ज्यादा तीव्र गति से काम करने में सफलता मिलेगी।

MR. CHAIRMAN: Third supplementary; Prof. Manoj Kumar Jha.

प्रो. मनोज कुमार झाः माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी की कंसल्टेटिव कमिटी में कई वर्ष रहा हूं, तो मैं जानता हूं कि ये उन गिने-चुने मंत्रियों में से एक हैं, जो पेड़ और गाय की कहानी सुना कर प्रश्न से मीलों दूर नहीं खड़े होते हैं। सर, माननीय मंत्री जी से मेरा एक सीधा प्रश्न है। बिहार में इसकी प्रोहिबिशन के बाद सूखे नशे और उसके प्रसार में काफी बढ़ोतरी की खबरें आती हैं, आए दिन मीडिया इनको कवर करती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस दिशा में बिहार में क्या प्रगति हुई है, क्या पहलकदमियां ली गई हैं और इसके मद्देनजर कितने टाइम-बाउंड अध्ययन कमिशन किए जाते हैं? शुक्रिया, सर। जय हिंद!

MR. CHAIRMAN: Hon'ble Minister.

डा. वीरेंद्र कुमारः माननीय सभापति महोदय, माननीय विद्वान सदस्य शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और मैं देखता हूं कि उनके द्वारा अक्सर शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े ज्वलंत मुद्दों को उठाया जाता है। उन्होंने बिहार के संदर्भ में यह जानना चाहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत पूरे देश में यह समस्या जिस तरह की गंभीरता के साथ आगे आ रही है, इस समस्या के निदान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? मैं यह बताना चाहूंगा कि जहां तक एनएपीडीडीआर योजना के अंतर्गत नशा मुक्ति उपचार और पुनर्वास केंद्रों का सवाल है, बिहार में इस दिशा में आईआरसीए के 7 केंद्र, डीडीएसी के 6 केंद्र और एटीएफ के 2 केंद्र; इस तरह से वहां पर 15 नशा मुक्ति उपचार और पुनर्वास केंद्र प्रारंभ किए गए हैं। साथ ही साथ, अगर हम पिछले 5 वर्षों की बात करें, तो इन 5 वर्षों में बिहार के लिए नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम को गति देने के लिए 2020-21 में 3.97 करोड़ रुपए की राशि; 2021-22 में 2.5 करोड़ रुपए की राशि; 2022-23 में 1.84 करोड़ रुपए की राशि; 2023-24 में 2.25 करोड़ रुपए की राशि और 2024-25 में 5.98 करोड़ रुपए की राशि जारी की

Contents Page

गई। इस दौरान पिछले 5 वर्षों में बिहार में जो लाभार्थियों की संख्या है, वह 2020-21 में 1,444; 2021-22 में 1,583; 2022-23 में 1,487; 2023-24 में 2,022 और 2024-25 में 30,454 है।

महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा एक और चीज उठाई गई, जिसमें उन्होंने इस संबंध में सर्वेक्षण की बात की। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य और सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि इस संबंध में 2017-18 में एम्स के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर पर एक सर्वेक्षण कराया गया था। इसके बाद फिर अभी 17 जून, 2025 को एम्स से एक दूसरा राष्ट्रीय सर्वेक्षण कराने के आदेश हो गए हैं और इसके लिए 78,28,67,656 रुपए की पहली किस्त की राशि भी जारी कर दी गई है। पहला सर्वेक्षण 2017-18 में किया गया था और 2019 में उसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। दूसरा सर्वेक्षण होने के उपरांत इसकी भी रिपोर्ट शीघ्र प्रकाशित की जाएगी। नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम का उद्देश्य विशेष रूप से हमारे युवाओं, स्कूल के विद्यार्थियों और कॉलेज के विद्यार्थियों को नशे की गिरफ्त से बाहर लाना और उनकी ऊर्जा का सकारात्मक दिशा में उपयोग करना है। इसके लिए दो तरह के कार्यक्रम बनाए गए हैं। 'नशामुक्त भारत अभियान' कार्यक्रम में उनकी स्क्रनिंग करके, उनको परामर्श, सहायता और उपचार के लिए, ड्रग्स के सेवन करने वाले बच्चों को जरूरी सहायता प्रदान करने का काम किया जाता है। बच्चों के बीच नशीली दवाओं के दुरुपयोग के जो शुरुआती लक्षण होते हैं - हमारे जो शिक्षक होते हैं, वे जानते हैं और इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि हमारी क्लास में कौन सा बच्चा पढ़ने में होशियार है, लेकिन वह गुमसुम क्यों रहने लगा है, वह चुपचाप एक तरफ क्यों बैठता है? जब उसमें इस तरह के बदलाव आते हैं, उन बदलावों को पहचान कर, उन चिह्नों को पहचान कर, उनके पेरेंट्स को बुलाना, उनके साथ में काउंसलिंग करना और काउंसलिंग करके, अगर वह बच्चा उस दिशा में बढ़ गया है, तो उस नशे की गिरफ्त से उसको बाहर लाने और उसको मुख्य धारा में लाने के लिए, यह नवचेतना मॉड्यूल बनाया गया है। इसमें दो तरह के मॉड्यूल्स बनाए गए हैं। पहला मॉड्यूल छठी कक्षा से आठवीं कक्षा तक के लिए है और दूसरा नौवीं कक्षा से ग्यारहवीं कक्षा तक के लिए है। छठी कक्षा से आठवीं कक्षा तक के लिए जो मॉड्यूल है, उसमें तीन तरह की गतिविधियां जोड़ी जा रही हैं। इस नवचेतना मॉड्यूल के माध्यम से देश भर में 10 लाख शिक्षकों और 2.4 करोड़ छात्रों को संवेदनशील बनाने के लिए कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इसमें छठी कक्षा से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करना, स्वस्थ भोजन के लिए प्रेरित करना और जोखिमों को पहचानना कि किस तरह के जोखिम होते हैं, शामिल हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई बच्चा स्वयं अपनी इच्छा से नशा करना नहीं चाहता, लेकिन कई बार उसके फ्रेंड सर्कल के कारण या दबाव के कारण - कोई कहता है कि एक बार इस पुड़िया का उपयोग करने में हर्ज क्या है? पहले वह मना करता है, लेकिन दूसरी बार उसको फिर बोला जाता है। उसके बाद धीरे-धीरे ऐसा होता है कि वह एक बार लेना शुरू करता है।

MR. CHAIRMAN: Hon'ble Minister, you need not reply to all the words. Please be very brief.

डा. वीरेंद्र कुमार: माननीय सभापति महोदय, अब तक 10 राज्यों में नवचेतना मॉड्यूल को आगे बढ़ाया गया है और 434 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है। इन राज्यों में चंडीगढ़, दिल्ली,

Contents Page

हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, मेघालय, पंजाब, राजस्थान और त्रिपुरा शामिल हैं। मैं माननीय सदस्य के साथ ही साथ, सभी माननीय सदस्यों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि इस नवचेतना मॉड्यूल के माध्यम से भी अपने-अपने क्षेत्रों के विद्यालयों के साथ और विद्यार्थियों के साथ जुड़कर, इस 'नशामुक्त भारत अभियान' का हिस्सा बन कर, देश को नशामुक्त बनाने में अपना योगदान दें।

MR. CHAIRMAN: Now, fourth supplementary, Shri Ravi Chandra Vaddiraju.

श्री रविचंद्र वद्दीराजूः सर, आपका धन्यवाद कि आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मुझे एक क्वेश्चन पूछने का मौका मिला है। What measures have been taken by the Ministry to train school teachers and students for Nasha Mukt Bharat Abhiyaan campaign? That is the question, Sir.

MR. CHAIRMAN: Now, hon'ble Minister.

डा. वीरेंद्र कुमारः माननीय सभापति महोदय, जैसा कि मैंने अभी अपने पूर्व के उत्तर में बताया कि स्कूल के हमारे जो छात्र हैं, उनको नशे की गिरफ्त से बाहर लाने के लिए, उनको 'नशा मुक्त भारत अभियान' का हिस्सा बनाने के लिए, जिससे कि न केवल वे स्वयं नशे से मुक्त हों, बल्कि इस अभियान के साथ जुड़कर, बाकी छात्रों को भी प्रेरित करने में उनका योगदान जुड़े। उसमें शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए भी नवचेतना मॉड्यूल में योजना बनाई गई है, क्योंकि शिक्षक ही समाज के ऐसे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, जो समाज की दिशा को भी जानते हैं और बच्चों को शिक्षा देने के साथ ही साथ समाज को दिशा देने का काम भी उनके द्वारा किया जाता है।

महोदय, जैसा कि मैंने बताया कि नवचेतना मॉड्यूल के अंतर्गत 10 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित करने और 2.4 करोड़ छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए इस अभियान में योजना बनाई गई है, क्योंकि हमारे शिक्षक सबसे पहले बच्चों की उपस्थिति, उनका व्यवहार, उनका शैक्षणिक प्रदर्शन और किस तरह के मित्रों के साथ में उनका मेल-जोल है, इन सारी चीजों को और उनमें होने वाले बदलावों को बहुत आसानी से पहचान लेते हैं और अगर किसी का नशीले पदार्थों की तरफ झुकाव हो रहा है, तो उसके संकेतों को शिक्षक बहुत आसानी से समझ लेते हैं। शुरुआत में ही उन लक्षणों को पहचान कर, उनकी काउंसलिंग करके, सही स्थान पर उनको भेजना, जिससे कि बच्चे नशे की गिरफ्त से बाहर रह सकें और उनके माता-पिता के साथ काउंसलिंग करके, बच्चों को सही दिशा में जाने के लिए प्रेरित करना, नशा मुक्ति के लिए खेलों और स्कूलों में ड्रग्स की समस्या से निपटने के लिए एक स्वस्थ और नशामुक्त जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए, खेल-कूद की गतिविधियों को प्रभावी ढंग से उपयोग किया है। देशव्यापी कार्यक्रमों में देखें, तो जम्मू-कश्मीर, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा और मणिपुर में मोटरसाइकिल रैलियां, साइकिल रैलियां, क्रिकेट टूर्नामेंट, बिहार में फ्रीडम रन, गुजरात में भारोत्तोलन प्रतियोगिताएं, मेघालय में फुटबॉल मैच, सिक्किम में मैराथन और दिल्ली में वॉलीबॉल मैच - इन खेलों के साथ विद्यार्थियों को जोड़ा गया है। नशे के बारे में देखें, तो दिन भर में एक ऐसा समय आता है, जब किसी नौजवान या बच्चे को नशे की लत लगती है। अगर वह समय निकल जाता है, तो फिर वह नशा नहीं करता

Contents Page

है। इसलिए शैक्षणिक गतिविधियों के साथ-साथ, उनको खेल की गतिविधियों के साथ जोड़ना, उनको संगीत की गतिविधियों के साथ जोड़ना, उनको नाटक की गतिविधियों के साथ जोड़ना - ताकि वे इससे बाहर भी आ सकें और समाज को प्रेरित करने का काम भी कर सकें।

MR. CHAIRMAN: Fifth supplementary; Shri Shaktisinh Gohil.

श्री शक्तिसिंह गोहिलः सभापति महोदय, आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न में सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सर, यह कहा जाता है कि किसी भी राष्ट्र के नाश की नींव नशा होता है और इसीलिए इसका इंपोर्टेंस ज्यादा है। आप स्लोगन देते हो, 'नशा मुक्त भारत', पर, आखिरी 10 सालों में देखेंगे, तो सबसे ज्यादा ड्रग्स, नशे वाली चीजें बाहर से हमारे देश में आती हैं और उसका सबसे बड़ा epicenter, मेरे ही क्वेश्चन के जवाब में कहा गया कि सबसे ज्यादा नशे वाली नारकोटिक ड्रग्स गुजरात में आ रही है और उसका epicenter मुंद्रा पोर्ट है। सर, मैं आपके जरिए माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ...

MR. CHAIRMAN: Please be specific about your question. We have not completed even one question and it is going to be half an hour.

SHRI SHAKTISINH GOHIL: Sir, I am putting only specific question. Now, the developed countries have developed some medicines जो कि एक बार नशा करने वालों को दे दिया जाए, तो उसकी क्रेविंग भी नहीं होगी और अगर वह लेगा, तो शरीर नेगेटिव रिफ्लेक्ट करेगा, इसलिए मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो भी नशे में पकड़े जाते हैं, उनके लिए यह ड्रग compulsory देने का कोई प्लान है या नहीं है?

MR. CHAIRMAN: Hon'ble Minister.

डा. वीरेंद्र कुमारः माननीय सभापति जी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नशे से प्रभावित व्यक्तियों के अवेयरनेस, उपचार, पुनर्वास, इलाज की समुचित व्यवस्थाएँ करने की दिशा में काम करता है। हमारा मंत्रालय गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, युवा एवं खेलकूद मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, एनसीबी, सीमा सुरक्षा बलों सहित 15 मंत्रालयों और विभागों के साथ मिल कर काम करता है। स्वास्थ्य विभाग के साथ मिल कर देश में अभी जो 154 नशा मुक्ति उपचार केंद्र प्रारंभ किए गए हैं, वे सारे-के-सारे सरकारी अस्पतालों के माध्यम से किए गए हैं। सरकारी अस्पतालों के माध्यम से ही नशे से ग्रसित व्यक्तियों को न केवल स्वस्थ जीवन शैली जीने के लिए प्रेरित करना, बल्कि वहाँ चिकित्सकों का उपयोग करके इस काम को बेहतर ढंग से प्रभावी करने के लिए हम स्वास्थ्य विभाग के साथ जुड़ कर अब निदान केंद्रों और उपचार केंद्रों की व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Now, Q. No. 392.

Contents Page

Saksham Anganwadi and POSHAN 2.0

*392. SHRI P. WILSON: Will the Minister of WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT be pleased to state:-

(a) whether there have been delays or shortfalls in release of funds to Tamil Nadu under Saksham Anganwadi and POSHAN 2.0, including for crèches and supplementary nutrition;

(b) the details of Central share released and pending for Tamil Nadu during 2024–25 and 2025–26 and reasons for any delay affecting over 27 lakh beneficiaries;

(c) the criteria adopted for allocation of funds under these schemes; and

(d) the steps taken to release pending dues and ensure equitable and timely support for nutrition and women empowerment programmes?

THE MINISTER OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI ANNPURNA DEVI): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) Mission Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 is a Centrally Sponsored scheme. The implementation of the scheme falls under the ambit of State Governments and UTs administrations. Funds are allocated to the States and UTs under various components based on the proposals submitted by them during Annual Programme Implementation Plan (APIP) meetings and their eligibility to receive funds as per schematic norms.

Under the Mission Saksham Anganwadi and Poshan 2.0, the Government of India releases grants-in-aid to the States/UTs on the following cost-sharing ratio between Centre and States/UTs:

Components under Anganwadi Services				
	General	**Salary**	**Supplementary Nutrition Programme and Scheme for Adolescent Girls**	**Poshan Abhiyan**
States and UTs with Legislature	60:40	NA	50:50	60:40
NE and Himalayan States	90:10	90:10	90:10	90:10

Contents Page

(including J and K)				
UT Without Legislature	100:0	NA	100:0	100:0

From Financial Year 2021-22, funds are released through PFMS in compliance with the Single Nodal Agency (SNA) guidelines issued by the Department of Expenditure. Release of central funds to State Governments and UT Administration is subject to compliance of SNA norms by the States/UTs which, inter-alia, include timely transfer of matching State share, deposit of interest to Consolidated Fund of India and at least 75% expenditure of the previous grant-in-aid released to the States/UTs.

Further, SNA SPARSH module which is based on just in time method, has been made applicable w.e.f 01.11.2025, for Mission Saksham Anganwadi and Poshan 2.0. Under this module, mother sanctions are issued to the States and UTs with Legislature. The release of funds is based on the expenditure reported by the States and UTs in their Utilisation Certificates (UC) and State of Expenditure (SoE) and their admissibility as per schematic norms.

Central funds under Mission Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 to the State of Tamil Nadu have been released in timely manner based on compliance of norms under SNA and SNA SPARSH modules by the State. The component wise amount of funds released and amount of mother sanction issued to the State of Tamil Nadu during 2024—25 and 2025—26 under Mission Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 is as below:

(Rs. in Crore)

FY	General	SNP	SAG	Poshan Abhiyan	Amount available with State at the end of F.Y.
Release in SNA					
2024-25	253.41	351.15	4.48	29.42	77.76
2025-26	206.20	184.43	3.17	35.93	8.93
Mother Sanction status under SNA SPARSH (as on 30.03.2026)					
2025-26	67.70	89.63	1.50	33.08	Out of Rs 192.98 cr of Mother sanction, bills have been raised for Rs. 108.27 cr and Rs 84.70 cr is available

Contents Page

In addition to this, Mission Shakti aims at strengthening interventions for women safety, security and empowerment. Mission Shakti comprises of two verticals 'Sambal' for safety and security of women and 'Samarthya' for empowerment of women. The 'Sambal' has components of One Stop Centre (OSC), Women Helpline (WHL), Beti Bachao Beti Padhao (BBBP) and Nari Adalat (Nari Adalat). The 'Samarthya' has components of Shakti Sadan, Sakhi Niwas, Padhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY), Palna and SANKALP: Hub for Empowerment of Women (SANKALP: HEW).

As per the Mission Shakti guidelines, these schemes are Centrally Sponsored and the Central Government provides 100% financial assistance to States/ UTs. The overall implementation of these schemes lies with the State Governments/UT Administrations.

The Ministry of Women and Child Development has introduced Palna Scheme under the Samarthya Vertical of Umbrella Mission Shakti for all States and UTs w.e.f. 01 April 2022.

Anganwadi centres are the world's largest childcare institutions dedicated to providing essential care and support to children ensuring delivery of care facilities till the last mile. In a first of its kind approach, Ministry has extended the services of childcare through Anganwadi cum Crèche (AWCC). Anganwadi cum Crèche initiative aims to increase 'women work force participation' in the economy. The objective of the scheme is to provide quality crèche facility in safe and secure environment for children (from ages 6 months – 6 years), nutritional support, health and cognitive development of children, growth monitoring and immunization. Crèche facilities under Palna are provided to all mothers, irrespective of their employment status.

Palna scheme is a Centrally Sponsored Scheme. Programme Approval Board (PAB) meetings are held with the State Governments and UT Administrations annually wherein States and UTs submit proposals for opening Anganwadi-cum-Creches and operationalize them. State Governments and UT Administrations also contribute their corresponding share for the implementation of the Scheme. A total of 600 AWCCs have been approved by the Ministry for State of Tamil Nadu as per proposals received from them.

Amount of funds raised by the State should be as per schematic guidelines. For just-in-time release of funds, SNA Sparsh has been introduced for Palna Scheme

Contents Page

also and State can raise bills on account of pending dues, if any, after compliance of provisions of guidelines of scheme, General Financial Rules, 2017 and instructions issued by Ministry of Finance. During FY 2024-25, funds amounting to Rs. 5.87 Crore have been released to the State of Tamil Nadu under PALNA scheme. During FY 2025-26, funds amounting to Rs. 2.13 Crore have been released and mother sanction for an amount of Rs. 3.47 crore under SNA Sparsh have been issued to State of Tamil Nadu.

MR. CHAIRMAN: First supplementary, Shri P. Wilson.

SHRI P. WILSON: Sir, the 377th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports has specifically highlighted Tamil Nadu as one of the States with zero operational Anganwadi-cum-Creches, that is, Palna/AWCCs as on 31st December, 2025 despite the State's high female workforce participation in formal sectors and industrial belts, urban slums, fisheries, clusters and textile hubs. In view of the Committee's strong recommendation for a special fast-track approval window for the States with nil coverage including Tamil Nadu, will the Government explain as to why there has been a delay and discriminatory treatment in release of Central funds for Palna component and supplementary nutrition under Mission Saksham, Anganwadi and POSHAN 2.0 in Tamil Nadu and other States. Thank you.

MR. CHAIRMAN: Hon'ble Minister.

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी: सभापति महोदय, एक तो सबसे पहले हम यह कहना चाहेंगे कि माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है, उसमें उन्होंने भेदभाव की बात की है, तो हम इसको सीधे तरीके से नकारते हैं, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा फंड को लेकर किसी भी राज्य के प्रति कभी भी कोई भेदभाव नहीं हुआ है। माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने जो 'पालना' की बात की, उसके संबंध में मैं यह बताना चाहती हूँ कि माननीय प्रधान मंत्री जी का लक्ष्य ' 2047 विकसित भारत' में हमारे बच्चे, जो समाज की नींव हैं, देश के भविष्य हैं, उनका बेहतर पोषण सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, इसके लिए एक Mission Saksham, Anganwadi and POSHAN 2.0 की शुरुआत की गई। साथ ही साथ, पालना की शुरुआत की गई। माननीय सदस्य ने तमिलनाडु की बात की है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि 600 पालना केंद्र की स्वीकृति भारत सरकार ने दी है, जिनमें से एक की भी शुरुआत तमिलनाडु ने नहीं की। इसके साथ ही, मैं यह कहना चाहूंगी कि अगर हम देखें, तो यह आज का डेटा है कि तमिलनाडु के अंदर मिशन शक्ति के तहत 30 करोड़ से ज़्यादा पैसा खर्च नहीं हुआ, वह उनके अकाउंट में आज भी पड़ा हुआ है। मिशन वात्सल्य के तहत 4 करोड़ से ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है, जो खर्च नहीं हुआ। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके तहत 16.57 करोड़ रुपये पड़े हैं। सर, हम यह आज का लेटेस्ट डेटा दे रहे हैं। तमिलनाडु

Contents Page

सरकार को पैसे देने के बावजूद, वह पैसा खर्च नहीं करती, वह समय पर खर्च नहीं होता, जिसकी वजह से भारत सरकार की जो योजना है, वह सही ढंग से लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाती है।

MR. CHAIRMAN: Second Supplementary, Thiru P. Wilson.

SHRI P. WILSON: Hon'ble Minister, I think, you should place the correct facts. I will give you the data details because you are accusing that Tamil Nadu is not spending. The reason lies with you. The Government is aware… …*(Interruptions)*… I will tell you. I will explain to you. It is my duty to explain because you have made an accusation against us. The Government is aware that out of the unspent balance of Rs. 716.05 crore in Tamil Nadu Single Nodal Account as on 29th January, 2025, an amount of Rs. 409.17 crore pertains to Mission Shaksham Anganwadi and POSHAN 2.0. This accumulation has arisen due to the delayed release of the Central share, including the fourth quarter installment of 2023-24 being released only on 26th March, 2024, with the similar delay continuing in 2024-25. Despite our hon'ble Chief Minister writing that you are releasing only near the end of the financial year and despite the State having provided its share on time and submitted Utilization Certificate, there has been disrupting supplementary nutrition services and support for over 27 lakh beneficiaries. Will the Government place on record the exact quarter- wise details of funds due, funds released, the date on which it was released and pending for Tamil Nadu for 2024-25 and 2025-26? Therefore, the delay is because you released it at the end of the financial year. Thank you, Chairman, Sir.

MR. CHAIRMAN: Hon'ble Minister.

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी: माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने पैसा नहीं खर्च करने या अंतिम समय में पैसा देने की बात की है, तो मैं उनको बता दूँ कि जो फाइनेंशियल नॉर्म्स हैं, उनकी कंप्लायंस न होने की वजह से पैसा विलंब से दिया गया। चूंकि वहां पर बैलेंस भी पड़ा हुआ था और जब से हमने एसएनए स्पर्श लागू किया है, तो उस एसएनए स्पर्श में हम मदर सैंक्शन देते हैं। फिर, राज्य सरकार जब उसमें बिल देती है और उस राशि में राज्य सरकार का जो हिस्सा होता है, वह देती है, तो स्वतः दो दिनों के अंदर वह पैसा जाता है। कहीं न कहीं राज्य सरकार की ओर से एसएनए बिल देने में देरी हो रही है, जो फाइनेंशियल नॉर्म्स हैं, उनकी कंप्लायंस में देरी हो रही है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। हमने आपको आज का लेटेस्ट डेटा बताया कि वह पैसा आपके यहां अनस्पेंड पड़ा हुआ है। भारत सरकार इस पर कहीं भेदभाव नहीं करती है, बल्कि समय पर फाइनेंशियल नॉर्म्स कंप्लायंस न करने की वजह से यह पैसा समय पर नहीं जा पाता है।

MR. CHAIRMAN: Third Supplementary, Govindbhai Laljibhai Dholakia.

Contents Page

श्री गोविंदभाई लालजी भाई धोलकिया: माननीय महोदय, मेरा माननीय मंत्री महोदया से प्रश्न है कि प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा आंगनवाड़ी के माध्यम से क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

MR. CHAIRMAN: Hon'ble Minister.

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। एनईपी-2020 अनुसार, महिला बाल विकास विभाग को बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा के लिए जो करना है, उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका पोषण भी और पढ़ाई भी हो, इसकी पहल के तहत पोषण-2.0 की शुरुआत 10 मई, 2023 को की गई थी। उसके माध्यम से प्रारंभिक बाल्यावस्था और देखरेख आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से की जा रही है, ताकि हमारे बच्चों को सिर्फ पोषण ही नहीं, उसके साथ-साथ हमारे बच्चे — जो 3 साल से 6 साल के बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र में आते हैं— 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जिसके माध्यम से उन बच्चों को पोषण के साथ-साथ कैसे उन्हें खेल-खेल में पढ़ाई भी कराई जा सके, उसके लिए दो करिकुलम बने हैं — एक नवचेतना, जो 6 महीने से 3 साल तक के बच्चों की है और 3 साल से 6 साल तक के बच्चों के लिए आधारशिला है। हम आधारशिला के माध्यम से छोटे-छोटे वीडियो बनाकर आंगनवाड़ी केंद्र में आंगनवाड़ी वर्कर्स को पोषण ट्रैकर के माध्यम से भेजते हैं, ताकि बच्चों को सीखने में सहायता मिल सके और उसके साथ-साथ लगातार सक्षम आंगनवाड़ी के माध्यम से हम LED स्क्रीन के माध्यम से भी बच्चों को दिखाते हैं तथा बच्चों को खेलने की सामग्री भी हम देते हैं। वहां पर बच्चे बैठकर खेल सकते हैं। बाला पेंटिंग के माध्यम से पूरे आंगनवाड़ी केंद्र में उन बच्चों को रंग तथा अन्य फल-सब्जियों की पहचान के लिए गतिविधियां कराई जाती हैं, तो लगातार हम daily learning prompt भी देते हैं और आंगनवाड़ी वर्कर्स को शैक्षणिक वीडियो भी देते हैं, ताकि वे लगातार बच्चों को सिखाएं। तो हम अलग-अलग माध्यम से पोषण-पढ़ाई कार्यक्रम को सभी बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं। हम सबको पता है कि जो scientific research है, वह कहता है कि 6 साल तक के बच्चों के अंदर लगभग 85 प्रतिशत brain development होता है, growth होती है। यह भारत सरकार का, माननीय प्रधान मंत्री के नेतृत्व में निर्णय है कि बच्चों का सही समय पर विकास हो, ताकि यही बच्चे, जो देश का भविष्य हैं, विकसित भारत के भविष्य में बेहतर इंसान बन सकें।

MR. CHAIRMAN: Fourth supplementary. Shrimati Sulata Deo.

श्रीमती सुलता देव: वंदे उत्कल जननी। सर, आज मेरे ओडिशा का 98वां बर्थडे है। मैं यहीं से सभी को नमन करती हूं और मुझे प्रश्न पूछने के लिए आपने जो मौका दिया, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। यह बहुत संवेदनशील विषय है, जहां पर बच्चों का विषय आ जाता है। जब नवीन पटनायक की सरकार आई, तब हमारे ओडिशा का IMR और MMR तीन डिजिट में था। उसको पहले ही कैबिनेट में किस तरह से कम किया जाएगा, drastically घटाया जाएगा, इसके ऊपर काम हुआ और आज ओडिशा भारतवर्ष में ऐसा राज्य है, जिसने drastically इसको कम किया है।

MR. CHAIRMAN: Please come to your specific question.

Contents Page

श्रीमती सुलता देवः आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या undernutrition के कारण बच्चों को diseases होती हैं और वे बच्चे malnutrition में जाते हैं, उनकी death होती है — कितने ऐसे केस ओडिशा में देखे गए हैं और malnutrition को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

श्रीमती अन्नपूर्णा देवीः माननीय सभापति महोदय, यह प्रश्न ओडिशा के बारे में पूछ रही हैं, जो इस प्रश्न से बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगी कि कुपोषण मुक्त भारत अभियान के तहत, माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हम कार्य कर रहे हैं और सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत समग्र, विविध तथा life cycle approach के आधार पर काम करते हैं।

महोदय, early detection, targeted intervention और पोषण परिणाम की निरंतर निगरानी पर भी ध्यान देते हैं। बच्चों की height और weight के साथ-साथ लगातार उनकी growth monitoring आंगनवाड़ी वर्कर के माध्यम से कराई जाती है। उसके साथ-साथ सारा data पोषण ट्रैकर में भी होता है, जिसको हम लोग देखते हैं, ताकि SAM और PEM श्रेणी के बच्चों में जैसे ही लक्षण आते हैं, उनके लिए हम पहले प्रयास करते हैं कि बच्चों की समुचित देखरेख हो और जब ज्यादा दिक्कत हो, तो जो पूरक पोषण कार्यक्रम (SNP) है, उसके माध्यम से हम Hot Cooked Meal देते हैं और THR भी देते हैं, ताकि बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर रह सके और उसके साथ-साथ लगातार जांच भी चलती रहती है। आंगनवाड़ी और आशा वर्कर के माध्यम से जो जीरो से तीन साल के बच्चे हैं, उनके घर में जाकर जब वे होम विजिट करती हैं, तो बच्चों के क्या लक्षण हैं, क्या परेशानी हैं, उन सारी चीजों को देखते हुए हम यह प्रयास करते हैं। अगर लगता है कि बच्चे कुपोषित हैं, तो निश्चित रूप से हम उनका उपचार शुरू कराते हैं। उनका जो टीएचआर है या हॉटकुक मील है, उसके साथ-साथ एनआरसी केंद्र में आशा वर्कर के साथ मिलकर उनके उपचार के लिए भेजा जाता है।

MR. CHAIRMAN: Fifth supplementary; Shriman Mahendra Bhatt.

श्री महेंद्र भट्टः महोदय, जैसे कि आज बच्चों के पोषण और स्वास्थ्यवर्धन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का बड़ा योगदान होता है, क्या सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि करने में विचार रखती है? क्या उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण और डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं और क्या सरकार के पास कार्यकर्ताओं पर बढ़ते कार्यभार को कम करने की कोई योजना है?

MR. CHAIRMAN: Hon'ble Minister.

श्रीमती अन्नपूर्णा देवीः माननीय सभापति जी, यह मानदेय से संबंधित है, इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, लेकिन मैं माननीय सदस्य को यह बता देना चाहती हूं कि लगभग 13 लाख 34 हजार 954 आंगनवाड़ी केंद्र, जो संचालित हैं, उन केंद्रों में जो आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी हेल्पर हैं, उनके लिए सरकार समय-समय पर मानदेय में बढ़ोतरी करती है और उसके साथ-साथ उन्हें अन्य सुविधाएं भी देती है, चूंकि हम सब को पता है कि हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ग्रास रूट लेवल पर

Contents Page

काम करती हैं और सिर्फ आंगनवाड़ी ही नहीं, राज्य सरकार की ओर से भी बहुत सारे काम उनको देते हैं, निश्चित रूप से दिन भर वे बच्चों के लिए और अन्य जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उन सबके लिए वे काम करती हैं। भारत सरकार की ओर से लगातार कैसे उनको सुविधाएं मिल सकें, उसके लिए मानदेय में भी बढ़ोतरी होती है। उसके साथ बीस दिनों का उनको वार्षिक अवकाश भी दिया जाता है। 180 दिन के सवैतनिक मातृत्व अवकाश की भी व्यवस्था की गई है और अगर किसी भी तरह से उनका चिकित्सकीय गर्भपात होता है, तो उसमें भी उन्हें 45 दिनों का सवैतनिक अवकाश दिया जाता है। 'प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना' के तहत भी 'प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना' के अंतर्गत बीमा कवर किया जाता है, साथ ही साथ आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से उन्हें लगभग पांच लाख की वार्षिक स्वास्थ्य कवरेज भी दी जाती है। इसके साथ ही पदोन्नति के भी अवसर दिए जाते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर से सुपरवाइज़र, फिर सुपरवाइज़र से सीडीपीओ, तो पचास प्रतिशत तक का उन्हें दिया जाता है। जिसका पांच वर्षों का अनुभव होता है, उसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पचास प्रतिशत पद भरे जाते हैं। इस तरह अलग-अलग समय पर और जो अच्छे कार्य करते हैं, उनको भी हम प्रोत्साहित करते हैं। 15 अगस्त, 26 जनवरी पर उन्हें दिल्ली लाकर सम्मानित किया जाता है और पुरस्कृत भी किया जाता है। उसके साथ राज्य सरकारों की ओर से भी, विभिन्न राज्यों की ओर से भी उन्हें मानदेय दिए जाते हैं, जितनी आंगनवाड़ी वर्कर सेवाएं कर रही हैं। अभी बीएलओ में भी उनकी ड्यूटी लगाई गई है, तो उसके लिए चुनाव आयोग से आग्रह किया गया था कि ड्यूटी में कुछ कटौती की जाए, ताकि वे बच्चों की बेहतर देखभाल कर सकें। यह हमारा लक्ष्य है कि आंगनवाड़ी वर्कर, जो ग्रास रूट पर हैं, उन्हें बेहतर सुविधा दी जा सके और इसको हम लोग समय-समय पर करते हैं।

MR. CHAIRMAN: Q. No. 393.

Upgradation of ITIs in Uttar Pradesh

*393. SHRI SANJAY SETH: Will the Minister of SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP be pleased to state:-

(a) the progress in upgrading the infrastructure and curriculum of Industrial Training Institutes (ITIs) across Uttar Pradesh;

(b) whether the introduction of new-age courses in robotics, IoT and green energy has successfully increased student enrolment;

(c) the details of Central funds proactively utilized to equip ITIs in Uttar Pradesh with modern laboratories and cutting-edge machinery in 2025-26;

(d) the positive impact of mandatory industry tie-ups on improving the campus placement rates for ITI graduates; and

(e) the steps taken to promote dual-system training where students divide their learning seamlessly between the ITI and the factory floor?

Contents Page

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP (SHRI JAYANT CHAUDHARY): (a) to (e) A statement is laid on the table of the House.

Statement

(a) and (b) The Government has launched Pradhan Mantri Skilling and Employability Transformation through Upgraded ITIs (PM-SETU) scheme for the infrastructure upgradation of Industrial Training Institutes (ITIs) across the country including the State of Uttar Pradesh. The scheme envisages to enhance the overall quality and relevance of vocational training with upgraded labs, machines, and industry-aligned curriculum in the country. The Scheme has a total outlay of Rs. 60,000 crores (Central Share – Rs. 30,000 crore, State Share – Rs. 20,000 crore and Industry Share – Rs. 10,000 crore).

The key objectives of the scheme are:

i. To improve the quality of training delivery in ITIs and National Skill Training Institutes (NSTIs);

ii. To modernize infrastructure and equipment as per industry standards;

iii. To introduce industry-aligned long-term and short-term courses, especially in new and emerging sectors;

iv. To strengthen industry linkage for demand-driven skilling and better employment outcomes; and

v. To enhance the capacity of National Skill Training Institutes (NSTIs) for training of trainers.

The scheme comprises of two components:

Component I – Upgradation of 1,000 Government ITIs (200 Hub ITIs and 800 Spoke ITIs) in a Hub and Spoke model wherein upgradation includes smart classrooms, modern labs, digital content, and new courses aligned to industry needs.

Component II – Capacity Augmentation of five NSTIs located in Bhubaneswar, Chennai, Hyderabad, Kanpur, and Ludhiana, including setting-up sector-specific National Centres of Excellence for skilling, with focus on advanced training of trainers with global partnership.

Contents Page

Under the PM-SETU scheme, industry participation in curriculum design, training delivery and apprenticeship opportunities is strengthened through an industry-led governance model. The industry-led Special Purpose Vehicle (SPV) is provided the necessary autonomy to propose modifications in the curriculum by introducing new courses and upgrading existing courses as per industry requirements. The scheme focuses on improving employability outcomes through industry-led governance and aims to enable learners to acquire industry-relevant skills, gain exposure to real work environments, and access career guidance, placement support and self-employment opportunities through strengthened institutional systems and industry linkages.

Upgradation of curricula for ITI training programmes is a continuous process and is generally undertaken every three years. To meet the demands of the modern economy and emerging technologies in the industrial sector, new courses are continuously developed and existing courses are upgraded in consultation with industry, academia and States/UTs. The courses are updated by incorporating new technologies and the latest tools, equipment and machinery in the curricula, keeping in view the requirements of emerging technologies. During the last three years, 14 Craftsmen Training Scheme (CTS) courses, 15 short-term courses and 07 Flexi-MoU courses have been developed and approved by National Council for Vocational Education and Training (NCVET). Additionally, 22 courses have been revised and approved to further align training with industry requirements. The list is attached at **Annexure-I.**

Under CTS, 31 New Age Courses, including Green Hydrogen Production Technician and Internet of Things Technician, have been introduced in ITIs. The enrolment of trainees in ITIs across the country in the New Age Courses has increased from 8,611 in session 2022-23 to 42,338 in session 2025-26. The list of these 31 New Age Courses is at **Annexure-II.**

(c) Release of funds under PM- SETU for Upgradation of ITIs is contingent upon the formation of SPV. MSDE is carrying out necessary consultations to support and handhold States/UTs across various aspects of scheme roll-out. At present, proposals regarding upgradation of ITIs is yet to be received from State Steering Committee for consideration or approval of National Steering Committee (NSC).

It is pertinent to mention that the Ministry has made significant progress in enabling States/UTs to move forward. 35 States/UTs have identified clusters, 32 have

Contents Page

formed State Steering Committees, 25 have created State Budget Heads, 19 have floated EOIs for AIPs, and 12 have floated RFPs for inviting interest of industry.

(d) Mandatory industry linkages, including provisions such as On-the-Job Training (OJT), facilitate structured engagement between ITIs and industry. This exposure enables trainees to acquire hands-on experience in real work environments, align their skills with industry requirements, and develop essential employability competencies such as communication, teamwork, and work ethics. Such industry-integrated training enhances the job-readiness of ITI graduates and improves their prospects for wage employment. Further, Under the PM-SETU scheme, industry-led Special Purpose Vehicles (SPVs) would lead the upgradation and be empowered to propose necessary interventions relating to curriculum redesign, training delivery models, infrastructure upgradation and industry exposure, in alignment with local industry needs and the Scheme guidelines.

(e) The Directorate General of Training (DGT) under the aegis of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE) is implementing the Dual System of Training (DST) in ITIs under the CTS to strengthen industry linkage in skill training. Under DST, a substantial portion of practical training is conducted at industry premises, enabling trainees to gain hands-on experience on modern tools, equipment and machinery, thereby enhancing their employability. This enables industries to train candidates according to their skill requirements while providing trainees with hands-on industry experience aligned with market demand.

With effect from the academic session 2023—24, all new affiliations granted in the third shift in ITIs have been made mandatory under DST mode, thereby promoting the adoption of DST mode across ITIs. Enrolment in ITIs under DST during the last two sessions was 33,566 in 2024—25 and 39,136 in 2025—26

Further, the proportion of trainees enrolled under DST relative to the total number of trainees in an ITI has been incorporated as a parameter in the Data Driven Grading Methodology (DDGM) for grading of ITIs, with higher enrolment under DST resulting in a higher score under the said parameter.

In addition, the Strategic Advisory and Reforms Taskforce for Holistic ITI Transformation (SARTHI) has been constituted under the chairmanship of the Minister of State (Independent Charge), MSDE, to provide advisory inputs on curriculum development and standardization, trade testing and certification reforms, accreditation and regulatory norms for ITIs, strengthening of industry—institute

Contents Page

linkages, and facilitation of inter-ministerial and institutional coordination under the CTS.

Annexure-I

A. 14 New CTS Courses:

Sl. No.	Trade Name
1	Green Hydrogen Production Technician
2	Industrial IoT Technician
3	Semiconductor Technician
4	Basohli Painting Artist
5	Carpet Weaving Artisan – Handloom
6	Hand Embroidery Artisan
7	Shawl Weaving Artisan
8	Wood Carving Artisan
9	Paper Mache Artisan
10	Traditional Phulkari Artisan
11	Nursery and Orchard Technician
12	Artificial Intelligence Programming Assistant
13	Cyber Security Technician
14	Food Processing Equipment Technician

B. 15 new Short-Term Courses:

Sl. No.	Trade Name
1	Basics of Cybersecurity
2	Basics of Generative Artificial Intelligence (AI)
3	Basics of IT Skills
4	Introduction to Artificial Intelligence (AI)
5	Fundamentals of Computer Aided Manufacturing (CAM)
6	Fundamentals of CNC Programming and Operation
7	Basics of Repair and Maintenance of Metal Cutting Machines
8	Fundamentals of Heating Ventilation and Air Conditioning
9	Introduction to Industry 4.0
10	Fundamentals of IoT Application and Maintenance
11	Fundamentals of Semiconductor Technology
12	Railway Signalling
13	Railway Track Maintenance

Contents Page

14	Welding (GMAW and GTAW)
15	Railway Electrical – TRD (Traction Distribution)

C. 07 new Flexi-MoU Courses:

Sl. No.	Trade Name
1	Automotive Manufacturing Technician
2	Vehicle Technician
3	Automotive Air-conditioner Manufacturing Technician
4	Automotive Logistics Technician
5	Automotive Quality Inspection Technician
6	Industrial Fitter
7	Industry Integrated Electrician

Annexure-II

List of 31 New Age Trades running in ITIs:

S. No.	Trade Name
1	Additive Manufacturing (3D Printing) Technician
2	Aeronautical Structure and Equipment Fitter
3	Artificial Intelligence Programming Assistant
4	Advanced CNC Machining Technician
5	Computer Aided Manufacturing (CAM) Programmer
6	Cyber Security Assistant
7	Data Annotation Assistant
8	Drone Pilot (Junior)
9	Drone Technician
10	Engineering Design Technician (Artisan Using Advanced Tool)
11	Fiber to Home Technician
12	Geo Informatics Assistant
13	Green Hydrogen Production Technician
14	Industrial Internet of Things (IIoT) Technician
15	Industrial Robotics and Digital Manufacturing
16	Information Technology
17	Internet of Things Technician (Smart Agriculture)
18	Internet of Things Technician (Smart City)
19	Internet of Things Technician (Smart Healthcare)
20	Manufacturing Process Control and Automation

Contents Page

21	Mechanic Electric Vehicle
22	Multimedia, Animation and Special Effects
23	Semiconductor Technician
24	Small Hydro Power Plant Technician
25	Smartphone Technician Cum App Tester
26	Software Testing Assistant
27	Solar Technician (Electrical)
28	Technician Mechatronics
29	Virtual Analysis and Designer – FEM (Finite Element Method) (Basic Designer and Virtual Verifier)
30	Wind Plant Technician
31	5G Network Technician

MR. CHAIRMAN: First supplementary; Shriman Sanjay Seth.

श्री संजय सेठः महोदय, यूपी में डबल इंजन की सरकार में Defence Industrial Corridor बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्किल्स की जॉब मार्किट को जोड़ने के लिए सरकार ने जो नई 'Education to Employment and Enterprise' Standing Committee बनाई है, वह एक ऐतिहासिक कदम है। मेरा मंत्री जी से यह प्रश्न है कि क्या सरकार डिफेंस कॉरिडोर के पास मौजूदा आईटीआईज़ को CNC machining, drones और aero space manufacturing जैसी एडवांस लैब के साथ अपग्रेड कर रही है? क्या इस नई कमेटी के विज़न के तहत इन ITIs का सीधे industry tie-up, रक्षा उत्पादन बनाने वाली कंपनियों से कराया जा रहा है, ताकि युवाओं को सीधे उनके गृह राज्य से skilled jobs मिल सकें?

MR. CHAIRMAN: Hon'ble Minister.

श्री जयन्त चौधरीः सभापति जी, माननीय सदस्य ने यूपी में जो एक बड़ी व्यापक नीति के तहत रक्षा उद्योग के निर्माण में निवेश को आयोजित और नियमित ढंग से, जो डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से इन्वाइट किया गया है - उस संबंध में सवाल पूछा है। उत्तर प्रदेश के साथ-साथ तमिलनाडु में भी डिफेंस कॉरिडोर का प्रोजेक्ट है and both of these projects are aspirational projects and are of vital national importance. Accordingly, अभी हमारी आईटीआई के लिए जो अपग्रेडेशन स्कीम 'पीएम सेतु' है, मैं उसके लिए कहना चाहूंगा कि देश के अब तक के इतिहास में सबसे व्यापक निवेश आईटीआई की उस बुनियादी संस्था में, इस योजना के तहत होने जा रहा है। इस योजना में पहले भी आईटीआई में जो निवेश हुआ, जैसे आपकी मॉडल आईटीआई की स्कीम आई थी, STRIVE Scheme आई थी, Left-Wing Extremism और North East के क्षेत्रों में आईटीआई के नवीनीकरण के लिए योजना आई थी, इस 'पीएम सेतु स्कीम' में उन पहली योजनाओं से फर्क है और अंतर यह है कि इसमें अनिवार्य है और आवश्यक है कि स्थानीय उद्योग को प्राथमिकता दी जाए। यह जो सात हजार करोड़ का निवेश पाँच साल में होने जा रहा है, देश

Contents Page

भर की सरकारी आईटीआईज़ में लगभग एक तिहाई आईटीआईज, एक हजार आईटीआईज़ में कवर्ड होंगी। उसमें तीस हजार करोड़ रुपये केंद्र सरकार देगी, बीस हजार करोड़ रुपये राज्य सरकारों को देने हैं और हमें दस हजार करोड़ रुपये CSR के माध्यम से industry को onboard करते हुए लाने हैं। यह industry-led SPV structure से क्रियान्वित योजना होने जा रही है, इसलिए जो local SPVs हैं, जो form होंगे, उनके लिए भी यह invite किया जा रहा है कि defence में जो PSUs हैं, और defence में private sector की एक बड़ी भूमिका है, इसलिए हम उसमें उनका ख्याल रखें, ध्यान रखें और उन्हें invite करें।

महोदय, उत्तर प्रदेश में अभी तक आठ industry के clusters के तहत spokes का प्रस्ताव राज्य सरकार ने तैयार किया है। अभी RFPB भी यूपी की सरकार जारी कर चुकी है। वह प्रक्रिया 7th April को समाप्त होगी और उत्तर प्रदेश के defence corridor में जो aligned spokes हैं उस क्षेत्र के, मैं उनका भी जिक्र करना चाहूंगा। महोदय, आगरा में एक spoke है, अलीगढ़ में spoke है, आगरा में hub है, चित्रकूट में एक spoke है। Government ITI झांसी, Government ITI कानपुर, Government ITI लखनऊ - ये सभी defence corridors aligned हैं। जब इन spokes और hubs में industry को invite किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि defence industry को उसमें प्राथमिकता दी ही जाएगी। मैं बताना चाहता हूं कि 169 total trades हैं, जो हम ITI में सिखाते हैं, उनमें से 32 trades defence के साथ aligned हैं और PM-SETU के Component II में, देश भर में पाँच Centres of Excellence create करने की बात रखी गई है। उसमें कानपुर में जो NSTI है, उसे भी शामिल किया गया है और अभी हमने फरवरी के महीने में फ्रांस के साथ एक Letter of Intent भी exchange किया है। वह भी defence industry और aeronautic industry को target करेगा।

MR. CHAIRMAN: Second supplementary, Shri Sanjay Seth.

श्री संजय सेठः सभापति महोदय, यूपी सरकार की एक स्कीम है - ODOP. यह एक national success story बन चुकी है। इसमें Budget में skilling के लिए भारी भरकम आवंटन "Vocal for Local" vision को ताकत दे रहा है। मेरा मंत्री जी से यह प्रश्न है कि क्या यूपी में modernize हो रही ITIs को सीधे उस स्थानीय ODOP clusters के साथ map करने की कोई ठोस policy है? उदारहण के लिए क्या कानपुर की ITI में advanced leather tech machinery या मुरादाबाद में modern brass tech की training दी जा रही है या ऐसा कोई framework है, जिससे ITI pass out छात्र, सीधे हमारे local export hubs की growth को boost कर सकें?

MR. CHAIRMAN: Hon'ble Minister.

श्री जयन्त चौधरीः सभापति जी, यह बिल्कुल है। ODOP is one of our success stories — जैसा कि माननीय सांसद ने बताया है। हम PM-SETU में पूरी flexibility और आजादी, जो समूह हैं, जो पाँच संस्थाएं हैं, जो राज्य सरकार ने चिह्नित की हैं, उन्हें देना चाहते हैं। इसीलिए उसके ऊपर एक SPV का निर्माण होगा औऱ हम उसमें 51 per cent भागीदारी के लिए local industry को, MSME को भी invite कर सकते हैं कि वे उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। यूपी ने जो

Contents Page

आठ cluster दिए हैं, वे ODOP से ही aligned हैं। सर, कानपुर में लेदर प्रोडक्ट, एलुमिनियम यूटेंसिल, जो कि ओडीओपी प्रोडक्ट है, अकॉर्डिंगली लेदर टेक, फुटवेयर फैब्रिकेशन के ट्रेड्स कानपुर के हब एंड स्पोक में पीएम सेतु के अंतर्गत लिए जाएंगे। सर, मुजफ्फरनगर का गुड़ विश्व प्रसिद्ध है। वहाँ पर एग्रो मशीनरी और फूड प्रोसेसिंग के ट्रेड्स के अलाइंड पीएम सेतु में इम्प्लीमेंटेशन होगा। आगरा में भी लेदर और ग्लासवेयर - जो फिरोजाबाद का क्षेत्र है, उसे जोड़कर हम उम्मीद करते हैं कि पीएम सेतु में एक अप्रोप्रिएट इंडस्ट्री पार्टनर को चिन्हित किया जाएगा। गोरखपुर का टेराकोटा, काला नमक राइस, बनाना फाइबर, यानी ceramics, क्राफ्ट ट्रेड्स और गोरखपुर का जीआई टैग टेराकोटा क्लस्टर को टारगेट करके, हम चाहेंगे कि हमारे इंडस्ट्री के पार्टनर्स आगे आएं। बनारस में वीविंग एंड सिल्क टेक्नोलॉजी ट्रेड्स, जो डेडिकेटेड विमेन आईटीआई है, बनारस में उसे इस योजना के अंतर्गत जोड़ा गया है। वह महिला बुनकरों और कामगारों के बीच ही काम करता है। सर, प्रयागराज में नैचुरल फाइबर, क्राफ्ट एंड एग्रो प्रोसेसिंग ट्रेड्स हैं। सर, लिस्ट लम्बी है। मैंने यह उदाहरण के तौर पर पेश किया है कि पीएम सेतु स्कीम ओडीओपी से ही अलाइंड रखा गया और उम्मीद है कि दोनों योजनाओं का समन्वय बनाते हुए, लोकल एमएसएमई units के लिए एक रिसोर्स सेंटर तैयार खड़ा होगा।

MR. CHAIRMAN: Third supplementary; Shri Pramod Tiwari.

श्री प्रमोद तिवारी: श्रीमन्, यह एक अच्छा सवाल है, अच्छा प्रयास है, पर एक बात बता दूँ कि जमीनी हकीकत कुछ दूर है। उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में 26वें नम्बर पर है और अब तकनीकी शिक्षा भी पहुंच गई है, तो यह प्रगति हो रही है, उन्नति हो रही है, यह आप खुद डिसाइड कर लें। महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। चूँकि यह उत्तर प्रदेश से संबंधित सवाल है, तो उत्तर प्रदेश के तहसील लालगंज, प्रतापगढ़ में पिछले सात-आठ सालों से एक आईटीआई की बिल्डिंग बनकर तैयार है, लेकिन उसमें पढ़ाई इसलिए नहीं हो पा रही है, क्योंकि स्टाफ की कमी है, टीचर्स की कमी है। इस कारण से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर उनकी पढ़ाई होती है। मेरे कहने का मतलब है कि उसे खोलने का फायदा क्या हुआ? मेरा सिर्फ एक आग्रह, सीधा सवाल है कि क्या माननीय मंत्री जी, जो स्वयं उत्तर प्रदेश से हैं, निर्देशित करेंगे कि जो आईटीआई बेल्हा, लालगंज में खुली है, वह वहीं चलाई जाए? मैं समझता हूँ कि यह प्रश्न बहुत ही आग्रहपूर्वक है। मैं इसका उत्तर चाहता हूँ। क्या मंत्री जी इसके लिए निर्देश देने की कृपा करेंगे कि उस आईटीआई को बेल्हा, लालगंज में ही चलाया जाए, जहाँ उसकी बिल्डिंग बनी हुई है?

MR. CHAIRMAN: Hon'ble Minister.

श्री जयन्त चौधरी: सर, आईटीआई का फाइनेंशियल और प्रशासनिक कंट्रोल राज्य सरकारों के ही हाथ में होता है। डायरेक्टर जनरल ट्रेनिंग (डीजीटी) इसके अफिलिएशन के लिए काम करती है। चूँकि इस प्रकार के इश्यूज सम्भवतः उठ सकते हैं, कई राज्यों में अपने अलग चैलेंजेज़ होते हैं, इसलिए मैंने एक नई बॉडी के गठन का प्रस्ताव किया है। We are calling it the Strategic Advisory and Reforms Taskforce for Holistic ITI Transformation (SARTHI). सर, इस नेशनल कमेटी में राज्य स्तर के कौशल विकास मंत्री भी मेरे साथ रहेंगे। मैं इस कमेटी को चेयर

Contents Page

करूँगा। इसमें इंडस्ट्री के लोगों को, हमारे स्किलिंग इकोसिस्टम के लोगों को निमंत्रण दिया जाएगा और उस तरह के सुझाव लिए जाएंगे। माननीय सांसद ने एक विशेष आईटीआई को चिन्हित करके बात की है, उसकी विस्तृत जानकारी मैं माननीय सांसद को उपलब्ध करा दूँगा।

MR. CHAIRMAN: Fourth supplementary; Shrimati Rajani Ashokrao Patil.

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिलः सर, मैंने इसके लिए नहीं दिया था, बल्कि प्रश्न संख्या 394 के लिए दिया था।

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Satnam Singh Sandhu.

श्री सतनाम सिंह संधूः सर, पीएम सेतु स्कीम एक रेवोल्यूशनरी और विज़नरी स्कीम है। इसके लिए मैं प्रधान मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सर, 60,000 करोड़ के साथ 2025 में शुरू की गई स्कीम ट्रांसफॉर्मेटिव स्कीम है। मेरा क्वेश्चन पंजाब के संदर्भ में है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि पंजाब में कितने इंडस्ट्री क्लस्टर आइडेंटिफाई किए गए हैं, उनकी पहचान की गई है? साथ ही, स्कीम के अंतर्गत, एंकर इंडस्ट्री पार्टनर्स को स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान देना होता है, वह कितनों ने दिया है? चूँकि पंजाब में एक तरफ हमारी इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही है और दूसरी तरफ हमारा युवा अच्छी स्किल लेने के लिए आगे आ रहा है। मेरा निवेदन है कि मंत्री जी पंजाब के क्लस्टर्स की जानकारी दें और उसमें कितनी इनवेस्टमेंट्स आई हैं, उसके बारे में बताएं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Hon'ble Minister.

श्री जयन्त चौधरीः सर, पंजाब ने क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई किया है। पंजाब में स्टेट स्टीयरिंग कमेटी बनेगी, जो इस पूरी योजना के क्रियान्वयन पर अपनी नज़र रखेगी और नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के दिशा-निर्देश और गाइडलाइंस के तहत काम करेगी। वह भी पंजाब ने फॉर्म कर दिया गया है और स्टेट बजट का अलग हेड भी बना दिया गया है, लेकिन अभी पंजाब ने एंकर इंडस्ट्री पार्टनर के लिए आरएफपी फ्लोट नहीं किया है। हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि पंजाब की सरकार इसमें सहयोग करेगी। पांच सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, जिनका जिक्र मैंने पीएम सेतु के कम्पोनेट 2 में किया था, यह राष्ट्रीय स्तर के ट्रेनर के इंस्ट्रक्शन की फेसिलिटी है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस - पंजाब के लुधियाना में जो हमारा NSTI है, उसको भी चिन्हित किया गया है।

MR. CHAIRMAN: Dr. Ajeet Madhavrao Gopchade.

डा. अजित माधवराव गोपछड़ेः सभापति महोदय, मैं जानता हूं कि यह सवाल उत्तर प्रदेश से सम्बंधित है। मैं महाराष्ट्र राज्य से आता हूं। महाराष्ट्र राज्य के लिए पीएम सेतु योजना की क्या स्थिति है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उद्योगों द्वारा महाराष्ट्र में प्रारंभिक रूप से चयनित हब नागपुर, पुणे और छत्रपती संभाजीनगर है। क्या सरकार राज्य सरकार के सहयोग से इन हबों को महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों में विस्तारित करने में इच्छुक है? मेरा आपसे सवाल है कि देश भर के

Contents Page

सभी आईटीआईज़ में बड़े पैमाने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पाठ्यक्रम शुरू करने की क्या आपके माध्यम से भविष्य में कोई योजना है?

MR. CHAIRMAN: Hon'ble Minister.

श्री जयन्त चौधरी: सर, मैं महाराष्ट्र की जानकारी भी दे सकता हूं। महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने तीन क्लस्टर्स चिन्हित किए हैं। टोटल 15 आईटीआईज़ को पीएम सेतु में महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में, जनपदों में रखा गया है। यह कोई अपर सीलिंग नहीं है। अभी हमें लगभग 1,000 आईटीआईज़ को कवर करना है। राज्य सरकार की तरफ से यदि और भी क्लस्टर्स चिन्हित किए जाएंगे, उनमें भी हम ये सुविधा दे सकते हैं। सर, एआई के new age courses आईटीआईज़ में काफी पॉपुलर हैं। एआई प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का कोर्स, सीआईटीएस, क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम का कोर्स NSTIs में भी चल रहा है। एआई प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का कोर्स काफी पॉपुलर है। बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, बेसिक्स ऑफ जेनरेटिव एआई, बेसिक ऑफ आईटी स्किल्स, इंट्रोडक्शन टू एआई, इस तरह के शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ भी हम आईटीआई के संस्थानों में चला रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Now Q. No. 394.

Child Care Institutions

*394. DR. ASHOK KUMAR MITTAL: Will the Minister of WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether social audits have exposed poor living conditions and inadequate safety protocols within Child Care Institutions (CCIs) across the country;

(b) the reasons for challenges under Mission Vatsalya in ensuring the mental health and nutritional support of vulnerable children;

(c) the details of the shortage of trained counselors, child protection officers and functional juvenile justice boards;

(d) the measures to strictly monitor and shut down unregistered private CCIs; and

(e) the steps taken to increase funding for family-based foster care and to overhaul the institutional care ecosystem?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI SAVITRI THAKUR): (a) to (e) A statement is laid on the Table of the House.

Contents Page

Statement

(a) The Ministry of women and Child Development is the nodal Ministry for the administration of Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (JJ Act, 2015) which is the primary legislation for ensuring safety, security, dignity and well-being of children and is implemented by all the States and UTs including the State of Uttarakhand. The Act creates statutory structures at the State and District levels which include State Child Protection Society (SCPS), State Adoption Resource Agency (SARA), Child Welfare Committees (CWCs), Juvenile Justice Boards (JJBs), District Child Protection Units (DCPUs). It also provides for establishment of Child Care Institutions (CCIs).

Under the JJ Act 2015 (Sections 27-30), the Child Welfare Committees (CWCs) have been empowered to take decisions with regard to the children in need of care and protection, keeping their best interest in mind. They are also mandated to monitor the function of the Child Care Institutions (CCIs). As per Section 106 of the JJ Act 2015, the primary responsibility for the implementation of the Act lies with the State Governments and Union Territory (UT) Administrations. At the national and state level, the JJ Act provides the National/State Commissions for Protection of Child Rights to monitor the implementation of the Act (Section 109).

Inspection Committees are mandated under section 54 of JJ Act, 2015 to visit such facilities housing children. District Magistrate is the nodal authority in the district for children in need of care and protection and to take action on the findings of the report submitted by the Inspection Committees. The Ministry regularly follows up with the State and Union Territory Governments and various advisories have been issued so as to ensure the effective implementation of Mission Vatsalya Scheme.

The Ministry regularly follows up with the State and Union Territory Governments and various advisories have been issued so as to ensure the effective implementation of Mission Vatsalya Scheme.

(b) and (c) The Ministry of Women and Child Development is implementing a Centrally Sponsored Scheme, namely 'Mission Vatsalya', through the State and UT Governments to deliver various services for Children in Need of Care and Protection (CNCP) as well as Children in Conflict with Law (CCL). These services include Institutional Care and Non-Institutional Care. The Child Care Institutions (CCIs) established under the Mission Vatsalya scheme support, inter-alia, age-appropriate education, access to vocational training, recreation, health care, counselling

Contents Page

etc. Under non-institutional care, support is provided to the children through Sponsorship, Foster Care, Adoption and After Care.

As per Mission Vatsalya Guidelines, a CCI having capacity of 50 children can have Special Unit for 10 children with special needs. Similarly, a CCI having the capacity of 25 children can have Special Unit for 5 children.

The scheme provides for Special Educators/therapist and Nurse required for such children in CCIs. The Scheme also provides the institutions, inter-alia, with specialized equipment and materials like Psychological test materials, training materials for speech and language, teaching materials, wheel chairs. CCIs under Mission Vatsalya also provide counselling and psychological support services as a standard component of care. Rehabilitation frameworks include individual care plans, health services, and emotional support mechanisms.

The Ministry of Women and Child Development in collaboration with Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (LBSNAA), Mussoorie has developed an online training module on Juvenile Justice (Care and Protection for Children) Act, 2015 for capacity building of multiple stakeholders such as State Governments and UT Administrations, district authorities and others. Various training and capacity building programmes have been conducted for child protection functionaries and other stakeholders across the States and UTs.

(d) Section 41 of the JJ Act, 2015 mandates every institution which is meant, either wholly or partially, for housing children in need of care and protection or children in conflict with law, to be registered under the Act. The act further provides State Governments the power to grant and cancel registration of Child Care Institutions which provide rehabilitation and reintegration services as specified in section 53 of the Act.

(e) Mission Vatsalya promotes family based non-institutional care of children in difficult circumstances based on the principle of institutionalization of children as a measure of last resort. Under non-institutional care, support is provided to the children through Sponsorship, Foster Care, Adoption and After Care. The scheme provides Rs.4000/- per month to children eligible for non-institutional care (Sponsorship/ Foster Care/ Aftercare) on cost sharing basis.

The Ministry has also issued Model Foster Care Guidelines, 2024 to ensure clarity, efficiency and compliance amongst the stakeholders.

Contents Page

To improve the institutional care system, the Government of India has supported in establishing the statutory and service delivery structures under Mission Vatsalya Scheme, at State and District level namely State Child Protection Society (SCPS), State Adoption Resource Agency (SARA), Child Welfare Committees (CWCs), Juvenile Justice Boards (JJBs), District Child Protection Units (DCPUs) and Child Care Institutions (CCIs). Further, under the Juvenile Justice Amendment Act, 2021, the District Magistrates have been made the focal point for the administration of JJ Act.

MR. CHAIRMAN: First supplementary; Dr. Ashok Kumar Mittal.

डा. अशोक कुमार मित्तलः सभापति महोदय, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि Juvenile Justice Act लागू होने के 10 साल बाद भी न्याय की गुहार लगा रहे बच्चों को एक ऐसे सिस्टम में धकेल दिया गया है, जो खुद अपाहिज है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के मुताबिक 31 अक्टूबर, 2023 तक देश के 362 Juvenile Justice Boards में कुल 1 लाख से अधिक केसेज़ में से 55 परसेंट केसेज़ पेंडिंग हैं। इन बच्चों को हम सुधारने के बजाय तरीकों में उलझा रहे हैं, क्योंकि हर चौथा बोर्ड फुल बेंच के बिना चल रहा है। 30 प्रतिशत के पास लीगल सर्विस क्लीनिक ही नहीं है, न जज हैं और न ही सोशल वर्कर्स हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जब बुनियादी ढांचा ही नदारद है, तो मिशन वात्सल्य के तहत सरकार विशेषज्ञों की सिफारिशों को मानते हुए...

MR. CHAIRMAN: Mittal*ji*, only two minutes are left. Please allow the hon'ble Minister to answer

डा. अशोक कुमार मित्तलः पेन्डेंसी को ट्रैक में लाने के लिए और पारदर्शिता लाने के लिए क्या तुरंत एक National Juvenile Justice Data Grid स्थापित करेगी और जो पेंडिंग है, उसे पूरा करेगी?

MR. CHAIRMAN: Now the hon'ble Minister.

श्रीमती सावित्री ठाकुरः माननीय सभापति महोदय, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 54 के अंतर्गत देश भर में बाल देखभाल संस्थाओं की नियमित निरीक्षण व्यवस्था की जाती है और इसी प्रावधान के अनुसार राज्य जिला स्तर पर निरीक्षण समितियां गठित की गई हैं, जो कि प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार स्थानीय निरीक्षण करती हैं और साथ ही सप्ताह के अंदर प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करती है। वह माह में एक बार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित भी करती है, जहां पर सामाजिक ऑडिट, विषय की धारा 55 के अंतर्गत स्थानीय कार्य का समय-समय पर मूल्यांकन करने की व्यवस्था है और आवश्यकतानुसार तंत्र रूप से त्रैमासिक मूल्यांकन भी करती है। मैं यह भी अवगत कराना चाहती हूं कि बाल देखभाल संस्थाओं का निरीक्षण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि केंद्र शासन और प्रदेश द्वारा

Contents Page

नियमित रूप से की जाती है। सरकार बाल संरक्षण के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस दिशा में हम आवश्यक कदम निरंतर उठा रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

[Answers to Starred and Un-starred Questions (Both in English and Hindi) are available as Part -I to this Debate, published electronically on the Rajya Sabha website under the link https://sansad.in/rs/debates/officials *]*

1.00 **P.M.**

STATUTORY RESOLUTION

MR. CHAIRMAN: Now, Shriman Pankaj Chaudhary to move the Resolution regarding approval of Notification No. 07/2026 - Central Excise dated 26th March, 2026, which seeks to amend the Eighth Schedule to the Finance Act, 2002 in order to levy Special Additional Excise Duty on Aviation Turbine Fuel.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प उपस्थित करता हूँ:

"वित्त अधिनियम, 2002 की धारा 147 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3ख के अनुसरण में, यह सभा एतद् द्वारा अधिसूचना सं. 07/2026-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 26 मार्च, 2026 [सा.का.नि. 2006 (अ), 26 मार्च, 2026] का अनुमोदन करती है, जो विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) [एचएस 2710] पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाए जाने और एटीएफ पर 50 रुपए प्रति लीटर की दर विहित करने के प्रयोजन से वित्त अधिनियम, 2002 की आठवीं अनुसूची का संशोधन करती है।"

The question was put and the motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: Now, further discussion on the motion... ...(*Interruptions*)...

SHRI JAIRAM RAMESH (Karnataka): Sir, I would like you to kindly indicate when the Minister's reply will be given today so that we know when the Bill will be taken up. I have been requesting you to please indicate...

MR. CHAIRMAN: Yes; as soon as the discussion is over, we will take it up.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, how long!

MR. CHAIRMAN: We have fixed the time; we will try to reduce it. They have already agreed for reducing their time. Let us see. Please, I will inform you.

Contents Page

MR. CHAIRMAN: Now, further discussion on the motion for consideration of The Central Armed Police Forces (General Administration) Bill, 2026 moved by Shriman Nityanand Rai on 25th March, 2026. I now call upon the Members whose names have been received for the participation. Now, Shriman Saket Gokhale.

GOVERNMENT BILLS

$The Central Armed Police Forces (General Administration) Bill, 2026

SHRI SAKET GOKHALE (West Bengal): Hon'ble Chairman, Sir, I want to start by presenting a very unique scenario. Imagine you are a person who has worked dedicatedly for an organization for the last, say, 20 to 25 years of your life. You have given all your life to that organization. You have been dedicated to that organization and then suddenly somebody is brought from the outside and made your boss, and is sitting over your head! That happens in the Bharatiya Janata Party, Sir.

But, now, that is also being done in the Central Armed Police Forces through this Bill. Sir, the CAPF -- a lot of people in our country do not know this -- is considered to be the first line of defence in our country. The armed forces form the second line of defence. The CAPF forms the first line of defence. They are posted in deserts, in high altitudes, snow peaks and in hostile terrains. There is a reason, colloquially, the CAPF forces are known as paramilitary forces. The reason for that is, because their job description is much closer to what the armed forces do as opposed to what civilian police does. Therefore, we should take it at face value that civilian policing is very different from the work that the Central Armed Police forces do. When a CAPF officer writes the exam to join as a Group 'A' officer in any of these services, they do it specifically to work in the paramilitary. Similarly, when a person writes the UPSC exam and becomes an IPS officer, they are doing it because they specifically want to work in civilian policing. These two aspects are very different. Just because they call it the Central Armed Police Forces doesn't mean they function and do the duties that a regular civilian police force does. Sir, when we look at this Bill and when the top positions are now being allocated to IPS officers in the CAPF, the question that we should be asking is: In the history of India, has a CAPF officer of the rank, say a Deputy Commandant, ever been appointed as a Superintendent of Police in a district? No, Sir; it has never happened. Are CAPF officers sent on deputation to agencies like the CBI or the other agencies? No, they are not. Then, why is this

$ Further consideration continued on a motion moved on the 25th March, 2026.

Contents Page

discrimination being shown in one direction only? We will have IPS officers exclusively leading forces, whereas CAPF officers are not going to get access and promotions to get to that level in their own forces. Sir, we encounter CAPF personnel on a day-to-day basis. If you go to airports, there is CISF. This Parliament is protected by CISF, which is also a Central Armed Police Force. We should, sometimes, see the working conditions of CAPF personnel deployed in different places. I remember, when we were children, 1993 Bombay riots had happened. Rapid Action Force, which is a battalion of the CRPF, was deployed at the area where we were living. They used to play cricket with us. They had no gifts to give us because they really had nothing to give. They were living in those temporary barracks. They used to give us soap cases because that is the only thing that they had. Sir, they serve in the most hostile places for about 10 to 11 months a year. When they serve on the front, it is already difficult. But, even in civilian postings, when they are sent for riot control or maintaining law and order situations, they stay in temporary barracks. The facilities that are provided to the CAPF personnel are not great. What is ironic is that the CAPF does pretty much similar job as to what the armed forces do. But, sadly, CAPF have never been given even a fraction of the facilities that are extended to other forces. Today, the life of an IPS officer is far more comfortable than the life of an equivalent rank officer in the CAPF, be it a Deputy Commandant or Commandant. The sad part is: To become a commandant in the CAPF, you do about 15 to 18 years of service. Then, you get to rank of Commandant, which is equivalent to a Superintendent of Police in the IPS. In those 15 to 18 years, an IPS officer becomes an IG. We are seeing this very unique situation, in the CAPF, where a CAPF officer joined in 1987, has a boss who has joined in 1997. This is the most humiliating experience for anyone in uniform, where someone 10 years junior to you is coming and becoming your boss. And, with this legislation, you are giving the legal right to them to be their boss and saying you are only going to get up to this level. Beyond that level, it is going to be an IPS officer only.

Sir, why are we systematically destroying the structure of our forces? With the armed forces, you scrapped in recruitment; you brought in the Agniveer Scheme. With CAPF, you are bringing in this Bill. Today, what is the motivation for a young person to join the Central Armed Police Forces? I will give you a simple statistics, which I think may even open the eyes of the Government to this draconian legislation that they are bringing. Sir, in the last 20 years, 1,100 Gazetted officers of the CAPF -- I am talking about Assistant Commandant, Deputy Commandant, Commandant rank officers --died in the line of duty. In the same 20 years, about 30 to 40 IPS officers

Contents Page

were killed in the line of duty. With this Bill, you are telling the young people who want to join the CAPF that you join as Group 'A' officer, we want you to go and take the bullets on the border, but, when it comes to leading your own force, we do not trust you. We are going to bring an IPS officer from Odisha Cadre or somewhere else to sit on your head to lead your force. How fair is that, Sir? You want them to go and take bullets. But, you are not going to give them the right to lead their own force where they have served for 20 plus years! It is extremely unfortunate.

I will tell you the reason why this is being done. It is nothing but a series of politicization of different institutions. But, I will tell you what is going on at the ground level. Sir, I come from a police family. We pretty much understand these dynamics. We are seeing them work out first hand. CAPF Group 'A' officers, be it Assistant Commandant, Deputy Commandant or Commandant, they are serving on the front. They are doing front posting. Also, there is no concept of rest posting in CAPF. So, a CISF officer on a front posting will be guarding a dam on the border. In a 'rest posting', they will be guarding an airport in the city. There is nothing called a 'rest posting' for them. Sir, the thing is that the CAPF officers do not ordinarily come into contact with politicians. कोई काम ही नहीं होता है, कोई लेना-देना ही नहीं होता है। No one is picking up the phone and asking them to do this or do that. On the other hand, by virtue of their jobs, IPS officers are required to maintain regular contact with the political leadership. So what happens? A CAPF officer will never work in the interest of a certain politician or a political party. A CAPF officer today is posted in Punjab. Tomorrow, he or she might be posted in Jammu Kashmir. Then, he or she might be posted in Assam. So, there is no concept of a 'ruling party' for them. It changes depending on where they are going and the areas where they serve. There is no concept of a ruling party or an opposition party. You want to bring in the IPS to head these forces because you want political control over these forces. It is a very dangerous trend. There are certain institutions today that we are very proud of. Despite a lot of disagreements we might have with the Treasury Benches or with the Government, we are proud of the fact that certain institutions — particularly the armed forces — are above politics today. And, that is the reason our country, despite so many challenges on so many fronts, has managed to not just survive but thrive as a democracy. So, the moment you bring politics into matters of national security, it is very dangerous. And, today, that is exactly what is being done with the CAPF. It is incomprehensible as to what the purpose behind this Bill is. One thing that we can *prima facie* see is that this is turning into a job-creation scheme. I will tell you why. There are several retired IPS officers here in this House as well who are hon'ble

Contents Page

Members. About 25-30 years ago, the head of a State police used to be an IGP-rank officer. आईजीपी से ऊपर डीजीपी होता था। आईजीपी रैंक होता था। But, today, we have at least six to seven officers of DGP rank within a certain State. Then, you have created the post of Additional DG. Now, there is a Director General of Police in charge of the State police, plus you have postings like DG (Housing), DG (Home Guards), DG (Fire Services), etc. Why is this being done? In the Army, it is very different. You get up to a Colonel and then the pyramid starts narrowing. You either retire as a Colonel or, if you are really meritorious, you rise to the rank of a General. That is not the case with the police forces. In the police forces, you want to accommodate as many IPS officers as you can at the top. So, now, the Central Armed Police Forces have become a place to park IPS officers. I will tell you how politicisation works. I am seeing this in my State happening right now. In 2021, elections were held in eight phases in Bengal. There were 1,071 companies of CAPF that were deployed — eight phases, 1,071 companies. Fine! It was a long election. Now, there is an election in twophases and the deployment has been increased from 1,071 to 2,400 companies. Sir, I wish the Government would have brought in a Bill to care about the welfare of CAPF personnel. Today, we are going to have these 2,400 companies in Bengal. There is an LPG shortage. It is now the State Government's concern how we are going to feed all these officers and ensure their welfare when there is a massive shortage of LPG in the market. The Union Government doesn't care. For them, it is a political agenda — just deploy the Central Forces and let the West Bengal Government handle it. I only wish that instead of bringing Bills like these, the Government would bring in a Bill to ensure more facilities and better welfare for CAPF officers.

Today let me talk about the ground reality. This is not about politics. See whether the children of IPS officers go to school comfortably, and then see whether the children of CAPF officers go to school. Why have we created this dual system? These are the officers who give their lives for the country. Why have we created such a system where they don't get respect outside, among the public, because they never interact with the public, and you are not giving them respect within their own force as well? They work with their men and women for 20 years but, suddenly, you are telling them they are not fit to lead this force. Only an IPS officer who will come for 5 years — they are going to spend 3 years just learning about the force -- how are they going to lead that armed police force? Sir, this Bill has been brought, -- I don't know for what malicious reason -- but I humbly request that this Bill should be withdrawn. The Government should think more about the welfare of the CAPF, rather

Contents Page

than trying to use the CAPF as a political militia under IPS officers. Thank you very much, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Saket Gokhale*ji*. Next, Dr. John Brittas; hon'ble Member not present. Next, Shriman Kartikeya Sharma; hon'ble Member not present. Now, Shriman Brij Lal.

श्री बृज लाल (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, आपने मुझे 'केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026' पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। उपसभापति महोदय, यह विधेयक सीएपीएफ में ग्रुप-ए जनरल ड्यूटी अधिकारियों के लिए एक समान एकीकृत ढांचा स्थापित करता है। इसका उद्देश्य भर्ती और सेवा शर्तों में एकरूपता लाना, कानूनी स्पष्टता बढ़ाना और सेवा से जुड़े विवादों के मुकदमों को कम करना है।

उपसभापति महोदय, देश की आजादी के बाद कई सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज़ बनीं। बीएसएफ 1965 में बनी, आईटीबीपी 1962 में बनी, सीआईएसएफ 1969 में बनी। जब देश आजाद हुआ, उस समय जो सरकार थी, उसको चिंता करनी चाहिए थी कि हमारी बॉर्डर्स सबसे इंपोर्टेंट हैं और उनके लिए उसे पैरामिलिट्री फोर्सेज़ बनाना चाहिए था। केवल सीआरपीएफ ऐसी थी, जो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव फोर्स कहलाती थी और यह 1937 में बनी थी। यह बाद में 1949 में सीआरपीएफ बनी।

महोदय, मुझे इस बात का गर्व है कि हम उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अफसर रहे हैं। उत्तर प्रदेश कैडर की हमारी जो आर्म्ड फोर्स, Provincial Armed Constabulary (PAC) है, उसका मैं डीजी भी रहा और तीन बटालियन का कमांडिंग ऑफिसर रहा। उसने आजादी के बाद बॉर्डर गार्ड करने की ड्यूटी की है। महोदय, China war के बाद पहले तो "हिंदी-चीनी भाई-भाई" होता रहा, गार्डिंग की कोई व्यवस्था नहीं की गई और आज ये CAPF - CAPF बोलते हैं। महोदय, मैंने भी as a Commanding Officer काम किया है। अभी ये कह रहे थे कि नहीं साहब, सब उनको ही देना चाहिए। क्यों नहीं? उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ battalions raise किये थे - India Reserve Battalion. मैं यूपी के 31st Reserve Battalion PAC का Commanding Officer था। मैं जनवरी, 1984 में अपनी बटालियन लेकर असम के लखीमपुर में गया था, फिर lower Assam में नलबाड़ी, बरपेटा, न्यू बोंगईगांव गया था, जब असम की स्थिति खराब थी। हमारी चार बटालियंस थीं। China war के बाद असम में पीएसी गई थी। हमारी चार बटालियंस थीं upto 1971 India-Bangladesh war.

महोदय, ये जो Armed Forces हैं, इनमें एक अनुभव की जरूरत होती है। महोदय, जब सरदार पटेल जी ने Article 312 of the Indian Constitution के तहत All-India Services बनाने का निर्णय लिया, तो उन्होंने कहा था - This All-India Services is steel frame of the country. इसके steel frame कौन बने थे? वे आईएएस और आईपीएस बने थे। आईएएस आजादी के पहले आईसीएस, यानी इंडियन सिविल सर्विस कहलाता था और आईपीएस इंपीरियल पुलिस, यानी

Contents Page

आईपी कहलाता था। महोदय, सरदार पटेल जी की परिकल्पना 'steel frame' की थी। 1963 में एक और All-India Service बनी, जो कि Indian Forest Service थी, जिसमें पहली रिक्रूटमेंट 1968 में हुई। महोदय, ऑल इंडिया सर्विस के जो अफसर थे, स्पेशियली आईपीएस, इनको कहा गया कि ये steel frame हैं। सर, ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विस के ऑफिसर्स को भारत सरकार सेलेक्ट करती है, भारत सरकार हमारी ट्रेनिंग करवाती है और केवल ऑल इंडिया सर्विसेज में कैडर अलॉटमेंट का प्रावधान है, हमें कैडर अलॉट होता है। जब हम 1977 बैच में सेवा में आए, तो उस समय होता था -50 per cent insider and 50 per cent outsider. इसके पीछे theme यह था कि कम से कम 50 per cent outsider रहेगा, तो उस पर local politics का प्रभाव नहीं रहेगा। उसके बाद, जब पंजाब में प्रॉब्लम हुई, तो मैं Punjab terrorism में भी लड़ा। जब मैं एसपी, पीलीभीत था, that was an extension of Punjab. मैं खुद जाकर पंजाब में लड़ा हूँ। सर, उस समय कुछ ऐसी स्थिति पैदा हुई कि तब भारत सरकार ने एक निर्णय लिया। उस समय माननीय राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे। तब भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि अब केवल one-third insider and two-third outsider होगा। सर, यह 'steel frame' है - Nation First, देश की एकता, अखंडता फर्स्ट। सर, इसीलिए यह All-India Services देश की एकता और अखंडता के लिए बनी, जिस पर मुझे गर्व है।

महोदय, मैं अपने कांग्रेस के मित्र का भाषण बड़े ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने बड़े भावनात्मक तरीके से बताया कि CAPF के अफसर पसीना बहाते हैं, परेड ग्राउंड की घास उनके पसीने से जमती है। इस तरह से उन्होंने एक लंबा-चौड़ा भाषण दिया। महोदय, हम भी कम पसीना नहीं बहाते। हमारी भी ट्रेनिंग होती है। वह as a Constable ट्रेनिंग करता है, हम उससे ज्यादा पसीना बहाते हैं। मुझे बड़ा गर्व है कि हमारे डायरेक्टर First Batch 1948 के श्री राजदेव सिंह थे, जो कि बिहार कैडर के थे। वे मेरे डायरेक्टर और गुरु थे। मुझे इस बात को कहने में बड़ी प्रसन्नता है कि मैं अभी पंडारा पार्क के उसी मकान में रह रहा हूँ, जिसमें मेरे गुरु, राजदेव सिंह जी, Director, CBI रहे। महोदय, वे first batch के topper थे और हमारी पुलिस एकेडमी में डायरेक्टर थे। जब उन्हें Director, CBI बनाया गया, तो शाह कमीशन की रिपोर्ट पर उन्हें कार्रवाई करने को कहा गया, लेकिन सरकार बदल गई। जब सरकार बदल गई, तो एक दिन राजदेव सिंह साहब को एक राजकुमार का फोन आया। उनसे कहा गया - आरडी, शाह कमीशन की रिपोर्ट की फाइल लाओ। उन्होंने कहा - सर, यह संभव नहीं है। You are MP only. अगर गृह मंत्री जी का लिखित में ऑर्डर आएगा, only then I can send my file. राजदेव सिंह जब एक दिन दफ्तर में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि राजकुमार उनकी चेयर पर बैठा हुआ था और उसका पैर मेज़ पर था तथा तत्कालीन गृह मंत्री बगल में बैठे हुए थे। जब उन्होंने कहा, 'फाइल लाइए', तो उन्होंने कहा कि "संभव नहीं है।" इस पर उन्होंने कहा, 'Then you are sacked." उस समय यह होता था। राजदेव सिंह जी को बिहार कैडर से repatriate कर दिया गया। उन्होंने instruction दिया कि इनको कहीं पोस्टिंग न दी जाए। वह रेलवे स्टेशन पर गए, sleeper class में बैठे और रांची जाकर कामरे वाले बाबा के आश्रम में शांति के लिए रहने लगे, लेकिन उनको इतना तंग किया गया कि 22 अप्रैल 1986 को, he died at the age of 62. सर, मैं उसी मकान में रह रहा हूं, इसलिए मुझे यह बात कहना आवश्यक लगता है। अब शहादत की बात है, तो मैं आज उन सभी जवानों को सैल्यूट

Contents Page

करता हूं — चाहे वे सीएपीएफ के हों, फौज के हों, स्टेट पुलिस के हों या आईपीएस ऑफिसर्स हों — सबने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपना खून बहाया है।

महोदय, मुझे एक चीज कहने पर गर्व है कि पहली शहादत उत्तर प्रदेश के आईजी जी. एस. आर्या ने दी थी। वे 1950 बैच के थे। वह deputation पर आइजोल, मिजोरम में तैनात थे। 13 जनवरी 1975 को, जब वे अपने दफ्तर में बैठे थे, उनके डीआईजी एल.बी. सेवा, असम कैडर और एसपी सीआईडी, के. पंचपगेशन भी वहां मौजूद थे। उसी समय मिजो आतंकवादियों ने दफ्तर में घुसकर उन पर हमला करके मार दिया था। उन्होंने यह शहादत दी। मैं उन्हें हृदय से सैल्यूट करता हूं। इसके अलावा, पंजाब में, we lost A.S. Atwal (1969 बैच), अजीत सिंह (1968 बैच), गोविंद राम (1975 बैच), शीतल दास (1976 बैच), अमरिंदर सिंह बराड़ (1979 बैच) के. आर. एस. गिल (1982 बैच) इतने आईपीएस ऑफिसर्स हमने पंजाब में खोए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे सीआरपीएफ के जवानों ने भी बहुत बड़ा बलिदान दिया है। लेकिन कभी-कभी यह कहा जाता है कि आईपीएस ऑफिसर्स एक कमरे में रहते हैं।सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम भी लड़ते हैं और मैं स्वयं लड़ा हूं। मेरी शहादत भी 16 फरवरी, 1981 को प्रयागराज में हो गई होती। मेरे साथ दो सिपाही और एक सब-इंस्पेक्टर शिवरतन थे। एक पुलिया पर रात 11 बजे, दोनों तरफ से ambush करके फायरिंग की गई। मेरे हाथ में Sten gun थी। मैंने फायरिंग करके जवाब दिया और एक सब-इंस्पेक्टर तथा दो सिपाहियों के साथ मिलकर मुकाबला किया और उन्हें भगा दिया। उसके बाद मैंने अपने एसएसपी से कहा था कि जब तक मैं उन्हें पकड़ नहीं लूंगा और अंजाम तक नहीं पहुंचा दूंगा, तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा। महोदय, मैंने वही किया। जब मैं कोर्ट में गया, तो मैंने कहा— "मैं जमानत oppose नहीं करूंगा। Come out." मैंने कहा, "तुम्हारे ऊपर अगर मैं NSA लगा दूं, तो तुम साल भर के लिए अंदर हो जाओगे और तब तक मेरा प्रमोशन हो जाएगा और मेरा तबादला हो जाएगा।" सर, 5 अक्टूबर, 1981 को मैं एसपी बना और उनकी हैसियत नहीं हुई कि वे जमानत करा सकें। इसके अलावा, महाराष्ट्र कैडर में हमने हेमंत करकरे (1982 बैच) को खोया, अशोक कामटे (1989 बैच) को खोया। बिहार कैडर में हमने रणधीर प्रसाद वर्मा (1974 बैच) को खोया, जिनकी पत्नी को बाद में भारतीय जनता पार्टी ने सांसद और मंत्री बनाया। हमने बिहार में विनोद कुमार चौबे को खोया और असम में के. के. सिंह को खोया। सर, एक-दो नहीं, बल्कि कितनी शहादतें हमने आईपीएस अधिकारियों की देखी हैं और मैं यह कहना चाहता हूं कि टेररिज्म से लड़ने के लिए, नक्सलवाद से लड़ने के लिए, सबने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है।

सर, जब हम किसी operation या law and order की स्थिति में काम करते हैं, तब हम public का सहयोग लेते हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सलवा जुडूम बनाया गया। उन्हें Special Police Officer बनाया गया और हमें अधिकार दिए गए, लेकिन उस समय जो Leftist forces थीं, उन्हें यह पसंद नहीं आया और सलवा जुडूम को बैन कर दिया गया और जब सलवा जुडूम खत्म हुआ, तो 300—400 लोगों को नक्सलियों ने मार दिया। मैं उन सभी को भी सैल्यूट करता हूं। उसके बाद सीएपीएफ, स्टेट पुलिस के साथ-साथ DRG, District Reserve Guard, का सहयोग लिया गया। वे भी लड़े हैं। 31 मार्च अभी कल ही बीता है, और हमने कई क्षेत्रों को नक्सल-मुक्त कराया है, जो कि उनका Red Corridor बन चुका था।

Contents Page

महोदय, मैं आज अपने गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को और प्रधानमंत्री मोदी जी को सैल्यूट करता हूं, साधुवाद देता हूं, जिनके प्रयास से यह खत्म हुआ। सर, सलवा जुडूम के हैड कांग्रेस के महेंद्र कर्मा जी थे और झीरम घाटी में कांग्रेस के एक्स मिनिस्टर विद्या चरण शुक्ल जी, कर्मा जी, पटेल जी सबको मार दिया गया था। 2010 में छत्तीसगढ़ में एक-साथ 76 जवान शहीद हुए थे, लेकिन मनमोहन सिंह जी ने बड़ी चिंता व्यक्त की कि यह जो नक्सलवाद है, यह हमारी एकता, अखंडता के लिए सबसे बड़ी बाधा है। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल थी, उसमें कैसे-कैसे लोग थे? मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन उन्होंने कार्रवाई नहीं करने दी। जिसका अंजाम हमने भुगतना पड़ा। अब आईपीएस ऑफिसर के डेपुटेशन की बात आती है। आईपीएस ऑफिसर हमेशा डेपुटेशन पर रहा है और हम तो एसपी रैंक पर रहे हैं। मैं भी as Chief Security Commissioner डेपुटेशन पर रहा हूं। नॉर्थ-ईस्टर्न रेलवे में पहले डीआईजी और फिर आईजी के पद पर रहा हूं। मैंने सात बरस तक माननीय रामविलास पासवान जी और माननीय नीतीश कुमार जी के साथ काम किया है। अभी जो यह नया एक्ट बन रहा है..., पहले हम एसपी तक जाते थे। उनके प्रमोशन के लिए सीएपीएफ में बीस परसेंट डीआईजी रहते थे, अब वहां पर डीआईजी रैंक तक उनको प्रमोशन की सुविधा दी गई है। इसके अलावा आईजी में 50 परसेंट और स्पेशल डीजी और डीजीपी में 100 परसेंट आईपीएस का नेतृत्व है। यह क्यों है? हम स्टेट में आते हैं। नीचे से लेकर के हम वहां तक काम करते हैं और एक चीज़ कही गई, जिसका मैं जवाब जरूर दूंगा कि स्टेट में गलत काम किए, तो सेंटर में ले आए। सेंटर में ऐसे नहीं आते हैं। सेंटर के लिए हर रैंक पर empanelment होता है। मेरे यूपी कैडर में 16 आईपीएस ऑफिसर्स थे और डीजी के लिए केवल मैं empanelment था। जब तक इनमें empanelment नहीं होगा, आप आ ही नहीं सकते। मैं empanelment में डीजी हुआ। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उन्होंने मुझे आने नहीं दिया, नहीं तो मैं एक्स डीजी, सीआरपीएफ कहलाता। जब मुझे नहीं आने दिया, तो मैं यहां आ गया। मेरी पोस्टिंग की, तो काम कम था, तो मैं राइटर बन गया। उसके लिए मैं समाजवादी पार्टी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं कि उन्होंने एक फाइटर को राइटर बना दिया। इसलिए आईपीएस ऑफिसर ने सबसे बड़ी चीज लिखी है। इसके अलावा, Law and order is a State subject होता है। जो स्टेट में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज़ जाती हैं, वे स्टेट सरकार की गाइडेंस में काम करती हैं। हम लोग आईपीएस ऑफिसर होते हैं और हमारे ही साथी आईएएस ऑफिसर होते हैं। Law and order करने में उनका भी बड़ा रोल होता है। सेंट्रल पैरामिलिट्री में आइसोलेशन काम नहीं करती है। इसका सबसे बड़ा काम समन्वय बनाना होता है। समन्वय बनाने के लिए, पब्लिक का सहयोग लेने के लिए आईपीएस ऑफिसर के अनुभव की जरूरत होती है। इसीलिए Deputation of an IPS Officer is a must. यह जो बिल है, उसको इसने एक कानूनी जामा पहना दिया है ...(**समय की घंटी**)... सर, मैं एक मिनट का समय लूंगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का भी सम्मान है और जहां तक हमारे सीएपीएफ के ऑफिसरों के कैरियर का सवाल है, दोनों का समन्वय रखा है।

महोदय, मैं एक चीज़ और कहूंगा। सीएपीएफ के ऑफिसर के equivalent डीएसपी रैंक के ऑफिसर आते हैं। स्टेट में डीएसपी आते हैं और जब उनका प्रमोशन होता है, तो 33 परसेंट स्टेट में प्रोमोटिड ऑफिसर और 67 परसेंट डायरेक्ट आईपीएस ऑफिसर हैं। इनकी चले तो कहेंगे

Contents Page

साहब, बस उन्हीं को वहां तक जानने दीजिए। ऐसी बात नहीं है। यह जो स्टील फ्रेम है, जिसमें ऑल इंडिया सर्विस के आईपीएस ऑफिसर स्टील फ्रेम के पिलर हैं, उनकी जरूरत है, जरूरत रहेगी। उपसभापति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जयराम रमेश (कर्नाटक)**:** उपसभापति महोदय, माननीय सांसद ने 1980 में गृह मंत्री के ऑफिस में क्या हुआ, उसकी कहानी हमें सुनाई है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि माननीय सांसद से कहें कि वह कहानी ऑथेंटिकेट करें। ..(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः ..प्लीज़ आप अपनी जगह पर जाकर बैठिए। Shri Ramji; not present. Dr. Ajeet Madhavrao Gopchade.

डा. अजित माधवराव गोपछड़े (महाराष्ट्र)**:** माननीय उपसभापति महोदय, मैं आज इस सदन में एक महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह सिर्फ एक विधेयक नहीं है, बल्कि यह भारत की सुरक्षा व्यवस्था को वर्षों की लापरवाही से बाहर निकालने का एक निर्णायक कदम है। महोदय, यह सच्चाई तो कड़वी है, लेकिन आज इस सदन में इसे कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि दशकों तक कांग्रेस की सरकारों ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को बिखरे हुए कानूनों के भरोसे छोड़ दिया था। कोई एकीकृत ढांचा नहीं था, कोई स्पष्ट नीति नहीं थी, सिर्फ भ्रम था, देरी थी और मुकदमे थे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे जवान इस लापरवाही के हकदार थे? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा उनके लिए प्राथमिकता नहीं थी? महोदय, आज जो काम यह सरकार कर रही है, माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमितभाई शाह जी के नेतृत्व में, यह काम तीस-चालीस साल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने कभी इसमें इच्छाशक्ति नहीं दिखाई। उनके समय नीतियां बिखरी हुई थीं, निर्णय लेने में देरी होती थी, सुरक्षा बलों के बीच समन्वय लगभग न के बराबर था और उसका परिणाम क्या हुआ? उसके परिणाम में दंतेवाड़ा जैसी दर्दनाक घटनाएं हुईं, जहां हमारे छिहत्तर जवान शहीद हो गए। यह सिर्फ एक घटना नहीं थी,बल्कि यह कांग्रेस की विफल नीतियों का परिणाम था।

महोदय, आज तस्वीर बदल चुकी है। हमने आपको कांग्रेस सरकार और अभी हमारे प्रधान मंत्री मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में जो किया गया है, उसका कंपेरिजन बताया है। अब वामपंथी उग्रवाद तेजी से घट रहा है। इतना ही नहीं पूरा देश नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है, वामपंथी उग्रवाद इस देश से बाहर निकल गया है, तड़ीपार हुआ है, हिंसा की घटनाएं ऐतिहासिक रूप से कम हुई हैं, जो प्रभावित जिलों की संख्या है, उसमें भारी मात्रा में गिरावट आई है।

महोदय, यह बदलाव अपने आप नहीं आया है। यह बदलाव एक मजबूत नेतृत्व, स्पष्ट नीति, राजनीतिक इच्छाशक्ति का परिणाम है। आज सीएपीएफ में जो सुधार हो रहा है, यह सिर्फ प्रशासनिक बदलाव नहीं है, यह मानसिकता का भी बदलाव है।

उपसभापति महोदय, पहले जवान सिस्टम से लड़ते थे, आज सिस्टम जवानों के लिए काम कर रहा है। यह फर्क भाजपा सरकार ने पैदा किया है। कांग्रेस ने वर्षों तक सीएपीएफ और

Contents Page

राज्य पुलिस के बीच समन्वय को नजरअंदाज किया था, लेकिन आज इस विधेयक के माध्यम से आईपीएस अधिकारियों की संरक्षित भूमिका से एक मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा नेटवर्क तैयार किया जा रहा है।

माननीय उपसभापति महोदय, जहां कांग्रेस ने समस्याएं छोड़ी थीं, वहां मोदी सरकार समाधान दे रही है। अगर हम आधुनिकीकरण की बात करें, तो पहले सिर्फ फाइलें चलती थीं, लेकिन आज ड्रोन उड़ते हैं। पहले योजनाएं बनती थीं, आज जमीन पर काम हो रहा है। पंद्रह सौ करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं में आधुनिक उपकरण, बेहतर निगरानी प्रणाली आदि इसीलिए दिखती हैं, क्योंकि हमारी यह सरकार गंभीरता से काम कर रही है।

महोदय, सबसे महत्वपूर्ण हमारे जवानों की बात है। कांग्रेस के समय में क्या था? उस समय आवास की कमी थी, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी थी, परिवारों के लिए कोई ठोस समर्थन नहीं था, लेकिन आज हजारों नए घर जवानों के लिए बनाए जा रहे हैं, लाखों स्वास्थ्य कार्ड बनाए जा रहे हैं, शहादत पर भी बड़ी सहायता होने लगी है। महोदय, यह सिर्फ नीति नहीं है, बल्कि संवेदनशीलता है।

महोदय, आज देश जानता है कि कौन सिर्फ राजनीति करता है और कौन राष्ट्रहित में निर्णय लेता है। कांग्रेस ने वर्षों तक देरी की, भ्रम पैदा किया। कांग्रेस ने हमेशा देरी की, भ्रम भी पैदा किया, सुरक्षा को कमजोर किया, लेकिन भाजपा सरकार ने निर्णय लिया, सुधार किया, देश को सुरक्षित बनाया। उपसभापति महोदय, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि यह विधेयक भारत की सुरक्षा व्यवस्था को नई ऊँचाई देगा। जो लोग इसका विरोध करते हैं, मुझे लगता है कि उन्हें देश की सुरक्षा से ज्यादा राजनीति की चिंता है।

माननीय उपसभापति महोदय, माननीय प्रधान मंत्री, मोदी जी ने हम जैसे सांसदों से आह्वान किया था कि सभी सांसदों और मंत्रीगणों को सीमावर्ती भागों में जाकर वहाँ के नागरिकों और सुरक्षा जवानों के साथ एक संवाद और समन्वय स्थापित करना चाहिए। माननीय उपसभापति महोदय, हमारे शिलांग के पास एक डॉकी है। मैंने गत वर्ष उन सुरक्षा बलों के साथ वहाँ दो रातें गुजारीं। वहाँ पर बीएसएफ के जवान थे, मैंने उनके साथ रात गुजारी। ऐसे ही अगरतला, त्रिपुरा के पास लंकामुरा नामक गांव स्थित है। मैंने इस साल वहाँ पर जाकर भी मुक्काम किया। मैं उन केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सारे जवानों और ऑफिसरों के साथ रहा, तो उन्होंने मुझे समस्याएं बताईं कि पहले प्रशासन उनके साथ समन्वय नहीं करता था। उन्होंने यह बताया कि उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं मिलती थीं। उनके किसी सुख-दुख की जानकारी भी नहीं होती थी। उनके स्वास्थ्य के बारे में और उनके परिवार के स्वास्थ्य के बारे में भी उनसे कोई सहानुभूतिपूर्वक चर्चा नहीं करता था। मैंने उनसे पूछा कि 2014 से पहले और बाद में परिस्थिति में क्या परिवर्तन आया है। माननीय उपसभापति महोदय, जब से प्रधान मंत्री जी आए हैं, जब से उन्होंने उनके साथ दिवाली मनानी चालू कर दी है, इन सारे सशस्त्र बलों के सैनिकों ने और अधिकारियों ने यह बताया है कि तब से हमारा तो मनोबल ही बढ़ा है, लेकिन अगर हममें इस देश की सुरक्षा के लिए खुद को त्याग और समर्पित करने की भावना किसी वजह से निर्माण हुई है, तो प्रधान मंत्री, मोदी जी की वजह से

Contents Page

हुई है। यह मुझे हमारे सारे सुरक्षा बलों के ऑफिसरों ने बताया है। उन्होंने बताया कि हमारे जीवन में दिवाली आई है। हमारे जीवन में एक प्रकार का सुख, शांति और समृद्धि आई है। हमारे इस जीवन में हम सारे लोग खुद को सुरक्षित मानने लगे हैं। ये सारे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, ये सीएपीएफ के जवान और अधिकारी, चाहे बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी के लोग हों, इन सारे लोगों ने हमारे साथ में प्रधान मंत्री जी को लेकर, इस सरकार को लेकर बहुत ही खुशियाँ जताई हैं। इसके लिए मैं उनके ऊपर अभिमान व्यक्त करता हूँ और हमारी सरकार के ऊपर भी अभिमान व्यक्त करता हूँ।

उपसभापति महोदय, वर्षों तक देश की आंतरिक सुरक्षा सम्भालने वाले दस लाख जवानों को एक एकीकृत कानूनी ढांचे से वंचित रखा गया। यह पुरानी सरकारों की अदूरदर्शिता का परिणाम था। पाँचों सीएपीएफ के लिए कोई एक समान कानून नहीं था, जिससे सेवा संबंधी सभी विसंगतियाँ पैदा हुईं। हमारे जवानों को न्याय के लिए अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते थे। हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले, आंतरिक अशांति से लोहा लेने वाले दस लाख से अधिक जवानों के भविष्य की सुरक्षा का बीड़ा मोदी सरकार ने जो उठाया है, मुझे लगता है कि यह बिल इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है। माननीय उपसभापति महोदय, भारत को बाहर से सेना बचाती है, लेकिन भारत को अंदर से कौन बचाता है? हमारे न्यूक्लियर स्टेशन्स, हमारे एयरपोर्ट्स, सीमाओं पर घुसपैठ रोकने का कठिन कार्य हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस (सीएपीएफ) करती हैं। दशकों से ये बल एक पैचवर्क नियमों और एडहॉक व्यवस्था के सहारे चल रहे थे, जिससे सेवा संबंधी विसंगतियाँ और अदालती मुकदमे बढ़ते जा रहे थे। मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार एक अम्ब्रेला कानून लाया गया है, जिसके अंतर्गत सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी के लिए एक समान और पारदर्शी प्रशासनिक ढांचा प्रदान किया जाएगा। इस व्यवस्था से भर्ती, पदोन्नति, अनुशासन से जुड़े नियमों में स्पष्टता आएगी, जिससे अनावश्यक मुकदमों का अंत होगा। हमारे सुरक्षा बल अपने कर्तव्यों पर बेहतर ढंग से ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। उपसभापति महोदय, यह बिल विधायी स्पष्टता भी सुनिश्चित करता है और अदालती निर्देशों को प्रशासनिक आवश्यकताओं के साथ भी जोड़ता है। महोदय, सरकार ने इस बात को गहराई से समझा है कि आंतरिक सुरक्षा केवल हथियारों से नहीं, बल्कि जवानों के ऊंचे मनोबल से सुनिश्चित होती है। इस विधेयक की एक ऐतिहासिक विशेषता यह है कि डीआईजी स्तर पर आईपीएस अधिकारियों के लिए निर्धारित 20 परसेंट प्रतिनियुक्ति कोटे को हटाने का भी प्रावधान इसमें किया गया है। इसका सीधा अर्थ है कि अब सीएपीएफ में उनके कैडर अधिकारियों के लिए पदोन्नति के द्वार खुलेंगे, जिससे लगभग 13,000 ग्रुप-ए अधिकारियों का मनोबल बढ़ेगा। यह मोदी जी के नेतृत्व में लिए गए संकल्प का एक हिस्सा है। यहां जमीनी स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों को भी उनका हक दिया जा रहा है। साथ ही यह विधेयक केंद्र-राज्य संबंधों के और बेहतर समन्वय के लिए आईपीएस अधिकारियों की वरिष्ठ नेतृत्व स्तर पर भूमिका को भी कानूनी आधार प्रदान करता है। सरकार का मानना है कि राज्यों के साथ समन्वय और खुफिया जानकारी साझा करने में आईपीएस अधिकारियों का व्यापक अनुभव अत्यंत सहायक होता है। इससे उग्रवाद विरोधी अभियानों में एकीकृत कमान, जिसे हम इंटीग्रेटेड कमांड बोलते हैं, वह सुनिश्चित होगी।

Contents Page

माननीय उपसभापति महोदय, मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9-10 वर्षों में आंतरिक सुरक्षा के परिदृश्य में बहुत बदलाव आया है। मैं आपको इन आंकड़ों को स्पष्ट रूप से बताना उचित समझता हूं। वामपंथी उग्रवाद और नक्सलवादी घटनाओं में भारी गिरावट आई है। 2010 में जो 1,936 घटनाएं थीं, वे अब घटकर 222 रह गई है। मौतों की संख्या में भी 73 परसेंट की कमी आई है। अगर हम 2004 से 2014 के बीच के विफल कालखंड की तुलना आज से करें, तो आंकड़े पिछली सरकार की विफलता की गवाही देते हैं। उस समय आंतरिक सुरक्षा के प्रति कोई ठोस संकल्प नहीं था, जिसके कारण नक्सली हिंसा चरम पर थी। कांग्रेस समर्थित शासन के दौरान सुरक्षा कर्मियों और आम नागरिकों की मौतों का जो सिलसिला शुरू हुआ था, उस पर लगाम लगाने की कोई इच्छाशक्ति नहीं दिखाई गई। महोदय, मोदी सरकार के नेतृत्व में अपनाई गई ज़ीरो टॉलरेंस नीति और हमारे जवानों को दी गई प्रशासनिक स्वायत्ता का यह परिणाम है। पिछली सरकारों ने हमारे जवानों की सुरक्षा के साथ-साथ उनके कल्याण और मानवाधिकारों के बारे में भी गंभीर उपेक्षा की है। 2014 से पहले ऐसी स्थिति थी कि जो जवान 18,000 फीट की बर्फीली ऊंचाइयों, दुर्गम सीमाओं और घने जंगलों में देश की रक्षा कर रहे थे, उनके लिए न तो समुचित आवास की व्यवस्था थी और न ही उनके और उनके परिवारों के लिए सम्मानजनक स्वास्थ्य और सुरक्षा की गारंटी थी। यह केवल प्रशासनिक कमी नहीं, बल्कि संवेदनहीन शासन का यह परिचय था। इसके विपरीत वर्तमान सरकार ने जवानों को केवल सुरक्षा बल के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्र सेवा में समर्पित परिवारों के रूप में देखा है। इसलिए मैं प्रधान मंत्री मोदी जी का उनकी इस सेवा के लिए अभिनंदन करना चाहता हूं। यह विधेयक जवानों के परिवारों के लिए समर्पित है। इस सोच के तहत ई-आवास पोर्टल के माध्यम से 16,000 नए आवास उपलब्ध कराए गए हैं। आयुष्मान सीएपीएफ योजना के जरिए जवानों एवं उनके परिवारों को कैशलेस उपचार की भी सुविधा सुनिश्चित की गई है, जो दर्शाता है कि अब देश अपने रक्षकों के सम्मान, सुविधा और गरिमा के प्रति गंभीर है। पहली बार सीआईएसएफ की महिलाओं की एक पूरी बटालियन, ऑल वुमेन बटालियन की मंजूरी दी गई है, जो नारी शक्ति के प्रति हमारा दृष्टिकोण भी दर्शाता है। जब एक जवान को पता होता है कि उसकी पदोन्नति समय पर होगी और उसके परिवार का स्वास्थ्य सुरक्षित है, तो उसकी मानसिक शक्ति दोगुनी होती है। यह विधेयक उस मानसिक शक्ति को प्रबल करने वाला एक विधेयक है। इसके माध्यम से एक मजबूत प्रशासनिक आधार तैयार होता है। हम विकसित भारत 2047 की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस विधेयक की वजह से एक सुरक्षित राष्ट्र एक समृद्ध राष्ट्र होने वाला है। यह विधेयक हमारी सीमाओं को अधिक सुरक्षित बनाएगा, क्योंकि हमारे आईटीबीपी के जवान 18,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात हैं और सीआरपीएफ के जवान, जो घने जंगलों में ऑपरेशन कर रहे हैं, उनके पास एक स्पष्ट और न्याय संगत कानूनी कवच होगा। मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी का बहुत ही सम्मान से अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने 10 लाख वीर जवानों के प्रति राष्ट्र का सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने उनकी सेवा का मूल्य किया है और वास्तविक मूल्य किया है। इसके लिए मैं उनके लिए यह वाक्य कहना चाहता हूं कि:

"सरहदों पर जो खड़े हैं, वे झुकना जानते नहीं,
देश की हिफाजत में वे रुकना जानते नहीं।"

Contents Page

माननीय उपसभापति महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का इसलिए अभिनंदन करना चाहता हूं कि:

"अंधेरों से निकल कर अब उजाले की बारी है",
-- 2014 से पहले सब अंधेरा ही अंधेरा था --
"अंधेरों से निकल कर अब उजाले की बारी है,
देश की सुरक्षा व्यवस्था संवारने की,
यह हमारी मोदी सरकार की जिम्मेदारी है।"

महोदय, मैं माननीय मोदी जी और माननीय गृह मंत्री जी का मन से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि यह विधेयक हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार बनेगा, धन्यवाद।

श्री उपसभापतिः धन्यवाद। माननीया डा. फौजिया खान जी - अनुपस्थित। माननीय श्री गुलाम अली जी।

श्री गुलाम अली (नामनिर्देशित)**:** ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन सर, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिल पर बोलने की इजाजत दी है। मैं मोदी जी के नाम दो शेरों से शुरुआत करूंगा। समाअत फरमाएं:

"जिसको तूफान से उलझने की हो आदत मोहसिन,
ऐसी किश्ती को समंदर भी दुआ देता है।"
"सूरमा जिसके किनारों से पलट आते हैं,
मैंने किश्ती को उतारा है उसी पानी में।"

ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन सर, मैं सीएपीएफ बिल, 2026 की ताईद में खड़ा हुआ हूं। सीएपीएफ, जो अलाइड फोर्सेज़ हैं, आज तक उनको अढ़ात, सर्कुलर और बिखरे हुए कानूनों से गवर्न किया जाता था। सीएपीएफ में सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो, आईटीबीपी हो, सेम रैंक है, सेम ईयर ऑफ सर्विसेज़ है और सेम परफॉर्मेंस है, लेकिन प्रमोशन में 'ए' कैटेगरी आगे चली जाती है, जबकि जो 'बी' कैटेगरी है, उसमें 10 साल बाद प्रमोशन होता है। डिफरेंट रूल्स और डिफरेंट आउटकम्स होते हैं, जिनसे अल्टिमेटली कैडर में रिसेंटमेंट होता है। मोदी जी हैं, तो मुमकिन है। To create one nation, one CAPF governance framework is necessary. ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन सर, ये जो फोर्सेज़ हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है। चाहे टेररिज्म हो, चाहे नक्सलिज्म हो, चाहे नॉर्थ-ईस्ट में प्रॉब्लम्स हों, चाहे राजस्थान से लेकर कश्मीर तक जहां हमारा बॉर्डर चीन से जुड़ता हो, या कोस्टल एरिया हो, इनका बहुत बड़ा रोल है। इनके लिए यह कानून क्यों जरूरी था? यह इसलिए जरूरी हो गया, क्योंकि इनको हर दिन कोर्ट में जाना पड़ता था, अपने छोटे-छोटे मसाइल के लिए, प्रमोशंस के लिए, अपनी फेमिली के वेलफेयर के लिए। सर, यूपीएससी से सेम एग्जाम से आईपीएस निकलता है। पूरे देश में 150-200 लोगों को एक रिगरस एग्जाम के बाद चुना जाता है। लेकिन उसी में सीएपीएफ का भी एग्जाम होता है, वह डीवाईएसपी की पोस्ट पर आता है। सर, कल-परसों से मैं सुन रहा हूं। यहां अपोजिशन के, इंडी

Contents Page

ब्लॉक के नेता क्या बोल रहे हैं? वे जो बोल रहे हैं, उससे उन्होंने तेल डालने का काम किया है, दोनों फोर्सेज़ को प्रोवोक करने का काम किया है। यहां बिल पर डिस्कशन हो रहा है। हो सकता है कि सत्ता पक्ष से कोई बेहतर आइडिया रह गया हो। आप बेहतरीन डिस्कशन करिए। सर, दोनों फोर्सेज़ को लेकर अगर आप इनका जिस्ट ऑफ डिस्कशंस देखें, तो उनमें प्रोवोकेशंस, तेल डालना, ये हैं, सिर्फ मुखालिफत करने के लिए। सर, आज देश में एक बहुत बड़ा बावेला किया जा रहा है। हमारा जो बॉर्डर है - बंगाल का बॉर्डर, असम का बॉर्डर, तमिलनाडु का बॉर्डर, केरल का बॉर्डर, वहां हमारी BSF, हमारी coastal forces और हमारी अन्य forces हैं, लेकिन बदकिस्मती क्या है? हमारी जो Central Forces हैं, उनको डायरेक्शन दिल्ली से, Home Ministry से लेना है, लेकिन जो स्टेट की फोर्स है, उसको डायरेक्शन वहीं से लेना है। सर, इसमें प्रॉब्लम यह हुई कि coordination नहीं होने की वजह से, intelligence sharing नहीं होने की वजह से बंगाल में infiltration हुई, असम में infiltration हुई, तमिलनाडु में infiltration हुई, केरल में infiltration हुई। मजबूरी में इलेक्शन को कंडक्ट करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी संस्था, Election Commission of India को SIR के जरिए कदम उठाने पड़े। मैं देख रहा था कि सिर्फ असम में infiltration — Although, इसमें कुछ मौतें भी हुई होंगी, कुछ लोग पलायन कर गए होंगे, लेकिन असम में SIR के जरिए करीब 11 लाख के वोट कटे। SIR की जरुरत क्यों पड़ी, क्योंकि communication और intelligence sharing gap है।

نامزد) ی‌عل غلام جناب) : †کیا مجھے آپنے کہ ہیشکر کا آپ ،سر نیئرمیچ یڈپٹ بلیآنر سے شعر دو نام کے یج یہود یہ ہے ید اجازت یک بولنے پر بل نٹیامپارٹ یہ بہت یفرمائ سماعت کرونگا شروعات۔

"محسن عادت ہو یک الجھنے سے طوفان جسکو،
ہے تایدعا یبھ سمندر کو یکشت یسیا"
"یہ آتے پلٹ سے کناروں جسکے سورما،
یہ یپان یاس ہے اتارا کو یکشت نے یہ"۔

یس ۔ہوں ہوا کھڑا یہ دیتائ یک 2026 ،بل فیا پی اے پی یس یہ ،سر نیئرمیچ یڈپٹ بلیآنر وئے ہ بکھرے اور سرکولر ،اڑھات کو ان تک آج ،یہ زیفورس ڈیالائ جو ،فیا پی اے ،ہو فیا سی ایب ،ہو فیا پی آر یس یہ فیا پی اے یس ۔تھا جاتا ایک گورن سے قانونوں یس اور ہے زیسروس آف ئری یس ،ہے نکیر یس ،ہو پی یب ٹی یآئ ،ہو فیا سی ایا آئی یس 'یب' جو جبکہ ،ہے یجات یچل آگے یگریٹیک 'اے' یہ پرموشن کنیل ،ہے نسیپرفارم کمس آؤٹ نٹیڈفر اور رولس نٹیڈفر ہے ہوتا پرموشن بعد سال 10 یہ اس ،ہے یگریٹیک ممکن تو ،یہ زیہ یہود ہے ہوتا نٹیم نٹیس ری یہ ڈریک یٹلیم یالٹ سے جن ،یہ ہوتے ہے To create one nation, one CAPF governance framework is necessary.

ہو ررزمیٹ چاہے ہے رول بڑا ہتب انکا ،یہ زیفورس جو ہی ،سر نیئرمیچ یڈپٹ بلیآنر ریکشم کریل سے راجستھان چاہے ،ہوں پرابلمس یہ سٹیا نارتھ چاہے ،ہو مزنکسل چاہے انکے ہے رول بڑا بہت انکا ،ہو ایریا کوسٹل ای ،ہو جڑتا سے نیچ بارڈر ہمارا جہاں تک کورٹ دن ہر کو ان ونکےیک ،ایگ ہو یضرور اسلئے ہی تھا؟ یضرور ویک قانون ہی ےیل۔

† Transliteration in Urdu script.

Contents Page

ہے جاتا چنا بعد کے گزامیا رگرس کیا کو لوگوں 200-150 ہیں شید پورے ہے نکلتا پر پوسٹ کی پی سی ایا ایوائی ڈ وہ ،ہے ہوتا گزامیا یہ کا فیا پی اے سی ہیں یہ اس کنیل ایک تائن کے بلاک یانڈ ،کے شنیاپوز ہاں ہوں رہا سن ہیں سے پرسوں کل ،سر ہے آتا دونوں ،ہے ایک کام کا ڈالنے لیت نے انہوں سے اس ،ہیں رہے بول جو وہ ں؟یہ رہے بول کہ ہے سکتا ہو ہے رہا ہو شنڈسک پر بل ہاں ہے ایک کام کا کرنے پرووک کو زیفورس دونوں ،سر ۔ےیکرئ ڈسکشن نیبہتر آپ ہو ایگ رہ ایڈیآئ بہتر یکوئ سے پکش ستہ لیت ،شنسیپرووک ہیں ان تو ،ہیکھید ڈسکشنس آف جسٹ انکا آپ اگر کریل کو زیفورس ۔ےیل کے کرنے مخالفت صرف ،ہیں یہ ،ڈالنا

آسام ،بارڈر کا بنگال - ہے بارڈر جو ہمارا ہے ہار جا ایک لایواو بڑا بہت کیا ہیں شید آج ،سر کوسٹل یہمار فیا سی یا یب یہمار وہاں ،بارڈر کا رلیک ،بارڈر کا ناڈو تمل ،بارڈر کا نٹرلیس جو یہمار ہے؟ ایک یبدقسمت کنیل ،ہیں یہ زیفورس یدوسر یہمار اور زیفورس یک ٹیاسٹ جو کنیل ،ہے نایل سے یمنسٹر ہوم ،سے یدہل کشنیریڈا انکو ،ہیں یہ زیفورس کوآرڈنیشن کہ یہوئ یہ پرابلم ہیں اس ،سر ہے نایل سے ہیں وہ کشنیریڈا اسکو ،ہے فورس infiltration ہیں بنگال سے وجہ یک ہونے ہیں نہ نسیج لیانٹ ،سے وجہ یک ہونے ہیں نہ infiltration ہیں رلیک ،یہوئ infiltration ہیں ناڈو تمل ،یہوئ infiltration یہوئ ،یہوئ infiltration ہیں آسام ،یہوئ کشنیال ،سنستھا یبڑ سے سب یک ایدن یوال کرنے کنڈکٹ کو کشنیال ہیں یمجبور ہیں آسام صرف کہ تھا رہا کھید ہیں پڑے اٹھانے قدم عےیذر کے SIR کو ایانڈ آف شنیکم گئے کر پلائن لوگ کچھ ،یہونگ یہوئ یبھ ہیموت کچھ ہیں اس ,infiltration — Although ضرورت یک SIR ۔کٹے ووٹ کے لاکھ 11 بیقر عےیذر کے SIR ہیں اصم کنیل ،نگے ہو ہے پیگ رنگیش نسیج لیانٹ اور شنیک یونیکم ونکہیک ،یپڑ ویک

श्री उपसभापतिः यह विषय अलग है। आप विषय पर बोलें।

श्री गुलाम अलीः सर, मैं विषय पर ही बात कर रहा हूं। पंजाब में हजारों जानें गईं। ऐसा होता है कि हमारी Border Security Force है, स्टेट की पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के अंडर रही है और जब circular ad hoc पर होंगे, आपस में intelligence sharing नहीं होगी। सर, BSF से बच कर कोई infiltrator अंदर आ गया, तो local police को assist कौन करता है — CAPF, लेकिन local police, CAPF और BSF में जो communication gap है, जो direction gap है, जो जिम्मेवारी का gap है, उसको यह 2026 का बिल पूरा करता है।

सर, जैसा हमारे साथी ने बोला, अगर पहले से सरदार पटेल जी का जो forces के integration का doctrine है, अगर वह doctrine पहले से implement होता, although पंजाब के मामले में external forces involved थीं, तो पंजाब में 30,000 के करीब लोगों की जानें जाया नहीं जातीं, स्थिति control में होती। सर, मैं यह बात क्यों कह रहा हूं, इसलिए कि कश्मीर में यही forces थीं, लेकिन हर दिन श्मशान घाट और कब्रिस्तान में — Civilian, forces और allied forces के लोग मर रहे थे, लेकिन communication gap की वजह से — सर, same forces हैं। सिर्फ होम मिनिस्टर साहब ने पिछले 12 सालों में security के grid में थोड़ा integration लाया। आज हम वहां normalcy की तरफ बढ़ गए हैं। आज हमने forces के बीच आपस में communication gap कम किया। आज infiltration को देखते हुए CAPF की जिम्मेदारियां बहुत

Contents Page

hi-tech हो गई हैं। अगर कोई कानून नहीं होगा, तो अफसर को क्या मालूम होगा? सर, देश में naxalite कैसे spread हुआ - communication gap, intelligence sharing gap के चलते। CAPF और State Police में कोई command direction नहीं थी। यह 'केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026' उसको मजबूत करता है और जिम्मेदार बनाता है। करीब 200 जिले नक्सलाइट जिले थे, उनको आज इन्हीं फोर्सेज़, इसी ग्रिड, इसी टेक्नोलॉजी के साथ, ह्यूमन एंगल के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ, people-centric approach के साथ, रिहैबिलिटेशन के साथ जीरो कर दिया गया है। आज वहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल आदि सारी सुविधाओं की शुरुआत सद्भावना टाइप की फोर्सेज़ की तरफ से हुईं। इसीलिए आज इस बिल की जरूरत है। इसीलिए Modiji has brought forward this Bill.

सर, सीएपीएफ लोकल पुलिस के साथ चार मुख्य चीजों को देखती हैं। टेररिज्म को देखती है। आपने देखा कि कश्मीर और पंजाब में टेररिज्म से 40 हजार से ज्यादा जानें गईं। इसको कौन एड्रेस करता है? नक्सलाइट का रिजल्ट हमारे सामने है। अगर हम border security को हाईटेक नहीं करेंगे, तो वह hybrid warfare से कैसे लड़ेगा? उसके लिए कोई कानून नहीं बनाएँगे, तो क्या वह सर्कुलर से चलेगा? क्या वह हमारी मर्जी से चलेगा?

सर, सीएपीएफ का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। यह दंगे-फसाद को कंट्रोल करता है। अगर हम हिस्ट्री में देखें, गूगल में सर्च करें, तो हमें पता चलता है कि अगर डिले न होता, तो 1969 में अहमदाबाद में जो riots हुए थे, वे नहीं होते। दिल्ली में भी इंदिरा जी की सरकार थी, वहाँ भी कांग्रेस की सरकार थी और communication gap की वजह से violence को spread होने का मौका मिला। सीएपीएफ ऑफिसर को लोकल पुलिस से कमांड लेनी होती है और जब तक डिसाइड किया... सर, दो कम्युनिटीज़ हैं - बड़ा समाज, छोटा समाज। घड़े भी आपस में भिड़ते हैं, लेकिन सीएपीएफ का मकसद क्या है? इसका मकसद riots को कंट्रोल करना है। उसके लिए pro-active policy बनाना है। सर, reactive policy, जहाँ उसमें से हम political nurturing करते हैं।

सर, असम में AASU ने लोकल लोगों के हकूक के लिए एक मूवमेंट शुरू किया था, जो deadliest riots के रूप में जानी जाती है। उस समय वहाँ सरकार किसकी थी? दिल्ली में इंदिरा जी थीं और वहाँ कांग्रेस की सरकार थी। यह कौन नहीं जानता है। सर, आप देख लीजिए, मुरादाबाद में जो हुआ, उससे हम बच सकते थे। पिछले 14 सालों से सुन्नी-शिया फसाद क्यों नहीं हो रहे हैं? इसलिए नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आज होम मिनिस्टर का pro-active role है, reactive role नहीं है। हमें political nurturing नहीं करनी है। हमारे ऊपर जो बड़े-बड़े धब्बे हैं - भागलपुर riots में हजारों लोग मारे गए, बॉम्बे riots में हजारों लोग मारे गए। लोगों ने वोट दिया है और वोट देकर इधर 35-35 एमपीज़ बनाए हैं। अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर थे, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। सर, प्रो-एक्टिव रोल से इन चीजों से बचा जा सकता है। हम इन बहुत चीजों से बच सकते थे।

Contents Page

सर, मैं इसका gist बताना चाहता हूँ। इसका nutshell यह है कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर बहुत बोला गया कि यह सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन करता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि यह विधेयक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को एंडोर्स करते हुए, security को एड्रेस करता है। सर, यह रिक्रूटमेंट में यूनिफॉर्मिटी लाता है, सर्विस कंडीशन्स को एड्रेस करता है तथा उनकी फैमिलीज़ की सुविधाओं को भी एड्रेस करता है। सीएपीएफ में जो इंटरनल प्रमोशंस हैं, उनको यह विधेयक बचाता है। The Bill mandates fixed deputation quotas for IPS Officers in senior role with 50 per cent of Inspector Generals. 50 परसेंट सीएपीएफ के लिए बच गया।

2.00 P.M.

Then, 67 per cent of Additional Director General posts; but this is to ensure experienced leadership. This Bill ensures continuity by retaining existing recruitment rules until formally revised, protects all financial benefits of Group 'A' officers while not imposing any financial burden on the public exchequer.

सर, मैं end में यह कहूँगा कि हमें इस Bill को support करना चाहिए। यह integration लाता है। यह Supreme Court की ruling को endorse करता है। सरदार पटेल जी का forces को integrate करने का जो doctrine है, उसको यह endorse करता है। मैं Congress के leaders से भी कहूँगा कि सरदार पटेल जी का जो integration का role था, उसको support करें। शुक्रिया। जय हिन्द!

†**ی‌علی غلام ی‌شر :** ی‌گئ ی‌جان ہزاروں ی‌م پنجاب ہوں رہا کر بات ی‌ہ پر ہ‌ی‌وش ی‌م ،سر
گورنمنٹ ٹ‌ی‌اسٹ پولس ی‌ک ٹ‌ی‌اسٹ ،ہے فورس ی‌کورٹ‌ی‌س بارڈر ی‌ہمار کہ ہے ہوتا سا‌ی‌ا
رنگ‌ی‌ش نس‌ی‌ج ل‌ی‌انٹ ی‌م آپس ،نگے ہو پر ہاک ڈ‌ی‌ا سرکولر جب اور ے‌ہ ی‌رہ انڈر کے
کو س‌ی‌پول لوکل تو ،ای‌گ آ اندر infiltrator ی‌کوئ کر بچ سے ف‌ی‌ا س‌ی‌ا ب‌ی ،سر ی‌ہوگ ی‌نہ
س‌ی‌ا ب‌ی‌ا اور س‌ی‌پول لوکل ف‌ی‌ا پ‌ی‌ا پ‌ی‌ا ے س‌ی ل‌ی‌ن ک‌ی‌س ,ف‌ی‌ا پ‌ی‌ا ے س‌ی — ہے کرتا کون اَسیسٹ
،ہے پ‌ی‌گ کا ی‌دار ذمہ جو ،ہے پ‌ی‌گ کشن‌ی‌ڈائر جو ،ہے پ‌ی‌گ شن‌ی‌ک ی‌ونی‌کم جو ف‌ی‌ا ی‌م
ہے کرتا پورا بل کا 2026 ی‌ہ اسکو

کے ز‌ی‌فورس جو کا ی‌ج ل‌ی‌پٹ سردار سے پہلے اگر ،بولا نے ی‌س‌اتھ ہمارے سا‌ی‌ج ،سر
although ،ہوتا نٹ‌ی‌م‌ی‌امپل سے پہلے doctrine وہ اگر ،ہے doctrine کا شن‌ی‌گر‌ی‌انٹ
ب‌ی‌قر کے 30,000 ی‌م پنجاب تو ،ی‌تھ وانوال فورسز کسٹرنل‌ی‌ا ی‌م معاملے کے پنجاب
وی‌ک بات ہ‌ی ی‌م ،سر ہوتے ی‌م کنٹرول حالات ،ی‌جات ی‌نہ ضائع ی‌جان ی‌ک لوگوں
اور گھاٹ شمشان دن ہر ک‌ی‌ل ،ی‌تھ ز‌ی‌فورس ہ‌ی‌ی ی‌م ری‌کشم کہ اسلئے ،ہوں رہا کہہ
ک‌ی‌ل ،تھے رہے مر لوگ کے ز‌ی‌فورس ڈ‌ی‌الائ اور ن‌ی‌ل‌ی‌سو ،ز‌ی‌فورس — ی‌م قبرستان
نے صاحب منسٹر ہوم صرف ہ‌ی‌ز‌ی‌فورس م‌ی‌س ،سر — سے وجہ ی‌ک پ‌ی‌گ شن‌ی‌ک ی‌ونی‌کم
وہاں ہم آج ۔لائے شن‌ی‌گر‌ی‌انٹ تھوڑا ی‌م گیرڈ کے ی‌کورٹ‌ی‌س ی‌م سالوں 12 پچھلے

† Transliteration in Urdu script.

Contents Page

شنیک یونیکم یں آپس چیب کے زیفورس نے ہم آج ۔یں ہ گئے بڑھ طرف یک normalcy
یہائ بہت ایدار زمہ یک فیا یپ اے یس ئےہو کھتےید کو infiltration آج ۔ایک کم پیگ
یں ہ شید ،سر ہوگا؟ معلوم ایک کو افسر تو ،ہوگا ینہ قانون یکوئ اگر ۔یں ہ یگئ ہو کیٹ
۔چلتے کے پیگ شنیک یونیکم ،پیگ نسیج لیانٹ - ہوا ڈیاسپر سے یک ٹینکسلائ
یتھ ینہ کشنیڈائر کمانڈ یکوئ یم سیپول ٹیاسٹ اور فیا یپ اے یس

ہے کرتا مضبوط اسکو '2026 ،کیودھ (پرشاسن ہیسامان) بِل پولس سشستر یندریک' ہ ی
یاس ،زیفورس یانہ آج انکو ،تھے ضلع نکسلائٹ ضلع 200 بیقر ہے بناتا دار ذمہ اور
people- ،ساتھ کے شنیکوآرڈن ،ساتھ کے نگلیا ومنیہ ،ساتھ کے یکنولاجیٹ یاس ،گرڈ
لتھیہ وہاں آج ہے ایگ ید کر رویز ساتھ کے شنیبلٹیرہ ،ساتھ کے centric approach
یک زیفورس یک ٹائپ سدبھاونا شروعات یک سودھاؤں یسار یآد اسکول ،انفراسٹرکچر
Modiji has brought لئے یاس ہے ضرورت یک بل اس آج لئے یاس ۔یہوئ سے طرف
forward this Bill.

کو ررزمیٹ ۔یہ یکھتید کو زویچ ہیمکھ چار ساتھ کے پولس لوکل فیا یپ اے یس ،سر
یجان ادہیز سے ہزار 40 سے ررزمیٹ یں پنجاب اور ریکشم کہ کھایدآپنے ہے یکھتید
بارڈر ہم اگر ہے سامنے ہمارے رزلٹ کا نکسلائٹ ہے؟ کرتا سیڈیرا کون اسکو ۔یگئ
ےیل اسکے گا؟یلڑ سےیک سے پرڈ یہائ وہ تو ،نگےیکر ینہ کیٹ یہائ کو یکورٹیس
سے یمرض یہمار وہ ایک گا؟یچل سے سرکولر وہ ایک تو ،گے یبنائ ینہ قانون یکوئ
گا؟یچل

اگر ہے کرتا کنٹرول کو فساد دنگے ہ ی ہے کام نٹیامپارٹ بہت کا فیا یپ اے یس ،سر
نہ لےیڈ اگر کہ ہے چلتا پتہ ینہم تو ،یکر سرچ یں گوگل ،یکھیہ یں ہیسٹر ہم
یج اندرا یبھ یں دل ۔ہوتے ینہ وہ ،تھے ہوئے riots جو یں مدآداح یں 1969 تو ،ہوتا
وجہ یک پیگ شنیک یونیکم اور یتھ سرکار یک سیکانگر یبھ وہاں ،یتھ سرکار یک
سے پولس لوکل کو آفیسر فیا یپ اے یس ۔ملا موقع کا ہونے ڈیاسپر کو نسیوائل سے
چھوٹا ،سماج بڑا - یہ زیونٹیکم دو ،سر ...ایک ڈیڈسائ تک جب اور ہے یہوت یونیل کمانڈ
اسکا ہے؟ ایک مقصد کا فیا یپ اے یس کنیل ،یہ بھڑتے یں آپس یبھ گھڑے ۔سماج
ویکٹیا ی ر ،سر ہے بنانا pro-active policy ےیل اسکے ہے کرنا کنٹرول کو riots مقصد
۔یہ کرتے political nurturing ہم سے یں اس جہاں سیپیال

جو ،تھا ایک شروع نٹیمووم کیا ےیل کے حقوق کے لوگوں لوکل نے AASU یں آسام ،سر
یں ید دل ؟یتھ یک کس سرکار وہاں وقت اس ہے یجات یجان یں روپ کے deadliest riots
کھیہ ید آپ ،سر ہے جانتا ینہ کون ہ ی یتھ سرکار یک سیکانگر وہاں اور یتھ یج اندرا
عہیش یسن سے سالوں 14 پچھلے ۔تھے سکتے بچ ہم سے اس ،ہوا جو یں مرادآباد ،ےیجئیل
pro- کا منسٹر ہوم آج ونکہیک ،یہ رہے ہو ینہ اسلئے ں؟یہ رہے ہو ینہ ویک فساد
اوپر ہمارے ہے یکرن ینہ ہیں political nurturing ہے ینہ reactive role ہے، active role
یں riots بامبے ،گئے مارے لوگ روہزا یں riots بھاگلپور - یہ دھبے بڑے بڑے جو
بنائے زیپ میا 35-35 ادھر کرید ووٹ اور ہے ید ووٹ نے لوگوں ۔گئے مارے لوگ ہزاروں
کٹوا پرو ،سر یتھ سرکار یک سیکانگر یں دل ،تھے منسٹر فیچ یج شیاکھل ۔یہ
۔تھے سکتے بچ سے زویچ بہت ان ہم ہے سکتا جا بچا سے زویچ ان سے رول

Contents Page

بہت کریل کو کورٹ میسپر کہ ہے ہی nutshell اسکا ۔ہوں چاہتا بتانا اسکا gist ،سر ہیں اسکا چاہتا بتانا ہیں کنیل ،ہے کرتا النگھن کا لائن ڈیگائ یک کورٹ میسپر ہی کہ ایگ بولا کو security ،ہوئے کرتے نڈورسیا کو لائن گائڈ یک کورٹ میسپر کیودھ ہی کہ ،ہوں کو شنسیکنڈ سروس ،ہے لاتا یفارمٹیونی ہیں نٹیکروٹمیر ہی ،سر ہے کرتا سیڈیا یپ اے یس ہے کرتا سیڈیا یبھ کو دھاؤیسو یک زیملیف یانک اور ہے کرتا سیڈیا ہے بچاتا کیودھ ہی انکو ،ہیں پروموشنس انٹرنل جو ہیں فیا The Bill mandates fixed deputation quotas for IPS Officers in senior role with 50 per cent of Inspector Generals. یس اے یپ ایا فیے لیے بچ ایگ۔

Then, 67 per cent of Additional Director General posts; but this is to ensure experienced leadership. This Bill ensures continuity by retaining existing recruitment rules until formally revised, protects all financial benefits of Group 'A' officers while not imposing any financial burden on the public exchequer.

†شنیگریانٹ ہی ئےیچاہ کرنا سپورٹ کو بل اس ہیں ہم کہ کہونگا ہی ہیں ہم آخر ہیں ،سر زیفوس کا یج لیپٹ سردار ہے کرتا endorse کو رولنگ یک کورٹ میسپر ہی ہے لاتا کے سیکانگر ہیں ہے کرتا endorse ہی اسکو ،ہے doctrine جو کا کرنے integrate کو اسکو ،تھا رول کا شنیگریانٹ جو کا یج لیپٹ سردار کہ کہونگا یبھ سے ڈرسیل ہند جے ۔ہیشکر ںیکر سپورٹ!

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Dr. Fauzia Khan.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I rise to oppose this Bill. I wish to speak as a voice for thousands of officers who protect our borders and fight in the jungles -- the BSF, the CRPF, the CISF, the ITBP and the SSB -- each with its own terrain, its own culture, its own institutional memory built over decades. The Government is using the Parliament to override a final binding Supreme Court verdict. This is not legislation. This is judicial evasion wearing the clothes of law. Imagine joining one of these forces as an Assistant Commandant, young, patriotic and ready to serve. Sixteen years have passed. You have fought insurgents. You have earned your promotion and yet you have not received it. In Gadchiroli, in Maharashtra, our CRPF officers are those in the forest right now fighting naxalism. Just last month, the Union Home Minister chaired a meeting with Maharashtra, Chhattisgarh and other States to intensify operations. The Government proudly declares that India will be naxal free by 31st of March. I ask: Who will do that work? The IPS officer on deputation or the CAPF officer who has spent years on the ground? You want a naxal free India on paper. These officers want it on ground. They, at least, deserve a career that respects that sacrifice. This Bill claims to bring legislative clarity. This Bill claims to bring legislative

† Transliteration in Urdu script.

Contents Page

clarity but what it actually does is impose one single Central law over forces. This weakens our national security. As we see more women joining the CAPF today, serving in hostile areas, shoulder to shoulder with their colleagues, this Bill makes it harder for them to rise. This Government talks about Nari Shakti. True empowerment merely is not giving them opening positions, not in statutory reservations but opening commanding positions for them. They do not favour external deputation. Any reform that ignores the family is not called for and this is what is happening. This is incomplete. I request the Government to refer this to JPC, consult CAPF associations and consult the people this Bill affects the most. Sir, at the end, a poem goes like this: "The pain of injustice, it feels like hitting an elbow. Like a thorn in the flesh, it drills every filament of my soul, which goes from turmoil to collapse, feeling impotent, angry, sad."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. …(*Time-Bell rings*)…

DR. FAUZIA KHAN: Sir, half a minute. In general, the Government needs to know the distinction between what is 'need' and what is 'want'. What 'want' is, you have fresh air to breathe, unpolluted water to drink, shelter to live, love and justice. But, 'want' borders on greed. And the best food is 'want', the best housing is 'want'.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Dr. Fauzia. …*(Interruptions)*… Please conclude.

DR. FAUZIA KHAN: Whom you choose to love, it makes the difference. Whom you choose to be just, makes the difference. Do not trample the needs of the people in the urge to fulfill their wants.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Masthan Rao Yadav Beedha, not present. Shri Mayankkumar Nayak.

श्री मयंककुमार नायक (गुजरात): माननीय सभापति महोदय, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक - 'केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026' पर बोलने का आपने अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ।

सर, हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा हमारे वीर CAPF के जवानों के कंधों पर हैं, चाहे बॉर्डर की रखवाली हो (BSF, ITBP, SSB) या देश के अंदर नक्सलवाद और आतंकवाद से लड़ना हो (CRPF) या फिर हमारे महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा हो (CISF); हमारे जवान हमेशा सीना तानकर खड़े रहते हैं। हमारी सरकार की नीयत साफ है और नीति स्पष्ट है। सुरक्षित सीमाएं, मजबूत राष्ट्र - यही हमारी सरकार का संकल्प है। सर, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि

Contents Page

माननीय प्रधान मंत्री, आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्य मंत्री थे, तब से वे दीपावली के हर पर्व पर अपना समय उन जवानों के साथ गुज़ारते थे, जो सरहद पर माँ भारती की सेवा करते हैं। उसी क्रम में माननीय प्रधान मंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास को लेकर हर क्षेत्र को सुदृढ़ करना चाहते हैं, हर क्षेत्र को मज़बूत करना चाहते हैं। आने वाले दिनों में वर्ष 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए जो नींव डालनी है, मैं यही मानता हूं कि यह आने वाले दिनों में देश के सभी सैनिकों को मज़बूत करने के लिए, यह बिल लाया गया है। महोदय, आज हमारी सरकार को यह विधेयक लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस बात पर चर्चा करना जरूरी है। महोदय, इतने सालों से हमारे इन पांच अलग-अलग अर्धसैनिक बलों का प्रशासन अलग-अलग और बिखरे हुए नियमों से चल रहा था। IPS अधिकारियों की इन बलों में प्रतिनियुक्ति का कोई ठोस कानूनी ढांचा नहीं था; सब कुछ केवल सरकारी आदेशों पर निर्भर था। इसका नतीजा यह हुआ कि नियुक्तियों और प्रमोशन में अक्सर भ्रम की स्थिति रहती थी। आए दिन कोर्ट-कचहरी में विवाद चलते रहते थे, जिससे हमारे सुरक्षा बलों के मनोबल और प्रशासन पर बुरा असर पड़ता था। इस ऐतिहासिक बिल की मुख्य विशेषताओं की बात करें, तो यह बिल इन सभी बिखरे हुए नियमों को एक छत के नीचे लाएगा। मैं सदन को इसके कुछ प्रमुख फायदे बताना चाहता हूँ। मोदी सरकार जो कहती है, वही करती है। यह विधेयक इन बिखरे हुए अलग-अलग कानूनों और आदेशों के विरोधाभासों को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। एकल कानूनी ढांचे के लिए यह बिल BSF, CISF, CRPF, SSB और ITBP जैसे पांचों प्रमुख अर्धसैनिक बलों के 10 लाख से अधिक कर्मियों के लिए एक एकीकृत कानूनी ढांचा तैयार करता है। अस्थायी आदेशों का अंत होगा और पहले से चल रहे काम चलाऊ निर्देशों की जगह अब स्पष्ट कानूनी प्रावधान लाए गए हैं, जिससे नियमों में अस्पष्टता खत्म होगी। न्यायिक और सुरक्षा संतुलन के लिए हाल के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों से सीएपीएफ के प्रबंधन में कुछ प्रशासनिक जटिलताएं उत्पन्न हुई थीं। यह विधेयक 2025 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए न्यायालय के निर्देशों और राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतों के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाता है। यह खंडित निर्देशों को एक स्पष्ट कानूनी आधार से बदलता है। विपक्ष अक्सर यह भ्रम फैलाता है कि हम CAPF का सैन्यकरण कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि सीएपीएफ को अक्सर राज्य सरकारों की सहायता से आतंकवाद-रोधी और कानून-व्यवस्था के कार्यों में जुटना पड़ता है।

वरिष्ठ स्तर पर IPS अधिकारियों की भागीदारी से यह सुनिश्चित होता है कि कार्यप्रणाली नागरिक-केंद्रित रहे और अत्यधिक सैन्यीकरण से बचा जा सके। CAPF कैडर के अधिकारियों के लिए यह ऐतिहासिक सौगात है, जो लोग कैडर अधिकारियों के नुकसान का रोना रो रहे थे, उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि यह विधेयक लगभग 13,000 ग्रुप-ए, सीएपीएफ अधिकारियों की पदोन्नति में आ रही लंबे समय की रुकावटों को दूर करेगा। सरकार ने संरचनात्मक सुधारों के जरिए कैडर के लिए नए वरिष्ठ पदों का सृजन किया है। सबसे बड़ी बात यह थी कि डीआईजी स्तर पर आईपीएस अधिकारियों के लिए निर्धारित 20 परसेंट प्रतिनियुक्ति का कोटा हटाने का प्रस्ताव है, जिससे महत्वपूर्ण पद अब पूरी तरह से सीएपीएफ के कैडर के भीतर पदोन्नति के लिए उपलब्ध होंगे। इससे उनके करियर में आगे बढ़ने की प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी और उनका मनोबल भी बढ़ेगा। इस शानदार सुधार के लिए सबसे बड़ी खूबी यह है कि इससे भारत की संचित निधि में कोई

Contents Page

अतिरिक्त वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ेगा। बिना अतिरिक्त पैसा खर्च किए, बिना इतना बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा सुधार लागू करना हमारी सरकार के लिए वित्तीय अनुशासन का बेहतरीन उदाहरण है। साथ ही मौजूदा अधिकारियों के सभी वित्तीय लाभ भी पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे।

उपसभाध्यक्ष महोदय, 2014 के बाद हमने सुरक्षा के क्षेत्र में जो काम किया है, वह ऐतिहासिक है। नक्सलवाद पर प्रहार कर मोदी सरकार के खुफिया आधारित अभियानों के अंतर्गत वामपंथी उग्रवाद से संबंधित 2010 में हिंसा की 1936 घटनाओं में से घटकर 2025 में मात्र 202 रह गई हैं। मौतें 1005 से घटकर 95 रह गई हैं। 2014 से सबसे 36 प्रभावित जिलों में से घटकर केवल तीन रह गए हैं। आधुनिकीकरण के लिए 2002-2026 के लिए 1523 करोड़ रुपये के बजट के साथ मॉर्डनाइजेशन प्लान लागू किया गया है, जिसमें ड्रोन, उन्नत संचार प्रणाली और बख्तरबंद शामिल हैं। ऊंचे और बर्फीले क्षेत्रों में हमारे जवानों के लिए बंकर और विशेष झोपड़ियों के निर्माण के लिए 370 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए हैं। जवानों के कल्याण के लिए 2019 से 2025 के बीच ई-आवास पोर्टल के जरिए सोलह हजार से अधिक आवास बनाए गए और housing satisfaction ratio को 2014 में 33 परसेंट से बढ़ाकर 2024 में 74 परसेंट करने का लक्ष्य रखा गया है। आयुष्मान सीएपीएफ के तहत 41 लाख से अधिक कैशलेस कार्ड जारी किए गए हैं। शहादत पर अनुग्रह राशि बढ़ाकर 35 लाख रुपये कर दी गई है। दो हजार इक्यानवे करोड़ की लागत से अत्याधुनिक सीएपीएफ मेडिकल साइंस संस्थान बनाया गया है। यह बिल सुरक्षा बलों के प्रशासन को बार-बार होने वाली मुकदमेबाजी से भी आजाद करेगा। इस बिल में यह प्रावधान है कि इसके नियम किसी भी अन्य कानून या कोर्ट के आदेशों के ऊपर लागू होंगे। इसका सीधा मतलब है कि प्रशासन में कोई रोक-टोक नहीं, कोई अड़चन नहीं। रोज-रोज के विवादों का अंत होगा। हमारी सरकार में सबसे मजबूत और जीवंत सुरक्षा तंत्र है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, विपक्ष अक्सर भ्रम फैलाने की कोशिश करता है कि इससे कैडर के अधिकारियों का नुकसान होगा। हम भूले नहीं कि यूपीए शासन में एकीकृत कमान की कमी के कारण हमें 2010 में दंतेवाड़ा हमले में गंभीर विफलताएं देखनी पड़ी थीं, जिसमें हमारे सीएपीएफ के 76 जवान शहीद हो गए थे। इन्होंने बलों के आधुनिकीकरण और जवानों के कल्याण की घोर उपेक्षा की। वर्तमान में पांचों प्रमुख सीएपीएफ अलग-अलग कानून के तहत काम कर रहे थे, जिससे बार-बार मुकदमों की स्थिति बनती थी, लेकिन हकीकत यह है कि यह बिल हर किसी के अधिकार, चयन और कार्यकाल को स्पष्ट करेगा। यह बिल All India Services में सुधार और सुरक्षा बलों के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि हमारे प्रशासनिक ढांचे में समय के साथ अनेक नियम, आदेश और प्रक्रिया विकसित हो जाती हैं। इन सबके बीच कभी-कभी अस्पष्टता उत्पन्न हो जाती है। यह विधेयक उस स्थिति को भी स्पष्ट करता है, जैसे भर्ती, सेवा शर्तों और कैडर प्रबंधन जैसे विषयों के लिए एक स्पष्ट वैज्ञानिक ढाँचा बनाया जा रहा है। जब व्यवस्था स्पष्ट होती है, तो न केवल प्रशासन को सुविधा होती है, बल्कि अधिकारियों को भी अपने करियर और सेवा शर्तों में निश्चितता मिलती है और यह पारदर्शिता और विश्वास दोनों को मजबूत करता है। इसलिए मैं इसे एक प्रशासनिक सुधार के रूप में देखता हूँ, जो व्यवस्था को सरल और स्पष्ट बनाए रखता है।

Contents Page

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमें यह समझना चाहिए कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासनिक ढाँचे से भिन्न प्रकृति के संगठन हैं। इन बलों की कार्यप्रणाली प्लाटून, कंपनी, बटालियन और सेक्टर जैसी कमांड संरचनाओं पर आधारित होती है। यह व्यवस्था उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाती है। ऐसे में यह आवश्यक है कि उनकी प्रशासनिक व्यवस्था भी उनकी परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप हो। यह विधेयक उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे इन बलों की संगठनात्मक विशिष्टता को मान्यता मिलती है और यह सुनिश्चित होता है कि उनकी सेवा व्यवस्था उनके वास्तविक कार्यक्षेत्र के अनुरूप बनी रहे। राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण कदम है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस देश के प्रधान मंत्री और गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी जो बदलाव ला रहे हैं, उससे देश की सेवा में लगे हमारे सैनिक, हमारी फोर्सेज, जो पांच अलग-अलग कैडर में काम करती हैं, उनको स्ट्रेंथनिंग मिलेगी और आने वाले दिनों में इनके अच्छे नतीजे आएंगे। उन्हें जो विपक्ष द्वारा बरगलाया जा रहा है, मैं उनसे विपक्ष की ओर से बोलता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में यह जो बिल है, इससे आने वाले दिनों में देश की सुरक्षाकर्मियों की स्थिति में सुधार होगा और जो तकलीफ उन पर पड़ती है, आने वाले दिनों में कोई भी तकलीफ सेना के जवान पर न पड़े – सरकार इसकी चिंता करती है और इसी के कारण यह बिल लाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से इस बिल का समर्थन करता हूं और आपने मुझे सदन में बोलने का जो अवसर दिया है, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Thank you. Now, Shrimati Priyanka Chaturvedi.

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, Sir, firstly, I would like to begin my speech by saluting and expressing gratitude to our armed forces, our CAPF and IPS. Just because आज वे लोग, वहाँ पर मजबूती से हमारी देश सेवा में लगे हुए हैं, इसीलिए आज हम उनकी आवाज मजबूती से यहां पर रख पा रहे हैं। मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि हम लोग यहां पर पार्लियामेंट में आईपीएस बनाम सीएपीएफ करेंगे, पर जिस तरीके से चर्चा शुरू हुई है, यह बिल्कुल ऐसा हो गया है कि सीएपीएफ एक तरफ और आईपीएस दूसरी तरफ। सर, यह नहीं होना चाहिए था। हम सबको मिलाकर एक सेलेक्ट कमेटी के माध्यम से चर्चा होनी चाहिए थी, स्टेक होल्डर्स को बुलाना चाहिए था और उनके साथ मिल-जुलकर कोई ऐसा निर्णय लिया जाना चाहिए था जिसकी स्पिरिट मिसिंग है।

सर, सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से कहा था कि आप सीएपीएफ कैडर का पूरा रिव्यू करें और छह महीने के अंदर करें, जैसे, हम प्रोग्रेसिव्ली आईपीएस को इन कैडर से सेवामुक्त कर सकें। सर, क्या यह पहली बार हुआ है? नहीं, यह पहली बार नहीं हुआ है। इंडियन कोस्ट गार्ड हो या रेलवे पुलिस फोर्स हो, उनकी भी शुरुआत ऐसे ही हुई थी। जो टॉप पोजिशन्स थीं, उन पर नेवी से आते थे या आईपीएस कैडर आता था। धीरे-धीरे करके उन्हें सशक्त किया गया, मजबूत किया गया और उन्हीं के कैडर ने सीनियर मोस्ट

Contents Page

पोजिशन्स लीं। जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, यह पहली बार नहीं हो रहा था, पर यह जो बिल आ रहा है, यह इस स्पिरिट से आ रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को तो वॉयलेट करता ही है, पर आईपीएस बनाम सीएपीएफ में झगड़ा भी कराता है और इस तरीके का माहौल बनाता है, which is de-motivating.

सर, 2006 में एक नॉन-फंक्शनल अपग्रेडेशन स्कीम आई थी, जिसमें कहा गया था कि अगर लोगों का प्रमोशन नहीं होता है, तो उनका फाइनेंशियल अपग्रेडेशन हो सकता है। वह स्कीम ग्रुप 'ए' सर्विसेस पर लागू होती थी, पर सरकार ने सीएपीएफ ऑफिसर्स के लिए कहा कि वह इस सरकार के ग्रुप 'ए' में क्वालिफाई नहीं करते हैं। यह कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि वे देश की सेवा करते हैं, पूरे मन से करते हैं, लगन से करते हैं, पर जब उनके फाइनेंशियल अपग्रेडेशन की बात आई, अगर उनकी प्रमोशन में समय लगता है, तो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन से भी इनको वंचित किया जाता है। यह दिल्ली हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है और सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है, फिर भी उनको एनएफएफयू स्कीम से वंचित रखा गया है। यह जो बिल आया है, इसमें, under Clause 4, Government can change which forces and rules are covered by simple notification. No parliamentary approval needed. यह इस बिल के अंतर्गत होगा कि अगर सरकार का मन आया, उन्होंने कुछ बदलाव लाना चाहा, तो बदल देंगे। वे सीएपीएफ हो, आर्म फोर्सेज हों - सबको बदल देंगे। पार्लियामेंट में आने की जरूरत ही नहीं है। स्क्रूटिनी की जरूरत ही है। सर, यह कहाँ से लाजिमी है? सर, जो क्लॉज़ 3, सब-क्लॉज़ 1 है, उसके अंतर्गत. they can frame rules on recruitment, promotion and service conditions, even overriding court orders! सर, हम तीन स्तम्भ हैं और तीन स्तम्भ एक-दूसरे को अकाउंटेबल रखते हैं। अगर आप एक स्तम्भ को ओवरराइड कर सकते हैं, उनके वर्डिक्ट्स को ओवरराइड कर सकते हैं, तो यह जो स्पिरिट ऑफ दि कॉन्स्टिट्यूशन है... ...(**समय की घंटी**)... सर, मैं लास्ट बात बोल रही हूँ। सर, यह कहाँ से लाजिमी है?

सर, अब एक मिनट बचा है। मेरा तो आपके माध्यम से लास्ट सेंटेंस यही होने वाला था कि मैं आपको उत्कल दिवस की शुभकामनाएं देना चाह रही थी और उसी मौके पर मैं कहना चाह रही थी - चूँकि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के बयान करती है - श्री बीजू पटनायक जी को भारत रत्न से नवाज़ा जाना चाहिए। सर, मैं लास्ट बात कहकर, अपनी बात रखूँगी कि सीएपीएफ में फेयर प्रमोशन्स होने चाहिए, इक्विटेबल लीडरशिप अपॉर्च्युनिटीज़ होनी चाहिए, फुली-फिल्ड रैंक्स होने चाहिए, क्योंकि वैकेंसीज़ भी बहुत हैं। साथ ही, recognition of decades of service होना चाहिए। इसी बात के साथ, मैं अपनी बात खत्म करूँगी और उम्मीद करती हूँ कि यह सेलेक्ट कमिटी के पास जाएगी।

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा): श्री नरेश बंसल।

श्री जयराम रमेश: सर, मैं चौथी बार चेयर से पूछ रहा हूँ कि मंत्री जी का जवाब कब होगा, ताकि मैं लोगों को जानकारी दे दूँ? इसमें कौन सा बड़ा राज है? मंत्री जी का जवाब कब है, वह बता दीजिए।

Contents Page

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Can I just take another fifteen minutes?

श्री जयराम रमेश: सर, मैं चार बार पूछ चुका हूँ।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Let me find it out. I will come back to you.

श्री जयराम रमेश: मंत्री जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। मंत्री जी, आप बता दीजिए कि आपका जवाब कब है, ताकि आपको सुनने के लिए लोग आ जाएं?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): After the discussion, we will do it.

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय): महोदय, जब आप चाहें, तब जवाब देने के लिए तैयार हैं। जब आसन की अनुमति होगी, मैं खड़ा होकर जवाब दूँगा।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): We will close at that. Now, Shriman Naresh Bansal. I will come back to you, Jairam*ji*.

श्री नरेश बंसल (उत्तराखंड): उपसभाध्यक्ष जी, मैं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026 के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। सर्वप्रथम, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह केवल सेवा संबंधी अधिनियम नहीं है। यह भारत की आंतरिक सुरक्षा संरचना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण संस्थागत सुधार है। यह विधेयक प्रशासनिक स्पष्टता बढ़ाता है, परिचालन दक्षता में सुधार करता है, कर्मियों का मनोबल उन्नत करता है और सीएपीएफ के लिए एक समन्वित तथा भविष्य-सक्षम प्रशासनिक ढांचा स्थापित करता है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026 ग्रुप 'ए' की सामान्य ड्यूटी अधिकारियों के लिए एक समान एकीकृत ढांचा स्थापित करता है। इसका उद्देश्य भर्ती और सेवा शर्तों में एकरूपता लाना, कानूनी स्पष्टता बढ़ाना और सेवा संबंधी विवादों को कम करना है। यह विधेयक विभिन्न कानूनों और आदेशों में विद्यमान विरोधाभासों को दूर करता है और सीएपीएफ में भर्ती के लिए एक संयुक्त कानूनी प्रणाली निर्मित करता है। यह आईपीएस प्रतिनियुक्ति से संबंधित 2025 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को भी ध्यान में रखता है, ताकि न्यायिक निर्देशों और राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं के बीच संतुलन बना रहे। यह विधेयक सीएपीएफ भर्ती और नेतृत्व को राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए एक आवश्यक सुधार है। यह सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों को सम्भालते हुए, स्पष्टता और पर्याप्त अधिकार प्रदान करता है और सीएपीएफ अधिकारियों के करियर विकास हेतु नए वरिष्ठ पद सृजित करता है। यह विधेयक वरिष्ठ पदों पर आईपीएस अधिकारियों के लिए एक निश्चित प्रतिनियुक्ति कोटा अनिवार्य करता है, जिसके अंतर्गत 50 प्रतिशत महानिरीक्षक, 67 प्रतिशत अपर महानिदेशक, 100 प्रतिशत विशेष महानिदेशक तथा महानिदेशक के पद प्रतिनियुक्ति से भरे जाएंगे। डीआईजी पद पर अब तक जो 20 प्रतिशत की प्रतिनियुक्ति की व्यवस्था थी, इसमें उसे समाप्त कर दिया गया है। यह

Contents Page

व्यवस्था अनुभवी नेतृत्व सुनिश्चित करने और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने हेतु बनाई गई है। यह विधेयक मौजूदा भर्ती नियमों को तत्काल प्रभाव से जारी रखता है, जब तक उन्हें आधिकारिक रूप से संशोधित न किया जाए। ग्रुप 'ए' अधिकारियों के सभी वित्तीय लाभ सुरक्षित रहेंगे और यह समग्र प्रावधान सरकारी खजाने पर भी कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डालता है।

माननीय उपसभापति जी, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल - सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ और एसएसबी भारत की आंतरिक सुरक्षा ढांचे की रीढ़ हैं। ये बल अनेक महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं, जैसे भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की रखवाली, आतंकवाद विरोधी अभियान संचालन, नक्सल विरोधी अभियान, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और अवसंरचनाओं की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था बनाए रखने में राज्य सरकारों की सहायता, चुनाव का शांतिपूर्ण संचालन सुनिश्चित करना, आपदा प्रतिक्रिया और मानवीय सहायता प्रदान करना।

उपसभाध्यक्ष जी, हिमालय की हिमाच्छादित चोटियों से लेकर राजस्थान के तप्त मरुस्थलों तक, मध्य भारत के घने जंगलों से लेकर उत्तर-पूर्व के संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों तक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज़ कर्मी अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सेवा करते हैं। वे लंबे समय तक अपने परिवारों से दूर तैनात रहते हैं। वे शत्रुतापूर्ण भूभाग, चरम जलवायु और उच्च जोखिम वाले वातावरण में काम करते हैं। उनका योगदान निरंतर, अथक और अक्सर अनदेखा रहता है। वास्तव में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज़ आज केवल प्रतिक्रियाशील नहीं है, वे सक्रिय रूप से स्थिरता देने वाली संस्थाएं हैं। वे उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में वर्चस्व स्थापित करते हैं, स्थानीय जनता में विश्वास जगाते हैं और शासन को प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाते हैं। सुरक्षा से परे ये बल लोकतंत्र की रक्षा भी करते हैं, चुनाव के दौरान निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करते हैं, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान उद्धार और राहत अभियानों में सहायता करते हैं और आंतरिक अशांति के दौरान स्थिरता और विश्वास बहाल करते हैं। ...(**समय की घंटी**)... सर, मैं कन्क्लूड कर रहा हूं। अतः सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज़ केवल सुरक्षा बल नहीं है, अपितु राष्ट्रीय स्थिरता के उपकरण हैं। अतः विशाल, विविध और जटिल भारत जैसे देश में आंतरिक सुरक्षा केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है। यह राष्ट्रीय स्थिरता, आर्थिक विकास, लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली और सामाजिक सौहार्द की नींव है। जब आंतरिक सुरक्षा मजबूत होती है, तेज विकास संभव होता है, निवेश बढ़ते हैं, शासन सुधरता है और नागरिक आत्मविश्वास से जी सकते हैं। ...(**समय की घंटी**)... सर, मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। अतः सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज़ को सुदृढ़ करना केवल प्रशासनिक आवश्यकता नहीं, अपितु राष्ट्रीय प्राथमिकता है। इसी के साथ, मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा): श्रीमान एच.डी. देवेगौड़ा, नॉट प्रेज़ेंट। श्रीमान मनन कुमार मिश्रा।

SHRI MANAN KUMAR MISHRA (Bihar): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support the Central Armed Police Forces Bill, 2026, a transformative and structurally necessary reform that seeks to rationalise, modernise and humanise the administrative

Contents Page

framework governing our CAPFs. Under Article 355 of the Constitution of India, the Union has a solemn duty to protect every State against external aggression and internal disturbances. The Central Armed Police Forces are the principal instruments through which this constitutional obligation is discharged. Sir, in Service, prudence, consistency and predictability are the cornerstones of fairness. The hon'ble Supreme Court has repeatedly emphasised that arbitrariness in administrative action violates Article 14. This Bill, therefore, brings codification, uniformity and legal certainty, ensuring that the governance of CAPFs is no longer dependent on discretion but guided by statute.

Sir, at present, the five major CAPFs operate under separate statutes, leading to fragmented service conditions and frequent litigations. The Bill addresses this by creating a single, unified statutory framework for recruitment, promotion and deputation. This Bill formalises and strengthens the long-established practice of appointing IPS officers to senior leadership positions within CAPFs, thereby ensuring continuity, stability and administrative coherence. By statutorily providing for the deputation of IPS officers, the Bill secures a consistent and merit-based leadership pipeline at the highest level. This framework draws upon the extensive, pan-India policing experience of IPS officers, enabling them to effectively navigate complex law and order situations, counter-insurgency operations and inter-jurisdictional challenges. The Bill addresses the long-standing issue of career stagnation among approximately 13,000 Group 'A' CAPF cadre officers by creating additional senior posts through focussed structural reforms. It helps ease persistent promotional bottlenecks and acknowledges the experience of in-house officers.

Sir, for years, the welfare, housing, and healthcare needs of CAPF personnel remained inadequately addressed, creating gaps in support for both personnel and their families. The Bill will not affect the *status quo* and ensures continuity of all service benefits, allowances, pensions, and welfare measures. Under the Modi Government, between 2019 and 2025, over 16,000 housing units have been constructed improving the housing satisfaction from a mere 33 per cent in 2014 to a targeted 74 per cent in 2024.

सर, आज देश में नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हो गया है। यह हमारे दूरदर्शी गृह मंत्री, अमित शाह जी की सफल नीतियों और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। Under the UPA Government, the absence of a unified command contributed to serious setbacks, including the 2010 Dantewada attack that killed 76 CRPF personnel. Modi

Contents Page

Government has strengthened the IPS-led CAPF command, enabling coordinated, intelligence-based operations like Operation Kagaar and Operation Black Forest.

Sir, reversing years of the UPA Government's neglect, the Modi Government has decisively accelerated force modernization through Modernisation Plan-IV, backed by a dedicated financial outlay of Rs.1,523 crore. This comprehensive upgrade seamlessly integrates drones, advanced communication systems, protective gear, surveillance networks, and armoured vehicles into daily operations. Furthermore, border infrastructure has been aggressively fortified with 591 Km of fencing and 1,159 Km of floodlights along the Bangladesh border.

Sir, championing women's empowerment in national security, the Modi Government also approved the establishment of the first all women battalion for the CISF. (*Time-bell rings*)

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please conclude.

SHRI MANAN KUMAR MISHRA: Sir, I will conclude in one minute. Sir, beyond law and policy, there is a moral dimension. Our CAPF personnel guard borders in extreme climate, combat insurgency and terrorism, secure elections, the very foundation of democracy, and, yet, for years, they have functioned without a uniform administrative justice system. This Bill is not a favour to them, it is a long overdue recognition of their service. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Thank you. Now, Shrimati Dharmshila Gupta.

श्रीमती धर्मशीला गुप्ता (बिहार): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आज इस महत्वपूर्ण केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026 के समर्थन में पूरे आत्मविश्वास और गर्व के साथ बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। यह केवल एक प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि यह हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक, सक्षम और समन्वित बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। मैं अपनी बात रखने से पहले देश के आदरणीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहती हूं, उनका धन्यवाद करना चाहती हूं कि देश के लाखों-लाख जवानों के वेतन, प्रमोशन और उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में उन्होंने चिंता की और संसद के पटल पर आज यह महत्वपूर्ण विधेयक, सीएपीएफ, 2026 आया है। मैं आदरणीय गृह मंत्री, श्री अमित शाह जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूं, आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि उनकी कुशल रणनीति के कारण आज नक्सलवाद हमारे देश में अंतिम सांसें गिन रहा है, वह खत्म होने पर है, लगभग खत्म हो चुका है। मैं देश के उन लाखों बहादुर जवानों को नमन करती हूं, जो सीमाओं से लेकर जंगलों तक, चुनाव ड्यूटी से लेकर आपदा प्रबंधन तक, हर मोर्चे पर देश की रक्षा में दिन-रात लगे रहते

Contents Page

हैं। यह विधेयक उन्हीं के भविष्य, उनके सम्मान और उनकी कार्यक्षमता को मजबूत करने का एक सशक्त माध्यम है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा जन्म बिहार में हुआ है और मेरा बचपन से लेकर युवावस्था तक का समय उस दौर में बीता, जब बिहार में श्री लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में एक समय था, जब जंगल राज था और जब बिहार तथा झारखंड एक ही राज्य हुआ करते थे। उस समय की परिस्थितियां आज भी स्मरण होते ही हमारे मन को विचलित कर देती हैं। चूंकि मेरा गांव झारखंड से सटा था, मैंने वह दृश्य अपनी आंखों से देखा और अपनी आंखों से महसूस किया। जब हमारी बहनें घर से बाहर नहीं निकल सकती थीं, जब हमारे देश के जवान अपनी ड्यूटी पर जाते थे, तो नक्सलवाद के कारण उनकी हत्या कर दी जाती थी, केंद्र में यूपीए की सरकार, बिहार में जंगलराज और देश में नक्सलवाद था। यह वह परिस्थिति थी, जिसके चलते कितनी ही माताओं की गोद उजड़ गई, कितनी ही बहनों के सिंदूर मिट गए और कितने ही जवान वापस घर नहीं आए। यह था - बिहार का जंगलराज और कांग्रेस में देश की यूपीए की सरकार, जिन्होंने वामपंथियों से मिलकर पूरे देश में नक्सलवाद का आतंक फैला दिया था। लेकिन हम अपने देश के गृह मंत्री जी का अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने गृह मंत्रालय संभालते समय भारत माता को प्रणाम किया था और कहा था कि मैं 2026 के मार्च तक नक्सलवाद को देश से मिटा दूंगा। मुझे गर्व हो रहा है कि आज देश की हर मां, हर बहन, हर बेटी और हर जवान के परिवार आदरणीय गृह मंत्री जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं, उनको दुआएं दे रहे हैं। आज हमारी बेटियां स्कूल से लौट कर घर आ रही हैं। आज जब हमारी बहनें बाजार जाती हैं, तो वे घर वापस आती हैं। यह परिवर्तन है और यह मोदी का नेतृत्व है। यह मोदी के ही नेतृत्व में ही संभव हो सकता है। उपसभाध्यक्ष महोदय, ...(**समय की घंटी**)... मेरा टाइम खत्म हो गया?

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा): समय कम है।

श्रीमती धर्मशीला गुप्ता: तब मैं कैसे बोलूंगी?

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा): समय कम है। आप कंक्लूड करें।

श्रीमती धर्मशीला गुप्ता: सर, मुझे दो मिनट का समय दीजिए। ...(**व्यवधान**)... मुझे कंक्लूड करना है। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में जो आतंकवाद और नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र थे - जब हमारे प्रधान मंत्री जी ने 2014 में कमान संभाला, तो उस समय हमारे देश में 216 जिले ऐसे थे, जो नक्सलवाद प्रभावित थे। ...(**समय की घंटी**)... लेकिन आज घट करके ऐसे मात्र 11 जिले बच गए हैं।

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा): थैंक यू।

श्रीमती धर्मशीला गुप्ता: महोदय,मैं अंत में यह कहना चाहती हूं कि :

Contents Page

"लाल अंधेरे में जो भटकी थी कभी यह धरती महान,
अब विकास की रोशनी से जगमग है हर एक स्थान।
विचारों की जंजीर टूटी, हिंसा का हुआ अवसान,
नया भारत लिख रहा है शांति और प्रगति का गान।
यह है मोदी का नेतृत्व, यह है अमित शाह का नेतृत्व।"

हमारे प्रोफेसर साहब भी विपक्ष में बैठे हैं, वे कह रहे थे कि मैं प्रोफेसर हूँ, तो मैं वीसी नहीं बन सकता।...(**समय की घंटी**)... मैं उनको कहना चाहती हूँ कि आप ठीक से पढ़िए - प्रोफेसर अगर वीसी, यानी कुलपति नहीं बन सकते, तो उन्हें उसी के समान सम्मान का पद दिया जाएगा।...(**समय की घंटी**)... यह विधेयक यही दर्शाता है, यही बताता है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपसभापध्यक्ष (डा.सस्मित पात्रा): डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे जी।

डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे (महाराष्ट्र): महोदय, मैं आज 'केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026' के समर्थन में पूरे दृढ़ विश्वास के साथ खड़ा हूँ। यह भारत की आंतरिक सुरक्षा संरचना का 21वीं सदी का विधेयक है। मैं मेरी बहन प्रियंका चतुर्वेदी, जो अभी बोल कर गईं, वे निवृत्त भी हो रही हैं और उनकी पार्टी का सूरज भी ढल रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, डूब गया है, ...(**व्यवधान**)... उनको बताना चाहता हूँ कि प्रियंका जी, नजर बदलो, नजारा बदल जाता है। मोदी जी की नजर से देखें, अमित शाह जी की नज़र से देखें, तो इस बिल में इंडिया की सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी नजर आती है।...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please address the Chair.

डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे: और उनकी नजर से देखेंगे, क्योंकि अभी यूबीटी है, इसलिए उनकी नजर से देख रहे हैं। उनकी नजर से देखेंगे, तो आपको उसमें विवाद नजर आता है, उसमें कॉंट्रोवर्सी नजर आती है। महाराष्ट्र के सीएम देवेन्द्र फडणवीस ने गढ़चिरौली जैसे नक्सल प्रभावित जिले का पिछले तीन साल से गार्डियन मिनिस्टरशिप संभाला है। वहाँ पर रोजगार का निर्माण किया है और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने गढ़चिरौली, अहेरी, सिरोंचा को पूरा नक्सल मुक्त कर दिया है, पूरे भारत को नक्सल मुक्त कर दिया। जब मैं अपोजिशन पार्टी, कांग्रेस का भाषण सुन रहा था, तब मुझे लग रहा था * अब इनको सीएपीएफ के बारे में बड़ा प्यार आ रहा है, लेकिन उनको मैं याद दिलाता हूँ कि जब सीएपीएफ के के जवान शहीद होते थे, सीआरपीएफ के जवान शहीद होते थे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान शहीद होते थे, तो उन्होंने कभी उनको मुआवाजा देने की हिम्मत नहीं की। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने शहीद के हर कुटुंब को सहायता करने की पूरी स्कीम बनाई। 2014 तक आवास योजना में सीएपीएफ के कर्मचारियों और ऑफिसर्स के लिए सिर्फ 13 परसेंट आवास का प्रावधान किया गया

* Not recorded.

Contents Page

था, लेकिन 2014 से 2025 तक 73 परसेंट आवास का प्रावधान प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। स्वास्थ्य की सुविधा के लिए स्पेशल आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था की गई, ताकि उनको कैशलेस सुविधा मिले। मैं तो टीएमसी के साकेत जी का भाषण सुन रहा था, चूँकि वे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, लेकिन वे डेपुटेशन पर टीएमसी में गए हैं, ...(**व्यवधान**)... अब टीएमसी में जाने के बाद में उनको पूछना चाहिए था ...(**व्यवधान**)... पश्चिमी बंगाल में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बोलती है कि पश्चिमी बंगाल में बांग्लादेश के बॉर्डर पर फेंसिंग लगानी है, तो फेंसिंग रोकने का काम किसने किया? ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा): कृपया आप विषय पर बोलिए।

डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे: बॉर्डर लाइन से 150 मीटर तक जो झोपड़ियाँ हैं, झुग्गियाँ हैं, वहाँ पर कौन बसे हैं? वहां पर तो घुसपैठिये रह रहे हैं!

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा): आप सब्जेक्ट पर बोलिए।

डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे: वहां पर लैंड एक्वायर करने की कोशिश - उनके ऊपर आपकी इतनी ममता क्यों है? उनके ऊपर आपका प्यार क्यों है? असम में पूरी फेंसिंग हो गयी, लेकिन बांग्लादेश की फेंसिंग नहीं हुई, क्योंकि इनकी ममता घुसपैठियों के ऊपर है। ...(**व्यवधान**)... भारत के गृह मंत्री, अमित शाह जी ने बताया कि हम घुसपैठियों को सहन नहीं करेंगे, उनको निकालेंगे। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): I have to take a point of order. ...(*Interruptions*)...

डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे: ये लोग बीएसएफ के काम में भी बाधा डालते हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, ऐसी चीजों के लिए आईपीएस ऑफिसर डेपुटेशन पर रहने जरूरी हैं। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): I am taking a point of order after you. Please conclude. ...(*Interruptions*)... I am taking a point of order. ...(*Interruptions*)...

डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे: यह आज कोई नई बात नहीं है, पहले भी आईपीएस ऑफिसर्स रहते थे, लेकिन वे 100 परसेंट रहते थे, इसलिए विवाद होता था। आज इस प्रावधान से उनको सुरक्षित किया गया है कि प्रमोशन से भी 40 परसेंट लोग हायर पोस्ट्स पर जाएंगे। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिन्द!

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Now, point of order. Under which rule?

SHRIMATI SAGARIKA GHOSE (West Bengal): Sir, the point of order is that the

Contents Page

Member must always address the Chair. He is repeatedly addressing only us. He must always address the Chair. One more point is that the Border Security Force is under the Central Government. He cannot make direct comments at the West Bengal Government.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Point noted. Shrimati Rekha Sharma.

श्रीमती रेखा शर्मा (हरियाणा): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, चूंकि समय कम है, इसलिए मैं आज की बात अपनी जिंदगी से ही शुरू करना चाहूंगी। अपोजिशन वाले बार-बार सिक्योरिटी फोर्सेज़ की बात कर रहे हैं, तो मैं भी उसी का एक हिस्सा हूँ। मेरे पति आर्मी से आते हैं। मैंने उन दिनों में अपने पति का साथ दिया, जब बॉर्डर्स पर न तो सड़कें होती थीं, न रहने की सुविधा होती थी, परिवारों के लिए घर नहीं होते थे, बच्चों के लिए स्कूल्स नहीं होते थे। अपने हस्बैंड की 23 साल की सर्विस में मैं केवल 10 साल अपने हस्बैंड के साथ रह पाई, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने फौजियों को कोई सुविधा नहीं दी थी। यदि ओआरओपी भी आया, तो वह माननीय प्रधान मंत्री जी लेकर आए और उसके कारण आज फौजी सर उठाकर जी सकते हैं। आज उनके पास वे सुविधाएं हैं कि अगर उन्हें अपने पति से अलग भी रहना पड़े, तो वे कम से कम अपने परिवारों की देखभाल कर सकती हैं। सर, ये ग्राउंड रिएलिटीज़ हैं। इन ग्राउंड रिएलिटीज़ पर इन्होंने कोई चर्चा नहीं की, लेकिन अपने पति से अलग रहकर, बच्चों को अकेले पालकर मैंने इसको जिया है। उस समय आम व्यक्तियों को यह भी पता नहीं होता था कि बॉर्डर पर आर्मी कहां-कहां डिप्लॉयड है और किस तरह से उनकी जानें जा रही हैं। सर, अर्थियां आती थीं, लेकिन उनको किसी तरह से रफा-दफा कर दिया जाता था। उस समय उनको वैसा सम्मान नहीं मिलता था, जैसा आज मिल रहा है। सर, ये अभी भी भ्रांतियां फैला रहे हैं। इस बिल में भी ये जिस तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं, मैं उनको ही दूर करना चाहूंगी।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों द्वारा यह चिंता व्यक्त की गई है कि यह विधेयक बल के सभी 10 लाख कर्मियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। इस संदर्भ में मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि सीएपीएफ के कुल कर्मचारियों में से लगभग 98 परसेंट पद कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक के हैं और शेष केवल 2 प्रतिशत पद अधिकारियों के हैं, जिनमें ग्रुप-ए जीडी अधिकारी, प्रतिनियुक्ति पर तैनात आईपीएस अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, अभियांत्रिकी शाखा के अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों का कैडर सम्मिलित है। माननीय उपसभाध्यक्ष जी, प्रस्तावित विधेयक में उल्लिखित सभी भर्ती नियम केवल ग्रुप ए अधिकारियों से संबंधित हैं। अतः यह कहना कि यह विधेयक बल के सभी 10 लाख कर्मियों को प्रभावित करेगा, यह तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। जहां तक ग्रुप-ए अधिकारियों का संबंध है, यह विधेयक वर्तमान में उन्हें प्राप्त किसी भी लाभ अथवा प्रावधान को समाप्त नहीं करता। चाहे यह NFFU अथवा NFSG जैसे वित्तीय लाभ को या अधिकारियों की पदोन्नति से संबंधित वर्तमान नियम में किसी प्रकार का अवरोध इस विधेयक द्वारा नहीं किया जा रहा है। अन्यथा, यह आशंका कि यह विधेयक ग्रुप 'A' अधिकारियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, उचित नहीं है।

Contents Page

उपसभाध्यक्ष महोदय, बल का प्रत्येक सदस्य — चाहे वह कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सहायक उप-निरीक्षक, उप-निरीक्षक, निरीक्षक, ग्रुप 'A' के अधिकारी, प्रतिनियुक्ति पर आए भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी अथवा कोई अन्य सदस्य हो — इन सभी बलों के संचालनात्मक कार्यों में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, विपक्ष द्वारा यह कहना कि सीएपीएफ के ग्रुप 'A' जीडी अधिकारियों को प्रमोशन नहीं मिल रहा है, न केवल तथ्यात्मक रूप से गलत है, बल्कि जानबूझकर सदन और देश को misinform करने का प्रयास भी है। वास्तविकता यह है कि वर्ष 2024–25 के दौरान सभी अधिकारियों को नियमित रूप से कम से कम प्रमोशन प्राप्त हुए हैं और अनेक अधिकारी 5 से 6 प्रमोशन के बाद IG तथा ADG स्तर पर पहुंचे हैं। यह स्वयं इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार ने प्रमोशन व्यवस्था को व्यवस्थित, transparent और समयबद्ध बनाया है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, अंत में, क्योंकि समय कम है, तो मैं केवल यह कहना चाहूंगी कि विपक्ष इन विधेयकों के non obstante clause को लेकर भी अनावश्यक भ्रम फैलाने के प्रयास में है। ...(**समय की घंटी**)... मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि यह प्रावधान CAPF की विशिष्ट कार्य-प्रणाली, राष्ट्रीय सुरक्षा की संवेदनशील आवश्यकताओं तथा राज्यों के साथ बेहतर समन्वय को ध्यान में रखते हुए लाया गया है, धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Now, Dr. Parmar Jashvantsinh Salamsinh.

डा. परमार जशवंतसिंह सालमसिंह (गुजरात): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे आज Central Armed Police Forces (General Administration) Bill, 2026 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा होने का अवसर मिला है। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, महान संस्थाएं केवल अपने कार्यों से नहीं, बल्कि उन स्पष्ट, सुदृढ़ और न्यायपूर्ण नियमों से बनती हैं, जिनके आधार पर वे संचालित होती हैं। बिना chain of command के कोई भी सेना भीड़ बन जाती है और बिना statutory framework के कोई भी राष्ट्रीय सुरक्षा बल confusion, litigation और uncertainty का शिकार बन जाता है। इसी पृष्ठभूमि में CAPF Bill, 2026 केवल एक विधेयक नहीं है; यह एक systemic correction है। यह बिल 'one nation, one framework, one clear system' की दिशा में एक निर्णायक कदम है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आज मैं इस विधेयक को केवल एक administrative reform के रूप में नहीं, बल्कि भारत की आंतरिक सुरक्षा की बड़ी कहानी के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देखता हूं। हाल ही में लोकसभा में माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने Left-Wing Extremism पर जवाब देते हुए एक ऐतिहासिक बात कही कि भारत आज लगभग नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है। देश में जो कभी 'red corridor' के नाम से जाना जाता था, वहां आज हिंसा में भारी कमी आई है। हजारों नक्सलियों ने surrender किया है और माओवादी leadership structure लगभग समाप्त हो चुकी है। 31 मार्च, 2026 का लक्ष्य केवल एक deadline नहीं था; यह राजनीतिक इच्छाशक्ति का परिणाम था।

Contents Page

महोदय, यह सफलता security operations के साथ-साथ उस vision से आई है, जो माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने दिया है— security-plus-development-plus-governance is equal to permanent solution. जहां पहले बंदूकों की आवाज थी, आज वहां सड़कें, mobile tower, banking सेवाएं और लोकतंत्र की पहुंच है। यही New India model है।

सर, जब CRPF नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों में कार्य करती है, तो वह State Police, civil Administration, intelligence agencies और स्थानीय शासन के साथ मिलकर काम करती है। बीएसएफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर राज्य एजेंसियों के साथ समन्वय करती है। इलेक्शन के दौरान CAPF, State Police, Chief Election Officer और अन्य एजेंसियों के साथ coordination में deploy होती है। ऐसी स्थिति में एक IPS officer का नेतृत्व केवल administrative नहीं होता; वह inter-agency federal coordination की वास्तविक समझ लेकर आता है। मैं इस सदन से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब हमने नक्सलवाद जैसी दशकों पुरानी चुनौती को clear policy, strong leadership and coordinated action से समाप्त कर दिया, तो क्या हम अपनी CAPFs को अभी भी confusion and litigation में फंसा रहने देंगे? सच्चाई क्या थी? पहले five Forces, five different Acts, thirteen Recruitment Rules, dozens of Executive Orders and hundreds of court cases. यह governance नहीं था, यह fragmentation था और इसीलिए यह बिल आवश्यक है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि जो बंदूक उठाएगा, उससे कभी भी बातचीत नहीं होगी। यह जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी केवल नक्सलवाद पर नहीं, बल्कि पूरे internal security framework पर लागू होती है और इस नीति का अगला logical step हमारी CAPFs को clear, stable and statutory framework देना है। कुछ लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं, वही लोग जिन्होंने दशकों तक नक्सलवाद को पनपने दिया, clear policy नहीं बनाई और security forces को बिना फ्रेमवर्क के छोड़ दिया। आज वे हमें लेक्चर दे रहे हैं। सच यह है कि Sir, the truth is that without political will, problems grow and with decisive leadership, they end. यह बिल क्या करता है? एक overriding parliamentary framework देता है, सभी conflicting rules को समाप्त करता है। CAPF personnel के right and dignity को प्रोटेक्ट करता है, deputation system में बैलेंस लाता है और सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम में clarity भी लाता है।

महोदय, हमारी CAPFs वही फोर्सज़ हैं, जिन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी, सीमाओं की रक्षा की, critical infrastructure को सुरक्षित रखा और लोकतंत्र को ground-level पर मजबूत किया। जब उन्होंने देश को stability दी है, तो क्या हम उन्हें uncertain service conditions दे सकते हैं? यह बिल केवल कानून नहीं, यह एक संदेश है। Now, when the Parliament has spoken, system will be cleared and Forces will be empowered.

महोदय, अंत में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जिस नेतृत्व ने नक्सलवाद जैसी जटिल समस्या को समाप्त किया, वही नेतृत्व आज सीएपीएफ को एक मजबूत फ्रेमवर्क देता है।

Contents Page

यह continuity of governance है, यह clarity of policy है, यह न्यू इंडिया की निर्णायकता है। ...(**समय की घंटी**)... मैं इस सदन से आग्रह करना चाहता हूं कि इस विधेयक को पूर्ण समर्थन के साथ पारित किया जाए, क्योंकि यह केवल सीएपीएफ का बिल नहीं, बल्कि यह भारत की आंतरिक सुरक्षा को स्थायी मजबूती देने का संकल्प है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद!

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Message from Lok Sabha; Secretary-General.

MESSAGE FROM LOK SABHA

The Andhra Pradesh Reorganisation (Amendment) Bill, 2026

SECRETARY-GENERAL: Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha, at its sitting held on 1st April, 2026, passed the Andhra Pradesh Reorganisation (Amendment) Bill, 2026.

I lay a copy of the said Bill on the Table.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Now, Shri Sat Paul Sharma.

GOVERNMENT BILLS

The Central Armed Police Forces (General Administration) Bill, 2026 - *Contd.*

श्री सत पाल शर्मा (जम्मू-कश्मीर): उपसभाध्यक्ष महोदय, कई बार समय के साथ-साथ हमारे प्रशासनिक ढांचों में, नियमों में, आदेशों में बदलाव हो रहा है। कई ऐसी प्रक्रियाएं विकसित हो जाती हैं, जिन्हें समय-समय पर संशोधन करना आवश्यक होता है। सीएपीएफ, 2026 समस्या का समाधान करता है। जब हम लोग देश भर की परिस्थितियों की बात करते हैं, तो यहां पर बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी और आईटीबीपी जैसे पांचों प्रमुख अर्धसैनिक जो बल हैं, वे काम करते हैं।

(**उपसभापति महोदय** *पीठासीन हुए।*)

महोदय, बीएसएफ के लोग सीमा पर प्रहरी बनकर हमारी रक्षा करते हैं। हम लोग जब सो रहे होते हैं, तो सीआरपीएफ के लोग सिविलियंस इलाके में प्रहरी बनकर हमारी रक्षा करते हैं। ऐसी परिस्थिति है कि पांचों के पांचों अलग से रिप्रेजेंट करते हैं। इनके अपने हेड्स होते हैं और एक यूनिफाइड कमांड नहीं होने के कारण कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, जहां पर कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मेरा मानना है कि सीएपीएफ, 2026 के माध्यम से एक

Contents Page

समान कानून umbrella law की कमी होने के कारण और जो इस वक्त umbrella law लाया गया है, मैं इसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

सर, समय थोड़ा कम है, तो मैं संक्षिप्त में बात करूंगा। जब भी कोई बड़ा सुधार होता है, तो उसके मुताबिक सरकार के ऊपर, exchequer के ऊपर बहुत खर्चे होते हैं।

3.00 **P.M.**

पर यह विधेयक बिना खर्चे के ही, एक स्ट्रक्चरल चेंज लाता है। फाइनेंशियल मेमोरेंडम के अनुसार भारत के कंसोलिडेटिड फंड पर इसका कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ने वाला है। There will be no additional recurring cost or non-recurring cost. यह विधेयक एक एग्जैम्पल है, जिसमें संस्थागत क्षमता भी बढ़ी है और वित्तीय अनुशासन भी बना रहेगा।

मान्यवर, अगर हम यूपीए के समय की बात करें, तो भारत ने यूनिफाइड कमांड की कमी के कारण गंभीर नुकसान सहे हैं। इसमें 2010 में हुआ दंतेवाड़ा हमला भी शामिल था, जिसमें हमारे सीआरपीएफ के छिहतर नौजवान शहीद हुए। मोदी सरकार ने आईपीएस के नेतृत्व वाले सीएपीएफ कमांड को मजबूत किया है, इससे जो ऑपरेशन कगार और ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जैसे कोऑर्डिनेटेड खुफिया आधारित ऑपरेशन्स हुए हैं, वे सक्षम हो सकेंगे और सफल होंगे। इसके परिणामस्वरूप वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा में तेजी से गिरावट आई है और हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से नक्सलवाद लगभग समाप्ति की तरफ अग्रसर है, समाप्त हो चुका है, तो इसके पीछे भी नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है।

मान्यवर, अगर हम समय का कंपेरिजन करें, दो सरकारों का कंपेरिजन करें, तो 2010 में ऐसी 1,936 घटनाएं हुई थीं। यहां पर हमारे 1,005 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे, शहीद हुए थे, लेकिन जब हम लोग कंपेरिजन में 2025 का समय देखते हैं, तो ऐसी 222 घटनाएं हुई हैं, हालांकि, मेरा तो यह मानना है कि कोई भी हताहत नहीं होना चाहिए, कोई भी शहीद नहीं होना चाहिए, लेकिन जब हम लोग दो समयों का कंपेरिजन करते हैं, तो ऐसे डिफरेंसस हम सबके सामने आते हैं। इससे पहले 2014 में 36 जिले इससे प्रभावित थे, लेकिन आज 3 रह गए हैं और जो लोग भी नक्सलवाद से ग्रस्त थे, वे मुख्यधारा में वापस आना चाहते हैं। 2025 में 1,225 से भी ज्यादा लोगों ने आत्मसर्पण किया है।

मान्यवर, एनडीए के कार्यकाल में आतंकवाद में कमी आई है। एक समय था, जिसमें यहां तक कि availability of guns था, मेटीरियल था, आधुनिक हथियार थे, कभी कोई अवेलेबिलिटी नहीं होती थी, परंतु मोदी सरकार ने 1,523 करोड़ रुपये देकर सीएपीएफ का आधुनिकीकरण करने के प्रयासों में तेजी दी है। रोजमर्रा के ऑपरेशन के लिए, ड्रोन्स की अच्छी संचार प्रणाली, बख्तरबंद गाड़ियां आदि आतंकवाद की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे सीएपीएफ के नौजवानों के लिए उपलब्ध हैं। यह एक सराहनीय कदम है। मान्यवर, देश की सीमा पर ...(**समय की घंटी**)...

श्री उपसभापतिः कृपया कंक्लूड कीजिए।

Contents Page

श्री सत पाल शर्माः बांग्लादेश की सीमा पर 591 किलोमीटर की फेंसिंग और 1,159 किलोमीटर की फ्लड लाइट्स के साथ सीमा के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया है। मान्यवर, अंत में मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि राष्ट्र की शक्ति उसकी संस्थाओं में निहित होती है। सीएपीएफ जैसे बल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र की महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, उन्हें मजबूत प्रशासनिक ढांचा देना हमारी जिम्मेवारी है। इसलिए मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपसभापतिः श्री मोकरिया रामभाई, आप अपना भाषण आरंभ कीजिए।

श्री मोकरिया रामभाई (गुजरात)**:** माननीय उपसभापति महोदय, मैं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026 के समर्थन में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह विधेयक केवल एक कानूनी सुधार नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह हमारे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के समर्पण, त्याग और कठिन सेवा परिस्थितियों में सम्मान देने का एक सशक्त प्रयास है। हमारे माननीय यशस्वी वडा प्रधान श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और हमारे ब्रेव होम मिनिस्टर अमित शाह जी के दृढ़ मार्गदर्शन में भारत की सुरक्षा व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। यह विधेयक उसी प्रतिबद्धता का परिणाम है, जिसके तहत सरकार संस्थागत सुधार और प्रशासनिक सुदृढ़ता को प्राथमिकता देती है। माननीय उपसभापति जी, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी लंबे समय से अलग- अलग प्रशासनिक ढाँचे के तहत कार्य कर रहे थे। इस असमानता के कारण कई बार निर्णय लेने में देरी, प्रक्रिया में जटिलता और कार्यशीलता में कमी देखने को मिली थी। यह विधेयक इन समस्याओं का दूर करते हुए, एक समान और पारदर्शी प्रशासनिक ढांचा स्थापित करने का प्रयास करता है। इससे भर्ती, पदोन्नति, कल्याण और अनुशासन से जुड़े मामलों में स्पष्टता और समानता आएगी। इस विधेयक का एक महत्वपूर्ण पहलू हमारे जवानों के कल्याण पर विशेष ध्यान देना है। हमारे जवान अत्यंत कठिन परिस्थितियों में देश की सेवा करते हैं, चाहे वह बर्फ से ढका सीमावर्ती क्षेत्र हो या आंतरिक सुरक्षा की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियाँ हों। काँग्रेस के समय में लम्बे समय तक उनकी प्रशासनिक समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन यह विधेयक उनकी शिकायत समाधान, पदोन्नति और बेहतरीन जीवन स्तर सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस कदम उठाता है।

माननीय उपसभापति महोदय, यह विधेयक कार्य कुशलता को भी बढ़ाता है। यह अनावश्यक नौकरशाही बाधाओं को कम करता है और फील्ड स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता को सशक्त बनाता है। आज के समय में, जब सुरक्षा चुनौतियाँ लगातार बदल रही हैं, चाहे वह आतंकवाद हो या आधुनिक तकनीकी खतरे हों, ऐसी त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया अत्यंत आवश्यक है। सर, मैं राजकोट का एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। वहाँ पर सीआईएसएफ के जवान एयरपोर्ट पर लगे हैं। वहाँ पर एक टूरिस्ट की पाँच करोड़ की घड़ी थी, वह एनआरआई था। उसकी महंगी घड़ी गुम हो गई थी, तो उन्होंने दस मिनट में ढूँढकर दे दी। सीआईएसएफ वालों की यह भी एक अच्छी उपलब्धि है।

Contents Page

दूसरी बात, मेरा यह कहना है कि हम सब ऐशोआराम करते हैं, हम पूरा सुखद समय बिताते हैं, तो यह इनके द्वारा अपनी जान जोखिम में डालने के बाद ही कर पाते हैं। ये जो हमारे पाँचों दल हैं, इनकी वजह से ही हम चैन की नींद सो सकते हैं। इतिहास गवाह है कि अपने शासनकाल में काँग्रेस ने ऐसे आवश्यक सुधारों को या तो टाल दिया, जो इनकी हैबिट है या उन्हें प्राथमिकता नहीं दी। आज जब वर्तमान सरकार निर्णायक कदम उठा रही है, तो उनका विरोध असंगत और निराधार लगता है। सर, मुझे तो यह पता था कि हमारे ऑपोजिशन के लीडर -- जैसे मैं पंडित हूँ, तो यह मेरा जनेऊ है। यह मैं यहाँ पर बताना नहीं चाहता, लेकिन ये मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, तो बोलते हैं कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ। यह जो ब्राह्मण है, हमारे सामने भी बैठे हैं, पर ब्राह्मण को जनेऊ बताने की जरूरत नहीं होती। उसके कर्मों से, फेस से ही पता चलता है कि वह ब्राह्मण है।

श्री उपसभापतिः आप विषय पर बोलिए।

श्री मोकरिया रामभाईः हमारे ऑपोजिशन लीडर. हैं। वे अपने अलग-अलग रूप दिखाकर बोलते हैं, वह सही नहीं है। इतिहास गवाह है कि अपने शासनकाल में काँग्रेस ने जो कुछ भी किया है, उसमें से काफी कुछ हमारे पास पेंडिंग आया था, वह अभी हम कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... मैं पंडित हूँ, जनेऊधारी हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं भी मस्जिद में जाऊँ, मंदिर में जाऊँ, गिरजाघर में जाऊँ और अपने जनेऊ के बारे में बताऊँ कि मैं ओरिजनल पंडित हूँ।

श्री उपसभापतिः आप बिल पर बोलिए।

श्री मोकरिया रामभाईः यह बताने की जरूरत नहीं है। इसका कर्मों से पता लग जाता है। सर, अंत में, मैं यह कहना चाहूँगा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026 भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, हमारे जवानों का मनोबल बढ़ाने और प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम है। मैं इस माननीय सदन से अनुरोध करता हूँ कि वे इस विधेयक का समर्थन करें और देश की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करें। सर, मुझे एक बात और कहनी है। कल मेरे पास दस मिनट थे, आज पाँच मिनट हो गए हैं। 24 घंटे में मेरे पाँच मिनट कम हो गए हैं।

श्री उपसभापतिः यह काम दल के द्वारा होता है। इसे चेयर नहीं करता। Please conclude.

श्री मोकरिया रामभाईः सर, मुझे यह बोलना है कि मेरी रिटायरमेंट स्पीच तो हो गई, लेकिन शायद अब मैं एक-दो दिन के बाद फिर नहीं आऊँगा। सब लोग बोल रहे हैं कि अब लोंग-इलायची का क्या होगा, लेकिन मेरा क्या होगा, यह कोई नहीं पूछ रहा है।

श्री उपसभापतिः अब आपका टाइम खत्म हो गया है। प्लीज़, प्लीज़।

श्री मोकरिया रामभाईः मैं आप सबको थैंक यू बोलता हूँ। मुझसे कोई गलती हुई हो, तो माफ करना। आपसे काफी कुछ सीखा, समझा और कुछ गलती हो गई हो, तो माफ करना। मैं आपसे

Contents Page

विदा ले रहा हूँ। अगर मेरा फिर renewal होगा, तो मैं आऊँगा, नहीं तो गेट पर आकर खिलाऊँगा। आप चिंता मत करो।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Nityanand Rai to reply to the discussion.

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय): उपसभापति महोदय, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026 पर इस माननीय सदन में कई घंटों तक महत्वपूर्ण चर्चा हुई है और इसमें 36 वक्ताओं ने भाग लिया है। महोदय, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026 इस माननीय सदन के समक्ष केवल एक विधायी प्रस्ताव के रूप में नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ और संगठित बनाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है।

महोदय, यह विधेयक सीएपीएफ अधिकारियों की सेवा शर्तों में उत्पन्न प्रशासनिक अस्पष्टताओं तथा कैडर प्रबंधन से जुड़ी हुई चुनौतियों के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जिससे इन बलों की कार्य कुशलता और मनोबल दोनों को सुदृढ़ किया जा सके। माननीय सदस्यों का हृदय से आभार, जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है और महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं।

महोदय, सीएपीएफ का दायरा निरंतर विस्तृत होता गया है। सुव्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करने की आवश्यकता महसूस हुई, सीएपीएफ के अलग-अलग नियम, दिशा-निर्देश और प्रशासनिक उपाय विकसित हुए, अस्पष्टताएं देखने को मिलीं और सीएपीएफ के संचालन में कई असुविधाएं भी दिखाई पड़ीं। संचालन एक सुव्यवस्थित ढांचे के अंतर्गत हो, इसके लिए यह विधेयक महोदय लाया गया है। विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सेवा शर्तों के निर्धारण के लिए, समय-समय पर अलग-अलग नियम दिशा-निर्देश तथा प्रशासनिक उपाय विकसित होते चले गए। परिणामस्वरूप कुछ मामलों में प्रक्रियागत विभिन्नताएं और कुछ प्रशासनिक अस्पष्टताएं देखने को मिलीं। महोदय, सीएपीएफ की कार्यप्रणाली एक विशिष्ट और सुव्यवस्थित कमांड और कंट्रोल स्ट्रक्चर पर आधारित है, जो प्लाटून, कंपनी, बटालियन, सेक्टर, फ्रंटियर तथा उच्च कमांड के विभिन्न स्तरों के माध्यम से संचालित होती है। ऐतिहासिक रूप में सरदार वल्लभभाई पटेल जी ने भारत की संघीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक सशक्त प्रशासनिक ढांचे की कल्पना की थी। इसी के अनुरूप सीएपीएफ में बेहतर समन्वय, नेतृत्व और कार्य कुशलता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर अधिकारियों की तैनाती की व्यवस्था विकसित हुई है, जिसमें सेना और आईपीएस अधिकारी भी शामिल हैं। इन्हीं परिस्थितियों के संदर्भ में अनुभव किया गया कि भर्ती, पदोन्नति, वरिष्ठता तथा अन्य सेवा शर्तों से संबंधित विषयों के प्रबंधन के लिए एक स्पष्ट अम्ब्रेला ढांचा उपलब्ध कराया जाए। इसी उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विधेयक में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। मुख्यतः सीएपीएफ के ग्रुप-ए (जनरल ड्यूटी) अधिकारियों की भर्ती एवं सेवा के विनियमन के लिए एक अम्ब्रेला ढांचा मिल सके। इसके अंतर्गत भर्ती, पदोन्नति, वरिष्ठता तथा अन्य सेवा शर्तों को नियमों के माध्यम से स्पष्टता प्रदान की जाए। भर्ती एवं सेवा शर्तों में स्पष्टता प्रदान करने के लिए असंगतियों को दूर करने का इसमें प्रावधान किया गया है। वित्तीय लाभों की निरंतरता सुनिश्चित

Contents Page

की गई है। इस विधेयक के माध्यम से कहीं से भी वित्तीय लाभ बाधित नहीं हो रहा है। कैडर प्रबंधन को संगठनात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप सुव्यवस्थित ढंग से बढ़ाया जा सकेगा। धारा 3 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि केंद्र सरकार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में भर्ती, पदोन्नति, वरिष्ठता तथा अन्य सेवा शर्तों से संबंधित विषयों के विनियमन के लिए नियम बना सकेगी।

महोदय, इस विधेयक के वित्तीय लाभों की निरंतरता के विषय में बहुत सारे प्रश्न उठाए गए हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों को सदन के समक्ष प्रस्तुत करने की व्यवस्था भी की गई है, जिससे इस प्रक्रिया को पर्याप्त विधायी पर्यवेक्षण और उत्तरदायी बना रहा है, जो वित्तीय लाभों की निरंतरता को भी सुनिश्चित करता है।

महोदय, चर्चा के दौरान अनेक माननीय सदस्यों ने इस विधेयक के संबंध में कुछ आशंकाएं और कुछ प्रश्न व्यक्त किए हैं। उन विषयों के संबंध में मैं संक्षेप में तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट करना आवश्यक समझता हूं। यह कहा गया कि यह विधेयक संघीय ढांचे और संविधान की भावना के विरुद्ध है। महोदय, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस संबंध में मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह विधेयक संघीय ढांचे के विरुद्ध नहीं है, बल्कि वास्तव में यह संघीय ढांचे को और मजबूत करता है। ऐसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल देश के विभिन्न राज्यों में राज्य पुलिस और प्रशासन के साथ निकट समन्वय में कार्य करते हैं। ऐसे में विभिन्न राज्यों में कार्य करने का अनुभव रखने वाले अधिकारियों की उपस्थिति से केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय और सुदृढ़ होता है। इससे आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन में एक समन्वित राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित होता है।

महोदय, यह भी कहा गया कि यह विधेयक शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के विपरीत है। संविधान के अंतर्गत सदन को इन विषयों पर विधायन करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। यह विधेयक प्रशासनिक विषयों के नियमन के लिए भी एक विधिक आधार प्रदान करता है।

महोदय, हमारे कई माननीय सदस्यों ने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से अत्यधिक शक्तियां प्रदान की जा रही हैं तथा यह अत्यधिक प्रत्यायोजन का उदाहरण बनेगा। विधेयक में दिए गए प्रावधान विधायन में व्यापक रूप से स्वीकृत और प्रचलित एक स्थापित विधायी तकनीक का ही हिस्सा है। इसका उद्देश्य यह है कि यह केवल अधिनियम के अंतर्गत आने वाले प्रशासनिक विषयों में आवश्यक स्पष्टता और सुसंगतता सुनिश्चित करता है।

महोदय, यह कहा गया कि सीएपीएफ के अधिकारियों के प्रमोशन में ठहराव आएगा और पदोन्नति के अवसर प्रभावित होंगे। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि सीधी भर्ती से नियुक्त ग्रुप 'ए' (जनरल ड्यूटी) अधिकारियों के संबंध में यह भी बताना आवश्यक समझता हूं कि सेवा की अवधि में उन्हें सामान्यतः चार पदोन्नतियां प्राप्त होती हैं। सेवा में प्रवेश के समय आयु के आधार पर अनेक अधिकारियों को पांचवीं पदोन्नति प्राप्त करने का भी अवसर मिलता है। विभागीय पदोन्नति समितियों का नियमित आयोजन किया जाता है और उनके माध्यम से पदोन्नतियां समय पर सुनिश्चित की जाती हैं। जहां कहीं भी पदोन्नतियां लंबित रहती हैं या उनमें बाधा उत्पन्न होती है, इसके कुछ कारणों को मैं जरूर बताना चाहूंगा। महोदय, प्रायः उनमें पदोन्नतियां लंबित होती

Contents Page

हैं, जब न्यायालय में मामले लंबित होते हैं। वरिष्ठता संबंधी विवादों अथवा सतर्कता स्वीकृति तथा अनुशासनात्मक कार्रवाईयां जैसे कारणों से विलंब होता है।

महोदय, यह भी कहा गया कि यह विधेयक पूरे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को प्रभावित करेगा। माननीय सदस्यों ने इस पर कुछ आपत्तियां जताई हैं। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रस्तावित विधेयक मुख्यतः केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के ग्रुप 'ए' अधिकारियों की भर्ती और सेवा शर्तों के विनियमन के लिए ही है, उससे ही संबंधित है।

महोदय, चर्चा के दौरान कुछ ऐसे विषय भी उठाए गए हैं, जो इस विधेयक से संबंधित नहीं हैं, लेकिन चूंकि माननीय सदस्यों ने माननीय सदन के सामने इन्हें उठाया है, तो मैं संक्षिप्त में उन विषयों के बारे में जरूर कहना चाहूंगा। इन विषयों के संदर्भ में उल्लेख करते हुए मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री, श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की क्षमता और संस्थागत ढांचों को मजबूत करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं तथा भर्ती प्रक्रिया को अधिक तेज, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण सुधार किए हैं।

महोदय, मैं जरूर बताना चाहूंगा कि भर्ती प्रक्रिया को अधिक सक्षम और समयबद्ध बनाने के लिए किए गए सुधारों के परिणामस्वरूप, जहां पहले भर्ती प्रक्रिया में लगभग डेढ़ से दो साल लगते थे, उलझी हुई प्रक्रिया होती थी, वहीं अब प्रक्रिया सुगम हुई है, उसमें लगने वाला समय घटा है और उस समय को घटाकर अब 10 से 11 महीने तक लाया गया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से सीएपीएफ में अब तक हजारों-हजार भर्तियां हो चुकी हैं। इसके साथ ही, बलों के बुनियादी ढांचे और आवास – महोदय, अभी कई माननीय सदस्यों ने आवास की चर्चा की है। जहां वे लोग ड्यूटी पर रहते हैं, उसके आसपास किसी आवास में अपने बूढ़े माता-पिता के साथ रहने के लिए, अपने बच्चों के साथ रहने के लिए वे तड़प जाते थे। आज कई माननीय सदस्यों ने बताया कि उनकी आवास संतुष्टि कई गुना बढ़ी है। प्रशिक्षण सुविधाओं में सुधार किए गए हैं। प्रशिक्षण सुधार और आधुनिकीकरण के कारण आज हमारी सीएपीएफ बहुत सशक्त बनी है। उसका परिणाम भी देखने में आया कि आज जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है, वह समाप्त हुआ है। इसके परिणाम अभी देखे गए हैं। देश में नक्सलवाद कैसे समाप्त हुआ है और उसमें सीएपीएफ की सक्षमता, सबलता और उसके आधुनिकीकरण का परिणाम कैसे आया है, यह माननीय गृह मंत्री जी ने अभी लोक सभा की चर्चा में भाग लेते हुए देश के सामने बताया है।

महोदय, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल आज आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों का प्रभावित ढंग से सामना करने में सक्षम है। साथ ही, कर्मियों के कल्याण, सामाजिक सुरक्षा के लिए यह बिल लाया गया है। महोदय, मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं। मैं सीएपीएफ के लिए किए गए इन कल्याणकारी कार्यों के कुछ शीर्षक रख रहा हूँ कि व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया गया है, जिसमें पेंशन, कल्याण, सामाजिक सुरक्षा तथा सेवा लाभों के प्रावधानों को और मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। महोदय, मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि आज हमारी कई बहनों ने भी और भाइयों ने भी,

Contents Page

माननीय सदस्यों ने दुख व्यक्त किया है कि हमारे सुरक्षाकर्मी, जो सीमा की सुरक्षा करने वाले होते हैं, जो देश की सुरक्षा करने में लगे हैं, जो देश की आंतरिक सुरक्षा में लगे होते हैं, पहले की कांग्रेस सरकार ने उनके हाथ-पांव को, उनके अधिकार को बांध रखा था और कोई भी आवश्यक कार्रवाई करने में उनको कई जगह के बैरियर्स को तोड़ना पड़ता था, कभी-कभी तो दुश्मनों के साथ लड़ने और उनको मुंहतोड़ जवाब देने की भी अनुमति उनको नहीं मिलती थी। वे सीने पर गोलियां खा लेते थे, लेकिन गोली चलाने का अधिकार उनको नहीं मिलता था। उन पर कितनी पाबंदियां लगाई हुई थीं, यह देश और दुनिया के लोग जानते हैं। लेकिन माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार ने देश की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा पैदा करने वालों पर आवश्यक कारवाई करने, उनको मुंहतोड़ जवाब देने और उन पर सख्त से सख्त कदम उठाने का भी अधिकार उनको दिया है, जिससे आज हमारे सुरक्षाकर्मियों का, जवानों का और अधिकारियों का मनोबल बढ़ा है। आज हर प्रकार से, सीमा से लेकर देश की आंतरिक सुरक्षा को सक्षम बनाने में निश्चित रूप से हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज़ सक्षम हुई हैं।

महोदय, मैं अंत में सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा की यह जो सीएपीएफ बिल, 2026 इस माननीय सदन के समक्ष लाया गया है, उसको सभी पारित करें, जो देश के हित में, देश की सीमा की सुरक्षा के हित में, सीएपीएफ के हित में और देश की आंतरिक सुरक्षा के हित में है। जय हिन्द! ...(**व्यवधान**)...

विपक्ष के नेता (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): सर, मंत्री जी को कहने के लिए जो भी नोट्स दिए गए हैं, शायद वे अधूरे हैं। दूसरी चीज, यह बात इतनी इंपॉर्टेंट है और यह ज्यादा-से-ज्यादा डीओपीटी से भी संबंध रखता है। हमारे सीएपीएफ के लोग एयरपोर्ट, पोर्ट और सभी सामान्य जनता का संरक्षण करते हैं और हिम्मत से करते हैं, ऐसे लोगों को तबाह करने के लिए सरकार ने यह सोचा है।

श्री उपसभापति: बिल पर बहस हो चुकी है। ...(**व्यवधान**)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: सर, वे सुनना नहीं चाहते, अगर आप भी मुझे मौका नहीं देंगे, तो मैं कहाँ जाऊँगा? ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: बिल पर बहस हो चुकी है। मैं नियम के तहत कह रहा हूँ। आप बहुत अनुभवी सदस्य हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: सर, इसमें चार मुद्दे हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: आप ब्रीफली बता दें। Leader of the House भी बोलना चाहते हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: सर, इसमें deputation का institutionalisation हो रहा है - यह एक मुद्दा है, जिसका हम अपोज करते हैं। ...(**व्यवधान**)... दूसरा, career progression और मनोबल पर उल्टा प्रभाव पड़ रहा है - यह दूसरा प्वाइंट है। Consultation and representation का अभाव

Contents Page

इसमें है - यह तीसरा प्वाइंट है। Spirit of judicial directions, जो कोर्ट से आदेश आया, उसको भी आप हटा रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... आप कोर्ट के आदेश का पालन करने वाले हैं और आप इसमें कोर्ट के आदेश को हटा रहे हैं।

श्री उपसभापतिः धन्यवाद, आपके चारों प्वाइंट्स हो गए। ...(**व्यवधान**)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगेः मैं ये पाँच प्वाइंट्स आपके सामने रखता हूँ। इनका उत्तर भी आपके जवाब में नहीं है।

श्री उपसभापतिः धन्यवाद, धन्यवाद, आपने अपनी बात पूरी कर ली। माननीय लीडर ऑफ दि हाउस। ...(**व्यवधान**)... आपका हो गया।

श्री मल्लिकार्जुन खरगेः सर, जो लोग जान देते हैं, धूप में खड़े होकर देश की रक्षा करते हैं, देश की हिफाजत करते हैं और हमारी रक्षा भी करते हैं, उनके लिए हम यह चाहते थे कि आप इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी को भेजिए। वहाँ पर विचार-विमर्श होगा। इसमें जो कमियाँ हैं, वे भी सामने आ जाएँगी। वहाँ पर हम पक्ष और विपक्ष, दोनों मिल कर विचार करेंगे।

श्री उपसभापतिः धन्यवाद।

श्री मल्लिकार्जुन खरगेः हमें इनका उत्तर ही नहीं मिला। सर, चूँकि इन पाँच प्वाइंट्स के उत्तर उसमें नहीं हैं, इसीलिए हम वाकआउट करते हैं।

(At this stage, some hon'ble Members left the Chamber.)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now the Leader of the House.

सभा के नेता (श्री जगत प्रकाश नड्डा): सर, माननीय सदस्य मल्लिकार्जुन खरगे जी, जो विपक्ष के नेता हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः आप ही की बात रिकॉर्ड पर जा रही है। कृपया आप बोलें।

श्री जगत प्रकाश नड्डाः वे तजुर्बेकार हैं, लेकिन उनको यह मालूम होना चाहिए कि डिबेट में वक्ता के नाते वक्तव्य देना एक अलग चीज होती है, लेकिन मंत्री के जवाब के बाद clarification मांगा जा सकता है। अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अभी जब वे खड़े हुए, तो वे वक्तव्य देने लगे, जबकि मंत्री के जवाब के बाद वक्तव्य देना parliamentary procedure के विरुद्ध है। मैंने पहले कहा कि इनको वाद-विवाद में रुचि नहीं है। हमने हर डिबेट में इस बात को देखा है। इनको वाद-विवाद में कोई रुचि नहीं है। इनको अपनी-अपनी बात कहने का पूरा मौका दिया गया। इनकी बातों को पक्ष वाले शांति से सुनते रहे। जब मंत्री जी ने जवाब दिया, तो ये वॉकआउट कर रहे हैं। इस तरह से, इनको संवैधानिक दृष्टि से parliamentary procedure की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ये चर्चा से हमेशा भागते हैं। अभी भी ये वक्तव्य तब दे रहे थे, जब इनको clarification पूछना चाहिए था।

Contents Page

उन्होंने जिन बातों को रखा है, उन सारी बातों को मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बहुत अच्छे तरीके से रखा है। मैं मंत्री जी को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने जवाब में सारी बातों को अच्छे से रखा है।

श्री उपसभापतिः माननीय सदस्यगण, इस बिल पर 8 घंटे बहस चली। अब मैं इसको वोटिंग के लिए रखता हूँ। The question is:

"That the Bill to regulate the general rules governing the recruitment and conditions of service of Group A General Duty Officers and other officers in the Central Armed Police Forces and other rules regarding these forces, and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill. In Clause 2, there is one Amendment (No.1) by Shri Tiruchi Siva; not present. Amendment not moved.

Clause 2 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 3, there is one Amendment (No.2) by Shri Tiruchi Siva; not present. Amendment not moved.

Clause 3 was added to the Bill.
Clause 4 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 5, there is one Amendment (No.3) by Shri Tiruchi Siva; not present. Amendment not moved.

Clause 5 was added to the Bill.

Clauses 6 to 8, the First Schedule and Second Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula, the Preamble and the Title were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Nityanand Rai to move that the Bill be passed.

श्री नित्यानंद रायः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँः "कि विधेयक को पारित किया जाए।"

The question was put and the motion was adopted.

Contents Page

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon'ble Members, now, we shall take up the Insolvency and Bankruptcy (Amendment) Bill, 2026. Shri Harsh Malhotra to move a motion for consideration of the Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2026.

The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2026

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (SHRI HARSH MALHOTRA): Sir, with your permission, on behalf of my senior colleague and Cabinet Minister, Shrimati Nirmala Sitharaman, I move:

"That the Bill further to amend the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The question was proposed.

श्री उपसभापति: माननीय मंत्री जी, क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे?

श्री हर्ष मल्होत्रा: सर, इस पर डिस्कशन के बाद बोलूँगा।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, I call upon the Members whose names have been received for participation in the discussion. Shri Rajeev Shukla.

श्री राजीव शुक्ला (छत्तीसगढ़): उपसभापति जी, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। सर, यह जो बिल है - Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2026 - जैसा कि सेलेक्ट कमेटी द्वारा रिपोर्ट किया गया है, इस पर चर्चा में भाग लेने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। यह विधेयक नहीं, बल्कि यह देश की वित्तीय व्यवस्था, बैंकिंग प्रणाली, MSMEs और आम करदाता के भविष्य से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। इस बिल को 2016 में बनाया गया और इसके आर्किटेक्ट अरुण जेटली जी थे। उन्होंने इसको इसलिए बनाया था, ताकि ऐसी कंपनियां, जो एनपीए हो जाती हैं, जो बंद पड़ी थीं या जो sick units थीं, उनको revive किया जा सके और आगे उनसे काम चल सके, ताकि लोगों को फायदा हो और नौकरियां न जाएँ।

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA) *in the Chair*.]

सर, मैं शुरुआत में कहना चाहूंगा कि इसके परिणाम भी अच्छे रहे। भारत की insolvency resolution के क्षेत्र में world ranking 136 से बढ़कर 152 तक पहुंच गई, जो इस बात का प्रमाण है कि इस दिशा में उठाया गया कदम सही था। इससे उस व्यवस्था में भी सुधार आया, लेकिन धीरे-धीरे इसमें the very purpose that was meant to ensure speed, transparency and value

Contents Page

maximization is now struggling with delays, inefficiency and serious concerns regarding fairness and accountability. धीरे-धीरे यदि आज देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से, यह कानून धीरे-धीरे अपने आप में एक £ में तब्दील हो गया है, एक £में परिवर्तित हो गया है। मतलब, कोई भी किसी की कंपनी हड़प सकता है, अगर उसकी NCLT में अच्छी सेटिंग है, अगर उसकी अच्छी सेटिंग Committee of Creditors में या liquidator के साथ है, तो वह कुछ भी कर सकता है — किसी की भी कंपनी ले सकता है। यह हाल हो गया है और रोज कुछ न कुछ कंपनियां धड़ाधड़ इसी तरह जा रही हैं और सबसे दुख की बात यह है कि अगर किसी कंपनी की कीमत, उसकी market value 100 रुपये है, तो उसे 20 रुपये में लोग ले जा रहे हैं। कौड़ियों के दाम पर कंपनियां चली जा रही हैं। इसके बाद haircut भी मिलता है। यह एक नई चीज हमने सुनी है। हमने तो haircut वही सुना था कि जब बाल कटाने जाएं, तो उसे haircut कहते हैं। लेकिन अब haircut एक ऐसा शब्द आ गया है, जो तमाम लोगों और आम आदमी की समझ में नहीं आता, लेकिन haircut का मतलब है कि बैंक जो हैं, वे loan, कब्जे और कर्ज में इतनी concession, इतनी रियायत दे देते लेने वाले को कि पूछिए मत, तो सारी चांदी इन कंपनियों को हड़पने वालों की हो जाती है और जो original promoter है, जिसने अपनी जिंदगी लगाई, 40—50 साल लगाए, खून-पसीना लगाया — उसके हाथ से बालू की तरह फिसलकर वह कंपनी चली जाती है। यह एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। एक अच्छे उद्देश्य से बनाया गया कानून आज एक £ में परिवर्तित हो गया है। इसको रोकने के लिए मंत्री जी क्या व्यवस्था कर रहे हैं, यह बताना चाहिए। मैं यहां कोई नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन दर्जनों ऐसे उदाहरण हैं, जिसमें कौड़ियों के दाम में 40 रुपये की चीज 4 रुपये में चली गई, सिर्फ जुगाड़ के जरिए। कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, जबकि सब जानते हैं। हमारे सामने वाले मित्र भी जानते होंगे, उनकी जानकारी में भी होगा, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है। इसको कैसे रोकेंगे? इसमें जो जबरदस्त transparency की कमी आई है, जवाबदेही की कमी आई है और जो जबरदस्त £ चल रहा है — उसे कैसे रोका जाए? क्योंकि एक अच्छे कानून के लिए यह जरूरी है - अगर आप original promoter को भी वही सुविधा दे दें — हम यह नहीं कहते कि पूरा haircut दे दें, आधा ही दे दें — तो वह अपनी कंपनी revive कर लेगा। क्योंकि उसका खून-पसीना लगा है, उसको पता है कि उसने कैसे कंपनी खड़ी की है। लेकिन वही सुविधा उसको नहीं दी जाती, बल्कि उसको तो खलनायक बना दिया गया है। इसके बाद बाहर से कोई भी आकर कंपनी ले जा रहा है और कितने में भी ले जा रहा है — इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। आजकल तो दो-चार-पांच उद्योगपति ऐसे हैं, जो सब कुछ हड़पने में लगे हैं। पूरे देश में, जहां कहीं कोई कंपनी मिल रही है, उसे हड़पने में लगे हैं। मुझे लगता है कि इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। जेटली जी ने एक अच्छे उद्देश्य से इस कानून को बनाया था। उनका इसमें बड़ा लगाव था। वे चाहते थे कि बीमार कंपनियों का revival हो जाए, लेकिन यहां तो स्थिति यह हो गई है कि अगर कोई बीमार आदमी बिस्तर पर पड़ा है, तो बीमार आदमी की चारपाई भी बेच दी जा रही है, उसका घर भी बेच दिया जा रहा है, उसकी जमीन-जायदाद भी बेच दी जा रही है और कोई दूसरा उठाकर ले जा रहा है। बीमारी से उसका revival क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। किसी को भी अगर मुफ्त में मिल जाए, तो वह

£ Exupnged as ordered by the Chair.

Contents Page

खुद अपने आप ठीक हो जाएगा। इसलिए यह एक बड़ी समस्या है, जिसको गंभीरता से देखना चाहिए। एक इसमें प्रावधान है कि 180 दिन में अब resolution हो जाएगा — यह अच्छी बात है कि आप 180 दिन में resolution कर लीजिए, हम उसके समर्थन में हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी प्रक्रिया हो, process accelerate किया जाए, लेकिन कम से कम उसकी सही value का सही आकलन हो। जो devaluation हो रहा है, वह devaluation बंद किया जाए और अगर सही value पर चीज जाए, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। थोड़ा बहुत 10—20—30 प्रतिशत की कमी हो, तो ठीक है, लेकिन 80—80 प्रतिशत की रियायत लोगों को मिल रही है और उसके बाद लोग कंपनी उठाकर ले जा रहे हैं — * किसी ने अपनी जान लगाई, अपना खून-पसीना लगाया, उसके परिवार वालों ने — पिताजी ने, बेटे ने, तीसरी जेनरेशन ने — और वह कंपनी ऐसे ही हाथ से फिसल जा रही है। सर, यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिस पर सरकार को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। कोई ऐसा mechanism निकाला जाए, जिसके जरिए आप इसकी valuation down न होने दें। जो उसकी मार्किट वैल्यू है, उस हिसाब से जाएं या थोड़ी ही बहुत रियायत दे दो, उसको कौड़ियों के दाम मत बेचो। यह मेरा इसमें कहना है। अभी जयराम जी ने हेयर कट के बारे में बात उठाई। इसके लिए बैंकों की राहत के लिए किया गया था। बैंकों का जो ऋण है, वह वसूल हो जाए। बैंकों को भी कोई राहत नहीं मिल रही है। क्रेडिटर्स कमेटी को जो बोला जाता है, अपने हिसाब से कर देती है, लेकिन जब हेयर कट लंबा दिलाओगे, तो बैंकों पर भी बहुत ज्यादा बोझ आ रहा है। वे भी इसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं और न कुछ कह पा रहे हैं। वे भी चुपचाप बैठे हुए हैं और इसके बाद जो वे चाहते हैं, उस हिसाब से लोग करवा लेते हैं। बैंकों को भी नुकसान हो रहा है, रीजनल प्रमोटर को भी नुकसान हो रहा है, आम लोगों को भी नुक़सान हो रहा है और एनसीएलटी में जो जजेज़ लगाए जाएं, चाहे आपको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात करनी पड़े, चाहे किसी और से बात करनी पड़े, उनकी इंटेग्रिटी पर ध्यान देना चाहिए। उसमें ऐसे लोग लगाने चाहिए, जिनकी इंटेग्रिटी अच्छी हो। वे रिटायर्ड जज के रूप में अपनी जगह पर बैठ जाते हैं, उसके बाद क्या उनकी अकाउंटेबिलिटी है, उसके बारे में कुछ नहीं पता। एनसीएलटी में लोग सेटिंग करने के चक्कर में हैं। दिल्ली में एनसीएलटी में सेटिंग कराने के लिए एजेंट घूम रहे हैं। जिसको चाहे, आप मिल लो। यह बहुत बड़ी समस्या है और यह बात हम संसद में ही कह सकते हैं, इसलिए हमने यहां पर यह बात रखी है। यह देखना चाहिए। कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स एनसीएलटी में जो लोग हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं, जजेज़ भी होते हैं, उनकी हाई इंटेग्रिटी होनी चाहिए और उसके साथ-साथ liquidator आप किसे appoint कर रहे हैं, वह भी देखना चाहिए, उसकी भी इंटेग्रिटी होनी चाहिए। ओरिजिनल प्रमोटर का भी आपको बहुत ख्याल रखना चाहिए। अब एक समस्या यह आती है कि जो छोटे उद्योग हैं, उनको इससे बहुत नुकसान हो रहा है। यह हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन रोज़गार सृजन में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। ये इकाइयां बंद हो जाती हैं। अगर किसी ने व्यापार किया हो, तो उसको पता है कि ऊँच-नीच लगी रहती है। कभी मुनाफे में होता है और कभी घाटे में भी चला जाता है। अगर वह घाटे में चला गया, तो एकदम उसके ऊपर हावी होकर उस कंपनी, उस व्यापार का नाश कर दिया था। हमें व्यापारी का दर्द भी समझना चाहिए। छोटे-छोटे व्यापारियों, छोटे-छोटे उद्योगपतियों का, किसी का भी दर्द कोई

* Not recorded.

Contents Page

समझने को तैयार नहीं है। बैंक टूट पड़ते हैं। उनको सरफेज़ी डिक्लेयर कर देते हैं। कुछ दिन बाद तीन महीने में एनपीए डिक्लेयर कर देते हैं, उसके बाद उसको वेबसाइट पर डाल देते हैं। न उसको कोई नया लोन देता है, न कोई डिपार्टमेंट उसकी मदद करता है। सब जगह उसका वह पहुंच जाता है, तो वह हताश हो जाता है, निरुपाय हो जाता है। उसके हाथ में कुछ नहीं रहता है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। जो बड़े-बड़े देनदार हैं, जिन्होंने बड़े-बड़े बैंक से लोन ले रखे हैं, उन पर कुछ नहीं हो रहा। ये सब छोटे वाले हैं। एमएसएमई सेक्टर को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। वे घाटे में जाते हैं, उसकी वजह यह है कि उनको पेमेंट टाइम पर नहीं मिलती। उन्होंने सरकार का काम किया, टाइम पर कभी पेमेंट नहीं मिलेगी। सरकार को पेमेंट व्यवस्था का भी कानून लाना चाहिए। गवर्नमेंट की कितने दिन की देनदारी है और गवर्नमेंट को उस प्राइवेट कंपनी को देनी ही पड़ेगी। बड़ी-बड़ी कंपनियां इसमें डूब गई, क्योंकि गवर्नमेंट को जो पैसा देना था, गवर्नमेंट से नहीं मिला। फाइलों के चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने काम पूरा करके दिया। यह एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो गवर्नमेंट को जो पेमेंट देनी है, वह नहीं देती है, जिसकी वजह से वह कंपनी घाटे में आ जाती है। जब वह घाटे में आ जाती है, तो बैंक वाले तुरंत उसको सरफेज़ी और एनपीए डिक्लेयर कर देते हैं और उसके बाद उसके हाथ से सब कुछ निकल जाता है। फिर कोई आता है, हेयर कट लेता है और कौड़ियों के दाम में इस कंपनी को उठाकर निकल जाता है, आप घर में बैठे रह जाते, आप रोते रह जाते हैं। आपके सामने कोई विकल्प नहीं रहता। इसलिए मैं कहूंगा कि ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाया जाए, जिससे जो अनियमित्ताएं हो रही है, उसको कैसे खत्म किया जाए और जो बड़े-बड़े डिफॉल्टर हैं, चाहे वे बाहर चले गए, चाहे यहां हैं, तो उनके ऊपर भी एक्शन हो और वह पैसा लाया जाए। मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि जो छोटे-छोटे उद्योगपति और छोटे-छोटे व्यापारी हैं, उनके लिए जो दिक्कत पैदा की जा रही है, वह अपने आप में बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से एकतरफा टिल्ट है, जिसमें 66 परसेंट वोट के साथ उसको हटा सकते हैं। अब क्या है, अब जुडिशियल ओवरसाइट भी हटा दी है। जो नया कानून है, उसके हिसाब से जो ज्यूडिशियल का दखल होता था, वह भी हटा दिया है। यह कमेटी अब क्रेडिटर्स, बैंक और वे मिलकर किसी की भी कंपनी ले सकते हैं, उसमें अदालती दखल की भी गुंजाइश हटा दी है। अगर अदालत से कोई रिलीफ लेने जाएं, तो भी मिलना मुश्किल है और लिक्विडेटर भी सोचे कि हम देख-दाख कर काम करेंगे, तो 66 परसेंट वोट के साथ उसको भी हटा सकते हैं। यह प्रावधान भी इसमें डाल दिया गया है। यह पूरी तरह से एकतरफा है और इसमें कोई ज्यूडिशियल प्रोविज़न नहीं है। इसमें आगे मनमाने ढंग ये काम होंगे और इसको संभालना इस देश के लिए बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए और पुनर्विचार करने के बाद इस बिल को पारित किया जाना चाहिए। मान्यवर, इसमें एक समस्या यह है कि जो बड़े-बड़े defaulters हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी – वह भी सरकार को बताना चाहिए। क्योंकि जो बड़े defaulters हैं, जिन्हें willful defaulters कहते हैं, वे लंबे समय से बचकर निकलते जा रहे हैं। उनके लिए सरकार ने क्या प्रावधान किया है, उनके ऊपर क्या एक्शन होगा, कब एक्शन होगा? यदि उस पैसे का realization होगा, तो छोटे-छोटे उद्योग वाले लोग कभी नहीं मारे जाएंगे। लेकिन उसमें इतनी ढील है कि आप पूछिए मत।

Contents Page

सर, इसमें एक प्रोविज़न है कि अगर उसकी बाहर भी कोई कंपनी है, तो उससे क्या देनदारी है। इसमें उसके बारे में भी बताया जाए। वे उसको भी ले सकते हैं। इसमें यह देखना पड़ेगा कि जिस कंपनी का एनपीए है, क्या वही कंपनी लेंगे या उसका सारा कुछ ले लेंगे - यह भी देखने की बात है। यह कौन तय करेगा? जो कंपनी डिफॉल्टर है, उसी कंपनी की सारी कंपनियों को हड़प लेना, उसकी सारी कंपनियों को ले लेना, इस पर भी पुनर्विचार करना चाहिए कि यह किसी व्यक्ति के लिए कितना उचित है। क्योंकि अपने आप में ओरिजिनल प्रमोटर होना, जिसने व्यवसाय लगाया, जिसने कंपनी लगाई, मुझे लगता है कि यह एक अभिशाप बनता चला जा रहा है, और जो बाहर वाले हैं, जो बाहर से आकर उठाकर ले जा रहे हैं, उनके लिए एक वरदान बनता चला जा रहा। हमें इसमें यह बहुत ज्यादा देखने की जगह है कि हम इस पर किस तरह से करना चाहेंगे।

महोदय, दूसरा बिंदु यह है कि इसमें group insolvency, cross-border insolvency जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी स्पष्टता की कमी दिखाई गई थी। आज के वैश्विक आर्थिक परिवेश में, कंपनियां कई देशों में संचालित होती हैं। ऐसे में एक समग्र और स्पष्ट ढांचा आवश्यक है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी तेजी और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

Sir, it is equally important to strengthen the role and accountability of insolvency professionals. They are the backbone of the entire resolution process. Any lack of transparency, competence or integrity at this level can compromise the entire system. Therefore, there must be strict regulatory oversight, continuous capacity building and a robust mechanism to fix responsibilities in cases of misconduct. कांग्रेस पार्टी यही सुझाव रखना चाहती है कि सबसे पहले एनसीएलटी को मजबूत किया जाए। उसकी पारदर्शिता बढ़ाई जाए, उसकी क्षमता, संसाधन और तकनीकी ढांचे को बेहतर बनाया जाए। दूसरा, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स और श्रमिकों के हितों की रक्षा भी सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा, एसेट वैल्यूएशन और बिडिंग प्रोसेस में पारदर्शिता लाई जाए। एक्सेसिव हेयरकट्स पर नियंत्रण रखा जाए और बड़े डिफॉल्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि जवाबदेही तय हो सके।

Sir, the idea behind the IBC was truly transformative. It was meant to bring discipline, efficiency and transparency into India's financial system. However, the current reality shows that there is a significant gap between intent and implementation. So, सारी प्रॉब्लम इम्प्लिमेंटेशन की है। इनफैक्ट, जब अरुण जेटली जी यह बना रहे थे, तो उन्होंने मुझसे भी डिस्कस किया था। मैंने उनसे कहा कि इसमें first right of refusal का clause भी डालो। अगर कोई आदमी जेनुइन है, उसे जेनुइन्ली घाटा हो गया और वह परेशान है flat business model की वजह से, तो एक मौका तो उसे दीजिए। कम से कम, वह मदद, जो आप उसको दे रहे हैं ...(**समय की घंटी**)... उसकी फिफ्टी परसेंट की मदद ही उसे दे दीजिए, जिससे वह शायद कंपनी को रिवाइव करा ले। उसमें उसका खूब पसीना लगा है, लेकिन जो होना था, वह नहीं हो पाया। उस समय, वह नहीं हुआ, इसलिए आप देखिए कि आज क्या नौबत आई है कि जो चीज चालीस रुपए की है, वह चार रुपए में जा रही है, लोग कौड़ियों के दाम

Contents Page

में उठाकर ले जा रहे हैं * आगे जाकर, जब सरकार कभी आएगी, तब आप देखना कि इस कानून में कितना बड़ा संशोधन होगा - उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते! आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you. The next speaker is Dr. Radha Mohan Das Agrawal.

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस बैंकरप्ट्सी कोड (अमेंडमेंट) विधेयक, 2026 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं बोलना तो कुछ और चाहता था, लेकिन माननीय सदस्य राजीव शुक्ला जी ने देश के विकास से संबंधित इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर, देश के नागरिकों के सामने इतना असत्य परोस दिया है और इतना संशय पैदा कर दिया है कि मुझे लगता है कि पहले इन्होंने जो असत्य बोले हैं और जो तथ्यात्मक गलत बातें कही हैं, उन बातों को ठीक से सदन के सामने रख दिया जाए।

माननीय सदस्य, राजीव शुक्ला जी ने जब अपनी बातें शुरू कीं और जब खत्म कीं, तब उन्होंने यही कहा कि ये सारी संपत्तियाँ कौड़ियों के मूल्य बेच दी जा रही हैं, 100 रुपए की चीज चार रुपए में बेची जा रही है। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, मैं उन्हें यहाँ रख रहा हूँ। यह एनसीएलटी के संदर्भ में सितम्बर, 2025 का रियलाइजेशन मैट्रिक्स है। Realization, as a percentage of the Liquidation Value, 170 per cent. Realization, as a percentage of Fair Value, 93.79 per cent. Haircut related to the Admitted Claims, 67 per cent; Haircut related to the Fair Value, 6 per cent. उपसभाध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि बैंकिंग की स्थिति बड़ी खराब होती जा रही है। मैं कुछ बैंकिंग के आंकड़े भी... ...(**व्यवधान**)... नहीं, उन्हें छोड़िए।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): मंत्री जी का रिप्लाई आएगा।

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल: उपसभाध्यक्ष महोदय, आप उन पर ध्यान मत दीजिए, बस सीधे ही रहिए। मुझे आपको संबोधित करके बोलना है। उन्होंने तो जितना परोसना था, उतना रायता परोस दिया। इस विधेयक के 2016 में लागू होने के आसपास, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों का ग्रॉस एनपीए 11.18 परसेंट था। इस विधेयक के लागू होने के बाद, अगर आठ वर्षों का समय देखा जाए, तो मार्च, 2024 में यह ग्रॉस एनपीए घटकर 2.75 परसेंट आ गया। ये बैंकों का रोना रो रहे थे, इसलिए मैं इन्हें बता रहा हूँ कि यह 11.18 परसेंट से घटकर 2.7 परसेंट हो गया और सितम्बर, 2025 में यह फिर घटकर 2.05 परसेंट हो गया।

उपसभाध्यक्ष महोदय, पब्लिक सेक्टर बैंक का ग्रॉस एनपीए 14.58 परसेंट था। मार्च, 2024 में यह घटकर 3.47 परसेंट हो गया और सितम्बर, 2025 में यह घटकर 2.3 परसेंट हो गया। नेट एनपीए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक 5.94 परसेंट था, जो सितम्बर, 2025 में घटकर 0.48 परसेंट हो गया। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का प्रोविजनल कवरेज रेशियो 62.96 परसेंट था, जो बढ़कर

* Not recorded.

Contents Page

93.24 परसेंट हो गया है। उपसभाध्यक्ष महोदय, विषयांतर हो जाएगा और आप समय भी नहीं देंगे, अन्यथा इनके शासनकाल में इस देश में जो ट्विन बैलेंस शीट की समस्या आई थी, मेरे पास उसकी पूरी रिपोर्ट है और मैं उसे आपके माध्यम से सदन में ला सकता हूँ। इन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से बैंकों के स्ट्रक्चर बड़े खराब हो गए हैं। सच्चाई यह है कि 2024-25 में शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक ने अब तक का सर्वाधिक प्रॉफिट 4,01,000 करोड़ रुपए दर्ज किया है और पब्लिक सेक्टर बैंक ने 2024-25 में 1,78,000 करोड़ रुपए अपने प्रॉफिट के रूप में दर्ज किए हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जब यह कानून नहीं था, तो ऐसी जो स्ट्रेस्ड संपत्तियाँ होती थीं, उनकी सिर्फ 15 से 20 परसेंट रिकवरी हो पाती थी। इस कानून के आने के बाद से, दि इन्सॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड के आने के बाद से 2024-25 में the recovery rate has reached to 36.6 point. यहाँ तक कि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग ने तीन दिसम्बर, 2025 को इंडिया की इन्सॉल्वेंसी regime की रेटिंग को ग्रुप 'सी' से बढ़ाकर ग्रुप 'बी' में कर दिया। आरबीआई की रिपोर्ट यह कहती है कि बैंकों ने जितनी रिकवरी कर ली, उसका करीब-करीब 52 परसेंट इस कानून के आने के बाद से और इस कानून के माध्यम से हुआ है।

महोदय, 65 साल इनकी सरकार रही है। अभी ये कह रहे थे कि जेटली साहब ने बड़ा अच्छा किया, जो यह विधेयक लेकर आए। 65 सालों में इन्होंने कभी चिंता नहीं की है। आज तक इस देश में आजादी के बाद इन्सॉल्वेंसी को लेकर उन सरकारों ने कभी कोई क्लियर-कट ओपीनियन नहीं बनाई। यह कहा जा सकता था कि ये सिर्फ एक कानून - कम्पनी एक्ट लाए। कम्पनी एक्ट, 1956 और कम्पनी एक्ट, 2013 इनकी सरकार जाने के पहले आए थे। मैं उन सभी एक्ट्स की कॉपीज़ लाया हूं। ये जो उद्योग-धंधे चलते हैं, ये सिर्फ व्यापारियों की उद्यमशीलता पर नहीं चलते हैं। उनकी entrepreneurship का महत्व होता है, लेकिन किसी भी उद्योग को खड़ा करने में उनकी entrepreneurship के अलावा, जो मशीनरीज़ होती हैं, जो आधुनिक टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, जो श्रम शक्ति होती है, वह भी महत्वपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण होती है – पूंजी। ये ऐसा भ्रम न पैदा करें कि उद्योग-धंधे सारी अपनी पूंजी लगाकर व्यापार को खड़ा करते हैं। यह पूंजी इन्हीं बैंकों से मिलती है और इन्हीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स से मिलती है। पूंजी देने वाले लोग अगर पूंजी देते हैं, तो वे उसकी रिकवरी भी चाहते हैं। अगर मैंने किसी से ऋण लिया है, तो मुझे वह ऋण ब्याज सहित वापस करना पड़ेगा। अगर समाज में यह मान्यता बन जाएगी कि देश में एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, जो पूरी तरह lawless है, कानून का राज नहीं है, आप किसी को भी पैसा दे दोगे, तो वह खाकर बैठ जाएगा, तो दोबारा उद्योगों के लिए पैसा नहीं मिलेगा। अगर उद्योग-धंधे बैठेंगे, तो देश बैठेगा। इसलिए उद्योग जितना महत्वपूर्ण है, उस उद्योग की जो रीढ़ की हड्डी है, उसको मिलने वाला पूंजी निवेश और उचित ब्याज के साथ उसकी वापसी, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं।

महोदय, मैं इनके 2013 के एक्ट की बात कर रहा हूं। इनके 1956 के एक्ट में तो एक व्यवस्था भी थी कि यदि किसी ने किसी कंपनी को कोई ऋण दिया है, तो वह ऋण वापसी के लिए सरकार को पिटिशन कर सकता है। यह बोर्ड वगैरह नहीं था, लेकिन सरकार के पास जाने का रास्ता था। 2013 के एक्ट में इन्होंने यह प्रावधान भी वापस कर लिया कि यदि किसी व्यक्ति ने ऋण

Contents Page

दिया है और उसका ऋण अगर debtor नहीं दे रहा है, तो ऐसे में वह जाए तो कहां जाए, वह व्यवस्था भी इनके कम्पनी लॉ एक्ट में खत्म हो गई थी। उपसभाध्यक्ष महोदय, इस एक्ट के आने के बाद से क्या हुआ? 31 दिसंबर, 2025 तक 1,376 कंपनियों का रिजॉल्यूशन हुआ और 4,11,000 करोड़ कहते हैं कि कौड़ी के भाव बेच दिया गया। 4,11,000 करोड़ की वापसी हुई। इतना ही नहीं, पिछले 2016 से लेकर अब तक दबाव बना है कि आप ऋण लेकर भाग नहीं सकते हैं। उसका फल यह हुआ है कि जब एप्लिकेशन्स डाली जाती हैं, तो एप्लिकेशन एक्सेप्ट होने के पहले ही वे लोग जो ऋण दाताओं का पैसा लेकर बैठ जाते हैं, उन्हें समझ में आ जाता है कि ईमानदारी से पैसा वापस कर दो। महोदय, एक एप्लिकेशन पड़ने के बाद 32,179 केसेज़ में ऐसे ऋण लेने वालों ने, corporate debtors ने खटा-खट अपना ऋण चुका दिया और कहा कि यह एप्लिकेशन वापस ले लो और कुल 14,62,000 करोड़ रुपये की वापसी pre-admission stage पर ही हो गई। आप बार-बार हेयर-कट्स की बात कर रहे हैं। IBC has realized 94.95 per cent of the fair value and 171.54 per cent of the liquidation value. इसका फायदा उद्योगों को मिला। ये उद्योगों की चिंता कर रहे हैं। जिन लोगों को उनके ऋणदाता आईबीसी में ले गए, उनका जब रिजॉल्यूशन पास हुआ और वे लिक्विडिटी की स्टेज में नहीं गए, तो उनका क्या फायदा हुआ? उनका फायदा यह हुआ कि उनकी एवरेज़ बिक्री 89 परसेंट बढ़ गई, उनकी एसेट यूटिलाइज़ेशन 131 परसेंट बढ़ गई, उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर 106 परसेंट बढ़ गया ...(**समय की घंटी**)... उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया है।

4.00 P.M.

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): आपका समय समाप्त हो चुका है।

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल: मैं कैसे खत्म करूँगा? अभी तो मैं विषय पर आया नहीं, अभी तो मैं केवल माननीय सदस्य की बातों का जवाब दे रहा था।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): आप बोलिए।

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल: उपसभाध्यक्ष महोदय, एम्प्लॉयमेंट ...(**व्यवधान**)... संजय सिंह जी, बैठा, नहीं तो हम नहीं बोले देब। बोला, आराम से बोला। ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली): मैंने यह कहा कि आपको बोलने दिया जाए।

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल: आपका धन्यवाद। उपसभाध्यक्ष महोदय, अब तो विपक्ष भी चाहता है। सर, नौकरियां 200 परसेंट बढ़ गईं और उनकी पूंजी 2,08,000 करोड़ से बढ़ कर 9 लाख करोड़ हो गई। यह बताना इसलिए जरूरी था ...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): धन्यवाद।

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल: सर, अभी और सुन लीजिए, तब धन्यवाद दीजिए।

Contents Page

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): आपने बता दिया, इसलिए धन्यवाद।

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल: उपसभाध्यक्ष महोदय, थोड़ा और सुन लीजिए। अब तो मैं विधेयक पर ...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): आपका समय समाप्त हो चुका है।

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल: सर, अब तो मैं विधेयक पर आ रहा हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): आप विधेयक पर बोल चुके हैं। आपका समय समाप्त हो चुका है।

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल: सर, न तो नेता हैं, न उपनेता हैं, मैं ही हूं सब कुछ।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): विधेयक सबके पास है, सब पढ़ लेंगे। आप समाप्त कीजिए।

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल: आपके बीच में जो भी समझौता हो, मैं बोल लूं। ...(**व्यवधान**)... आप मुझे विषय रखने दें। उपसभाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक आया है, इन्होंने कहा कि इसे भाजपा सरकार लेकर आई थी। यह सच है कि भाजपा सरकार ही इसे लेकर आई थी। इन्होंने कहा कि अच्छा भी हुआ है। आधा वाला, बाद वाला ये बोल नहीं पा रहे हैं, नहीं तो वहां रह नहीं पाएंगे, मैं जानता हूं। अब मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस 'अच्छे' से ही संतुष्ट नहीं है। वह इस 'अच्छे' को 'और अधिक अच्छे' में बदलना चाहती है।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): आप समाप्त कीजिए। बस हो गया। मैं दूसरे स्पीकर को बुलाता हूं।

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल: कोई बोलिएगा नहीं, आप लोग मुझे अपनी बात रख लेने दीजिए। वहां तो कोई बोलने वाला है नहीं, उनका समय मुझे दे दीजिए। वे सब तो चले गए।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): धन्यवाद। जो आपकी पार्टी का समय है, वही आपको मिलेगा। The next speaker is Shri Sukhendu Sekhar Ray.

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY (West Bengal): Sir, let me first quote from a reply of the Minister of State, Ministry of Corporate Affairs, on 1st April, 2025 to a Question in the Lok Sabha. I quote the reply only: "To facilitate expeditious resolution process under IBC 2016, etc., the Government has made six Amendments to the IBC and 122 Amendments in its Regulation since inception." 9 सालों में इस एक्ट में 6 अमेंडमेंट्स लाए गए और रेगुलेशन में 122 अमेंडमेंट्स लाए गए, which clearly proves that the IBC was brought in a hurried manner to make exit route for the defaulting companies from liabilities and defaults in banks, real estates and other sectors. Let us see what happened after bringing so many Amendments. As of September, 2025, out of

Contents Page

approximately 8,659 cases admitted by the NCLT, 3,865 cases have been resolved. As per the pendency rate, experts estimate that it will take 10 years if this pendency is to be cleared off.

Now, I come to average haircut. Haircut has been mentioned. Creditors have faced an average haircut of approximately 67 per cent to 70 per cent on their admitted claims. This means creditors, including banks, typically recover only 30 per cent to 33 per cent of the debt owed to them. आदरणीय राधा मोहन जी बोल रहे थे कि एनपीए कैसे घट गया। हेयरकट के बाद, लिक्विडेशन के बाद किसी को जो क्लेम मिला, वे वही सब आंकड़े दे रहे थे। वे ठीक आंकड़े दे रहे थे, 107 परसेंट या 110 परसेंट, but that was after the haircut and haircut rate is 67 per cent to 70 per cent. In some cases, it reached as high as 81 to 83 per cent. This is the scenario. Now, regarding precise real-time total, specifically, under nationalised banks' heading, estimates suggest that the nationalised banks overall have foregone roughly Rs.8 lakh crore through haircuts alone since the IBC's inception. Therefore, you can understand how the NPA has been reduced and banks are making profit, as it is claimed. Though it is rightly claimed, but it is because of this. Then, across all successful resolution plans, -- forget about the banks, I am talking about successful resolutions in entirety -- till late 2025, creditors realised approximately Rs.3.99 trillion against admitted claims worth roughly Rs.12.31 trillion. So, the amount of admitted claims was Rs.12.31 trillion, and the realised amount was only Rs.3.99 trillion. This is the failure of purpose of provision of haircut. This Bill fails to curb massive haircuts for creditors, which is a tool to reap assets rather than truly dissolve them. Other than this, there are infrastructure bottlenecks. Strict timelines, like 40-day admission, are unachievable, as NCLT and NCLAT are severely hindered by vacancies and backlogs, making the Amendments impractical. I am not going Clause-by-Clause because of the paucity of time. The new Creditor-Initiated Insolvency Resolution Process (CIIRP) allows selected financial institutions to initiate insolvency without judicial oversight, which could be misused, will lead to litigation and trigger insolvencies prematurely based solely on default rather than viability. This violates Article 14 of the Constitution in as much as they had made a distinction between two sets of claimants.

The Bill grants the Central Government sweeping powers to frame rules for complex areas like cross-border insolvency and group insolvency. This constitutes excessive delegation of essential legislative functions to the Executive branch, which is absolutely unconstitutional, as it lacks clear guiding principles within the primary law. This is a point of law that I am raising before this august House. Then, the Bill allows these Executive rules to modify or adopt existing provisions of the IBC or the

Contents Page

Companies Act, which bypasses parliamentary scrutiny of major policy shifts. This is absolutely unconstitutional. The Executive cannot overrun or act above the Parliament. Without scrutiny of Parliament, the regulations will be passed, the guidelines will be passed and the directions will be passed by the Executive. It has never happened.

Now, I am coming to another point. The Bill introduces a lower value test for dissenting financial creditors. In the CoC, if there is some dissenting creditor, whether it is group of dissenting creditors or a single dissenting creditor, they would receive the lower of the two amounts what they would get in liquidation under Section 53, or what they would get in the resolution plan's distribution pool, which are divided hypothetically. So, a group of creditors will get higher than the other group of creditors in another case of discrimination.

Now, I would like to refer to one recent observation by the hon'ble Chief Justice of India regarding IBC. It states, "Unfortunately, the IBC platform is now being misused like anything. You get company's all the assets undervalued, then you indulge in a kind of auction, which is also a completely pre-planned game. Somebody from the family or the close friends comes and buys it." This is the crux of the issue. This is why this Bill was introduced in 2016, and so many Amendments have been brought by the Government within nine years to help the crony capitalists and the defaulting corporates. Therefore, in my considered opinion, the Bill focuses on procedural speed, but lacks stronger enforcement mechanism under Section 66. They never go for the implementation under Section 66. It is very stringent, but it is kept away. It is for punishing the defaulting companies. Section 66 is meant for punishing the defaulting companies but it has not been implemented. Under the IBC, the companies, which have defrauded the creditors, plundered public money and siphoned off funds, have knocked the doors of NCLT as an exit route. Sir, according to me, it is high time that this IBC, in its present form, should be repealed and the comprehensive legislation be brought, removing the contentious sections as mentioned above, and to revive the claims of the genuine claimants in a manner so that they are not subjected to so much of haircuts.

Finally, this Bill also leaves the Government as unsecured creditor. Previously, the Government was the secured creditor. In all the claim matters in this country, we have always seen that the Government, the Government organizations or the public sector undertakings are mostly the secured creditors. But, now, after this amendment, Government will be unsecured creditor. What if the Government money

Contents Page

is plundered? Whose money is this? It is the public money. Government money means what? It is public money. So, with this aim and to achieve this goal, this Government has introduced another Amendment, Amendment No.7, to continue t he £ which is going on. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you. The next speaker is Shrimati Rajathi.

SHRIMATI RAJATHI (Tamil Nadu): Sir, this IBC (Amendment) Bill delegates four legislative functions of this Parliament and gives away that responsibility to the Executive. Clause 59A of the Amendment Bill empowers the Union Government to prescribe the manner and conditions for conducting insolvency proceedings in case of group insolvency, where two or more corporate debtors form a group. I would like to clearly point out another provision where the amendment outsourced our Parliament's function to the Executive. Clause 67 of the Amendment Bill empowers the Union Government to prescribe Rules relating to cross-border insolvency proceedings. Now, every aspect of the cross-border insolvency is left to the control of the Executive. It is a core legislative function of the Parliament that should not be given away. We should also note that the 2018 Report of the Insolvency Law Committee led by Shri Injeti Srinivas, the then Secretary of the Ministry of Corporate Affairs, recommended incorporating the cross border insolvency framework as a chapter into the Insolvency Code. It is unfortunate that the Government is sidelining the role of the Parliament.

During the deliberations of the Select Committee, representatives of the National Company Law Tribunal informed that the NCLT was established initially under the Companies Act but after the IBC introduction, additional responsibility under the Insolvency Code also was placed on the NCLT. This was done without increasing the number of members. They also highlighted infrastructure challenges with NCLT functioning in old buildings and lack of permanent employees with around 90 per cent staff working as contract staff. We should focus on having more number of members, Benches, more permanent staff and infrastructure. I urge the hon'ble Minister to assure the House that the Government is taking measures to strengthen the capacity of overburdened and understaffed NCLT in handling additional responsibilities put on them on a regular basis. Without addressing these structural problems, adding an additional responsibility on NCLT will further increase the delay

£ Exupnged as ordered by the Chair.

Contents Page

in adjudication of these already delayed cases. Once these changes are implemented, the Code should be amended to ensure that the appellate tribunal shall dispose of an appeal within three months to address the delay. The Economic Survey tabled in February this year indicates that the National Company Law Tribunal has more than 30,000 pending cases as of March, 2025. Experts indicate that more than 10 years will be taken to address this backlog. IPC stipulates a 330-day timeline for resolution process including litigation. The official data shows that the average resolution time has crossed 700 days. Is the Union Government serious about addressing this delay problem? The Code and the Amendment Bill prescribe a number of timelines. But I want to know the consequences for non-compliance, especially including penalties and punishment for defaults made by the stakeholders involved in the adjudication process. As per information laid in the Parliament two days ago, there are 7.83 crore MSMEs in India. The pre-packaged insolvency resolution process for MSMEs was introduced in April, 2021. According to the data available in the public domain, only 13 MSME cases have been admitted and five have reached the resolution stage in the last five years. This indicates two things. One, there is not enough trust in this system. Two, the system is failing the MSMEs in giving a solution. We need to think more seriously about how we support the MSME sector that contributes 30 per cent to India's GDP. If you need best practices, Tamil Nadu shows the way. The late DMK Chief Minister, Mr. Karunanidhi, launched State MSME policy in 2008, making Tamil Nadu the first State in the country to announce a separate policy for MSME. Tamil Nadu stands first in India in the implementation of the MSME Cluster Development Scheme. With over 62 lakh MSMEs, Tamil Nadu has the third largest MSME ecosystem in the country, across sectors such as leather products, engineering goods, automatic goods, electronics and readymade garments, everything. Sir, before I conclude, I want to say one more thing. Sir, [&]"recent reports from Swiss banking authorities indicate that deposits by Indian nationals in Swiss banks have increased nearly threefold in the year 2024, crossing an alarming figure of Rs.37,600 crore. This revelation raises serious questions about the effectiveness of the Government's efforts to curb black money. Sir, our hon'ble Prime Minister, Shri Narendra Modi, had assured the people of this country that decisive steps would be taken to bring back black money stashed abroad. Today, I would like to ask: what concrete actions have been taken to fulfill that promise? At the same time, we are witnessing a disturbing trend of high-profile economic offenders fleeing the country after defaulting on massive loans. The outstanding dues of Nirav Modi

[&] English translation of the original speech delivered in Tamil.

Contents Page

alone amount to approximately Rs.14, 000 crore. Lalit Modi owes around Rs.1, 700 crore, and Vijay Mallya is responsible for nearly Rs.9, 000 crore in unpaid loans. Sir, these individuals have not only defrauded financial institutions but have also escaped the jurisdiction of Indian law, becoming economic fugitives. I would like to know from the Government: What concrete steps have been taken to bring them back to India and recover public money? Nirav Modi fled the country in 2018. Years have passed, yet justice remains delayed. This raises a fundamental question of accountability. Sir, this situation reflects a deeper structural issue. *This is a very critical issue. If an ordinary citizen were to commit such an offence, would the system allow him to escape so easily? Certainly not. Then why this differential treatment when it comes to influential corporate defaulters? It is the poor and the middle class who bear the burden of economic distress, while large defaulters find ways to evade accountability. This undermines public trust in governance and financial institutions. I would urge the Government to outline clear and stringent measures to expedite the extradition of economic fugitives,

Further, I would like to emphasize that any legislation brought before this House must be the result of consultation with all stakeholders. Transparency, inclusiveness and consensus-building are essential for effective law-making. Unfortunately, this Bill contains several provisions that raise serious concerns. Therefore, on behalf of my party, I firmly oppose this Bill and place my objections on record. With these words, I conclude my speech. Thank you, Sir."

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): The next speaker is Shriman Sanjay Singh.

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली): मान्यवर, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, यह बिल कुल मिलाकर है क्या? बड़े-बड़े बकाया कर्जदारों, जो बड़े-बड़े कर्ज लेकर बैठे हुए लोग हैं, उनको संरक्षण देने का काम इस बिल के माध्यम से किया जा रहा है। मैं इसको इस रूप में भी कहूंगा कि बैंकों में आम आदमी का पैसा जमा है — किसान का, मजदूर का, कर्मचारी का— लाखों-करोड़ों रुपए जमा रहते हैं। वह पैसा आप गरीब आदमी को नहीं देते हैं, उनके रोजगार के लिए नहीं देते हैं, MSME सेक्टर के लिए नहीं देते हैं; *आपका ध्यान इस देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने पर नहीं है। मैंने लोकसभा की पूरी डिबेट सुनी है। सिर्फ एक ही बात बताई जा रही है कि यह loan पहले का है, वह loan पहले का है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आपकी सरकार बनी थी, तब आप कहते थे कि हमारी 56 छुरी वाली सरकार है, हम एक-एक आदमी से

* Not recorded.

Contents Page

डंडा मारकर वसूली कर लेंगे, सबसे पैसा लेंगे, किसी को भागने नहीं देंगे। *मैं authenticate करते हुए आपको बताना चाहूंगा कि यह यह लोकसभा में दिया गया सरकार का उत्तर है, यह मेरे घर पर नहीं बना है। इसमें आप लोगों ने साफ तौर पर बताया है कि आपने करीब-करीब 70 प्रतिशत कर्ज माफ कर दिया। 5,44,000 करोड़ रुपये में से मात्र 1,60,000 करोड़ रुपये आपने वसूल किया और बाकी सब आपने माफ कर दिया। यह तो आपकी बहुत अच्छी स्कीम है। यही स्कीम आप किसानों के लिए लाइए, यही स्कीम आप मजदूरों के लिए लाइए, रेहड़ी-पटरी वालों के लिए लाइए, छात्रों के लिए लाइए, छोटे दुकानदारों और छोटे व्यापारियों के लिए लाइए और कहिए कि अगर 1,00,000 रुपये किसी किसान के बाकी रहेंगे, तो वह 30,000 रुपये दे दे, उसका बाकी कर्ज माफ कर दिया जाएगा। कहिए कि अगर एक करोड़ रुपये किसी दुकानदार या छोटे व्यापारी का बकाया रहेगा, तो उससे 30 लाख रुपये लेकर 70 लाख रुपये माफ कर दिया जाएगा। क्योंकि यही काम तो आपने बड़े-बड़े उद्योगपतियों के साथ किया है। मान्यवर, मैं कुछ आंकड़े पढ़ रहा हूं, जिन्हें पूरे देश को ध्यान से सुनना चाहिए कि क्या है आपकी असलियत।

Essar Steel का 54,000 करोड़ रुपये कर्ज बकाया था, जिसमें से 42,000 करोड़ रुपये वसूले गए और लगभग 23 परसेंट आपने माफ कर दिया। भूषण स्टील के 57,000 करोड़ रुपये बकाया थे, जिसमें से 35,000 करोड़ रुपये वसूले गए और लगभग 38 परसेंट माफ किये। ज्योति स्ट्रक्चर का 8,000 करोड़ रुपये बकाया था, जिसमें से लगभग 55 परसेंट माफ किये। DHFL के 91,000 करोड़ रुपये बकाया थे, जिसमें से लगभग 60 परसेंट माफ किये। भूषण पावर के 48,000 करोड़ रुपये बकाया थे, जिसमें से 19,000 करोड़ रुपये वसूले गए और लगभग 60 परसेंट माफ किया गया। Electrosteel के 14,000 करोड़ रुपये बकाया थे, जिसमें से 5,000 करोड़ रुपये वसूले गए और लगभग 62 परसेंट फ किये। Monnet Ispat के 11,500 करोड़ रुपये बकाया थे, जिसमें से 2,800 करोड़ रुपये वसूले गए और लगभग 75 प्रतिशत कर्ज माफ किया। Amtek के 13,500 करोड़ रुपये बकाया थे, जिसमें से 2,700 करोड़ रुपये वसूले गए और लगभग 80 परसेंट माफ किये। Alok Industries के 30,000 करोड़ रुपये से अधिक बकाया थे, जिसमें से 5,000 करोड़ रुपये वसूले गए और लगभग 83 परसेंट माफ किये। Lanco Infra के 47,000 करोड़ रुपये बकाया थे, जिसमें से 5,300 करोड़ रुपये वसूले गए और लगभग 88 प्रतिशत कर्ज माफ किया। वीडियोकॉन का 46 हजार करोड़ रुपए बकाया था, 2,900 करोड़ रुपए वसूला, 94वें परसेंट कर्जा माफ किया। एबीसी शिपयार्ड का 22 हजार करोड़ रुपए बकाया था, 12 हजार करोड़ रुपए वसूला, 95वें परसेंट माफ किया। आपने श्रीवासनकरण इंडस्ट्रीज का 4800 करोड़ रुपए बकाया था, 320 करोड़ रुपए वसूला, 95वें परसेंट कर्जा माफ किया।

मान्यवर, अभी हमारे मित्र पूछ रहे थे कि हेयर कट क्या है, हेयर कट क्या है, हेयर कट क्या है? हेयर कट का मतलब मामूली सी छूट देना है, ज्यादा वसूलना है। आपने तो पूरी गर्दन कट कर दी, यानी कि बड़ा हिस्सा कर्जे का माफ कर दिया और मामूली हिस्सा कर्जे का आपने वसूला।

Contents Page

आपका ध्यान देश की अर्थव्यवस्था ठीक करने में नहीं है, बल्कि पूंजीपतियों को हर तरह से फायदा पहुंचाने में है। एक गाना था 'तू जहां-जहां चलेगा, मेरा साया साथ होगा।' ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): प्वाइंट ऑफ ऑर्डर।

श्री अरुण सिंह (उत्तर प्रदेश): सर, संजय जी ने जो भी कहा, वह relevant नहीं है और उसको भाषण से निकाला जाए। उसको एक्सपंज किया जाए। दूसरी बात यह है कि ये असत्य आंकड़ा दे रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): हम रिकॉर्ड में चैक करेंगे। संजय जी, आप बोलिए।

श्री संजय सिंह:*

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): आप बिल पर आइए।

श्री संजय सिंह: आपका ध्यान ...(**व्यवधान**)... सर, मेरा समय जा रहा है, मुझे बोलने दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): हम रिकॉर्ड चैक कर लेंगे।

श्री संजय सिंह: आपका दिमाग बड़े बकाएदारों से कर्ज वसूलने में नहीं है। अगर होता, तो जो हजारों-करोड़ों के बकाएदार हैं, उनके पासपोर्ट ज़ब्त कीजिए। संजय सिंह का पासपोर्ट आपने ज़ब्त किया है। एक-एक सांसद के पासपोर्ट आपने ज़ब्त किए, तो इन के पासपोर्ट को ज़ब्त क्यों नहीं किए। आपने नहीं ज़ब्त किए? आपका दिमाग क्या है यूट्यूबर पकड़ना है, न्यूज वाले को पकड़ना है, संजय शर्मा का फोर पीएम बंद करना है, राजीव निगम का फेसबुक बंद करना है, मुकेश मोहन पर मुकदमा करना है। खाली आपको अपने विरोधियों का गला घोटने के अलावा दिन-रात कोई काम नहीं है। आपको चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना है। देश की जनता भाड़ में जाए, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। नोटबंदी करके आपने देश की अर्थव्यवस्था को बरबाद किया। *...(**व्यवधान**)... मान्यवर, मैं इस बिल का पूरी तरीके से विरोध करता हूं। ...(**समय की घंटी**)... मैं अंतिम बात कहकर खत्म करूंगा। एनसीएलटी की चर्चा हुई।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): आप समाप्त कीजिए। मान्यवर, मैं बस खत्म कर रहा हूं। आपने सभी को ज्यादा टाइम दिया है, आप मुझे भी एकाध मिनट दे दीजिए। NCLT में 30,000 cases pending हैं और 270 दिनों में NCLT को case का निराकरण करना होता है।* मैं Chief Justice का अंतिम वाक्य बोलकर अपनी बात खत्म करूंगा। *चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने कहा, "The insolvency process has become a mockery." यह भारत के मुख्य न्यायाधीश का बयान है, इन्सॉल्वेंसी के बारे में, *महोदय, आपने मुझे सदन में अपनी बात कहने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ...(**व्यवधान**)...

* Not recorded.

Contents Page

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): हम चैक कर लेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। Now, Shri Ayodhya Rami Reddy Alla.

SHRI AYODHYA RAMI REDDY ALLA (Andhra Pradesh): Sir, I rise to draw the attention of the House to the Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2026. मैं एक बात बोलना चाहता हूं beyond politics. पहले क्या होता था, आज क्या हो रहा है और कल क्या होगा। मैं बोलता हूं कि IBC के आने से पहले इतना debt companies ने लिया 2015-16 से पहले। मैं बोलता हूं कि अभी companies की जो भी बात हुई है, उन्होंने debt कब लिया था। In the past, they raised all that debt. Through IBC, they brought a resolution. We must really appreciate the Government. Again, I do not want to score political points here. We must understand that the country is first. यह जो भी हो रहा है - ठीक है, आज की स्थिति में भी छोटी-मोटी गलती नहीं हो रही है – हो सकता है, But I am telling you, the intent. आज लोन लेने के लिए बोलें, तो बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन दस साल पहले लोन लेना इतना easy था। आज system को इतना strengthen कर दिया गया है। अभी IBC की इस situation में insolvency की कितनी companies आ रही हैं - इसके बारे में बताइए। यह बहुत कम हो गया है। I am really appreciating this Government for the good work they have done. Secondly, I also wanted to tell you that this reform, which they have brought, is also timely. कुछ शुरू किया था। हम लोग IBC के लिए 25-30 साल से रो रहे थे। Business means profit and loss. इसमें profit भी होता है, loss भी होता है। अगर लोगों की intent गलती होती है, तो loss होता ही है कि हमने ऐसे लोगों को पैसा दिया था। लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। I can tell you in this House. बहुत कंट्रोल से business चल रहा है, बहुत accountability होने से businessman को डर हो गया है कि ऐसे करेंगे, तो नहीं चलेगा। So, it is a very good move. Secondly, I wanted to bring a few issues and suggestions. As of March 2025, 30,600 cases still remain pending in the NCLT with an estimated clearance time of nearly a decade at the current disposal rates. This needs to be addressed. There are huge infrastructure gaps. Many of 30 NCLT benches operate on half day schedules or via video conference. We need to really bring in a lot of physical infrastructure and administrative support to these things.

Thirdly, the average resolution during this time has ballooned to 713 days and also at times 853 days. This represents 150 per cent deviation from the statutory 330 days limit. This is also one very important timeline issue which needs to be addressed. Admission delays are also there. The admission itself is delayed by 500 to 600 days. If the admission is delayed, value gets eroded. Coming to litigation as a stalling tool, Section 65 and excessive appeals are frequently misused by the erstwhile promoters to derail the process. This is another very important issue. This needs to addressed. Creditors are often forced to take haircuts of 65 per cent to 70 per cent with an average realization hovering around 31 per cent to 32 per cent of

Contents Page

admitted claims. This is also one major problem, which needs to be addressed. Under the current Section 53 waterfall mechanism, MSMEs and other small operational creditors receive negligible recoveries because amounts are exhausted by secured financial creditors. Sir, operational creditors lack voting rights in the Committee of Creditors, leaving them with no influence or resolution plans. This needs to be addressed.

The CoC often lacks a formal code of conduct, leading to delayed decisions on interim finances. Also, India has lacked a robust statutory framework for substantial consolidation of coordination with foreign jurisdictions, leaving it to fragmented proceedings and value erosion. Also, the new creditor initiated insolvency resolution process is currently restricted to specified financial institutions only. That also needs to be addressed. These are all the issues.

Now, I would like to make some suggestions also. We need to implement a formal index to measure the economic cost of adjudicatory lag to create institutional accountability. We also strictly enforce the Bill's mandate to treat information utility records as conclusive evidence to meet the 14-day admission window. We also need to speed up utilization of the Insolvency and Bankruptcy Fund to provide temporary funding to stressed companies, protecting jobs and value during the resolution process. Also, we need to amend Section 53 to accord MSMEs a fairer priority to implement a mandatory minimum payout floor in resolution plans to protect smaller suppliers and workers. We also need to formally codify the code of conduct for CoC members, requiring them to act as custodians of public trust and provide necessary day-to-day funding. We must also introduce simpler procedures, standard formats, and guidance support to help MSMEs navigate pre-pack and other resolution options. Project-wise CIRP for real estate and infrastructure projects need to be brought in to prevent stalled projects from jeopardizing the solved ones is also very important. Finally, we need to move beyond procedural coordination towards a legal framework for consolidating assets and liabilities in complex group insolvencies. ...*(Time-bell rings.)*... We need to establish clear principles for recognizing foreign proceedings to ensure enabling provisions do not result in excessive delegation of legislative power.

Finally, Sir, extending the CIRP eligibility uniformly to all credit dispensing banks and financial institutions under the RBI regime is also one of our important suggestions. With these things, while these amendments are a strategic step towards upgrading and towards bringing the new phase to the IBC, the credibility of our

Contents Page

insolvency regime depends entirely on whether our adjudicator capacity can finally catch up with our legislative intent. We must ensure that the process is not only fast but fair and inclusive for all the stakeholders. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRAMN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): The next speaker is Muzibulla Khan.

श्री मुजीबुल्ला खान (ओडिशा): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं दि इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (अमेंडमेंट) बिल, 2026 पर विचार रखने के लिए खड़ा हूँ। यह विधेयक निश्चित रूप से हमारे देश के दिवाला समाधान ढांचे को और सुदृढ़ करने का प्रयास करता है, लेकिन इसके कुछ प्रावधान गम्भीर चिंताओं का विषय भी हैं। सबसे पहले, फास्ट ट्रैक दिवाला समाधान प्रक्रिया को हटाना अत्यंत चिंताजनक है। यह व्यवस्था विशेष रूप से छोटे उद्यमों, उद्योगियों और नवाचार आधारित उद्यमों के लिए बनाई गई थी, जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। इसे हटाने से छोटे उद्यमों को लम्बी और महंगी प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है, जिससे व्यवसाय करने में आसानी का उद्देश्य कमजोर होगा। दूसरा, लेनदार-प्रेरित दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरुआत एक संतुलित कदम प्रतीत होती है, लेकिन व्यवहार में यह वित्तीय लेनदारों के पक्ष में अधिक झुकाव ला सकती है। 51 परसेंट लेनदारी की सहमति की शर्त के बावजूद, बड़े संस्थागत लेनदार छोटे कर्जदारों पर दबाव बना सकते हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। पहला, फास्ट ट्रैक दिवाला समाधान प्रक्रिया को समाप्त करने के बजाय, इसे और मजबूत किया जाना चाहिए। दूसरा, लेनदार-प्रेरित दिवाला समाधान प्रक्रिया में छोटे कर्जदारों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के हितों की रक्षा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय जोड़े जाने चाहिए। तीसरा, राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण को कुछ हद तक विवेकाधिकार दिया जाना चाहिए, ताकि विशेष परिस्थितियों में न्याय सुनिश्चित हो सके। चौथा, न्यायाधिकरण और समाधान पेशेवरों की क्षमता को बढ़ाने पर सरकार विशेष ध्यान दे। अंत में, महोदय, यह विधेयक सुधार की दिशा में एक कदम है, लेकिन इसमें संतुलन की कमी दिखाई देती है। हमें ऐसा कानून बनाना चाहिए, जो केवल लेनदारी के लिए नहीं, बल्कि उद्यमियों के लिए भी महत्वपूर्ण और व्यवहारिक हो, धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Next speaker is Shri Sanjay Yadav.

श्री संजय यादव (बिहार):

"रद्दी तक तोली जाती है तराजू में,
बिकने से पहले तुम्हें कोई परख रहा है, तो इसमें बुरा क्या है?"

महोदय, अभी हमारे सभी साथी बोल रहे थे कि 2014 से पहले क्या था। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ और अंग्रेज देश कर छोड़ गए, उन्हें भगाया गया, उस वक्त देश में खाने के लिए अन्न भी नहीं था और जो लोग उधर बैठे हैं, उनका तो देश की आजादी में कोई योगदान भी नहीं

Contents Page

था। ...(**व्यवधान**)... जब हमारा देश आजाद हुआ, उस वक्त हमारे देश का literacy rate मात्र 12 परसेंट था और देश की औसत आयु 32 वर्ष थी। हमारे देश का पहला बजट मात्र 197 करोड़ रुपये का था। आज हमारे देश का बजट 55 लाख करोड़ रुपये है और वह 2014 तक कितना था, यह सब जानते हैं। 1947 से लेकर 2014 तक का जो सफर था, उसमें सभी देशवासियों का योगदान था। उससे पहले सृष्टि नहीं थी, चांद-सितारे नहीं थे, ऐसा नहीं है। सब कुछ 2014 के बाद नहीं हुआ है।

महोदय, अभी हम Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2026 की बात कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा और यह सरकार का आंकड़ा है कि पिछले 10 साल में 26 लाख करोड़ रुपये का कर्ज माफ हुआ है, यह चाहे loan waive-off हो, write-off हो या एनपीए में डाला गया हो। 26 लाख करोड़ रुपया बट्टे खाते में डाल दिया गया, जो अधिकांश कॉर्पोरेट्स का है, पूंजीपतियों का है। महोदय, मैं आपके मार्फत से, इस सदन के मार्फत से, देशवासियों की तरफ से यह पूछना चाहता हूं कि 26 लाख करोड़ रुपये जो आपने माफ किए हैं, इसमें से कितना किसानों का है? अगर कोई किसान 5 हज़ार रुपए का भी लोन ले लेता है, कोई छात्र पढ़ाई के नाम पर 1 लाख रुपये का भी लोन ले लेता है, कोई गरीब बेटी की शादी के लिए, बेटे की पढ़ाई के लिए लोन ले लेता है, तो हमारा पूरा जो सरकारी तंत्र है, जो बैंकिंग सिस्टम है, वह उनके सिर पर चढ़ जाता है। किसान ने यदि 5 हज़ार रुपये का लोन ले लिया, तो उसकी गाय, भैंस तक खोलने के लिए बैंक वाले उनके घर चले जाते हैं। पूंजीपतियों के 26 लाख करोड़ रुपये माफ कर दिए गए, ये कौन पूंजीपति हैं? हम तो कहना चाहते हैं कि ये 26 लाख करोड़ रुपये जिनका माफ किया है, उन पूंजीपतियों की सामाजिक पृष्ठभूमि देखनी चाहिए कि ये किस पृष्ठभूमि के हैं। जिनका 26 लाख करोड़ रुपया माफ किया गया है, क्या उनमें एक भी पूंजीपति एससी, एसटी और ओबीसी है? क्या वे इस देश के निवासी नहीं हैं कि 26 लाख करोड़ रुपये आप उनको दे देते हैं? वे किस जाति के लोग हैं? आप उनकी जाति चेक कीजिए। वे इस देश का पैसा खा जाते हैं और जो किसानी कौम के लोग हैं, गरीब लोग है, वंचित हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, तो 5 से 10 हज़ार रुपये के लिए भी ये बैंकिंग वाले उनकी गर्दन पर पैर रख कर वसूली करते हैं, लेकिन अपने पूंजीपतियों का सब लोन माफ कर देते हैं। महोदय, यह 26 लाख करोड़ हमारे देश के बजट का आधा है। यह बहुत बड़ी रकम है। इनका लोन क्यों माफ किया जाता है, यह सोचने का विषय है। इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है? India is one of the most unequal countries in the world. World Inequality Lab has reported that the top one per cent of our country owns 40 per cent resources of this country. देश की 22.6 प्रतिशत इन्कम उन टॉप 1 प्रतिशत लोगों के पास है and the data shows that the bottom 60 per cent people of this country only owns three per cent of the nation's wealth. जब आप 26 लाख करोड़ कुछ पूंजीपतियों के हाथ में दे देंगे, तो यही असमानता की दर होगी। While we boast about being the fastest growing economy in the world or the fourth largest economy in the world, but where do we stand? As far as the per-capita income is concerned, we stand on 141st position out of 195 countries. हमारी जो आय की असमानता है, सरकार को उसको दूर करनी चाहिए और जो देश की बहुसंख्यक आबादी है, उस पर भी कुछ नजर-ए-

Contents Page

इनायत करनी चाहिए। उसके भी जो एससी, एसटी, ओबीसी के व्यवसायी हैं, एंटरप्रेनर्स हैं, आप उनको भी लोन दीजिए और उनको भी ज़रा ये रियायतें दे दीजिए, जो आप पूंजीपतियों को देते हैं, जिनमें आप 26-26 लाख करोड़ रुपए माफ करते हैं। सर, मुझे समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): डा. फौजिया खान; not present. श्रीमान चौधरी मोहम्मद रमज़ान।

श्री चौधरी मोहम्मद रमज़ान (जम्मू-कश्मीर): वाइस-चेयरमैन सर, मैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल के ऊपर बोलने जा रहा हूं। मैं इस बिल की पुरजोर मुखालिफत कर रहा हूं, क्योंकि इस बिल का जो मकसद है, वह गरीबों के लिए नहीं है। मैं आज भी देखता हूं कि सारी कंट्री में और खास कर हमारे स्टेट में आज भी रेवेन्यू ऑफिसर्स, पुलिस और बैंक के ऑफिसर्स उन लोगों के मकान जब्त करते हैं, बाग जब्त करते हैं, ऑर्चर्ड्स जब्त करते हैं, खेत जब्त करते हैं, जिन्होंने बैंकों से पेटी अमाउंट का लोन लिया है, जिन्होंने 50 हजार, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तक का लोन लिया है। वे उनको घरों से बाहर निकाल फेंकते हैं और उनको तब तक घरों में जाने नहीं देते हैं, जब तक कि वे लोन की वसूली न कर लें। यह बिल उनके लिए नहीं है। यह बिल उन फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के लिए है, जिन्होंने इस देश के अरबों रुपए पहले भी खाए हैं और आज इस बिल को लाने का मकसद भी यही है कि उनको कवर दिया जाए।

सर, मुझे याद है कि जब 2014 में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने कहा था कि न मैं खाऊंगा, न किसी को खाने दूंगा। लेकिन उस वक्त से आज तक जो बड़े-बड़े पूंजीपति थे, जिन्होंने इस देश के करोड़ों रुपए लूटे हैं, जिनमें विजय माल्या कोई 7,500 करोड़ रुपए, नीरव मोदी 6,400 करोड़ रुपए, मेहुल चौकसी 7,080 करोड़ रुपए, ललित मोदी 1,700 करोड़ रुपए, इसी तरह राजीव गोयल, विनय मित्तल वगैरह जो लोग हैं, उन्होंने आज तक जितना भी पैसा लिया, फिर वे कंट्री से भाग भी गए, वह पैसा वापस नहीं आया, जबकि यह कहा गया था कि हम उनसे वह पैसा ले लेंगे और 15-15 लाख रुपए गांव के हर लोग को उनके बैंक अकाउंट्स में दे देंगे। यह पैसा नहीं आया। इसलिए मैं इस बिल की जबर्दस्त, पुरजोर मुखालिफत करता हूं, क्योंकि यह गरीबों के लिए नहीं है, बल्कि यह उन्हीं लोगों को फिर से शेल्टर देने के लिए है। पहले भी करीब 20 लाख करोड़ रुपए इसी हिसाब से माफ किए गए हैं और आज भी यही कोशिश हो रही है कि और भी जो लोग हैं, उनको इसी तरह से कवर मिले। मैं यह चाहता हूं कि गरीबों के लिए कुछ किया जाए और गरीबों के पास अगर थोड़े-थोड़े, छोटे-छोटे अमाउंट्स की बकायेदारी है, तो उनको माफ किया जाए।

सर, दूसरी बात, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जम्मू-कश्मीर स्टेट में एक अपना बैंक है - जे and के बैंक, यह एक ऑटोनॉमस बैंक है, लेकिन पिछले कई सालों से उसकी वह ऑटोनॉमी टोटली खत्म हो गई है। उस बैंक में जितने भी टॉप लेवल के ऑफिसर्स हैं, जो टॉप ब्रास है, कॉरपोरेट सेक्टर के जो लोग उसको चला रहे हैं, वे बाहर के लोग चला रहे हैं और रियासत-ए-जम्मू-कश्मीर के लोगों से वह पावर छीनी गई। ईवन, रिमोट विलेजेज़ में भी आज आप देखेंगे कि

Contents Page

पटना से, बिहार से, गुजरात से, बहुत सारी जगहों से लोग आ रहे हैं, वे उधर नौकरियां करते हैं। हालांकि वे बेचारे जान के मारे परेशान हैं, क्योंकि हालात उनके लिए शायद उतने साज़गार नहीं हैं।

ऑनरेबल वाइस-चेयरमैन साहब, मुझे तो 9 मिनट्स मिलने चाहिए थे, क्योंकि मैं अकेला बोलने वाला हूं, लेकिन आपने मुझे सिर्फ तीन मिनट दिए। आप मुझे एक मिनट दे दीजिए। ...(**समय की घंटी**)...

रमضان محمد یچودھر جناب (ریکشم جموں) : †نڈیا ینسیالوانس ،سر نیئرمیچ وائس مخالفت پرزور یک بل اس یم ہوں رہا جا بولنے پر کے بل نٹینڈمیام کوڈ ینکرپسیب یھب آج یم ہے ینہ لیے کے بویغر وہ ،ہے مقصد جو کا بل اس ونکہیک ،ہوں رہا کر ویندیور یھب آج یم ٹیاسٹ ہمارے کر خاص اور یم یکنٹر یسار کہ ہوں کھتاید ضبط باغ ،یہ کرتے ضبط مکان کے لوگوں ان سرسیآف کے نکیب اور پولس ،سرسیآف سے بنکوں نے جنہوں ،یہ کرتے ضبط تیکھ ،یہ کرتے ضبط آرچرڈس ،یہ کرتے کا تک رپئے لاکھ 2 ،لاکھ 1.5 ،لاکھ 1 ،ہزار 50 نے جنہوں ،ہے ایل لون کا اماؤنٹ یٹیپ یم گھروں تک تب انکو اور یہ نکتےیپھ نکال باہر سے گھروں کو ان وہ ہے ایل لون ینہ لیے انکے بل ہی یل کر نہ یوصول یک لون وہ کہ تک جب ،یہ تےید ینہ جانے اربوں کے شید اس نے جنہوں ،ہے لیے کے نڈرسیآف اکونامک ویٹیوزیف ان بل ہی ہے کور انکو کہ ہے یہی یھب مقصد کا لانے کو بل اس آج اور یہ کھائے یھب پہلے روپے جائے ید۔

،بنے منسٹر پرائم کے ملک صاحب منسٹر پرائم ہمارے یم 2014 جب کہ ہے ادی مجھے ،سر آج سے وقت اس کنیل ۔دونگا کھانے کو یکس نہ ،کھاؤنگا یم نہ کہ تھا کہا نے انہوں تو جن ،یہ لوٹے روپے کروڑوں کے شید اس نے جنہوں ،تھے یپت یپونج بڑے بڑے جو تک یچوکس ہلیم ،روپے کروڑ 6,400 یمود رویں ،رپئے کروڑ 7,500 یکوئ یہمال وجے یم جو رہیوغ متل ہیون ،گوئل ویراج طرح یاس ،روپے کروڑ 1,700 یمود للت ،روپے کروڑ 7,080 وہ ،گئے یھب بھاگ سے یکنٹر وہ پھر ،ایل سیپ یھب جتنا تک آج نے انہوں ،یہ لوگ 15-15 اور گے یل لے سیپ وہ سے ان ہم کہ تھا ایگ کہا ہی جبکہ ،ایآ ینہ واپس سیپ ۔ایآ ینہ سیپ ہی ۔نگےید دے یم اکاؤنٹس نکیب انکے کو آدمی ہر کے گاؤں روپے لاکھ یے کے بویغر ہی ونکہیک ،ہوں کرتا مخالفت پرزور ،زبردست یک بل اس یم اسلئے یھب پہلے ہے یے کے نےید لٹریش سے پھر کو لوگوں یانہ ہی بلکہ ،ہے ینہ ہو کوشش یہی یھب آج اور یہ گئے کئے معاف سے حساب یاس روپے کروڑ لاکھ 20 بیقر بویغر کہ ہوں چاہتا ہی یم ۔ملے کور سے طرح یاس انکو ،یہ لوگ جو یھب اور کہ ہے یرہ چھوٹے چھوٹے ،تھوڑے تھوڑے اگر پاس کے بویغر اور جائے ایک کچھ یے کے جائے ایک معاف کوان تو ،ہے یدار یہبقا یک اماؤنٹس۔

نکیب اپنا کیا یم ٹیاسٹ ریکشم و جموں ہمارے کہ چاہونگا کہنا یم ،بات یدوسر ،سر سے سالوں یکئ پچھلے کنیل ،ہے نکیب آٹونامس کیا ہی ۔نکیب کے نڈیجیا — ہے کے ولیل ٹاپ یھب جتنے یم نکیب اس ہے یگئ ہو ختم یٹوٹل یآٹونام وہ یاسک وہ ،یہ رہے چلا اسکو لوگ جو کے کٹریس ٹیکارپور ،ہے اسبر ٹاپ جو ،یہ سرسیآف یگئ ینیچھ پاور وہ سے لوگوں کے ریکشم و جموں استیر اور یہ رہے چلا لوگ کے باہر بہت ،سے گجرات ،سے بہار ،سے پٹنہ کہ گے یکھید آپ آج یھب یم زیجیول رموٹ ،ونیا

† Transliteration in Urdu script.

Contents Page

کے جان چارےیب وہ حالانکہ ۔ہیہ ےکرت اینوکر ادھر وے ،ہیہ رہے آ لوگ سے جگہوں یسار ۔ہیہ یںہ سازگار اتنے دیشا ےیل انکے حالات ونکہیک ،ہیہ شانیپر مارے

لایاک ہیم ونکہیک ،تھے ئےیچاہ ملنے منٹس 9 تو مجھے ،صاحب نیئرمیچ وائس بلیآنر ۔ےیجید دے منٹ کیا مجھے آپ ۔،ےید منٹس نیت صرف مجھے آپنے کنیل ،ہوں والا بولنے ...(یگھنٹ یک وقت)...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): आप समाप्त कीजिए।

श्री चौधरी मोहम्मद रमज़ान: मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जम्मू-कश्मीर बैंक की जो ऑटोनॉमी है, वह वापस की जानी चाहिए, ताकि उससे उधर के लोगों की भी भलाई हो सके। खास कर जो गरीब लोग हैं, उनका जो कर्जा है, वह माफ करना चाहिए और खास कर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत लोगों ने जो कर्जे लिए हैं, जो वापस नहीं दे सकते हैं, क्योंकि फसलें खराब होती हैं, उन पर मौसम का भी असर होता है, वे माफ किए जाने चाहिए। मैंने पिछले दिनों भी कहा कि जितनी भी फंजिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स यहां से आती हैं, वे स्प्यूरियस टाइप की होती हैं, उनसे भी नुकसान होता है। मैं चाहता हूं कि वे जो कर्जे हैं, वे माफ किए जाने चाहिए। शुक्रिया, सर।

रمضان محمد یچودھر جناب : †جو یک نکیب ریکشم جموں کہ کرونگا سٹیکویر سے آپ ہیم ہو یبھلائ یبھ یک لوگوں کے ادھر سے اس تاکہ ،ئےیچاہ یاج یک واپس وہ ،ہے یآٹونام کر خاص اور ئےیچاہ کرنا معاف وہ ،ہے قرضہ جو انکا ،ہیہ لوگ بیغر جو کر خاص ۔سکے دے یںہ واپس جو ،ہیہ ےیل قرضے جو نے لوگوں تحت کے میسک کارڈ ڈٹیکر کسان معاف وے ،ہے ہوتا اثر یبھ کا موسم پر ان ،ہیہ یہوت خراب یفصل ونکہیک ،ہیہ سکتے ،سائڈس یفنج یبھ یجتن کہ کہا یبھ دنوں پچھلے نے ہیم ئےیچاہ جانے کئے نقصان یبھ سے ان ،ہیہ یہوت یک ٹائپ سیوریاسپ وہ ،ہیہ یآت سے ہاں یلائزرسیفرٹ ۔سر ،ہیشکر ئےیچاہ جانے کئے معاف وہ ،ہیہ قرضے جو وے کہ ہوں چاہتا ہیم ہے ہوتا

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): धन्यवाद। डा. फौजिया खान; not present. श्रीमान मदन राठौड़।

श्री मदन राठौड़ (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष महोदय, आज आपने मुझे दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 पर बोलने का जो अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां दिवालिया या दिवालियापन को बहुत अच्छा नहीं मानते। मतलब यदि किसी को 'दिवालिया' कह दिया जाए, तो वह इसे गाली समझता है और झगड़े पर उतारू हो जाता है। हमारे यहां बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से काम करने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी यदि कोई उद्यमी कोई उद्योग लगाता है, तो वह पहले प्रपोजल बनाता है, उसमें अपनी खुद की पूंजी भी लगाता है, औरों से सहयोग भी लेता है और सबका सहयोग लेकर, बैंक में प्रपोजल देकर, बैंक से सहायता भी प्राप्त करता है। जब वह उद्योग लगाता है, तो कभी कई बार परिस्थितियों में बदलाव आ जाता है। जब परिस्थितियों में बदलाव आ जाता है, तो उद्योगपति परेशान हो जाता है; यदि भागीदारों में कहीं फूट पड़ जाए, तब भी उद्योगपति परेशान हो जाता है; मार्केट में अधिक प्रतिस्पर्धा होती है, तो उसके कारण भी कई बार उद्योगपति

† Transliteration in Urdu script.

Contents Page

परेशान हो जाता है; कच्चे माल की उपलब्धता में कमी आ जाए, तब भी उद्योगपति परेशान हो जाता है और कई बार मजदूरों का विवाद या यूनियन के झगड़े के कारण भी उद्योगपति परेशान हो जाता है और उसकी वह unit sick हो जाती है। लेकिन उस sick unit को फिर से reschedule करने का प्रावधान इस बिल के अंदर है। इसमें इस प्रकार की भी व्यवस्था की गई है और इसमें भी बहुत दिमाग लगाया गया है।

महोदय, 2016 की संहिता में कई कमियां थीं। उन कमियों को दूर करके, इसमें अन्य देशों की सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बदलाव करके, पुनर्गठन ढांचे को तैयार किया गया है। इस प्रकार यह बहुत लाभप्रद है - ऋण-प्रदाता की राशि भी सुरक्षित करना, उसकी भूमिका को बढ़ाना, संपत्ति का उचित मूल्य मिले और विशेष रूप से समय कम करना। यदि इसमें और अधिक समय लग जाएगा, तो उसकी जो machinery है, वह dead हो जाएगी, उसकी value भी कम होती जाएगी और उसको मार्केट में उसका उचित मूल्य नहीं मिलेगा, इसलिए इसमें इस प्रकार की व्यवस्था भी की गई है। कई समूह दिवालियों या सीमा-पार दीवालियों की समस्याओं का भी सरलीकरण किया गया है। न्यायालय के बाहर भी समाधान हो सके, उसे बेहतर करना - इस प्रकार की भी इसमें व्यवस्था की गई है।

महोदय, इसकी अनेक धाराओं में संशोधन किया गया है। धारा 3, 5, 7(4), 9, 10, 12 - ऐसी अनेक धाराओं में भी और संशोधन किया गया है। इसमें संशोधन के बाद जो कुछ भी परिवर्तन आये हैं, उनको मैं आपके सामने थोड़ा सा रखना चाहूंगा। Out-of-court resolution से बहुत सी समस्याओं का समाधान हुआ है। Group insolvency - एक ही group की कई कंपनियां हैं, तो इसमें उनका भी संयुक्त समाधान करने का प्रावधान है। Cross-border insolvency - अंतर्राष्ट्रीय मामलों के समाधान का भी इसमें प्रावधान किया गया है। 'Clean Slate' principle — जब कोई भी नया खरीददार होता है, तो पहले का जो उसका कर्ज है, उसे माफ करके, नए सिरे से इसकी और व्यवस्था करने का भी इसमें प्रावधान है। इसमें fraud रोकने के लिए और look-back period मजबूत करने का भी प्रावधान है। इसमें जो time-delay होता है, उसको कम करना, पारदर्शिता और जवाबदेही, direction, मनमानी को खत्म करना है। न्यायपालिका और professionals की accountability बढ़ी है और अब इसमें आर्थिक प्रभाव भी हुआ है। Ease of doing business में भी सुधार हुआ है। इससे विदेशी निवेश भी आकर्षित हुआ है। वह भी यहां पर निवेश करने के लिए प्रोत्साहित हुआ है, प्रेरित हुआ है, तो हमें इसका भी लाभ मिलेगा। यह देश के लिए भी लाभप्रद है। उद्योग और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। आईबीसी संशोधन, 2025 भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, बैंकिंग सुधार लाने और दिवालिया कंपनियों को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है।

महोदय, मैं आईबीसी के महत्व के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। पहले debtors, यानी कर्ज लेने वाले मजबूत थे और creditors, यानी कर्ज देने वाले कमजोर थे। अब creditors के पास कानून, regulator और सुरक्षा भी है। इस संशोधन के प्रभाव से 8,000 से अधिक मामलों का समाधान हुआ है। Resolution ratio, जो पहले 20 परसेंट था, वह अब बढ़कर 91 परसेंट हुआ है और liquidation value भी 170 प्रतिशत रिकवरी हुई है। आईबीसी दिवालियापन कानून ने भारत में

Contents Page

ऋण वसूली प्रणाली को मजबूत किया है। महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि बैंकिंग सुधार में, जो gross NPA पहले 11 परसेंट था, अभी 2.3 परसेंट हुआ है, net NPA 0.6 परसेंट हुआ है, सभी PSU banks अब profit में हैं। जैसे हमारे राजीव शुक्ला जी ने भी कुछ कहा था और संजय सिंह जी ने भी बोला, मैं उनको बताना चाहूँगा कि पहले क्या हुआ करता था। यूपीए सरकार के दौरान बैंक और आर्थिक मामलों से जुड़े कई विवादों की जाँच की गई है। आईएनएक्स मीडिया मामला 2007 में हुआ था, जिसमें अवैध रूप से आईएनएक्स मीडिया समूह को 305 रुपए का विदेशी निवेश (एफआईपीबी मंजूरी) प्राप्त करने में मदद की थी। इसमें हमारे उस समय के मंत्री का भी योगदान है, जिनको गिरफ्तार भी होना पड़ा और जेल में भी जाना पड़ा। उनके बेटे भी जेल में रहे। यह बात मैं आपको बताना चाहूँगा।

महोदय, एयरसेल-मैक्सिस सौदा के बारे में बताना चाहता हूँ। 2006 में एयरसेल-मैक्सिस सौदे को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड(एफआईपीबी) की मंजूरी देने में अनियमितता की गई थी और उसमें भी हमारे उस समय के मंत्री का बहुत बड़ा योगदान था। उसमें भी वे जमानत पर हैं। यही नहीं, मैं बैंक से संबंधित अन्य जाँच के बारे में भी बताना चाहूँगा। मैं नाम भी बता सकता हूँ, लेकिन इसके लिए प्रावधान हैं। एयर इंडिया विमान खरीद मामले में 70,000 करोड़ रुपए की अनियमितता के आरोप उस समय लगे थे, *इंडियन बैंक घोटाला 1996 में हुआ था। इसमें भी 1,727 करोड़ रुपए अनियमितता हुई थी। मैं नोट छापने वाली मशीन मामले के बारे में बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से पाकिस्तान से साझेदारी थी। नोट छापने वाली मशीनों के लिए एक ब्रिटिश फर्म को अनुबंध दिया गया था, लेकिन कैसे उस विमान ने पाकिस्तान में इमरजेंसी लैंडिंग की और वहाँ पर किस प्रकार से उस मशीन का पार्ट कॉपी करने के लिए दिया गया - यह भी हम सबके सामने है। यह भी हमें समझने की जरूरत है।

महोदय, मैं एक और बात आपके सामने रखना चाहूँगा। एक दिन की बात है, *इस प्रकार की बात हुई है। राजीव जी, आप खुद जवाबदेह हैं, आपको भी यह बात देखनी चाहिए थी कि जब आपके समय इस प्रकार की बात हो रही थी, तो फिर आप किस पर आरोप लगाने लगे हैं? यह बात हमको समझने की जरूरत है। यदि आप इस विषय को नहीं समझेंगे और केवल आरोप लगाने का काम करेंगे, तो यह ठीक बात नहीं है। इसको आप समझ कर बोलें, तो ठीक रहेगा। केवल आरोप लगाना कि आपके समय में यह हुआ था, आपके समय में यह था, यह ठीक नहीं है। आप हेयर कट की बात करते हैं, आपको यह सलाह उस सदस्य ने दी, जो हेयर कट भी नहीं करवाते हैं। आप यह किसकी बात करते हैं, आप इस बात को समझिए।

महोदय, 'आईबीसी, 2005' में समूह दिवालिया प्रक्रिया, विदेश से जुड़े दिवालिया मामले और कर्जदाताओं द्वारा शुरू की जाने वाली दिवालिया प्रक्रिया जैसे बदलाव शामिल हैं। इससे मामलों को जल्दी निपटाने में मदद मिल सकती है।

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) और एनसीएलएटी में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने, कानूनी सुधारों से अदालतों पर पर बोझ कम होगा। आईबीसी संशोधन, कॉरपोरेट मामलों

* Not recorded.

Contents Page

के मंत्रालय और भारतीय दिवालियापन और दिवाला बोर्ड(आईबीबीआई) के सुझावों से कर्ज की वसूली का समय कम होगा और बैंकों को ज्यादा पैसा वापस मिलेगा। रियल एस्टेट निर्माण क्षेत्र में अभी कई दिवालिया मामले चल रहे हैं। ऐसे कई मामले, जो हमारे सामने हैं, उनके बारे में भी यदि मैं चर्चा करूँगा, तो मैं सोचता हूँ कि इनको आग लगेगी इसलिए मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया अपने गिरेबान में झांक कर दूसरे की ओर कहें, तो ज्यादा ठीक है। जो कांच की दीवारों में बैठे हैं, अगर वे दूसरे पर पत्थर फेंकेंगे, तो पत्थर खुद को भी झेलना पड़ सकता है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): धन्यवाद। श्री राजीव शुक्ला।

5.00 **P.M.**

श्री राजीव शुक्ला (छत्तीसगढ़): सर, मेरा केवल एक क्लैरिफिकेशन है। अभी जब माननीय सदस्य बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि एयर इंडिया घोटाले में इतना सारा कुछ गड़बड़ हुआ। हमें यह बात बहुत बुरी लग रही है। * आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं, जो आपके साथ हैं? आपने उनको अपने साथ लिया, उनके सहयोग से सरकार चला रहे हैं * इसका मैं कड़ा विरोध करता हूँ। *

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): आपका क्लैरिफिकेशन हो गया, धन्यवाद। Shri P. Chidambaram, not present. Shriman Niranjan Bishi.

SHRI NIRANJAN BISHI (Odisha): Thank you, Vice-Chairman, Sir, for giving me the opportunity.

Sir, insolvency frameworks are necessary for economic stability. But I ask - stability for whom? Relief for whom? And, at what cost? Today, big companies are defaulters. But, they restructure loans, get legal protection and return stronger. But our farmers, tribal communities, poor citizens and MSMEs --they face distress, dispossession, and despair. Sir, our farmers are our backbone and not our burden. Farmers are not defaulters by choice. They are victims of crop failure, climate change and market uncertainty. When a farmer fails, it is not business failure, it is a failure of the system. So, I strongly demand as follows: Interest-free and collateral-free loans for our farmers and MSMEs, a complete protective mechanism keeping farmers outside harsh insolvency proceedings and a farmer debt relief framework with dignity and justice. If we can rescue companies, we must protect those who feed our nation. Sir, SC/ST, Backward Classes and poor need protection, not pressure. Sir, under our Constitutional provisions, Articles 38, 39, and 46, we are duty bound to protect the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Backward Classes and weaker

* Not recorded.

Contents Page

sections. But the ground reality is harsh -- tribal families risk of losing land, poor households fall into debt traps and financial systems remain inaccessible. I urge as under: No forced asset seizure of poor households, strict protection of tribal land rights and a separate, simplified insolvency framework for vulnerable communities. Let us not turn economic reforms into social injustice.

Sir, insolvency should not mean punishment, it should mean rehabilitation with dignity. Let us distinguish between wilful defaulters and distressed citizens. Therefore, I propose: Legal aid for poor borrowers, Social Impact Assessment before enforcement and a human-centric insolvency system. Let us build a *Bharat* where debt does not destroy dignity, law does not overpower livelihood and reform does not forget humanity. I urge the Government to amend this Bill to ensure interest-free support, legal protection and inclusive justice. Only then will this House stand true to the spirit of the Constitution. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you. Now, Shrimati Priyanka Chaturvedi.

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI (Maharashtra): Thank you so much, Sir, for giving me the opportunity. सर, जब IBC कानून लागू हुआ था, तो वह तीन founding principles पर लागू हुआ था - पहला - maximizing asset value, दूसरा - ensuring time-bound resolution और तीसरा - transparency था। ये तीन pillars थे। कानून आने के बाद उसमें दो बार अमेंडमेंट हो चुके हैं और अब यह तीसरा अमेंडमेंट है। Code में promise किया गया था कि resolution 270 दिनों में होगा, पर आज अगर औसत लगाते हैं, तो उसमें 602 दिन लगते हैं। सर, बैंकों ने 11 साल में 9.75 लाख करोड़ write off किया है। Rs.6.25 lakh crore have been written off by PSU banks alone in five years. Sir, 43 per cent share of CIRP cases liquidation में end होते हैं, जबकि यह last resort होना चाहिए था। Resolution was the principal standing theme. 43 परसेंट केसेज़ ऐसे होते हैं, जो सीधा liquidation में जाते हैं। अभी यहां पर बताया गया कि ऐसे एक तिहाई ही केसेज़ हैं, जहां पर पैसा रिकवर किया गया है।

सर, मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। अभी जो Resolution Professional है, उसके अनुसार, जिस financial institution के पास 51 per cent debt होगा, वह public ad के जरिये resolution procedure शुरू कर सकते हैं, जहां पर कोई adjudication नहीं होगा। यह बिल्कुल सीधे तरीके से पूंजीपतियों के लिए काम किया जा रहा है और यह अमेंडमेंट लाया जा रहा है। सर, मैं उदाहरण देती हूँ। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया है, जो एक पूंजीपति ने दूसरे पूंजीपति पर लगाया है। वेदांता ग्रुप वर्सेज अदाणी ग्रुप के मामले में क्या हुआ था? 17,000 करोड़ रुपये की winning bid वेदांता ग्रुप को लिखित रूप में मिली थी, जबकि 14,535 करोड़ रुपये की बोली अदाणी ग्रुप की थी। तो वहां पर लिखित रूप से जो confirm किया था कि वह bid जीत चुका

Contents Page

है, उसको बाद में reverse कर दिया गया। जो CoC है, उसने यह निर्णय लिया कि यह winning bid वेदांता को नहीं जानी चाहिए, बल्कि अदाणी को जानी चाहिए। सर, यह किस आधार पर हुआ? 86 परसेंट जो CoC का स्टेक था, जो National Asset Reconstruction Company Limited है, जो कि एक सरकारी-backed bad bank है, उन्होंने यह निर्णय लिया, जिसके आधार पर अदाणी ग्रुप को कंपनी दे दी गई, भले ही वह कम पैसा दे रहे थे। 71 परसेंट haircut था, अगर यह कंपनी वेदांता को मिलती। यह उससे ज़्यादा haircut लेने को तैयार है। अब यह केस NCLT में गया। वहीं, जो अभी दबाव की बात की जा रही थी। NCLT पर दबाव पड़ा और NCLT ने कहा कि जो अदाणी समूह को गया है, वही सही है। NCLAT ने भी उस ऑर्डर को stay करने से मना कर दिया। अब यह लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। यह पूरा विषय समझाता है कि किस तरीके से IBC सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के लिए बनकर रह गया है, जहां जो creditors होते हैं, उनका भी arm-twist किया जाता है। Arm-twist के जरिए कंपनियां हड़पी जाती हैं, बड़े-बड़े haircuts लेकर massive assets कुछ पूंजीपतियों को मिल जाते हैं।

सर, यह जो Amendment आ रहा है, वह adjudication के खिलाफ है और सरासर transparency और आप जो time-bound manner में resolve करने की बात कर रहे थे, उसके खिलाफ है। इसलिए, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं, and I totally stand to say that we do not support this Bill. Thank you very much, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you. Shriman Mahendra Bhattji.

श्री महेंद्र भट्ट (उत्तराखंड): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आज मैं सदन में लोकसभा द्वारा पारित The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2026 पर चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं।

यह विधेयक केवल एक कानूनी संशोधन नहीं है, बल्कि भारत की आर्थिक संरचना को और अधिक मजबूत, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

महोदय, जब वर्ष 2016 में नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) लागू किया, तब देश की बैंकिंग व्यवस्थाएं एक गंभीर संकट से गुजर रही थी। NPAs लगातार बढ़ रहे थे, कर्जदारों के खिलाफ कार्रवाई वर्षों तक लंबित रहती थी और कई मामलों में बैंकों में फोन के माध्यम से सौदे होते थे तथा व्यवसायियों से सरकारी संबंधों के आधार पर बैंक के अंदर घोटालों की प्रक्रियाओं को बढ़ाया गया। यह पूरी व्यवस्था संपूर्ण तंत्र को खोखला करने की व्यवस्था थी। IBC ने पहली बार यह सुनिश्चित किया कि जो कर्ज नहीं चुकाएगा, उसे अपनी कंपनी का नियंत्रण छोड़ना होगा।

महोदय, इस कानून ने भारत की आर्थिक संस्कृति को बदल दिया है। हजारों मामलों का समाधान हुआ है, लाखों करोड़ रुपए की recovery हुई है और defaulters के मन में डर का

Contents Page

माहौल बना है। आज भारत की Ease of Doing Business ranking में सुधार का एक बड़ा कारण IBC भी है।

महोदय, हर कानून समय के साथ अनुभव के आधार पर और बेहतर बनाया जाता है। IBC के क्रियान्वयन के दौरान कुछ चुनौतियां सामने आईं — मामलों का लंबित रहना, बार-बार appeals के कारण देरी, MSME sector को विशेष राहत की आवश्यकता, कुछ loopholes, जिनका दुरुपयोग किया गया। इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए यह संशोधन विधेयक लाया गया है। इस संशोधन विधेयक का एक प्रमुख प्रावधान है Cross-Border Insolvency, अर्थात सीमापार दिवाला प्रक्रिया। इस विधेयक में cross-border insolvency का शामिल होना भारतीय corporate sector और अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक कदम है।

यह संशोधन मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैली हुई कंपनियों की दिवाला प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने पर केंद्रित है। यदि किसी कर्जदार कंपनी की संपत्ति एक से अधिक देशों में स्थित है तथा लेनदार भी अलग-अलग देशों में हैं, तो वर्तमान व्यवस्था में विदेशी संपत्तियों पर अधिकार प्राप्त करना एक जटिल कानूनी प्रक्रिया थी, जिसे यह विधेयक आसान करेगा।

अब भारत का कानून वैश्विक मानकों के आधार पर बना गया है। विदेशी संपत्तियों का तेजी से निपटारा होने से लेनदारों को बेहतर recovery मिल सकेगी। विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा, क्योंकि उन्हें स्पष्ट रहेगा कि दिवालापन की स्थिति में कानून स्पष्ट है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जैसे वीडियोकॉन। और जेट एयरवेज जैसे मामले के समाधान में कानूनी पेचीदगियां कम होंगी। भारत और अन्य देशों के बीच अदालती कार्रवाई में विरोधाभासी कम होगा। प्रक्रिया का समय बनाना बहुत आवश्यकता, जो इस विधेयक के द्वारा बना है। आईबीसी का मूल उद्देश्य 330 दिनों में समाधान था। कई मामलों में यह सीमा समय से पार हो जाती थी। यह संशोधन सुनिश्चित करता है कि आवश्यक देरी को रोका जाए, समय सीमा पर सख्ती से पालन हो। इसमें एमएसएमई सेक्टर को राहत मिलेगी। एमएसएमई भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इस संशोधन में एमएसएमई के लिए समाधान प्रक्रिया को सरल किया गया है। प्रमोटरों को पुनः अवसर देने की व्यवस्था मजबूत की गई है। इससे छोटे उद्योगों को पुनर्जीवित करने का अवसर मिलेगा। प्री-पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी को बढ़ावा दिया गया। यह विधेयक अनिवार्य करता है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए दिवाला समाधान की प्रक्रिया को और अधिक सरल, तेज और किफायती बनाया जाए। अब 10 लाख से एक करोड़ तक के डिफॉल्ट वाले एमएसएमई इसी प्रीपैक्ड व्यवस्था का लाभ उठाएंगे। विधेयक में मौजूदा प्रमोटरों को व्यवसाय का नियंत्रण अपने पास रखने की अनुमति दी गई है, जिससे व्यवसाय के संचालन में कोई बाधा न आए और कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित रहे। जब दिवाला की स्थिति निर्माण हो, तो 90 दिन के समाधान के लिए छोटे एमएसएमई के जो व्यवसाय हैं, 90 दिन के समाधान के लिए निर्माण समाधान के लिए और 30 दिन कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के लिए कुल 120 में इसका समाधान निकल जाएगा। यदि प्रमोटर द्वारा दी गई समाधान योजना से लेनदारों का बकाया पूर्ण नहीं होता है, तो लेनदार स्विस चैलेंज प्रक्रिया अपना सकते हैं और बाहरी पक्षों को बेहतर योजना पेश करने के लिए बुला सकते हैं। यह विधेयक अनिवार्य करता है

Contents Page

कि 66 प्रतिशत लेनदार की पूर्ण सहमति इसमें हो सके और अदालत में जाने से पहले यही औपचारिक सहमति कहलाएगी।

महोदय, इंसॉल्वेंसी यूटिलिटी की विधेयक में व्यवस्था की गई है। विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई वित्तीय लेनदार दिवाला प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवेदन करता है, तो उसे इंफॉर्मेशन यूटिलिटी आईयू से प्राप्त डिफॉल्ट का रिकार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इससे एनसीएलटी अदालतों को यह तय करने में कम समय लगेगा और इस चूक से छूट मिलेगी। इसमें चूक होने की संभावना नहीं रहेगी। इसको इस विधेयक के बाद अब केवल डेटा स्टोर तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि इससे लेनदारों और देनदारों के बीच निरंतर मिलान रहेगा। इससे विवाद की स्थिति कम होगी, क्योंकि ऋण की राशि और चूक की तिथि डेटा में प्रामाणिक होगी। अब अदालती कार्रवाई में भारी गवाहों की जरूरत नहीं होगी। कागजी कार्रवाई की अपेक्षा, डेटा तुरंत उपलब्ध रहेगा। देनदार बाद में ऋण की राशि को लेकर असत्य दावे भी नहीं कर पाएंगे। यह विस्तार बैंकिंग प्रणाली में अनुशासन लाने और निदेशकों के विश्वास को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

महोदय, समय और लागत दोनों की बचत होगी। अनियमितता और दुरुपयोग में रोक लगेगी। कुछ तत्वों के कानून दुरुपयोग करने की जो कोशिश थी, उस पर भी रोक लगेगी। इस संशोधन से गलत लेन-देन पर सख्ती से कार्रवाई होगी। जिम्मेदारी तय करने के प्रावधान मजबूत होंगे। क्रेडिटर के अधिकारों की रक्षा होगी, वित्तीय संस्थानों का विश्वास बढ़ेगा, बैंकिंग प्रणाली मजबूत होगी। यह विधेयक केवल कानूनी नहीं, बल्कि आर्थिक सुधार है। इससे बैंकिंग सेक्टर मजबूत होगा, निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा, विदेशी निवेश(एफडीआई) को प्रोत्साहन मिलेगा। नया भारत, आत्मनिर्भर भारत की दिशा मजबूत होगी। कुछ माननीय सदस्य विधेयक पर आशंकाएं व्यक्त कर रहे हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यह विधेयक ईमानदार उद्यमी के पक्ष में है, लेकिन डिफॉल्टर के खिलाफ है। एमएसएमई को पहली बार की सकारात्मक राहत दी गई है। न्यायिक हस्तक्षेप कम हो रहे हैं। यह सरल संशोधन की दिशा में एक बड़ा कदम है, न कि न्याय को कमजोर करने का प्रयास है। यह सरकार की प्रतिबद्धता है।

महोदय, नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने हमेशा यह सिद्ध किया है कि reform, perform and transform केवल नारा नहीं, बल्कि यह हमारी नीति है। महोदय, आईबीसी इसका एक सफल उदारहण है। इससे पहले क्या होता था? किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक 900 करोड़ रुपये का घोटाला करके विदेश चले गए, पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी 13 हज़ार करोड़ रुपये का गबन करके देश से भाग गए, मेहुल चोकसी, ललित मोदी, जतिन मेहता, नितिन और चेतन संदेसरा पाँच हज़ार करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि लेकर चले गए। महोदय, चेतन जयंती वारा और संजय भंडारी ऐसे नाम हैं, जो बड़े-बड़े कर्जदार थे और देश को छोड़कर भाग रहे थे। इस विधेयक के आने के बाद इन पर निश्चित रूप से कार्रवाइयां होंगी।

महोदय, बैंकिंग सिस्टम पर जनता का भरोसा कमजोर होता जा रहा था, लेकिन आज भगोड़े आर्थिक अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है। 2018 में मोदी सरकार ने जो FEO Act बनाया,

Contents Page

उसके अंतर्गत भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हुई है। 70 से अधिक अपराधी विदेशों से चिह्नित किए गए। हर साल औसतन 10 से 20 भगोड़े भारत वापस लाए गए। उन्नीस हजार करोड़ रुपये से अधिक की वसूली हुई, बारह बिलियन डॉलर, लगभग एक लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अटैच की गई।

महोदय, यह संशोधन आगे के सुधारों का आधार बनेगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रक्रियाएं तेज होंगी, एनसीएलटी की क्षमता बढ़ेगी। पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करना हमारा उद्देश्य है।

महोदय, मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि यह विधेयक केवल कंपनियों के समाधान का कानून नहीं है, बल्कि यह भारत की आर्थिक नैतिकता को स्थापित करने का माध्यम है। यह विधेयक संदेश देता है - ईमानदार को सम्मान और बेईमान को दंड। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं पूरे विश्वास के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूं और इस सदन से आग्रह करता हूं इसे पारित कर देश की आर्थिक मजबूती में अपना योगदान दें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Shri Surendra Singh Nagar *ji*.

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (उत्तर प्रदेश): मैं आज Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2026 की चर्चा में भाग ले रहा हूं। इस विधेयक के माध्यम से यह केवल एक संशोधन नहीं है, बल्कि यह भारत की आर्थिक यात्रा का अगला चरण है। यह बिल भारत को ऐसी अर्थव्यवस्था की तरफ ले जाता है, जहां अनुशासन, ट्रांसपेरेंसी और डेवलपमेंट को एक नई गति मिलने वाली है। आज भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और इस तरह के सुधार भारत को, और तेजी से भारत की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में मदद करेंगे। माननीय उपसभाध्यक्ष जी, इस देश में 2016 में यह बिल आया था और अब इसमें यह तीसरा अमेंडमेंट है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले इस देश में कानून नहीं थे, इस देश में पहले भी व्यवस्था थी। उस समय सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट था, बीआईएफआर का कानून था और इन कानूनों के कारण हुआ क्या? इस देश को उसका नुकसान क्या हुआ? यह समाधान इन कानूनों से इस देश को नहीं मिला, बल्कि हमारे जो बैंक हैं, उनके कर्जे फंसते रहे, उनको प्रोटेक्शन नहीं मिला और वसूली भी हमारी लगभग जीरो हो गई। इसके बाद सौभाग्य से, इस देश में नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई। इस देश में बैंकों की जो स्थिति थी, जो एनपीएज बढ़ रहे थे, जिस तरीके से बैंकों पर एनपीए लगभग 11 प्रतिशत हो गया था, इस देश में लगातार जो व्यवस्था बनाई गई थी - 2016 से पहले, इस कानून के आने से पहले, मैं उसकी चर्चा जरूर करना चाहूंगा। माननीय उपसभाध्यक्ष जी, जो व्यवस्था थी, मैं भी उसका एक साक्षी हूं और उसका एक उदाहरण जरूर देना चाहूंगा। मुझे इसी सदन की Subordinate Legislation Committee का सदस्य रहने का मौका मिला। उसके चेयरमैन * का नाम नहीं लूँगा। उस कमिटी की एक बैठक होती है। मैं भी

* Not recorded.

Contents Page

नया-नया सदस्य बना था। उस कमिटी में जो हमारा काम था, वह तो होता नहीं था, लेकिन उसमें ज्यादातर बैंक के अधिकारियों को बुलाया जाता था और केवल यह नहीं कि बैंक के अधिकारियों को बुलाकर मीटिंग तक ही व्यवस्था सीमित रहती थी। ...(**व्यवधान**)...

श्री जयराम रमेश (कर्नाटक)**:** सर, यह क्या है। ...(**व्यवधान**)...

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश)**:** सही बता रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... इसी तरह काम होता था। ...(**व्यवधान**)... इसी तरह काम होता था। इसमें क्या गलत बोल दिया? ...(**व्यवधान**)... हम तो बैठ गए। . अब आप बताइए? ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): अगर आपका कोई प्वाइंट है, तो आप बाद में उठाइएगा। ...(**व्यवधान**)... Now, let him finish. ...(*Interruptions*)...

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर: मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। ...(**व्यवधान**)... मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। ...(**व्यवधान**)...

श्री जयराम रमेश: आप किस पर इल्जाम लगा रहे हैं? ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): He has not taken any name. ...(*Interruptions*)...

श्री नीरज शेखर: इन्होंने यही बोला है कि बैंक के अधिकारियों को बुलाते थे। ...(**व्यवधान**)... अभी तो कुछ बोला ही नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): It can be any Committee. He has not taken any names. ...(*Interruptions*)...

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर: सर, ये डिस्टर्ब करेंगे। ...(**व्यवधान**)... वैसे ये कहते हैं कि सच्चाई कड़वी होती है। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): You please proceed. ...(*Interruptions*)...

श्री जयराम रमेश: सच्चाई कड़वी नहीं है, यह असत्य है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर: सर, इसके रिकॉर्ड्स हैं। ...(**व्यवधान**)... अगर मैं असत्य बोल रहा हूँ, तो आप उन कमिटीज़ के रिकॉर्ड मंगा सकते हैं। आप उस कमिटी के रिकॉर्ड मंगा लीजिए। ...(**व्यवधान**)... मैं देश की राज्य सभा का सदस्य हूँ। भारतवर्ष की राज्य सभा का सदस्य हूँ। चेयरमैन किस पार्टी के थे, अभी उसी पर आ रहा हूँ। ...(**व्यवधान**)... अभी आप आगे सुनेंगे कि क्या हुआ। ...(**व्यवधान**)...

Contents Page

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर: उपसभाध्यक्ष जी, जो चेयरमैन थे, वे इतना ही नहीं करते थे। मुझे उनके साथ जाने का मौका मिला, तो मैने पूछा कि किस होटल में कमिटी रुक रही है, तो वह होटल भी उन्हीं का था। ...(**व्यवधान**)...

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, is it a discussion on that Committee or...(*Interruptions*)...

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर: यह ऑन रिकॉर्ड है। ...(**व्यवधान**)...

श्री नीरज शेखर: ये बता रहे हैं कि उस कमिटी में क्या होता था, कैसे काम होता था। ...(**व्यवधान**)...

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर : उपसभाध्यक्ष जी, अगर मैं कोई ऐसी बात बोल रहा हूँ... ...(**व्यवधान**)...

SHRI PRAMOD TIWARI (Rajasthan): Sir, I have a point of order. ...(*Interruptions*)...

SHRI SURENDRA SINGH NAGAR: Sir, I am not yielding to anyone. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Just, one minute. He has a point of order. Please mention the rule.

SHRI PRAMOD TIWARI: Sir, it is rule 238.

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): यह रूल 238 नहीं है। रूल 238 तो डिफरेंट है। ...(**व्यवधान**)... कमिटी के बारे में डिस्कस करने को लेकर अलग रूल है। ...(**व्यवधान**)... आप देख लीजिए।

श्री प्रमोद तिवारी: आप रूल 238 पढ़िए। ...(**व्यवधान**)... सर, मैं सिर्फ यह कहना चाह रहा हूँ कि आप भी कमिटी के चेयरमैन रहे हैं। कमिटी के अंदर जो बात हुई है, क्या वह बाहर divulge हो सकती है। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): आप रूल के अनुसार बताइए। ...(**व्यवधान**)... आप रूल नम्बर बताइए। रूल 238 में यह नहीं है। ...(**व्यवधान**)... यह रूल हो सकता है, लेकिन आपने गलत रूल बताया। ...(**व्यवधान**)... There is no point now. आप पहले रूल देख लीजिए। यह अलग रूल है। You have no point of order in this. I have gone through Rule 238. Now, Nagarji, please proceed.

Contents Page

श्री सुरेन्द्र सिंह नागरः उपसभाध्यक्ष जी, इससे आगे क्या होता है? एक दिन उस कमिटी की मीटिंग दिल्ली में बुलाई गई। ...(**व्यवधान**)...

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, what is this? ...(*Interruptions*)...

श्री सुरेन्द्र सिंह नागरः उसके अंदर मेरा पहला अनुभव... ...(**व्यवधान**)... सर, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। ...(**व्यवधान**)... सर, मैं अपना अनुभव तो शेयर कर ही सकता हूँ

श्री जयराम रमेशः सर, यह क्या हो रहा है। ...(**व्यवधान**)... आप कमिटी की बात यहाँ डिस्कस कर रहे हैं? ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप रूल बताइए, I will give my ruling. ...(*Interruptions*)... आप देख लीजिए कि रूल 238 नहीं है।

श्री सुरेन्द्र सिंह नागरः जो मैं बोल रहा हूँ, वह public domain में है, Committee proceedings में है और वह public domain में है। ...(**व्यवधान**)... मैं क्या गलत बोल रहा हूँ। ...(**व्यवधान**)...

श्री नीरज शेखरः जब रिपोर्ट आ गई, सब कुछ बोल सकते हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री सुरेन्द्र सिंह नागरः एक दिन उस कमिटी में बैंक के अधिकारी बुलाए गए। उस समय के राज्य सभा के एक सदस्य थे, जो वीडियोकॉन कम्पनी के मालिक थे। ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रमोद तिवारीः सर, ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): मैं आपको बता रहा हूं कि आप पढ़ लीजिए। यह रूल नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सुरेन्द्र सिंह नागरः सर, मेरा समय जा रहा है। ...(**व्यवधान**)... जब उस कमेटी की दिल्ली में मीटिंग होती है,* ...(**व्यवधान**)... यह होता था और यह हालत इस देश की थी। इसके बाद अगर आप 2006 से 2012 की बात करते हैं, तो मैं भी लोक सभा का सदस्य था। अक्सर सेंट्रल हॉल में मुझे जाने का मौका मिलता था। एक बड़ी एयरलाइन के मालिक जब सेंट्रल हॉल में आते थे, तो मैं देखता था कि बहुत से सदस्य उनके पीछे-पीछे घूमते थे। मैंने पूछा कि आप इनके पीछे क्यों घूम रहे हो? वे कहते थे कि साहब, हमें तो उनकी फ्लाइट से, उनके साथ जाना है, मुम्बई जाना है और कहां-कहां जाना है। उसमें से ज्यादातर उस समय की तत्कालीन सरकार के सदस्य होते थे। उसी का परिणाम है कि उस समय की उस एयरलाइंस के मालिक को, जो लगातार घाटे में चल रही थी, उस किंगफिशर को बार-बार लोन दिया गया। उसे फेवर दिया गया और किसी और ने नहीं, बल्कि वह उस समय की तत्कालीन सरकार के समय दिया गया। ...(**व्यवधान**)...

* Not recorded.

Contents Page

महोदय, इसके अलावा आज बैंक घोटालों की चर्चा भी हुई। मैं पीएनबी स्कैम की भी चर्चा करना चाहूंगा। पीएनबी के स्कैम की शुरुआत हुई और पंजाब नेशनल बैंक में एलओयू का दुरुपयोग हुआ। इस स्कैम के लाभार्थी कौन-कौन थे? इसमें लाभार्थी थे - नीरव मोदी और मेहुल चोकली। यह कब हुआ? यह 2011 में हुआ और ये हमसे बात करते हैं कि ये सब चीजें कब हुईं! इसके बाद 2005 से 2012 एबीजी शिपयार्ड को लोन्स किसने दिया? इसके बाद आम्रपाली ने नोएडा के लाखों बायर्स, आम जनता का पैसा डाइवर्ट किया। बताइए कि यह कब हुआ? यह 2009 और 2014 के बीच में हुआ। इस देश की हालत क्या थी? लोग शेल कंपनी बना लेते थे। ...(**व्यवधान**)... मैं कंपनी की बात कर रहा हूं। हमारी तरफ से कोई नहीं है।...(**व्यवधान**)... इस देश में क्या होता था? 2016 से पहले, इस बिल के आने से पहले लोग शेल कंपनीज बना लेते थे और फर्जी कंपनी बनाकर पैसा घुमाते थे। यह बंद हुआ है। टैक्स हेवन कंट्रीज़ में पैसा ले जाते थे और जो लोन का पैसा था, उसे बाहर भेज देते थे। इसके अलावा फंड डायवर्ज़न करते थे। लोन किसी के नाम पर लिया और लोन कहीं और पहुंच गया। नया लोन ले लिया, पुराना लोन चुका दिया। फेक इम्पोर्ट के कागज बना लिए। इन्साइडर्स की, बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से मल्टिपल बार लोन ले लिए। लीगल कोर्ट में दबाव डाला जाता था, सालों तक वसूली रोकी जाती थी और उसके अलावा पैसे को लेकर उड़ जाते थे। यह हालत कब थी? यह हालत तब थी, जब आपके कानून थे। सौभाग्य से इस देश में 2014 में नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी बने और नरेन्द्र मोदी जी इस कानून को 2016 में लेकर आए। जब वे इस कानून को लेकर आए, तो उसका असर क्या हुआ? उसका असर यह हुआ कि बैंकों के एनपीए 11 प्रतिशत से घटकर 2 प्रतिशत रह गए। इसके अलावा, अगर मैं बात करूं, तो जहां पहले बैंक खातों का ऋण खाता औसत 250 दिन था, ओवरड्यू 300 दिनों तक रहता था, वह अवधि घट कर 30 से 80 दिन रह गई है। यह सुधार इसके बाद हुआ है। इसके अलावा, अभी यहां हेयरकट की भी चर्चा हुई। मैं हेयरकट के बारे में कहना चाहता हूं, मैं आंकड़ों के साथ बात करना चाहता हूं, मैं कोई फिजूल की बहस नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ आंकड़ों के साथ कहना चाहता हूं कि हेयरकट से क्या लाभ हुआ है। पहले जहां वसूली दर 15 से 20 परसेंट होती थी, आज वह वसूली 36 परसेंट पर पहुंच गई है। यह जो कानून है, हमें इसका यह लाभ हुआ है।

इसके अलावा, यहां अभी हमारे साथियों में से एक साथी ने एयर इंडिया की बात की। एयर इंडिया का ज़िक्र हमारे जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने किया। बाद में उधर से जवाब आया, क्योंकि एक सम्मानित सदस्य का नाम लिया गया, तो उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन वे एक बात भूल गए कि जो विमान खरीदने का फैसला था, वह कैबिनेट का फैसला था, सामूहिक फैसला था। उस समय उस सरकार को हेड कौन कर रहा था, उस कैबिनेट को हेड कौन कर रहा था? तत्कालीन प्रधान मंत्री कर रहे थे। आज आप इन चीजों को लेकर इसे इधर-उधर डायवर्ट नहीं कर सकते हैं।

महोदय, हमारे संजय सिंह जी ने भी बहुत सी बातें रखीं। संजय सिंह जी तो भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, लेकिन उनके मुंह से भ्रष्टाचार की बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि दिल्ली की जनता ने अभी-अभी इस भ्रष्टाचार पर उनको दिल्ली से बाहर किया है और वे इधर-उधर घूम रहे हैं। स्वाति जी बैठी हैं, वे तो अच्छे तरीके से जानती हैं। माननीय राज्य मंत्री जी भी दिल्ली से हैं। उनको जो सजा मिली है, दिल्ली की जनता ने उनको जो सजा दी है, आम आदमी पार्टी के जो

Contents Page

भ्रष्टाचार के काम थे, उन्हीं के कारण दिल्ली की जनता ने उन्हें सरकार से बाहर करने का काम किया है।

(**उपसभापति महोदय** *पीठासीन हुए।*)

माननीय उपसभापति जी, आईबीसी एक्ट की जो उपलब्धियां हैं, वे क्या हैं? अगर मैं कहूं, तो इसमें समाधान करने के लिए पहले जो समय लगता था, उसमें 4 से 6 वर्ष लगते थे। इसके बाद अब यह समय घट कर 1.6 हो गया है। 2016 में से अब तक 808 मामलों में 3.16 लाख करोड़ का समाधान किया गया। वसूली दरों में 30 से 35 प्रतिशत का महत्वपूर्ण सुधार आया। इसके अलावा, आईबीसी में कुल बैंक वसूली का 48 परसेंट हिस्सा है। इसके अलावा, लेनदारों का जो परिसीमन मूल्य है, वह 170 से अधिक हो गया है। इसके साथ ही, विश्व बैंक की जो 'ईज़ ऑफ डुइंग बिजनेस' की रिपोर्ट है, उसमें भी भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। यह इस कानून के कारण हुआ है।

माननीय उपसभापति जी, इस कानून में जो संशोधन किए गए हैं, मैं उनकी भी चर्चा करना चाहूंगा। आईआईएम, अहमदाबाद की एक स्टडी है, मैं उसका ज़िक्र करना चाहूंगा। आईआईएम, अहमदाबाद की एक स्टडी है, वह कहती है कि स्काईरॉकेटिंग सेल्स में जो एवरेज सेल्स हैं, जिनको उन फर्म्स में रिजॉल्व किया गया, जो उनकी सेल्स हैं, वे 89 परसेंट बढ़ी हैं। उनकी जो एफिशिएंसी गेन्स हैं, अगर मैं एसेट टर्न ओवर रेश्यो की बात करूं, तो वह 131 परसेंट बढ़ा है, गेन किया है। एम्प्लॉयमेंट ...(**समय की घंटी**)... मैं बस एक-दो बातें कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं। अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करूं, तो इसमें 200 परसेंट इंक्रीज़ हुआ है। इसमें वेल्थ क्रिएशन बढ़ा है, जो 2.8 लाख करोड़ से बढ़ कर 9 लाख करोड़ हुआ है।

माननीय उपसभापति जी, यह जो अमेंडमेंट हैं, यह बिल ऐसे ही नहीं आ गया है। हमारी जो सेलेक्ट कमिटी है, यह बिल उसमें गया। इस बिल में सेलेक्ट कमिटी ने जो 11 संशोधन दिए, उन्हें इस सरकार ने स्वीकार किए। उसने जो 11 अमेंडमेंट्स दिए थे, वे जो रिकमेंडेशंस थीं, उनको सरकार ने स्वीकार किया और उनको इस बिल में शामिल करने का काम किया है। यह है मोदी जी की सरकार में फर्क, मोदी जी की सरकार की कार्यप्रणाली का फर्क! माननीय उपसभापति जी, इससे क्या होगा? इससे हमारे आउट ऑफ कोर्ट इन्नोवेशंस बढ़ेंगे। ...(**समय की घंटी**)... ग्रुप एंड क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी। इसके अलावा, खास तौर से हमारी जो एमएसएमईज़ हैं, जो होम बायर्स हैं, उनको प्रोटेक्शन मिलेगी। डिजिटल इंडिया के माध्यम से इसमें जो करप्शन है, वह कम होगा। निश्चित रूप से यह बिल भारत के बैंकों की हेल्थ को, भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई गति देगा और भारत की अर्थव्यवस्था, जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, निश्चित रूप से भारत आने वाले समय में दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं एक बार फिर से माननीया वित्त मंत्री जी और माननीय प्रधान मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI PRAMOD TIWARI: Sir, I have a point of order.

श्री उपसभापतिः यह किस रूल के तहत है?

Contents Page

श्री प्रमोद तिवारी: सर, यह रूल 238 (5) के तहत है। इसमें यह नियम है, जिसका सदस्य द्वारा बोलते समय पालन किया जाएगा। आप रूल 238 (5) देख लीजिए।

श्री उपसभापति: जी, मैं देख रहा हूं।

श्री प्रमोद तिवारी: "उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों के आचरण पर तब तक आक्षेप नहीं करेगा, जब तक कि चर्चा उचित शब्दों में रखे गये मूल प्रस्ताव पर आधारित न हो।" तो अगर मूल प्रस्ताव किसी कमेटी की वर्किंग नहीं है, तो उसके चेयरमैन के बारे में आप यहां बात नहीं रख सकते।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We will see it.

श्री प्रमोद तिवारी: आप इसे दिखवा लीजिएगा।

श्री उपसभापति: धन्यवाद।

श्री प्रमोद तिवारी: इसे दिखवा लेने के बाद ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We will see it. ...(*Interruptions*)...

श्री प्रमोद तिवारी: जो कमेटी का चेयरमैन रहा हो, ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We will see it.

श्री प्रमोद तिवारी: उसके बारे में आप नहीं कह सकते। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: माननीया मंत्री जी, आपका जवाब। ...(**व्यवधान**)... प्लीज़। माननीया मंत्री जी का जवाब।

THE MINISTER OF FINANACE; AND THE MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I am standing here to respond to the debate which has been held on the IBC. It is an amendment to the IBC Act of 2016. Actually, after the Act of 2016 was passed, the World Bank in its 2019 Report observed that India's insolvency regime reform increased creditor recovery rates from 26.5 to 71.6 cents on the dollar making India the best performer in South Asia, placing it above the average recovery rates of the OECD high income economies. That is how the IBC, just after a few years of its introduction, has been recognized the world over. Since it is a law which pertains to the economic activity and it has to respond to the growing needs of the economy, we have been undertaking periodic amendments to the Act. Six times, we have come to this House to have it passed for the various amendments which were required by the industry, required by the stakeholders. Therefore, we have to come for the amendments. One concrete thing that I can say

Contents Page

for India is that the Code actually has contributed to improving the health of our banking sector. One of the reasons how India's banking sector has actually become better in its health is because of the way in which IBC has recovered assets and gone through the process and given back money to the banks. Earlier, they were sitting with NPAs. They were not clearly guided by how to quickly get or restore the value and give it off to somebody who can run it and get their dues back. Recoveries through the IBC stood at Rs.54,528 crore accounting for 52.3 per cent of all total recoveries of Rs.1.04 lakh crore to the banks. If Rs.1.04 lakh crore were recovered in total, through the IBC process, 52.3 per cent was recovered. Periodically, the IBC has been facing very many challenges in terms of the number of benches in the NCLT, number of timely filling of vacant positions in NCLT and so on. Despite all these challenges, the IBC is performing and performing to bring in value back to the economy and making sure that companies are kept going and they are not really pushed to liquidation. That is one point which I want to highlight. I will also respond to some of the Members. IBC was not brought with an intention of liquidating companies. It was brought in to address the stress that the companies were facing and give a resolution which will make them come back to some form and then attain the status in which they were earlier run, with quite a few guardrails and ensuring that defaulting promoter doesn't come back through the back door. It was ensured that the resolution would be towards keeping the company going and not liquidating. There are eventually some companies where no resolution is possible in spite of repeated attempts; so, they go for liquidation. The intent of the law is not to liquidate them, but to give a resolution which will keep them going. So, in this current set of amendments, we want to bring in expeditious admission of insolvency applications. So, even for admission, if there is time loss, the value of the company is getting lost; equally, the feeling is, IBC is not delivering quickly. So, by limiting adjudication to the existence of default and greater reliance on information utilities, we are trying to expedite admission of the application itself. Second, statutory timelines for adjudicatory authorities to reduce delays is being made possible now by strengthening the liquidation process through enhanced creditor oversight, ensuring independence of the liquidator and also making sure removal of procedural overlaps. These are the three large pillars through which amendments are coming in here this time for the House to consider.

Sir, one feature of the IBC was the fast track process, which was brought in through an amendment, but it had remained underutilized. It was not really to the extent, to which we thought it would be picked up by the stakeholders. Since it was

Contents Page

underutilized, we have now come to replace that fast track process through a creditor-initiated insolvency framework and it will feature a few things which are very important. One is: Out of court settlements or out of court initiations -- a debtor-in-possession model wherein the creditor will have oversight. So, it is not as if this or that; both of them will play a role in getting a resolution possible, and within defined timelines. So, these are the features where, while replacing the fast track mechanism, the process that we had brought in through an amendment, with the creditor-initiated insolvency framework, we are bringing these features so that the best of both worlds can prevail there. It is also during this set of amendments that we further introduce an enabling framework for group insolvency and cross-border insolvency. And, this is aimed at improving investor confidence and aligning domestic processes with the international best practices that we know of.

Sir, as you know, the Bill was introduced in the Lok Sabha on 12th August, 2025. Immediately, it was referred to a Select Committee of the Lok Sabha under the Chairmanship of Shri Baijayanta Panda. The Select Committee then presented its Report on the 17th of December, 2025, and it made 11 recommendations. We went through the recommendations. In fact, even as the Select Committee was going through the process, consulting with all the stakeholders, the Ministry of Corporate Affairs was actively engaged with the Select Committee, sitting along with them on some of the processes and there and then understood where some of the recommendations were already featured in some way or the other or it was possible to do it through rules. So, there was an active engagement of the Ministry of Corporate Affairs with the Select Committee. Finally, they gave 11 recommendations. We added one more recommendation from Ministry's side. So, altogether, 12 of them have come here. The Select Committee gave us 11 recommendations, which have all been accepted. The Select Committee had submitted its Report on 17th December, 2025. And after detailed deliberation, on 30th March, the Lok Sabha passed it.

Now, I come to specific suggestions and comments made by hon'ble Members. There was a lot of concern expressed, and rightly so, on the huge haircuts, low recovery rates. I want to, first of all, reiterate the point that I made a minute before. IBC framework is a framework for rescuing viable businesses and resolving financial stress while preserving enterprise value. It was never intended to be a debt recovery tool. Recovery values are incidentally a by-product. Therefore, we need to understand that the IBC process is largely market-driven, in fact, only market-driven. So, the recoveries are reflective of underlying asset quality and commercial viability of the distressed enterprises; various different parameters are

Contents Page

looked into and the market determines what can be the asset qualities valuation. It also depends on firm specific factors, sector specific factors and also the larger economic considerations. IBC realizes 94.95 per cent of the fair value at the time of admission. It is important to understand this. So, fair value at the time of admission, suppose it has been delayed. After admission, three-four years pass and then there is a fair value that you take and which is far inferior to what it was at that time. So, at the time of admission, what was the fair value, IBC has successfully realized 94.95 percent of that value. So, realization exceeding 171.54 percent of the liquidation value indicates recovery levels, reflect the enterprises' distressed state upon entry, not a failure of the resolution framework. We need to take that on board. As of December, 2025, IBC has facilitated resolution of 1,376 companies enabling creditors to recover Rs.4.11 lakh crore in total. So, financial creditors have seen recovery exceeding 34 per cent of their claims. That is the actual state of affairs and I want that to be laid in the House.

There were concerns expressed. I am not sure if I am able to see the Member here, Shri Sukhendu Sekhar Ray, who said that promoters' re-entry.*(Interruptions)*... Sorry, I could not locate you. I saw, he is sitting there, sorry! Promoters re-entering, Section 29A getting diluted was a concern which was expressed by the hon'ble Member. I want to emphasize that Section 29A prohibits willful defaulters, persons related to the NPAs, etc. and their connected parties from submitting a resolution plan. In fact, I will tie that up with what hon'ble Member, Shri Rajeev Shukla had mentioned saying why you would not have some of the promoters come back to take it. In fact, I will answer that in detail later, but for small firms, MSMEs, we do give a chance for the promoter to come and claim if he can provide feasible solution. We do accommodate them if they are small. But for the big ones; 'no'! The defaulting promoter is not allowed to come back. Whatever means that he may adopt, we do not entertain that. Ineligible persons included, and let me put it on the table here, who are those who are ineligible to come back? They are willful defaulters, persons related to NPAs, persons against whom avoidance application orders have been made and so on and their connected parties. So, proceedings against the corporate debtor halt on successful resolution but proceedings against erstwhile promoters will still continue. In other words, if a solution is given through the RP and the NCLT has approved it and so on, the new buyer or the new person who is taking over the company is not going to be festered with cases.

However, the defaulting promoter for the omissions and commissions will be pursued under law, so that action is taken against him and new business does not get

Contents Page

encumbered or disturbed from settling and growing. In fact, later, when I respond to one of the Members, I would highlight the fact that we are making sure that prior two years is also taken on board, so that none of these cases will be restored, not from the day of the resolution, but even two years before. This is a point which I need to explain—it is about the look-back period, and which is what I was trying to explain—that the avoidance transactions are expanded to two years before the date on which the petition was filed before the adjudicating authority, that is, the NCLT. This will reduce the incentive for the promoters to delay admission. The Committee of Creditors has to record reasons for selection of the successful resolution at the end. So, this proposed amendment, particularly, has been added after the Select Committee's recommendations. It shows our commitment for transparency. We brought it in with full support from our side because it is important to have this entire process a lot more transparent so that it does not raise any doubts in the minds of people. Again, Shri Rajiv Shukla and Shri Ayodhya Rami Reddy Alla asked about the NCLT delays, whether NCLT have functions in full capacity or not, what are the constraints and so on, and about the timeline breaches. The primary cause for delay—it is obvious that all of us will accept it and it is fairly open domain information—is extensive litigations. Promoters tend to litigate or attempt settlements, and delaying admission. As a result, you end up with further and further delay, not due to the process being stagnated but because there is so much of litigation upon litigation. Parallel recovery processes also cost delay. It is not as if it is a clinical situation where the IBC process is set out and it is rolling smoothly, but this entire ecosystem works to bring in these handicaps to the IBC. To overcome this, following steps have been taken in the Amendment Bill, which is now under consideration. New penalty provisions have been brought in. There is a penalty on persons initiating frivolous, vexatious proceedings to prevent abuse and delays. So, minimum one lakh rupees or up to two crore rupees penalties will be levied if the initiation is vexatious or frivolous. The Amendment Bill also provides mandatory 14-day admission timeline. Once the default is established for financial creditors, no other criteria is required to be seen.

Information utility is a very important point because now when they search to get credible information, time is spent. Now, we are very clearly saying that information utility maintains the record of the financial information which is required to be authenticated by the debtor and this forms the basis of record of default. Based on this, NCLT can initiate the process, thus, saving time. Sir, the Adjudicating Authority will be required to approve or reject resolution plan within 30 days of receipt. In fact,

Contents Page

this is a little nudge even on the adjudicating authority. There is a sensitivity which we are conscious of because it looks as if we are telling the courts to please expedite, but it is a gentle nudge. So, I would think it will be appreciated.

Sir, about Creditor-Initiated Insolvency Resolution Process (CIIRP) as they would call it now onwards, new out-of-court initiation mechanism with compressed 150-day timeline is being brought in. So the genuine concerns on NCLT delays, capacity restrictions and also the timeline breaches are now being taken care of. There is this concern which, again, hon'ble Member, Shri Rajeev Shukla, mentioned was about workers' dues, operational creditors not prioritized. I would like to highlight the point that we are ensuring that the workmen dues are not ignored at all. Under the distribution waterfall mechanism, the dues owed to workmen are given a higher priority and equivalent to secured creditors. In fact, even Government dues come below the workmen dues. It is above the unsecured financial creditors also. So, we are committed to ensuring that the workmen are not short-changed. Hon'ble Members, while speaking, did speak about the IIM-Ahmedabad study which has come out in March, 2026. It did a study on the post-resolution situation. Post-resolution what happens to the companies? Are they surviving? Are they prospering? Are they doing well? So a survey was conducted and they came up with post-resolution outcomes showing that the expenses on employees has increased 72 per cent and employee strength per unit of asset increased 200 per cent over five years. So, actually, workmen concerns, post-resolution, are actually being well-attended to. If the company was waiting for resolution, its value is decaying, it would have not done any good to the workers. Whereas, once the resolution has happened, the new bidder has taken the company over and it is running it, he is spending more on workmen and he is also making sure that there are more number of workmen per asset unit. This is a very good encouraging sign of the IBC process.

On MSME and distress of MSMEs, pre-pack for MSMEs, some concern was expressed. MSMEs are actually exempted from disqualification under Section 29A(c), 29A(h) of the IBC, which actually facilitates existing promoters to participate in rescuing their business to ensure small players are not made to lose their business which gets into insolvency. In 2021, when we brought in the Sixth Amendment to the Code, the prepackaged insolvency resolution process was introduced for corporate MSMEs to fast-track resolution of cases for MSMEs. So, even the voting threshold was brought down. From 66 per cent, I think, it was brought down to 51 percent and also the documentation processes would be reduced. So, compliance--particularly, when you are looking at activities, which are PUFE activities, issuing of preferential

Contents Page

shares or undervalued bills, and so on-- even those processes are now reduced for the MSMEs.

Sir, fugitive offenders was a big question that we have allowed them to go away. I heard the strong rebuttal given by a Member, very clearly saying that who gave the loans, when did they run away, who is actually following them through law and who is actually bringing them back. The fugitive offenders who are being brought back, who is actually bringing them back? They ran away at a particular time which was the period of our Opposition party's Government. But now they are being brought back and, therefore, some data would help to inform our Members. Fugitive Economic Offenders Act, 2018 was brought in by Prime Minister Modi's Government. It was enacted to deter economic offenders from evading Indian law by staying abroad.

6.00 P.M.

This Fugitive Economic Offenders Act is applicable to all offenses involving Rs.100 crores or more. Action taken are: Confiscation of properties, which are proceeds of crime, benami properties, lookout notices through Bureau of Immigration, etc.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Just one minute. Hon'ble Members, as agreed to by the House in the forenoon, the House will sit beyond 6 pm till the disposal of the ongoing Business and permitted Special Mentions. Thank you. Now, hon'ble Minister, please continue.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, the actions taken under this Fugitive Economic Offenders Act are confiscation of properties which are proceeds of crime, benami properties, lookout calls through Bureau of Immigration, prohibition on raising capital, acquiring shares or voting rights. So, ED investigated many of these cases. 1,105 bank fraud cases were investigated by ED under the PMLA, attachment of proceeds of crime amounting to Rs. 64,920 crores have been done and 150 accused have been arrested. 277 prosecution complaints have also been filed. Eight accused declared fugitive economic offenders under this Act and assets worth Rs.15,186 crore have been confiscated of which Rs.15,183.77 crores have been restituted to our public sector banks. They have got back that much of money. Three accused convicted under PMLA. They were clearly convicted. PMC Bank recovered Rs.104.02 crores with ED's support. So, we know, at the time of the PMC Bank crisis, several Members of Parliament were very concerned. They approached me and asked what

Contents Page

we were doing about it. We found a solution and Rs.104.02 crores have been recovered. Assets worth Rs.725.90 crores were confiscated under the Fugitive Economic Offenders Act. Sir, there is irresponsible lending and disparity in treatment between small and large borrowers. First of all, IBC has proven to be a very credible threat to very many of these companies and that has resulted in 32,179 pre-admission settlements. So, much before the admission itself, many of them come to solve it, settle it to certain level and the settlements worth Rs.14.62 lakh crores have happened. If pre-admission settlements of Rs.14.62 lakh crores have happened, it is because once a case goes into IBC, with the Resolution Professional, conditions, compliance, and everything else, people realize that many issues can be sorted out much before the admission stage itself. So, pre-admission settlements have reached to the level of Rs.14.62 lakh crores. It demonstrates that the Code's disciplinary effect is on borrowers of all sizes. It is not just for the big or small being treated differently. The health of the banking sector has improved, as I mentioned earlier, with the gross NPA ratio of scheduled commercial banks at a multi-decade low of 2.2 per cent, benefiting the entire credit ecosystem. So, actually, because of Clause 29A where we don't allow the defaulting promoters to come and capture the companies during the process, we are clearly not favouring the big. Sir, there was a charge that the IBC has resulted in centralization and excessive rule-making powers. Parliamentary oversight probably is not sufficient.

Sir, this concern was expressed. This Amendment Bill provides for the Central Government to make rules for group insolvency under Clause 42 and cross-border insolvency under Clause 67. These two Clauses contain provisions for sufficient Parliamentary oversight. There are quite a few safeguards to tackle concerns of excessive delegation. For instance, the basic tenets of the different frameworks like cross-border insolvency are directly provided within the primary law, the Code itself, rather than leaving it entirely to the rules. The draft rules are required to be placed before Parliament before implementation, with any modification or disapproval possible. So, that is another avenue or opportunity for Parliamentary oversight on this matter.

The concerns regarding excessive delegation were also noted by the Select Committee and, in line with its recommendations, the Amendment Bill, which has now come here, has been modified to assuage any concern in this regard. Is there a restriction on the powers of the judiciary in liquidation and are undue powers being given to the creditors? This concern was expressed by some hon'ble Members. The NCLT continues to exercise supervisory jurisdiction over the liquidation process. So,

Contents Page

it is not as if the judiciary is kept away from this entire process. There is no intent or provision which is restricting the powers of the judiciary. The Committee of Creditors would supervise the conduct of the entire liquidation process. To incorporate the learnings acquired during the corporate insolvency resolution process, it is ensured that the liquidator takes efficient commercial decisions to liquidate the assets once it comes to that.

Sir, regarding the provisions for insolvency professionals, I just want to add this very important point. A company will not be able to recommend an interim resolution professional if the application for resolution is filed by the company itself, thus eliminating the possibility of any bias. The maximum amount of penalty that can be imposed by the disciplinary committee on the insolvency professional has been increased from Rs. 1 crore to Rs. 2 crores. The disciplinary committee can also direct disgorgement of unlawful gains or avoided losses and ensure restitution. Sir, specific statutory recognition has been given in the proposed Section 240B, which provides that the Government shall notify an electronic portal and the procedure and processes related to IBC to be carried out on this portal. This will enable real-time monitoring of where the process is going, who is saying what, and so on. This will bring full transparency as well as efficiency in the functioning of the resolution process and the resolution professional. Obviously, all these have been done because of the lessons learned during the last ten years.

Sir, there was a concern about home buyers and the issue of real estate. IBC is sector-agnostic. We do not make laws only for one sector through the IBC. The CoC can actually direct the resolution professional to invite project-wise plans, or a separate plan for each tower if there is a group of towers. The resolution professional, after obtaining the approval of the CoC and upon fulfilment of all obligations by the home buyers, can now hand over the entire possession of plots, apartments or buildings to the home buyers while the CIRP is still ongoing. This will be a great relief for the middle-class buyers who have been paying the EMI and waiting for this. This is a very big step forward for home buyers. So, in cases where the corporate debtor has given possession to an allottee in a real estate project, such asset shall not form a part of the liquidation estate of the corporate debtor. Thus, relief to that extent is available for home builders and so on. So also, provisions for the appointment of authorised representatives and facilitators, who can participate in the meetings of the Committee of Creditors for such subclasses within large creditor classes — such as home buyers — to ensure their effective participation, are also parts of this insolvency resolution process.

Contents Page

Sir, one big step is that the Committee of Creditors (CoC) can now invite relevant land authorities, whether HUDA or NOIDA, and such authorities can come and comment on the legitimacy of the land and properties during their meetings. They can invite them to their meetings for inputs and perspectives on regulatory and land development-related matters. We are, thus, allowing them to directly contact these authorities which have given the land for development.

Sir, on the home buyers' matter, I just want to give a summary of 565 real estate cases that were admitted to the IBC. Out of these, 111 have been completely resolved, 44 have ended up in liquidation, 200 have been withdrawn or closed, and 210 are still in process. In the 111 resolved cases, a total of 1,62,320 home buyers have benefited. Home buyers involved in the pending 210 cases number about 90,000. Out of these 210 cases, 87 cases are pending for approval of the resolution plan before the NCLT, which should be done in the next few months. Around 50,000 more home buyers will benefit from that process.

Sir, lastly, I just want to highlight this issue — we seem, as alleged, to take care of the larger corporate creditors and debtors, and there is an inequity against the poor, including farmers, as they are in a debt trap, and farmers' loans are not being waived off and so on. I know it is a very sensitive topic. I just want to highlight, Sir, that our Government looks after farmers and *Kisans*. We introduced the PM-*Kisan* Scheme through which funds are directly transferred to the farmers through DBT. Up to now, ₹4.27 lakh crore has been given to eligible farmers through 22 instalments. When the scheme started, it had only 3.16 crore farmers as beneficiaries, whereas now, with the release of the 22nd instalment, the number has increased to 9.32 crore beneficiary farmers. Agriculture today, because of the attention being given by our Government, has seen food grain production rise from 265 million tonnes in 2014-15 to 347 million tonnes in 2024-25. This is only because of the kind of support being extended to agriculture and particularly for farmers' welfare. So, it is important for us to recognise, Sir, that only when the banks' balance sheets are sound, strong and healthy, would we be able to provide more and more credit facilities to farmers. Earlier, because of poor banking and fragile balance sheet situations, banks were in no position to lend. You had to announce a waiver. In fact, at that time, the numbers of suicides were heart-wrenching. So, the situation in agriculture, situation of farmers' welfare today is far different from what it was between 2010 and 2014. So, farm loan waiver is a very sensitive thing, and I think we need to appreciate what the Government is also doing. Credit is now available for farmers, fishermen, MSMEs and

Contents Page

new StartUps through various schemes of the Government of India. So, access is being given.

Actually, about the IBC, Sir, quite a few things I have tried to cover. I hope I have addressed the questions raised by the hon'ble Members. Many of our hon'ble Members have also been speaking about how Government has brought in various amendments so that it benefits the economy, so that we are able to fast-track our growth forward towards Viksit Bharat 2047. So, I appeal to the Members to kindly consider all these and pass this, as was done by the Lok Sabha. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon'ble Members, the question is:

"That the Bill further to amend the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 72 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shrimati Nirmala Sitharaman to move that the Bill be passed.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I move: That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Special Mentions. Dr. M. Thambidurai, not present. Shrimati Rajani Ashokrao Patil.

SPECIAL MENTIONS

Concern over exploitation of ordinary citizens, particularly women, by so-called "religious leaders"

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल (महाराष्ट्र): महोदय, मैं देश भर में तथाकथित 'धर्मगुरुओं' द्वारा आम नागरिकों, विशेषकर महिलाओं का शोषण जैसे अत्यंत गंभीर और संवेदनशील विषय को यहाँ उठाना चाहती हूँ। हाल ही में नासिक में एक ऐसा मामला सामने आया है, जहाँ आस्था का

Contents Page

दुरुपयोग कर महिलाओं का शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण किया गया तथा करोड़ों की संपत्ति अर्जित की गई।

[**उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता)** *पीठासीन हुए।*]

यह कोई एकल घटना नहीं है, बल्कि यह देश के विभिन्न हिस्सों में बार-बार सामने आने वाली चिंताजनक प्रवृत्ति है। हमारा संविधान न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित है। अनुच्छेद 51(क) वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का दायित्व देता है, लेकिन अंधविश्वास इन मूल्यों को कमजोर कर रहा है। हमारे समाज सुधारकों ने ऐसे ही शोषण के खिलाफ संघर्ष किया था, परंतु आज स्थिति उनके आदर्शों के विपरीत दिखाई देती है। यह केवल कानून-व्यवस्था का प्रश्न नहीं, बल्कि समाज की नैतिकता, महिलाओं की सुरक्षा और आस्था के दुरुपयोग का गंभीर मुद्दा है। पीड़ितों को शिकायत करने में भय, सामाजिक दबाव और बदनामी का सामना करना पड़ता है, जो स्थिति को और जटिल बनाता है। अतः मैं सरकार से आग्रह करती हूँ कि ऐसे पाखंडी तत्वों पर कठोर कार्रवाई हो, राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी तंत्र बने, महिलाओं के लिए सुरक्षित शिकायत प्रणाली विकसित की जाए और जन-जागरूकता अभियान चलाए जाए। आस्था हमारी शक्ति है, परंतु इसका दुरुपयोग समाज और लोकतंत्र, दोनों के लिए खतरा है। अब निर्णायक कदम उठाने का समय आ गया है। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): The following hon'ble Members associated themselves with the Special Mention made by the hon'ble Member, Shrimati Rajani Ashokrao Patil:

Dr. Sasmit Patra (Odisha) and Shri Neeraj Dangi (Rajasthan).

Now, Shriman Shaktisinh Gohil.

Concern over reduction in merit requirements for the NEET PG medical admission system in 2025 and exorbitant fees of private medical colleges

श्री शक्तिसिंह गोहिल (गुजरात): महोदय, 2025 में नीट पीजी मेडिकल के एडमिशन सिस्टम में मेरिट्स में काफी कटौती की गयी है। नीट में इस तरह की कटौती की वजह से पूरे सिस्टम और खासकर के जो विद्यार्थी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बनने जा रहे हैं, उनकी योग्यता और एजूकेशन के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। इसका असर आने वाले दिनों में अवाम पर भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपनी गहरी चिंता जतायी हुई है। जो भी मेडिकल कॉलेजेज़ हैं, प्राइवेट कॉलेजों में उनकी फीस आसमान छू रही है। जहां सरकारी मेडिकल कॉलेज में 9 हजार से लेकर 17 हजार तक फीस है, वहीं जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज़ हैं, वहां पर फीस एक करोड़ से लेकर डेढ़ करोड़ और कहीं उससे भी ज्यादा है। सरकारी मेडिकल कॉलेज जो भी फीस लेता है, उससे दोगुना से ज्यादा फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को नहीं लेनी चाहिए, ऐसा नियम होते हुए भी, सरकारी नियमों की अनदेखी हो रही है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज़ मनमाने तरीके से विद्यार्थियों से पैसे ले रहे हैं।

Contents Page

अतः सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे देश के युवा, जो कि मेडिकल एजूकेशन लेकर देश की सेवा करना चाहते हैं, उनकी फीस के लिए नियत रकम निश्चित की जाये और कम से कम रुपये में कोई डाक्टर बन सके, ऐसी सुविधा होनी चाहिए, धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): The following hon'ble Members associated themselves with the Special Mention made by the hon'ble Member, Shri Shaktisinh Gohil:

Shri Neeraj Dangi (Rajasthan) and Dr. Sasmit Patra (Odisha).

Dr. Fauzia Khan; not present. Shriman A. D. Singh; not present. Shrimati Priyanka Chaturvedi.

Concern over invisible victims of India's correctional system

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI (Maharashtra): Sir, I rise to speak on the 'Concern over Invisible Victims of India's Correctional System.' Children of incarcerated parents remain among the most invisible groups in India's justice system. Despite their vulnerability, there is no reliable national data on how many such children exist, their living conditions, or their access to education and welfare. Even within prisons, basic facilities such as crèches and childcare support are either inadequate or absent, while children outside face stigma, disruption in schooling, and economic distress. According to the National Crime Records Bureau (NCRB), the study notes that as of December 2023, a total of 1,492 children were living inside Indian prisons, with 1,318 women. Since prisons and law and justice fall under the State List, there is no uniform national framework, no standardised data collection, and no minimum benchmarks of care for these children. As a result, States follow fragmented approaches, and these children remain outside the focus of both justice and welfare systems. Prison data in India does not capture the long-term impact on children, nor does it track outcomes post-incarceration. The absence of data itself reflects the absence of policy attention.

I urge the Government to develop a uniform policy framework with minimum standards of care. Additionally, establish a national database of children of incarcerated parents, and ensure coordination between prison administration, education systems, and child protection services so that these children are not left behind. Thank you so much, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): The hon'ble Member, Dr. Sasmit Patra (Odisha), associated himself with the Special Mention made by the hon'ble Member, Shrimati Priyanka Chaturvedi.

Contents Page

Shrimati Geeta *alias* Chandraprabha.

Demand to categorize digital arrest and cyber fraud under the ambit of robbery and dacoity

श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, भारत आज विश्व में ऑनलाइन माध्यम से सर्वाधिक लेन-देन करने वाला देश बन गया है। इन उपलब्धियों के साथ ही देश के नागरिक डिजिटल गिरफ्तारी और साइबर धोखाधड़ी से संबंधित अनेक समस्याओं का सामना भी कर रहे हैं। देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी इस विषय पर अपनी चिंता प्रकट की है। अब तक लगभग 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की हेरा-फेरी डिजिटल गिरफ्तारी और साइबर धोखाधड़ी के जरिए की गई है। साइबर घोखाधड़ी रोकने के लिए हमें एक कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है। लूट और डकैती की घटनाओं के लिए सरकार ने कठोर कानूनों का प्रावधान किया है। इन कठोर कानूनों को बनाने के लिए तर्क दिया जाता है कि लूट या डकैती की घटना में शारीरिक हिंसा शामिल होती है। महोदय, डिजिटल गिरफ्तारी और साइबर धोखाधड़ी भी मानसिक प्रताड़ना का एक रूप है। किसी व्यक्ति के पूरे जीवन की कमाई को डिजिटल माध्यम से धोखाधड़ी करके लूटना भी उस व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर कर देता है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि डिजिटल गिरफ्तारी और साइबर धोखाधड़ी को भी लूट और डकैती की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए। इस अपराध के लिए भी लूट और डकैती की धाराओं में सजा का प्रावधान होना चाहिए तथा लूट और डकैती में जिस प्रकार से शारीरिक हिंसा को आधार बनाते हुए कार्रवाई का प्रावधान है, उसी प्रकार से डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी में मानसिक हिंसा को आधार बनाते हुए कठोर कार्रवाई का प्रावधान किया जाना चाहिए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): The following hon'ble Members associated themselves with the Special Mention made by hon'ble Member, Shrimati Geeta alias Chandraprabha:

Shri Shambhu Sharan Patel (Bihar), Ms. Indu Bala Goswami (Himachal Pradesh), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Shri Sadanand Mhalu Shet Tanavade (Goa), Shri Devendra Pratap Singh (Chhattisgarh), Shri Naresh Bansal (Uttarakhand), Shri Ram Chander Jangra (Haryana), Shri Banshilal Gurjar (Madhya Pradesh), Shri Chunnilal Garasiya (Rajasthan), Shri Baburam Nishad (Uttar Pradesh), Dr. Sangeeta Balwant (Uttar Pradesh), Dr. Sumer Singh Solanki (Madhya Pradesh), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh), Shrimati Seema Dwivedi (Uttar Pradesh), Shrimati Ramilaben Becharbhai Bara (Gujarat) and Shri Mokariya Rambhai (Gujarat).

Now, Shri Naresh Bansal.

Contents Page

Demand for issuance of a postage stamp in honor of Dr. Nityanand

श्री नरेश बंसल (उत्तराखंड): महोदय, देहरादून के डी.बी.एस कॉलेज में भूगोल के प्रोफेसर रहे डॉ. नित्यानंद जी का पूरा जीवन सेवा समर्पण व त्याग की अनूठी मिसाल है। 1991 में गढ़वाल में आए विनाशकारी भूकंप से प्रभावित परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने व उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए डा.नित्यानंद जी ने मनेरी को केंद्र बना कर संघ के स्वयंसेवकों द्वारा 50 गाँवों में शुरू किए गए सेवा कार्यों का मार्गदर्शन किया। 1975 से पार्शियल पैरालिसिस से ग्रस्त इस कर्मयोगी ने डॉक्टर की सलाह को अनदेखा कर पहाड़ पर प्रवास जारी रखा। 400 से अधिक परिवारों को भूकंपरोधी घर बना कर दिए गए। 1945 से जीवन की अंतिम सांस तक संघ के पूर्णकालिक (बरसों तक प्रांत कार्यवाह रहे) डा. नित्यानंद को उत्तरांचल दैवीय आपदा पीड़ित सहायता समिति के गठन का श्रेय जाता है, जो 14 बरसों से देश के किसी भी हिस्से में आई आपदा में पीड़ितों की मदद का हर संभव प्रयास करती है।

डा. नित्यानंद जी सचमुच आधुनिक संत थे। मां के नाम पर श्रीमती भगवती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट छात्रवृत्ति शुरू की। इस ट्रस्ट द्वारा प्रतिवर्ष वे 40 मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति देते रहे। इतिहास व भूगोल की अनेक पुस्तकें लिखने वाले नित्यानंद जी हिमालय पर अपने शोध व ग्राम विकास के कार्यों के लिए भी जाने जाते हैं। उनके नाम पर डा. नित्यानंद हिमालय शोध एवं अध्ययन केंद्र देहरादून में बन रहा है। डॉ. नित्यानंद जी आधुनिक युग के दधीचि थे, जिन्होंने अपनी देह गला कर उत्तराखंड की घाटियों में सेवा का मार्ग प्रशस्त किया। इसलिए मैं सरकार से माँग करता हूँ कि डा. नित्यानंद जी पर एक डाक टिकट जारी किया जाए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): The following hon'ble Members associated themselves with the Special Mention made by hon'ble Member, Shri Naresh Bansal:

Dr. Radha Mohan Das Agrawal (Uttar Pradesh), Shrimati Geeta alias Chandraprabha (Uttar Pradesh), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Chunnilal Garasiya (Rajasthan), Shri Madan Rathore (Rajasthan), Shri Banshilal Gurjar (Madhya Pradesh), Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh), Dr. Sumer Singh Solanki (Madhya Pradesh), Shri Ram Chander Jangra (Haryana), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Shri Sadanand Mhalu Shet Tanavade (Goa) and Shri Devendra Pratap Singh (Chhatisgarh).

Now, Shri Devendra Pratap Singh.

Demand for expansion of railway facilities and stoppage of important trains at Raigarh Railway Station (Chhattisgarh)

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह (छत्तीसगढ़): महोदय, रायगढ़ की धरती त्याग, दूरदर्शिता और विकास के संकल्प की प्रतीक रही है। ब्रिटिश काल में जब बंगाल-नागपुर रेलवे (BNR) नेटवर्क का विस्तार

Contents Page

हो रहा था, उस समय रायगढ़ रियासत के तत्कालीन शासक राजा भूप देव सिंह जी - जो आदिवासी गोंड समुदाय के गौरवशाली शासक थे - ने 19 सितंबर, 1890 को रेलवे विस्तार हेतु 1,169 एकड़ से अधिक भूमि जनहित में प्रदान की। यह उनके दूरदर्शी नेतृत्व और क्षेत्र के विकास के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। रायगढ़ कला और संस्कृति का भी प्रमुख केंद्र है। राजा चक्रधर सिंह जी की यह कर्मभूमि है, जहाँ प्रतिवर्ष 'चक्रधर समारोह' में देश-विदेश के कलाकार भाग लेते हैं, किन्तु वर्तमान स्थिति चिंताजनक है। कई महत्वपूर्ण ट्रेनें, जैसे पुणे-हमसफर एक्सप्रेस (20822), वास्को डिगामा एक्सप्रेस (17322), ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस (12102), पोरबंदर कवि गुरु एक्सप्रेस (12950) और मुंबई सीटीएम एक्सप्रेस (12870) रायगढ़ स्टेशन पर नहीं रुकतीं, जिससे यात्रियों, व्यापारियों और कला-प्रेमियों को असुविधा होती है। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि इन ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, रायगढ़ में प्रस्तावित रेलवे टर्मिनल, जिसका शिलान्यास पूर्व रेल मंत्री जी के कार्यकाल में हुआ था, उसे शीघ्र पूर्ण किया जाए। यह केवल एक मांग नहीं, बल्कि रायगढ़ के ऐतिहासिक योगदान का सम्मान है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): The following hon'ble Members associated themselves with the Special Mention made by the hon'ble Member, Shri Devendra Pratap Singh:

Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Shri Banshilal Gurjar (Madhya Pradesh), Shri Chunnilal Garasiya (Rajasthan), Shri Shambhu Sharan Patel (Bihar), Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Dr. Sasmit Patra (Odisha) and Shri Govindbhai Laljibhai Dholakia (Gujarat).

Now, Shrimati Sangeeta Yadav; not present. Shriman Sadanand Mhalu Shet Tanavade.

Demand for creation of an independent Postal Circle for Goa

SHRI SADANAND MHALU SHET TANAVADE (Goa): Sir, I seek to draw attention of the Government to a serious administrative issue concerning postal administration in Goa. At present, postal services in Goa are administered under the Maharashtra Postal Circle. Despite being a separate State with its own distinct identity, Goa continues to remain under the administrative control of this circle. While this arrangement may have been suitable earlier, it no longer meets present needs, as Goa has its own administrative, linguistic and socio-economic requirements. This continued dependence on another State's administrative structure has led to several practical challenges. Firstly, recruitment to postal services is conducted at the circle level. As a result, candidates from larger States tend to dominate the selection process due to greater competition, thereby limiting fair employment opportunities for

Contents Page

local youth in Goa and reducing their representation in public service delivery. Secondly, many employees recruited from outside Goa seek transfers back to their parent States after a short tenure, leading to recurring vacancies. These vacancies are often managed through temporary arrangements, affecting continuity and efficiency in postal services. Goa's small geographical size should not be seen as a constraint, but rather as an advantage in creating a more responsive, efficient and citizen-centric postal administration.

I, therefore, urge the Government to consider the creation of an independent postal circle for Goa. This step will ensure better administrative control, improve service delivery and enhance employment opportunities for local youth in Goa.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): The following hon'ble Members associated themselves with the Special Mention made by the hon'ble Member, Shri Sadanand Mhalu Shet Tanavade:

Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Shri Mokariya Rambhai (Gujarat), Shri Mithlesh Kumar (Uttar Pradesh), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Sat Paul Sharma (Jammu and Kashmir) and Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur).

Dr. Medha Vishram Kulkarni.

Concerns regarding unfair rejection and delay in health insurance claim settlements by private insurance companies

DR. MEDHA VISHRAM KULKARNI (Maharashtra): Sir, I seek to draw the attention of the Government to the growing concern regarding the increasing instances of delay and unjust rejection of health insurance claims by certain private insurance companies, causing serious hardship to policyholders across the country. Private insurers promote health policies with promises of cashless treatment and quick settlement of claims. Yet, during medical emergencies many families later find their claims partially approved, delayed, or rejected on technical grounds such as pre-existing disease clauses, documentation issues, or restrictive policy conditions. According to the latest annual report of the Insurance Regulatory and Development Authority of India, nearly 2.57 lakh complaints were registered in the insurance sector during 2024-25, including about 1.22 lakh related to claim settlement disputes, a large share from health insurance. Policyholders have also raised concerns regarding the practices of certain insurers where delays, repeated document requests and prolonged verification processes create difficulties for patients and hospitals. In many

Contents Page

cases, patients enter hospitals expecting insurance coverage, but at the time of discharge, families have to arrange large payments due to unresolved claims, placing severe financial and emotional pressure on ordinary citizens.

I, therefore, urge the Government to strengthen regulatory oversight, ensure strict action against insurers unfairly rejecting claims, mandate dedicated claim-settlement managers to coordinate with hospitals, require transparent disclosure of policy terms before sale and ensure that all insurance-related complaints are resolved within a fixed time frame of 30 days to protect policyholders and maintain public confidence in the health insurance system.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): The following hon'ble Members associated themselves with the Special Mention made by the hon'ble Member, Dr. Medha Vishram Kulkarni:

Shri Sat Paul Sharma (Jammu and Kashmir), Shri Gulam Ali (Nominated), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Shri Madan Rathore (Rajasthan) and Shri Sadanand Mhalu Shet Tanavade (Goa).

The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Thursday, the 2nd April, 2026.

The House then adjourned at thirty-five minutes past six of the clock till eleven of the clock onThursday, the 2nd April, 2026.

Contents Page

PUBLISHED UNDER RULE 260 OF RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN THE COUNCIL OF STATES (RAJYA SABHA)